(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5) सप्तम विधान सभा के पंचम सत्र का पांचवां दिवस (संख्या 5)

1] [2

शुक्रवार

दिनांक 10 सितम्बर, 1982.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री राजबहादुर (भरतपुर) :** माननीय उपाध्यक्ष जी एक मिनट लेट हैं।

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न।

श्री सी० पी० जोशी।

### खान एवं खनिज निगम में ओवर बर्डन हटाने हेतु निविदायें

**134. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :** क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खान एवं खनिज निगम में ओवर बर्डन हटाने के लिये जिन-जिन कम्पनियों की निविदायें अमान्य की गई थीं. उन्हीं में से एक कम्पनी राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम में कार्य कर रही है ?

(2) यदि हां, तो किस कारण तकनीकी दृष्टि से सम्पन्न इस कम्पनी को पूर्व में कार्य नहीं दिया गया ?

(3) इससे राज्य सरकार को कितनी राशि की हानि हुई ?

**राज्य मन्त्री, खनिज (श्री प्रद्युम्न सिंह) :**
(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री सी० पी० जोशी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, वे कौन-कौनसी कम्पनियां थीं जिन्होंने टेण्डर दिये थे, उनमें से एक, क्या यह सच है, आर. एस. एम. डी. सी. में काम कर रही थी ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप प्रश्न की तरफ गौर करें तो पूछा गया है "क्या यह सही है कि राजस्थान खान एवं खनिज निगम में ओवर बर्डन हटाने के लिए जिन-जिन कम्पनियों की निविदायें अमान्य की गई थीं उन्हीं में से एक कम्पनी राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम में कार्य कर रही है ?" जिस कम्पनी को आर. एस. एम. एम. ने अमान्य करार दिया था उनमें से एक के रीको में काम करने का प्रश्न पूछा है। मैंने कहा, जी नहीं।

**श्री सी० पी० जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय आर. एस. एम. एम के ओवर बर्डन को

# Page No 2

(2)



( श्री सी० पी० जोशी )

हटाने के टेण्डर जिन्होंने दिये थे उनमें से एक कम्पनी आर. एस. एम. डी. सी. है, यह मेरा प्रश्न है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं प्रश्न से समझ पाया हूं, वह है रीको को अमान्य करार दिया गया है। उसको किसी काम का ठेका नहीं दिया गया।

**श्री सी० पी० जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ की बात है। मन्त्री महोदय इसको साइड ट्रेक करना चाहते हैं। आर. एस. एम. एम. में ओवर बर्डन हटाने के लिये तीन कम्पनियों के टेण्डर मांगे गये थे। आप इसको साइड ट्रेक कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** जवाब दिया गया है, वह यह कि रीको में कार्य नहीं कर रही है।

( व्यवधान )

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : 6 करोड़ का घोटाला है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** आज डिबेट है आर. एस. एम. एम. और आर. एस. एम. डी. सी. पर। कहीं घोटाला हो तो आप उसमें उठा सकते हैं।

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता।

( व्यवधान )

माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता।

**श्री सी० पी० जोशी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं आज डिबेट है। मेरा सीधा सा मन्त्री महोदय से निवेदन है, वे सदन में स्पष्ट करें, क्या यह सही है कि जिन्होंने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करके और करोड़ों का नुकसान करके क्षति पहुंचाई है....

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के अन्दर यह कहीं नहीं पूछा गया है।

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष :** आपका प्रश्न ही ऐसा है।

**श्री सी० पी० जोशी :** नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय इतने काम्पीटेन्ट हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं, ओवर बर्डन को हटाने के बारे में राजस्थान को करोड़ों रुपयों की क्षति पहुंचाने के बारे में है। यह टालने वाली बात है। आप मना कर दें। ओवर बर्डन का जो समझौता हुआ है, वह गलत हुआ है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है वह प्रश्न के उत्तर के माध्यम से मैं व्यक्त कर चुका हूं। और जो मेरे पास उत्तर था वह देने की चेष्टा की है। अब यह बात दूसरी है कि मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाया हूं। जो सदन के सामने प्रश्न है वह तो यही है जो माननीय सदस्य ने पूछा है। जो अभी कह रहे हैं उसका इससे कोई

# Page No 3

(3)



( श्री प्रद्युम्न सिंह )

सम्बन्ध नहीं है। फिर भी रेगुलर डिबेट चल ही रही है, आप उसमें इस प्रश्न को और उठा लेना।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ओवर बर्डन का प्रश्न विधान सभा के पिछले सत्र में भी आया था। उस समय भी यह कहा गया था कि कल चर्चा होगी। यह कह कर टाल दिया था। हो सकता है इसे अभी भी टाला जा रहा हो। यह ओवर बर्डन का साधारण मामला नहीं है। इस ओवर बर्डन को हटाने के लिये आर. एस. एम. एम. के पास जो मशीनें हैं वह कितने करोड़ की हैं? जो ठेका दिया है वह कितने का है?

**श्री उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

( व्यवधान )

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न है।

( व्यवधान )

**श्री महावीरप्रसाद जैन** (टोंक) : आर. एस. एम. एम. में जो मशीनें हैं उनकी कितनी क्षमता है?

**श्री उपाध्यक्ष** : रूल्स का ध्यान रखिये। आसन पैरों पर है। जो प्रश्न जिन शब्दों में किया गया है उसका उत्तर बराबर आ गया। अगर और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अलग से पूछें।

अगला प्रश्न।

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, पहले आप सुनने की तो कोशिश करें। ओवर बर्डन हटाने के लिये....

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न में जो शब्द हैं, वह क्लियर हैं। इस प्रश्न को दुबारा पूछ लिया जाय।

**श्री सी० पी० जोशी** : यह हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके ड्राफ्ट करने वालों ने गलत किया हो। आप इसका सैकण्ड पार्ट देखिये। आप आर. एस. एम. डी. सी. की जगह रीको कह रहे हैं। ठेका हुआ या नहीं हुआ, मैं यह पूछना चाहता हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में निवेदन किया....

**श्री सी० पी० जोशी** : ठेका हुआ या नहीं हुआ, यह बता दीजिये? टेण्डर दिया या नहीं दिया, यह बता दीजिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है, फिर भी आज दोनों पर डिबेट होने वाली है। कहीं कुछ हो तो आप कहिये....

( व्यवधान )

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : प्रश्न

(श्री मेघराज तावड़)

का उत्तर प्रश्न के तरीके से ही आना चाहिये। डिबेट में नहीं आना चाहिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** आप जो कहते हैं उसको मैं सुनता हूं तो जो मैं कहता हूं मेरी बात भी पहले सुन लें।

अब आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा प्रश्न के भाग (1) पर तो वह यह है, "क्या यह सही है कि राजस्थान खान एवं खनिज निगम में ओवर बर्डन हटाने के लिये जिन-जिन कम्पनियों की निविदायें अमान्य की गई थीं उन्हीं में से एक कम्पनी राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम में कार्य कर रही है।"

बड़ा पिन पाइन्ट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि एक कम्पनी रीको में काम कर रही है। मैं कहता हूं कि कोई कम्पनी काम नहीं कर रही है। बाकी ऊपर के क्वेश्चन के आधार पर नीचे के दोनों भाग बने हुए हैं, उनमें कह दिया, जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। जब उसको कान्ट्रेक्ट ही नहीं दिया गया...

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य।

**श्री सी० पी० जोशी :** आर. एस. एम. डी.सी. का ही लिख कर मैंने दिया था। वह आपने गलत कर दिया।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप दूसरे फार्म में सवाल पूछिये। ललित किशोर चतुर्वेदी।

**श्री सी० पी० जोशी :** मेरी बात सुन लीजिए आप, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपका बयान आ गया।

**श्री सी० पी० जोशी :** जवाब नहीं आया। स्पेसिफिक पिन पाइन्ट आर. एस. एम. डी.सी. लिखा हुआ था उसे गलत कर दिया होगा। उसका उत्तर दे दीजिए। आप इसको साइड ट्रेक कर रहे हैं। काम करने से यह गलती हुई है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** यह बात सही है....

**श्री सी० पी० जोशी :** यही तो मैं कह रहा हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह ;** तो आपने रीको के बारे में क्यों पूछा है? यह आपकी जिम्मेदारी है।

**श्री सी० पी० जोशी :** यह आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है। इसमें आर. एस. एम.डी.सी. कहना चाहते हैं आप। रीको को कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। उससे कितना लाभ हो रहा है। आप साइट ट्रेक कर रहे हैं। आप बताइये कितना लाभ हुआ

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** किसका लाभ हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

**श्री उपाध्यक्ष :** आपके सवाल में लिखा हुआ है, एक कम्पनी राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम...

**श्री सी. पी. जोशी :** इसी आर. एम. एस.डी.सी. में तो काम कर रही है, माननीय

(श्री सी० पी० जोशी)

मन्त्री महोदय जानते हैं। आप साइड ट्रैक कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह हो गया है, दफ्तर की गलती से। यह सवाल आप दुबारा कर लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

**बसों के किराये में वृद्धि**

**135. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान पथ परिवहन निगम एवं अन्य बसों के किरायों में कब कब एवं कितनी वृद्धि हुई है तथा विभिन्न श्रेणी की बसों के किराये में प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार इन सेवाओं में किराया वृद्धि और करना चाहती है और क्या इस विषय में अधिसूचना जारी कर दी गयी है ? यदि हां, तो कृपया अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, परिवहन** (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। दिनांक 7–8–82 को अधिसूचना केवल इसलिए जारी की गयी है कि यात्री कर बस किराये के साथ सम्मिलित करके वसूल किया जावे तथा नगरीय बस सेवा में कुछ किराया वृद्धि के प्रस्ताव हैं क्योंकि 1975-76 के उपरान्त नगरीय बस सेवा के किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नगरीय बस सेवा के वर्तमान किराये की सूची तथा किराये में वृद्धि के लिए जारी की गयी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

**(सूची व अधिसूचना की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)**

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो सूची आपने दी है उसके अनुसार 1978 में सामान्य सेवा का 4.4 पैसा था वह बढ़ कर 7.3 पैसा हो गया। एक्सप्रेस का 4.9 पैसा था उसका 8 पैसा हो गया है। सेमी डीलक्स का 5.9 पैसा था उसका 9.8 हो गया। डीलक्स का 6.9 था जो 11.3 हो गया। यानि पिछले दो सालों में नयी सरकार आने के बाद किराये में लगभग दुगुनी वृद्धि की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या राज्य सरकार की यह मन्शा तो नहीं है कि सामान्य सेवा का जो 4.4 पैसा था 1978 में, वह आने वाले 2-3 महीनों में 9.7 पैसा हो जायेगा ? क्या एक्सप्रेस और मेल सेवा का जो 4.9 पैसा था और अभी 8 पैसा है, वह बढ़कर 10.92 पैसा हो जायेगा ? क्या सेमी डीलक्स सेवा का जो 5.9 पैसा था, अभी 9.8 पैसा है, वह बढ़कर 13.37 पैसा हो जायेगा ? डीलक्स सेवा का जो 6.9 पैसा था 1978 में, अभी 11.3 है, यानि दुगुना है वह और बढ़कर 15.42 अर्थात्

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पौने तीन गुना हो जायेगा।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : माननीय सदस्य, मैंने जैसा कहा, जो अधिसूचना जारी की गयी है, उसमें पैसेंजर टैक्स और सरचार्ज निकाला जाय....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यह मेरा सवाल नहीं है।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : आप जल्दी कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि दोनों मिलाकर यही टोटल आता है, जो आप पढ़ रहे हैं। बाकी किराये में वृद्धि नहीं की गयी है। सरचार्ज, पैसेंजर टैक्स और किराया, तीनों मिलाकर यह रेट्स हैं जो....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : यानि कहने का मतलब है कि राज्य सरकार चोर दरवाजे से पौने तीन गुणा कीमत बढ़ाना चाहती है दो सालों में? मेरा स्पेसिफिक प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि....

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : मैंने कहा है, कोई किराये में वृद्धि नहीं की जा रही है। और क्या चाहते हैं आप?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : यह 4.4 से 9.7 पैसा नहीं किया जायेगा।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : मैं कहना चाहता हूं कि कोई किराये में वृद्धि नहीं की जा रही है। 78-79, 79-80, 80-81 में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी। भविष्य में नहीं की जायेगी। केवल किराये में पैसेंजर टैक्स और सरचार्ज को मिलाकर एक रेट कर दी गई थी। पहले यह अलग अलग चार्ज किया जाता था जो अब तीनों को मिलाकर एक बना दी थी। अब यह अलग अलग चार्ज नहीं करके एक मुश्त चार्ज किया जायेगा।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : 1978 में सामान्य सेवा का 4.4 पैसा प्रति किलोमीटर था जिसको आपके कहने के अनुसार 9.7 करने वाले हैं। 4.4 में सब कर शामिल थे।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : सब कर शामिल नहीं थे। न 6.9 में थे। अलग पैसेंजर टैक्स वसूल होता था। यह आपको गलतफहमी है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जिस अधिसूचना के जरिये आपने कहा है 15 पैसा दो किलोमीटर से कम था वह 30 पैसा कर रहे हैं। 25 पैसा 2 से 4 किलोमीटर के लिए था जो अब बढ़ाकर 60 पैसा कर रहे हैं। यह क्या नगरीय सेवा में नहीं है? जिसमें कोई मिनिस्टर या सेठ साहूकार ट्रैवल नहीं करते जिसमें सामान्य व्यक्ति जाता है उसमें दुगुना करने की जिस सरकार की साजिश है, वह क्या ऐसी गवर्नमेन्ट है जो लोगों का हित करना चाहती है? क्या ठीक है?

**श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी विधान सभा में चोर दरवाजे से कहा, सम्बोधन किया है, मेरे विचार से यह असंसदीय है, इसको एक्सपंज किया जाय।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : हां, ठीक है। यह तो जैसा इनका विचार होता है, वैसा ही कहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री सुजान सिंह यादव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा अभी मुझे बताया, कल तैयारी करके आऊंगा इसके लिए।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल के उत्तर में कहा है कि 75–76 के बाद नगरीय बस सेवा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 78,79,80 में हुई तो मेरा स्टेटमेन्ट है उसमें नगरीय बस सेवा में कोई वृद्धि नहीं हुई है इसलिए यह आवश्यक था कि 75–76 के रेट्स को रिवाइज किया जाय। नगरीय बस सेवा में करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : रिवाइज करके दुगुना ढाई गुणा कर दिया जाय, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं, 4.4 पैसा प्रति किलोमीटर जो 1978 में किराया था उसमें सब बातें मिली जुली थीं।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : नहीं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं उसको प्रूव कर देता हूं। राज्य सरकार प्रयत्न करके गरीब लोगों का उद्धार नहीं करके इस प्रकार पौने तीन गुणी, दुगुनी वृद्धि करने की साजिश कर रही है। मैं चाहता हूं राज्य सरकार इस पर पूरा विचार करे।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, There in no question.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : मेरा निवेदन है, माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं, किराया नहीं बढ़ रहा है। मैं चार्ज लगा रहा हूं, सीकर से जयपुर का पहले 13 रुपया किराया लगता था इस समय 14 रुपये चार्ज कर रहे हैं। एक रुपया बढ़ा दिया 15 दिन में आपने।

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : वह इसलिए बढ़ाया था कि 10 चक्कर खाकर जाती थी।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि कोई वृद्धि नहीं हुई है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सीकर का किराया 14)- रुपया लिया जा रहा है....

(व्यवधान)

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : मैं हाउस में घोषणा कर रहा हूं कि कोई किराये में वृद्धि नहीं की गई है।

**श्री दीपेन्द्रसिंह** : बस मिलिट्री एरिया में हो कर आती है जिसकी वजह से ज्यादा किराया होता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरीश शर्मा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : एक रुपया प्रति

( श्री घनश्याम तिवाड़ी )

यात्री सीकर में आने वालों से ज्यादा लिया जा रहा है....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरीश शर्मा।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में भी किराया बढ़ा है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : 15 दिन के अन्दर किराया बढ़ा है।

**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों में लगातार किराया बढ़ा है। बसों की हालत यह है कि न तो समय पर चलती हैं, न सफाई है, बसें खटारा हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्य। श्री हरीश शर्मा।

**श्री हीरालाल आर्य** : बसें रास्ते में रह जाती हैं, समय पर नहीं चलती हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**कोटा जिले के चिकित्सालयों में डाक्टर एवं ए. एन. एम. के रिक्त पद**

136. **श्री हरीश शर्मा** ( रामगंजमण्डी ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के चेचट चिकित्सालय में लम्बे समय से डाक्टर का पद रिक्त है ? यदि हां, तो सरकार कब तक डाक्टर नियुक्त करने का विचार रखती है ?

(2) मोडक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने केन्द्रों पर ए. एन. एम. की नियुक्ति अभी तक भी नहीं की गई है तथा कितने केन्द्रों पर पद रिक्त हैं ? यह पद कब से रिक्त हैं तथा सरकार कब तक इन्हें भर देगी ?

**स्वास्थ्य मन्त्री** ( श्री सी० एल० कंवरिया) : (1) जी हां। माह अगस्त, 1982 में डाक्टर का पदस्थापन कर दिया गया है।

(1) मोडक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत केवल एक उप स्वास्थ्य केन्द्र गोदल्या पर ए. एन. एम. कार्यरत नहीं है, पद दिनांक 28-7-81 से रिक्त है। यह पद प्रशिक्षित प्रसाविका उपलब्ध होने पर भर दिया जावेगा।

**श्री हरीश शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि पद रिक्त रहा तो कितने महीनों तक रिक्त रहा और कब रहा ? साथ ही क्या देवलीखुर्द में भी ए. एन. एम. का पद रिक्त है ?

**श्री दीपेन्द्र सिंह** : अब इनसे पूछ कर लगा देना, साहब।

**श्री सी. एल. कंवरिया** : जितने भी

( श्री सी. एल. कंवरिया )

पद और जगह भी रिक्त हैं वह पद भर दिये जायेंगे ?

**श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : पिछली बार भी यही कहा था कि पद भर दिये जावेंगे। यह बतायें कि कब तक भर दिये जायेंगे ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

**श्री हरीश शर्मा** : आपको बार-बार लिख कर दिया लेकिन आज तक नहीं भरे ...

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं करें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति पूरे कोटा जिले की है और सब जगह पद खाली पड़े हैं ...

(व्यधधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : इस मेडिकल डिपार्टमेंट में जितना भ्रष्टाचार है....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। बैठ जावें, माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : जिला झालावाड़ में कई पद रिक्त हैं....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की गरिमा रखने के लिये यह प्रावधान है आपके रूल्स में कि बिना अनुमति के कोई खड़ा होकर बोलने की कोशिश नहीं करे। कृपया खड़े होकर अनुमति लें। फिर बोलें। इसके बिना सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता। आपसे विनती है, माननीय सदस्य, कृपया एक-एक करके बोलें। श्री सुखलाल सैंगचा।

**श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिपार्टमेंट में भयंकर भ्रष्टाचार है ...

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

(व्यवधान)

**श्री अनंगकुमार जैन** : XXX

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : XXX

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : XXX

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मुझे रूल्स के अनुसार कार्यवाही करने पर बाध्य नहीं करें। कृपया बैठ जाइये।

---

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री हीरालाल आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है.... ..

**श्री उपाध्यक्ष** : सवाल का जवाब आ गया है। अब कोई सवाल अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय ये सदन का टाइम बरबाद कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए आपसे विनती करता हूं कि आप बिना इजाजत खड़े मत होइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप मुझे सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री सुखलाल सैंगचा।

**श्री अनंगकुमार जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, मानवता का प्रश्न है.........

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप मुझे बाध्य कर रहे हैं,

**जल प्रदाय योजनाओं में नियुक्तियां**

137. **श्री सुखलाल सैंणचा** (रायपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जल प्रदाय योजनाओं में हैल्पर व वाटर पम्प ड्राइवर नियुक्त करने की क्या नीति है ?

(2) क्या दो साल तक दैनिक वेतन पर अस्थाई कार्य करने के बाद भी किसी कर्मचारी को हटाया जा सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री जगदीश सैन, पाली जिले के जलदाय विभाग में दो साल से कार्यरत था जिसे सेवा मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जगदीश सैन की सेवामुक्ति के बाद अधिशासी अभियन्ता पाली ने मनमानी कर कई नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को क्यों बेरोजगार रखा जा रहा है ?

राज्य मन्त्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (**श्री जयकृष्ण शर्मा**) : (1) सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पद होने पर राजस्थान अभियान्त्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य ब्रांच) नियम 1967 के तहत एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति की जाती है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। श्री जगदीश सैन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ने 2 वर्ष तक लगातार कार्य नहीं किया था। इन्हें आवश्यकता न होने के कारण कार्य मुक्त किया गया।

(4) जी नहीं। प्राप्त जानकारी के

( श्री जयकृष्ण शर्मा )

अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा -नियमों के प्रतिकूल कोई नियुक्ति नहीं की गयी।

**श्री सुखलाल सेणचा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि पाली जिले के अन्दर कितनी जगह पम्प ड्राइवरों की खाली हैं ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री (**श्री परसराम मदेरणा**) : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अलग प्रश्न है।

**श्री सुखलाल सेणचा** : दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि इनको जो हटाया गया है वह किस कारण से हटाया गया और उनकी कितने समय तक नियुक्ति वहां पर रही ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : जलदाय योजना सुमेरपुर में 229 दिन और जलदाय योजना बर पर 228 दिन तक रहे लेकिन इसके बीच में ब्रेक होता रहा है। लगातार काम नहीं किया था।

**श्री सुखलाल सेणचा** : क्या सैन अकेले को ही हटाया गया या और किसी को भी हटाया गया है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अलग से प्रश्न है। Question dose not arise.

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, हैल्पर की एक पोस्ट थी। हैल्पर के लिए पी. एच. ई. डी. में इस प्रकार के रूल्स बने हुए हैं कि वर्क चार्ज एम्पलाई उसी यूनिट पर रहेंगे जो स्कीम में हैं। इसलिये उस स्कीम के लिये जब तक आवश्यकता होगी, तब तक डेली वेजेज पर रखा जा सकता है उसके बाद काम की आवश्यकता नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है बशर्ते कि वर्क चार्ज के रूल्स के अन्दर 240 दिन पूरे नहीं कर लिये हों। इसने 240 दिन पूरे नहीं किये, इसके नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी, सर्विस टर्मिनेट हो गयी। जब आवश्यकता नहीं थी तो हटा दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरीश शर्मा।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में फर्माया कि पम्प ड्राइवर की जब आवश्यकता होती है, नियुक्ति दे देते हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप नियुक्तियों के लिए विचार करते हैं उसके कोई नियम हैं या मनमानी करते हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसके लिये सर्विस रूल्स हैं उसके प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति दी जाती है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अस्थाई पदों के बारे में पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मनमानी होती है, पक्षपात होता है। उपाध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका जवाब दे दिया है। प्रश्नकर्ता।

**श्री सुखलाल सेणचा** : उपाध्यक्ष महोदय

(श्री सुखलाल सैंणचा)

मेरी बात नहीं सुनी । पाली में जितनी जलप्रदाय योजनायें बनी हैं, उनको सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आदमियों की कमी है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे, कितने आदमियों की कमी है ? फिर बेकार लोगों को एम्प्लायमेंट भी देना है। मैं पूछना चाहूंगा, जिनको एम्प्लायमेंट देना है, जो खाली जगह हैं उसको भरने के लिये राज्य सरकार कब तक आदेश जारी कर देगी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री सुखलाल सैंणचा** : यह रेलेवेन्ट है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं........

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो बहुत बातें पूछना चाहते हैं, मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। कृपया बैठ जाइये ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मैं नम्रतापूर्वक एक लाइन में कहना चाहता हूं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं अनुमति नहीं देता हूं। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है इसलिये बैठ जाइये ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अस्थायी पम्प ड्राइवर्स ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

**श्री परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्क चार्ज एम्प्लाई, डेली वेजेज एम्प्लाई जो मस्टर रोल में अटेन्डेन्स लगाते हैं, 1 अप्रेल, 79 के बाद किसी को नियुक्ति नहीं दी जाये। इस प्रकार का प्रतिबन्ध है, इसलिये नियुक्ति नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अगला प्रश्न ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपके आदेशों के उपरान्त भी ऐसा हुआ है ...

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि श्री सैनी को किस योजना पर लगाया गया, कब लगाया और क्यों हटाया ।

**श्री सुखलाल सैंणचा** : नीति का सवाल है।

**श्री परसराम मदेरणा** : नीति बनी हुई है। वर्क चार्ज रूल्स बने हुई है, सबोर्डिनेट सर्विस के रूल्स बने हुए हैं, टेम्प्रेरी लोगों के लिये रूल्स बने हुए हैं, स्टेण्डिंग आर्डर्स बने हुए है, सब नियम बने हुए हैं। मैं निवेदन कर रहा था यह प्रश्न एक हैल्पर के सम्बन्ध में है। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य अलग से बात कर रहे हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्हें अलग से प्रश्न करना चाहिये। आप एम्प्लायमेंट के लिये कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी :** मैं आसन की इजाजत से पूछ सकता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

**दिल्ली में मंत्रियों, विधायकों एवं अधिकारियों के लिये आवासीय सुविधा**

138. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा मंत्रियों एवं राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली में राजस्थान हाउस के अतिरिक्त होटलों में सरकारी व्यय पर ठहरने की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां, तो उक्त सुविधा प्रदान करने का क्या पृष्ठ भूमि है?

(2) क्या राजस्थान हाउस में ठहरने के लिये प्रवृत्त नियमों का पालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने नियमों की खिलाफवर्जी करने वाले अधिकारी/स्टाफ के सम्बन्ध में जांच की है अथवा सरकार को लिखित व मौखिक शिकायतों से जानकारी मिली है? यदि हां, तो किस अवधि के लिये कौन दोषी पाया गया है?

(3) क्या यह सही है सरकार ने मंत्रियों को दिल्ली में पांच सितारा होटल में ठहरने की तथा 2500/- से अधिक वेतन पाने पाने वाले अधिकारियों को तीन सितारा होटल में ठहरने की स्वीकृति दे, दी है?

(4) यह स्वीकृति देना क्यों आवश्यक हुआ? क्या यह भी सही है कि विधायकों एवं मंत्रियों को राजस्थान हाउस में ठहरने के लिये कमरा उपलब्ध नहीं हो पाता? सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है?

(5) कृपया राजस्थान हाउस में सांसद, विधायकों एवं राजकीय अधिकारियों के ठहरने के संबंध में प्रवृत्त नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, गृह** (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(1) जी हां। राज्य कार्य से जाने वाले मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को, राजस्थान हाउस/बीकानेर हाउस/जोधपुर हाउस नई दिल्ली में आवासीय सुविधा की अत्यन्त कमी होने कारण आई० टी० डी० सी० के निर्धारित होटलों में ठहरने की सुविधा कुछ शर्तों के साथ दी गई है।

(2) जी हां। जो मौखिक एवं लिखित शिकायतें मिली हैं उनका मेन कारण मांग के मुकाबले में कमरों की संख्या बहुत कम है।

(3) जी हां।

यह स्वीकृति दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस/बीकानेर हाउस एवं जोधपुर में आवासीय सुविधा की अत्यन्त कमी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

के कारण दी गई है। यही सही है कि मंत्रियों, विधायकों को कभी-कभी राजस्थान हाउस में ठहरने के लिये कमरा उपलब्ध नहीं हो पाता। इस आवासीय कमी को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने राजस्थान हाउस के प्रांगण में एक सात मंजिले भवन के निर्माण की स्वीकृति दी है।

(5) प्रतियां संलग्न है।

**(नियमों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)**

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं एक सवाल करता हूं आपसे नम्बर तीन में। क्या यह सुविधा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी उपलब्ध है?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आपको है या नहीं है। लेकिन विधान सभा के नियमों के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष....

**श्री उपाध्यक्ष** : कारण यह है कि ना तो अध्यक्ष के पास ऐसी इत्तला है और ना मेरे पास है?

**अनेक माननीय सदस्य** : और विरोधी दल के नेता को भी।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आपको, अध्यक्ष को, और विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय को केबिनेट और स्टेट मिनिस्टर का दर्जा सामिल है, उस में दिक्कत आने वाली बात नहीं है।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : स्पष्ट जवाब दीजिये।

**श्री सुनील विश्नोई** (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको गोलमोल जवाब दे रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप तो गोल मोल हैं, इसलिए गोलमोल जवाब की बात कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में है कि अध्यक्ष को आपको और विरोधी दल के नेता को मन्त्री स्तर और राज्य मन्त्री स्तर को दर्जा हासिल है।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां या ना में जवाब दीजिए।

**श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस एवं बीकानेर हाउस तीनों में कुल कितने कमरे हैं? पांच सितारा होटल में ठहरने के लिए सिंगल बेड, डबल बेड या सुइट की सुविधा है और तीनों का खर्चा क्या है? जितने कमरे हैं उनकी संख्या को देखते हुए क्या एक समय में आपकी यात्राओं में कमी नहीं की जा सकती है, जिससे राज्य सरकार पर और गरीब जनता पर भी भार नहीं पड़ सके? एम० एल० एज० को नहीं चाहिये।

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का तो खुद का मकान है, इसलिए चाहिए नहीं।

**श्री राजबहादुर** : मेरे मकान पर ठहर सकते हैं लेकिन राज्य पर खर्चा मत डालिये। कितने कमरे हैं. जो कमरों की संख्या है उससे कम यात्रा नहीं कर सकते हैं क्या एक समय में ?

पांच सितारे में सिंगल, डबल या सुइट सुविधा है और उसका खर्चा क्या है ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : एक-एक सवाल पूछें माननीय सदस्य, नाराज क्यों हो रहे हैं। राजस्थान हाउस के अन्दर मुख्य भवन में 16 कमरे हैं और अनेक्सी में 8 कमरे हैं, कुल 24 हैं। जोधपुर हाउस के अन्दर मुख्य भवन में तीन और अनेक्सी में पांच कमरे हैं। बीकानेर हाउस में कुल 11 कमरे हैं। इस वक्त ठहरने के लिये सात कमरे हैं।

**श्री राजबहादुर** : बाकी चार का क्या हुआ ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : बाकी चार मेरी जेब में हैं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, उनको ताड़ना दीजिए।

**श्री राजबहादुर** : आठ कमरों में परमानेंटली लोग रहते हैं....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, 11 कमरे हैं बीकानेर हाउस में जिसमें से चार में वहां के अधिकारी रहते हैं मेन्टेनेंस के लिए। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि मंत्रियों और अधिकारियों को डबल रूम, सिंगल रूम व सुइट में ठहरने की इजाजत है तो उनको सिंगल में ठहरने की इजाजत है। जिसके किराये के बारे में सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है, टैरिफ की रेट मेरे पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा वे आई. टी. डी. सी. से निर्मित होटलों में ही ठहर सकते हैं और किसी प्राइवेट होटल में सरकारी अधिकारी नहीं ठहर सकते हैं।

**श्री यदुनाथसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, गलत जवाब आ रहा है, बीकानेर हाउस में एक भी कमरा उपलब्ध नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : जवाब आने दीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा 11 में से 4 कमरे बीकानेर हाउस में रिहाइश के लिए उपलब्ध हैं आज की तारीख में।

**श्री यदुनाथसिंह** : मैं 5 तारीख की की बात कर रहा हूं, एक भी कमरा उपलब्ध नहीं था। पूरा रेजीडेंस बना रखा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मेन्टेनेंस के लिए चार कमरे ही हैं, माननीय सदस्य, जवाब पूरा आने दीजिये। राजस्थान हाउस में कुछ एम. पी. परमानेंटली रहते हैं क्या ? एम. एल. एल. का अलग कोटा है, वे कभी दिल्ली जायं तो उनको ठहरने की सुविधा

# Page No 16

(16)



(श्री उपाध्यक्ष)

मिलनी चाहिये। अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए उपयुक्त कदम उठाये जायं। अगर कर्मचारी वहां ठहरते हैं तो 1-1 कमरे में 2-2, 3-3-ठहरावें।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या राज्य सरकार बीकानेर हाउस में रहने वाले रेजीडेंसट कमिश्नर या अन्य लोगों से कमरे खाली करवायेगी ? दूसरे, आपके एम. पी., मैम्बर कब्जा किये बैठे हैं उनसे खाली करवायेंगे ? तीसरे, आपकी राज्य सरकार के मन्त्री एक बार में कितने दिन तक वहां ठहर सकते हैं ? चौथे, राजस्थान हाउस का मैनेजर नकली नाम लिख कर कमरे देता है, वह नकली रजिस्टर मेन्टेन करता है, उसका व्यवहार गलत है। आज वहां के ड्राइंग रूम की हालत यह है कि सोफा सैट फटे पड़े हैं, मेण्टेनेंस की हालत इतनी खराब हुई है जितनी शायद पहले कभी नहीं हुई। एम. एल. एज. के साथ मैनेजर का व्यवहार ठीक नहीं है उसके लिए क्या करना चाहते हैं आप ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आप बिना अनुमति लिये बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : राजस्थान हाउस में कमेटी के मैम्बर्स को कमरे उपलब्ध नहीं किये गये....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं आपको बता देना चाहता हूं। आसन पैरों पर है। आप खड़े हुए बोल रहे हैं। मैं आपको नाम लेकर....

(व्यवधान)

बिना मेरी अनुमति सदन में बोलना सदन का अपमान है।

(व्यधान)

**श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : आप जवाब दिलवाइये।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब इस सवाल पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह।

**श्री दीपेन्द्रसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपना रिजर्वेशन तो करवा लिया, अब मेरा क्या होगा ?

**श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जब छुट्टियां होती है तो आफिशियली राजस्थान हाउस में रुकते हैं? क्या यह सही है कि फर्जी नाम लिख कर वहां का मैनेजर कमरे रोकता है ? क्या यह सही है कि अधिकारी वहां विद फैमली लिखवा लेते हैं

(श्री नाथूसिंह)

जब कि फैमिली जयपुर में होती है ? उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री और मंत्रियों के नाम पर फर्जी लोग रुकते हैं और माननीय विधायकों को रुकने नहीं दिया जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

**श्री सुनील विश्नोई :** उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका जवाब दिलाया जाये। इसके अलावा, मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा कि बीकानेर हाउस, जो राजस्थान स्टेट की प्रापर्टी है, में कुल कितने कमरे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष :** 11 कमरे हैं।

**श्री सुनील विश्नोई :** अभी जो डेगाना हाउस खाली हुआ है उस पर आपने कब्जा नहीं किया है। आप लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है या नहीं ?

**श्री दीपेन्द्रसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ···

**श्री उपाध्यक्ष :** सवाल करें।

**श्री दीपेन्द्रसिंह :** केवल दो सवाल करना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि राजस्थान हाउस कि जो एनेक्सी है, क्या आज तक उसमें एक भी आई० ए० एस० आफिसर ठहरा है ? जब एस्टीमेट कमेटी वहां गयी, पहले ही इन्फार्म कर दिया गया था परन्तु कमरे नहीं मिले र सदस्यों को मजबूर होकर कमरों के ताले तोड़ने पड़े। कमरे खाली थे। लेकिन मैनेजर ने पहले ही एन्ट्रीज कर रखी थी, क्या यह सही है ? इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

**श्री उपाध्यक्ष :** जवाब आ रहा है। जो सवाल अब तक किये गये हैं उनका जवाब आने दीजिये।

**श्री बनवारीलाल ( धौलपुर ) :** आपने कहा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम लेकर वो कर दूंगा। यह वो क्या चीज है। वह बता दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई। आर्डर प्लीज।

**श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की एस्टीमेट कमेटी 17 तारीख को दिल्ली में जब गयी थी उस समय उनको मालूम था, हमने 15 दिन पहले उनको प्रोग्राम दे दिया था, संख्या में 20 सदस्य हैं उसके बावजूद वहां के मैनेजर ने 4 कमरे की व्यवस्था की। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश पंजाब और कई अन्य राज्यों में भी टूर पर गये, वहां बहुत बढ़िया सम्मान हमारे विधायकों और कमेटी का किया गया लेकिन बहुत दुःख की बात है कि हमारे राजस्थान हाउस के मैनेजर ने इस कमेटी के टूर के समय अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्हें मालूम था कि कमेटी के सदस्य 12/1 बजे तक पहुंच रहे हैं। जब तक टंटा नहीं हुआ, कमरों का ताला तोड़

(श्री रामसिह विश्नोई)

कर हमने कब्जा नहीं किया वे वहां पर नहीं आये। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमको मालूम हुआ कि कमरे खाली हैं हमने कब्जा किया। वहां पर मैनेजर के नीचे जो आदमी था वह वहां के एक ड्राइवर का लड़का है। वह ड्राइवर वहां पर पिछले 20/25 साल से है और उसने लाखों रुपये कमा लिये हैं, पूंजी बना ली है। आज तक उसका ट्रान्सफर नहीं किया गया है। उस ड्राइवर ने अपने लड़के को भी वहां पर लगा दिया है। वह लड़का ब्लैकमेल करता है। कमरे दूसरे आदमियों को 100/150 रुपये लेकर किराये पर देता है। इतनी बड़ी अनियमितता है और हमारे राज्य मन्त्री अपनी जेब में कमरे बताते हैं, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। उनको यह जवाब देना चाहिये कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है। हम इसमें सुधार नहीं कर सके हैं। इस तरह का जवाब देते हैं जब कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार वहां का मैनेजर करता है, यह शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : Sit down.

**श्री पोरूराम** (टोबी) : उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ भी दिल्ली में ऐसा ही व्यवहार किया गया। हमने भी पहले इत्तला दे दी थी उसके बाद भी कमरे नहीं दिये गये। रात के दो तीन बज गये तब कमरे दिये, वह भी जब हम जबर्दस्ती घुस गये तब कमरे मिले। हम वापस आ रहे थे उस टाइम भी हमारी यही हालत रही। उनको पहले सन्देश दिया था फिर भी कमरे नहीं मिले। इसलिये मेरा सुझाव है कि राजस्थान हाउस का नाम आई० ए० एस० हाउस रख दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आप तीन बार खड़े हो गये हैं। मैंने देख लिया है।

**श्री राम रघुनाथ चौधरी** : जिन आई० ए० एस० आफिसर की सर्विसेज भारत सरकार को डेपुटेशन पर दे दी गयी हैं वे भी मय परिवार राजस्थान हाउस में रह रहे हैं बहुत लम्बे अर्से से रह रहे हैं। जब डेपुटेशन पर चले गये हैं तो क्या वे राजस्थान हाउस में ठहरने के अधिकारी हैं? इसके अलावा जिन अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : एक साथ जवाब आ जायेगा।

श्री परसराम मोरदिया : आर्डर प्लीज।

**श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कमेटी जब नेपाल यात्रा पर गयी थी तो 15 दिन पहले ही राजस्थान हाउस को सूचना दे दी गयी थी लिखित में भी सूचना आ गई थी कि कमरे तैयार हैं। विधान सभा के सचिव, उप सचिव हमारे साथ थे उसके बावजूद भी रात को कमरे नहीं दिये। मैं आपको सही कह रहा हूं उस मैनेजर ने हमको मना

(श्री परसराम मोरदिया)

कर दिया। सब बाहर खड़े रहे। यह बहुत बड़ा अहम् मसला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** : जवाब आना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय जवाब दें।

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : यह जो मुझे सूची दी गयी है यह गलत दी गयी है। मुझे एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको जवाब चाहिए या नहीं। तो फिर बैठ जाइये।

**श्री राजबहादुर** : एक प्रश्न का जवाब और दे दें। वहां पर 45 कमरे हैं।

(व्यवधान)

क्या मन्त्री महोदय यह घोषणा करेंगे कि उनमें से आधे कमरे हमेशा माननीय सदस्यों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि माननीय सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की उससे निम्न प्रश्न उत्पन्न हुए कि एक तो वहां पर जो विधायक गये और लौट कर आये उनके लिये सूचना के बावजूद ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। नम्बर दो मैनेजर के व्यवहार के बारे में कहा। नम्बर तीन, एम० पी० रुके हुए हैं और नम्बर चार, वहां पर आई० ए० एस० अधिकारी रहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाउस करप्शन का अड्डा है।

**श्री दीपेन्द्रसिंह** : एक फर्जी एन्ट्री भी जोड़ दें।

**श्री मोहनलाल मोदी** : वह फर्जी एन्ट्री करता है इसको जोड़ दें।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : वह फर्जी एन्ट्री करता है, भ्रष्ट है और उसका व्यवहार खराब है इसका भी जवाब आना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कमरों की बहुत कमी है। राजस्थान हाउस के अन्दर दिल्ली के अन्दर जो आवासीय व्यवस्था है वह काफी नहीं है। उसके लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां पर नयी आवासीय सुविधा उपलब्ध करवायी जाये। यह मैंने प्रश्न के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उत्तर में बताया है।

**सुश्री पुष्पा जैन** (ग्रामेर) : यह तो ग्रलग बात है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : जवाब ग्राने दें, माननीय सदस्य।

**श्री ग्रनंग कुमार जैन** : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, उस मैनेजर को बचाते क्यों हो ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठ जाइये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जवाब सुनें। ग्रावेश में न ग्रायें, माननीय सदस्य।

ग्रभी तक माननीय सदस्यों की तरफ से दो लिखित में शिकायतें प्राप्त हुयी हैं एक तो ग्रनुसूचित जाति कल्याण समिति के ग्रध्यक्ष श्री जेठमल बरवड़ की। जो कि हाउस कमेटी है उसकी ग्रोर से इसकी जांच जी० ए० डी० के सचिव महोदय को सौंपी गयी है। उन्होंने कहा है कि सूचना देने के बाद भी कमेटी के लिये ग्रावासीय व्यवस्था नहीं की गयी थी।

**श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : जांच करा रहे हैं। हाउस के सदस्य कह रहे हैं वह कुछ नहीं है। ग्रापके ग्राई.ए.एस. ग्रधिकारी बड़े हैं....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : हम सब क्या झूंठ बोल रहे हैं ? क्यों मैनेजर को बचाना चाहते हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्रार्डर ग्रार्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

जो माननीय सदस्यों ने शिकायतें की हैं कमरे न मिलने की ग्रौर मैनेजर के व्यवहार ग्रादि की, माननीय मंत्री महोदय उसकी जांच करवायें।

**ग्रनेक माननीय सदस्य** : नहीं नहीं। उसको हटाया जाय, उसको सस्पेंड किया जाय।

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला ग्ररोड़ा** : मुझे एक प्रश्न पूछना है, कृपया इजाजत दें....

(व्यवधान)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : पूरा सदन एक मत से उस मैनेजर के खिलाफ है उसके बाद भी उसके खिलाफ जांच करने की क्या बात रह जाती है....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

**श्री मोहनलाल मोदी** : एक बात है, उपाध्यक्ष महोदय, जो शिकायत हाउस के सदस्य हाउस में ही कर रहे हैं उसके उप-

(श्री मोहनलाल मोदी)

रान्त भी जांच की क्या आवश्यकता रह जाती है। उसको तुरन्त सस्पेंड किया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अगर आप जांच करवाना ही चाहते हैं तो तीन माननीय सदस्यों की कमेटी बना दी जाये, डिप्टी सैक्रेटरी जी.ए.डी. का तो कृपा पात्र मैनेजर है ही....

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जांच कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार तो कुछ सुनाई नहीं देता है। आप बैठ जाइये, मैंने लजित जी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recoded.

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मत से सारे सदन के माननीय सदस्यों ने जो आरोप मैनेजर के विरुद्ध लगाये हैं, उसकी जांच बाद में हो सकती है। पहली आवश्यकता है उनको अविलम्ब सस्पेंड किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि, करौली से जो माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने जो सुझाव दिया है शायद सभी माननीय सदस्य उससे अपनी सहमति प्रकट करेंगे। इस सदन के सभी सदस्यों में से किसी प्रकार के भी सदस्यों की कमेटी बनाकर उनके खिलाफ जो आरोप हैं उनकी इन्क्वायरी करायी जाये। उसके जो सुझाव आयें उन पर कार्यवाही की जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी मंशा उनको बचाने की नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न है कि मैनेजर का कहना यह है कि....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसको पहले सस्पेण्ड कराओ....

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा सदन निलम्बन की मांग करता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए, माननीय सदस्य

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को आपके ऊपर विश्वास है ..

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देने दीजिए,

---

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

पहले, माननीय सदस्य ।

**श्री मोहन लाल मोदी** : मंत्री महोदय, सदन में घोषणा करें कि सस्पेण्ड किया जाकर....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय परसराम जी ।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, उसके सम्बन्ध में कनरों की कमी होते हुए भी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इस प्रकार के गम्भीर आरोप हैं। एस्टीमेट कमेटी और अन्य कमेटियां वहां गयी हैं....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : शांत रहिए, माननीय सदस्य

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय सदस्यों को उसके संबंध में असुविधा भी हुई बहुत गम्भीर आरोप भी लगाये गये। उसके सम्बन्ध में निश्चित तौर पर सरकार कुछ करेगी, लेकिन सदन के माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुई मैनेजर का स्थानान्तरण कर दिया जायेगा....

**श्री नाथूसिंह** : सस्पेन्शन....

**श्री परसराम मदेरणा** : आवासीय व्यवस्था के अन्दर सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठाये जायेंगे....

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं कहना चाह रही थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, मैं नाम से पुकारूंगा ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मेरी बात नहीं सुन रहे आप । मुझे सूचना दी गयी है वह गलत है । क्या ...

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

माननीय उजला अरोड़ा, बैठ जाइये ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं पूछना चाह रही थी कि सूचना गलत दी है उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या । प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### विभागों द्वारा निजी भवनों को किराये पर लेना

120. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री कैलाश मेघवाल )

(1) क्या यही है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निजी भवनों को किराये पर लिये जाने सम्बन्धित जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के पास उपलब्ध है ?

(2) यदि हां,तो समस्त विभागाध्यक्षों, जिलाधीशों आदि द्वारा दिनांक 31-7-1982 तक भेजी गई जानकारी का विवरण, विभाग का नाम, मकान मालिक का पूरा नाम व पूरा पता, व्यवसाय, भवन का क्षेत्रफल,प्रतिमाह किराया आदि का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जानकारी न होने के कारण यह सूचना सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

**सवाई माधोपुर सीमेन्ट कारखाना**

121. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर सीमेन्ट कारखाने में सीमेन्ट उत्पादन की गत 3 वर्षों में कितनी बढ़ोतरी हुई ? वर्ष 1981–82 में कारखाने को कितना मुनाफा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य को उत्पादित सीमेन्ट का केवल 15 पर्सेंट दिया जाता है और शेष भारत सरकार के आदेश के अनुरूप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा चण्डीगढ़ आदि राज्यों को भेजा जाता है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकारी बढ़ती मांग के सन्दर्भ में राज्य में शीघ्र सूखने वाले सीमेन्ट की मात्रा की सप्लाई में बढ़ोतरी करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर सीमेन्ट कारखाने में गत तीन वर्षों में सीमेन्ट का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1979–80 | – | 435718 | मैट्रिक टन |
| 1980–81 | – | 501558 | ,, ,, |
| 1981–82 | – | 481040 | ,, ,, |

यद्यपि 1978–79 में हुए उत्पादन (664363 मैट्रिक टन) की तुलना में गत तीन वर्षों में सीमेन्ट उत्पादन कम हुआ है परन्तु वर्ष 1979–80 की तुलना में वर्ष 1980–81 व 1981–82 में उत्पादन अधिक हुआ है।

(2) वर्ष 1981–82 में कम्पनी के वार्षिक हानि लाभ के अंकेक्षित खाते व चिट्ठे नहीं बने हैं परन्तु लगभग 13 लाख रुपये का लाभ अनुमानित है।

राज्य के सीमेन्ट कारखानों द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का वितरण उनके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट व समस्त प्रदेशों की मांग

(उद्योग मन्त्री)

को दृष्टिगत रखते हुए सीमेन्ट कन्टोलर आफ इण्डिया द्वारा किया जाता है अतः सीमेन्ट की मात्रा सम्बन्धी सूचना राज्य सरकार द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जहां तक राज्य में आवंटन को बढ़ाने का प्रश्न है, पूर्व में राज्य की मांग 3.5 लाख मैट्रिक टन प्रति तिमाही थी, जिसके अगेन्स्ट 1.30 लाख मैट्रिक टन सीमेन्ट का आवंटन ही मिलती था इसमें बढ़ोतरी करने हेतु खाद्य विभाग द्वारा भारत सरकार को कई बार लिखा जा चुका है।

### लघु उद्योग भवन की स्थापना

122: श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्रदेश में छः जिलों में शीघ्र ही लघु उद्योग भवन स्थापित करने का विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो ये भवन किन-किन जिलों में स्थापित किये जायेंगे और इन पर कितनीलाग त आयेगी ? इनका क्या काम होगा ? ये भवन कब तक काम करना प्रारम्भ करेंगे ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) ये भवन निम्नलिखित जिलों में स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं :—

| | जिला | अनु. लागत (लाख रु.) |
|---|---|---|
| 1— | अलवर | 18.77 |
| 2— | कोटा | 19.27 |
| 3— | जोधपुर | 19.45 |
| 4— | उदयपुर | 18.64 |
| 5— | जयपुर | 23.51 |

जिनमें से कोटा, अलवर एवं जोधपुर में मिनी उद्योग भवन बनाने का निर्णय लिया जा चुका है।

इन लघु उद्योग भवन में उद्योग विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान वित्त निगम/राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि./राजस्थान लघु उद्योग निगम/राजस्थान खादी ग्रामोद्योग मण्डल व क्रेडिट मैनेजर बैंक अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठकर काम करेंगे एवं उद्यमियों एवं ग्रामीण दस्तकारों को उद्योग स्थापित एव उनका विस्तार करने में आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेंगे।

कोटा, अलवर निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं जल्दी ही पूर्ण होने की आशा है। जोधपुर में राजस्थान वित्त निगम द्वारा निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

### भीलवाड़ा जिले की पुलिस चौकियों एवं थानों में विचाराधीन मामले

123. श्री बन्सीलाल पटवा ( भील-

( श्री बन्शीलाल पटवा)

वाड़ा ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा जिले की विभिन्न पुलिस चौकियों एवं थानों में कितने मामले कब से किन–किनके विरुद्ध विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

वाञ्छित सूचना संलग्न है।

( सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें )

**धौलपुर को जिला घोषित करना**

125. **श्री मानसिंह मीणा** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने धौलपुर को जिला घोषित किया है जिसमें कि 3 तहसील का क्षेत्र आता है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस वर्ष आदिवासी बहुल क्षेत्र सलूम्बर को जिला बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

(1) जी हां। धौलपुर जिले के अन्तर्गत चार तहसीलें–धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, तथा बसेड़ी तहसीलें रखी गई हैं।

(2) अन्य नये जिले बनाने का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

**कोटा जिले में भूमि का आवंटन**

126. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बांरा) व **श्री शाकरलाल जोशी** (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में मार्च, 1980 से अब तक भूमि का आवंटन, किश्तें तथा केवल ब्याज न दे पाने के कारण निरस्त किये गये ? इन निरस्त किये गये आवंटनों में परिगणित जाति व जनजाति के कितने व्यक्ति प्रभावित हुए ?

(2) क्या राज्य सरकार आवंटित भूमि की किश्तें दो वर्ष पश्चात् वसूल किये जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**उत्तर**

(1) कोटा जिले में मार्च 1980 से अब तक चम्बल कमाण्डेड उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि मूल्य की किश्तें जमा नहीं कराने के कारण 34 व्यक्तियों के आवंटन निरस्त हुये हैं, जिनमें से 11 व्यक्ति परिगणित जाति व 7 व्यक्ति जनजाति तथा 16 अन्य स्वर्ण जाति के है।

केवल ब्याज बकाया रहने के कारण अवधि में कोई आवंटन निरस्त नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(श्री राजस्व मन्त्री)

दो वर्ष पश्चात् किश्तें वसूल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया जा सकता है।

**बेगूं तहसील के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना**

128. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बेगूं के सभी गांवों को पेयजल कब व किन माध्यमों से उपलब्ध कराने की सरकार की क्या कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

(2) तहसील बेगूं में कितने गांव ऐसे हैं जहां सार्वजनिक कुएं नहीं हैं? कृपया ऐसे गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) ऐसे गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है एवं किन-किन माध्यम से कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा।

**उत्तर**

(1) तहसील बेगूं में कुल 367 आबाद ग्राम हैं, विभाग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर उनमें से 71 ग्रामों में पेयजल समस्या थी। राज्य सरकार के कार्यक्रम के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में धन की उपलब्धि के अनुसार पेयजल समस्या का समाधान करना प्रस्तावित है।

(2) यह सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) अब तक 23 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 21 समस्याग्रस्त ग्राम ऐसे हैं जिनकी स्वीकृति जारी हो चुकी है व जिनको चालू किया जाना है। इसके अतिरिक्त 27 समस्याग्रस्त ग्रामों की योजना स्वीकृत होना बाकी है। साधारणतः इस क्षेत्र में हैण्ड पम्प द्वारा जल समस्या के समाधान की कार्यवाही की जा रही है एवं कार्य धन की उपलब्धि के अनुसार पूरा किया जायेगा।

**अकाल राहत कार्यों पर रोजगार**

129. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के जिलों में दिनांक 1-4-82 से 31-7-82 तक कुल कितने व्यक्तियों को अकाल राहत कार्यों पर रोजगार दिया गया?

(2) उक्त अवधि में अकाल राहत कार्यों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है? कृपया जिलावार व्यय की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य के अभावग्रस्त समस्त जिलों में माह अप्रेल, 1982 से माह जुलाई, 1982 तक अकाल राहत कार्यों पर औस-

(अकाल राहत मन्त्री)

तन निम्नांकित संख्या में श्रमिकों को नियोजित किया गया था:—

| | |
|---|---|
| अप्रेल, 82 | 2,85,352 |
| मई, 82 | 4,48,784 |
| जून, 82 | 6,21,585 |
| जुलाई, 82 | 6,86,492 |

(2) उक्त अवधि में अकाल राहत कार्यों पर अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर कुल 3,886.05 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है। जिलेवार व्यय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

**तहसील बेगूं की सिंचाई परियोजनाएं**

130. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने तहसील बेगूं की नदियों व बांधों पर महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनायें तैयार करवाई हैं ? यदि हां, तो कहां कहां पर ? प्रत्येक की क्या स्थिति है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार उन सिंचाई परियोजनाओं में से किसी को योजना के तहत लेकर कार्य प्रारम्भ करने की स्थिति में है ? यदि हां, तो किस पर ? उसके लिए कितना खर्च होगा व कब तक व कितनी धनराशि का आवटन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

तहसील बेगूं में ब्राह्मणी नदी पर डोराई सिंचाई परियोजना तैयार की गई थी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 14.98 लाख रुपये की वर्ष 1970 में दी गई थी। इस पर 3.37 लाख रुपया व्यय किया गया इसके उपरान्त उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण कार्य रोका गया। स्थगन आदेश के निरस्त होने के पश्चात् भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। परन्तु भूमि की कीमत में लगभग 10 लाख रुपये की वृद्धि होने के कारण योजना लाभदायी है या नहीं, की जांच आवश्यक हो गई है। अत: इस योजना का संशोधित आंकलन तैयार किया जा रहा है।

(2) संशोधित आंकलन के बनने तथा योजना के लाभदायी पाये जाने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

**काचरी ( कोटा ) लिफ्ट सिंचाई योजना**

131. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में अन्ता के पास की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना की कार्यवाही निविदा होने के बाद भी रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार अब उक्त योजना को कब प्रारम्भ कर रही है ?

# Page No 28



उत्तर

(1) जी हां, कोटा जिले की काचरी लिफ्ट योजना के निर्माण कार्य की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल की उपलब्धि के विषय में उठाई गई आपत्ति एवं आवश्यक धनराशि के अभाव के कारण नहीं दी गई है।

(2) अभी यह बताना सम्भव नहीं है।

डी० सी० एम० उद्योग समूह में विद्युत् की बकाया

132. श्री ललितकिशोर (?) जोशी (दीगोद) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे !

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर स्थित डी. सी. एम. उद्योग समूह को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने अपनी बकाया की धनराशि को बट्टे खाते लिख दिया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि कब-कब व क्यों बट्टे खाते लिखी गयी ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा नगर में स्थित कई बड़े कारखाने चम्बल नहर से निकलने वाले पानी का उपयोग करते हैं ? यदि हां, तो कब से उन कारखानों को किस रेट से पानी दिया जाता है ? क्या पानी की रेट के सम्बन्ध में क्या कोई एग्रीमेन्ट इन कारखानों से हुआ था ? कृपया तत्सम्बन्धी समस्त टिपावली सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि किन-किन कारखानों से कितनी-कितनी धनराशि पानी की बकाया है तथा बकाया राशि को वसूल करने हेतु सिंचाई विभाग ने कब कब व क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोटा नगर में स्थित निम्न उद्योग चम्बल की दाई नहर के पानी का उपयोग करते हैं जिसकी दरें उनके सामने अंकित हैं तथा जिन उद्योगों से अनुबन्ध किया जा चुका है, प्रत्येक के सामने अंकित है तथा जब से पानी दिया जा रहा है वह भी अंकित है :—

| क्रम सं० | उद्योग का नाम | अनुबन्ध की स्थिति | मूल दरें | दिनांक जब से पानी दिया जा रहा है। |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1- | मैसर्स श्रीराम बिनायल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज कोटा | अनुबन्धित 25-6-62 | 25 पैसे प्रति हजार घनफीट | 4/62 |

# Page No 29

(29)



| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2– | मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल | अनुबन्धित 11-7-67 | 25 पैसे प्रति घनफीट | 6/67 |
| 3– | मैसर्स श्रीराम रेयन्स कोटा | ,, | ,, | 4/64 |
| 4– | मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि०, कोटा | ड्राफ्ट अनुबन्ध स्वीकृति राज्य सरकार से अपेक्षित 14-1-64 | ,, | 2/62 |
| 5– | मैसर्स जे. के. स्टेपलर्स एण्ड टोइज, कोटा | ,, | ,, | 11/70 |
| 6– | मैसर्स मल्टीमैटल्स लिमिटेड कोटा | ,, | ,, | 12/64 |
| 7– | मैसर्स प्रिमियर पेपर एण्ड बोर्ड लिमिटेड, कोटा | ,, | ,, | 7/73 |

डी. सी. एम. ग्रुप के निम्न तीन उद्योगों के लिए दो अनुबन्ध राज्य सरकार से स्वीकृत है लेकिन शेष चार उद्योगों के अनुबन्ध की स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक पांच साल के अन्तराल से होने वाली बढ़ोतरी राशि समेत प्रत्येक उद्योग के सामने लिखी राशि 30 जून 1982 तक है :—

| | |
|---|---|
| 1–मैसर्स श्रीराम विनायल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, कोटा | 4,49,325-00 |
| 2– ,, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल कोटा | 4,33,507-00 |
| 3– ,, श्रीराम रयेन्स, कोटा | 1,92,885-00 |
| 4– ,, जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा | 3,09,232-00 |
| 5– ,, जे. के. स्टेपल एण्ड टोईज, कोटा | 2,47,226-00 |
| 6– ,, मल्टीमेटल्स, कोटा | 19,766-00 |

(30)



| | |
|---|---|
| (ऊर्जा मंत्री) | 33,475-00 |
| 7- मैसर्स प्रिमियर पेपर एण्ड बोर्ड मिल कोटा | |
| | 16,35,416-00 |

बकाया राशि की वसूली हेतु अधीक्षण अभियन्ता नहर वृत्त कोटा द्वारा सभी उद्योगों के प्रतिनिधियों से वार्ता की। सभी बकाया की Limited concern होने के कारण पूर्ण बकाया राशि का भुगतान अब सम्भव नहीं है फिर भी आगे की राशि के भुगतान बाबत विचार कर सूचित करेंगे। श्रीराम समूह द्वारा इस सन्दर्भ में अभी कोई कार्यवाही नहीं की है। चूंकि यह विषय न्यायालय अधीन भी है अतः कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। जे. के. समूह द्वारा प्रति पांच वर्ष 25% बढ़ोतरी से भुगतान करना स्वीकार कर लिया गया है एवं इस राशि का बिल भी दाई नहर खण्ड 1 द्वारा दिनांक 28-6-82 को भेज दिया गया है परन्तु अभी भुगतान होना बाकी है। यह राशि 2,99,194-00 है. बाकी उद्योग द्वारा अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

**ग्राम सीमला व उदयपुरा तहसील सिकराय का विद्युतन**

**133, श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सीमला व उदयपुरा, तहसील सिकराय के विद्युतीकरण की स्वीकृति कब प्रदान की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों के करीब 35 काश्तकारों द्वारा जून, 1979 में सहायक अभियन्ता, बयाना के कार्यकाल में विद्युतीकरण हेतु आवेदन दिया था तथा इन ग्रामों का प्राक्कलन भी जुलाई, 79 में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भेज दिया गया था ? यदि हां, तो इन ग्रामों में अब तक विद्युतीकरण नहीं करने का क्या कारण है ? कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

(3) क्या इन ग्रामों को दौसा उप-खण्ड (विद्युत) के अन्तर्गत लेना लाभप्रद होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) ग्राम मीना सीमला (कोड नं. 8/12/23) तथा उदयपुरा (कोड नं. 8/12/27) तहसील सिकराय के विद्युतीकरण के नियमन की स्वीकृति दिनांक 4-3-79 को प्रदान की गई थी।

(2) जी नहीं। जून, 1979 में इन ग्रामों के काश्तकारों से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये थे। दोनों ग्रामों को दिनांक 24-3-79 को ही विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। पिछले कुछ वर्षों से मण्डल के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत

(विद्युत मंत्री)

वित्तीय प्रावधान समुचित न होने के कारण इन ग्रामों में कनेक्शन दिये जाने का कार्य नहीं किया जा सका। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब तक किया जा सकेगा।

(3) इन दोनों ग्रामों को दौसा उपखण्ड के अन्तर्गत लेना लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि इन ग्रामों के कुछ लाइट के कनेक्शन मेहन्दीपुर के बालाजी तहसील टोडाभीम जिला सवाईमाधोपुर में हैं। इसके अतिरिक्त ये दोनों ग्राम दौसा उपखण्ड के विद्युतीकृत ग्रामों से करीब 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं।

**तहसील टौंक ग्राम बंभोर का विद्युतन**

134. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील टौंक के ग्राम बंभोर की सन् 1981 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है तथा इस ग्राम में खेती के लिए कितने कुए हैं? उक्त ग्राम का विद्युत् मण्डल द्वारा सर्वेक्षण कब कराया गया तथा अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इस ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार इस ग्राम की जनसंख्या व कुओं की संख्या को देखते हुए विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिका अभी तक तैयार होकर उपलब्ध नहीं हुई है। वर्ष 1971 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार ग्राम बंभोर (कोड नं. 11/4/-237) की जनसंख्या 1943 थी। इस ग्राम में सिचाई कुओं की संख्या 180 दर्शाई गई है। वर्ष 1979–80 में पंचायत समिति टौंक के ग्रामों का सर्वेक्षण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाने हेतु किया गया था, परन्तु इस क्षेत्र में उच्च–प्रसारण विद्युत लाइन के अभाव में योजना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण सहायतार्थ स्वीकार नहीं की गई।

(2) स्वीकृत योजना के अभाव में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

**पीपल्दा क्षेत्र में बसों का संचालन**

135. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के खातोली, पीपल्दा, गेंदा, गुठला एवं सुहावद के लिए कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ डिपो से चलने वाली बसें समय सारिणी के अनुसार समय पर नहीं चलती हैं जिससे सवारियों को यात्रा करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है? कृपया जनवरी, 1982 से उक्त बसेज की समय-सारिणी व वास्तव में चलने के समय के सम्बन्ध में विवरण सदन के पटल पर रखें।

( श्री हरीश शर्मा )

(2) यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस अव्यवस्था को दूर करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ प्रतिशत सेवायें समय सारिणी अनुसार एवं समय पर नहीं चलीं। जनवरी, 82 से अगस्त, 82 तक उक्त मार्गों पर संचालित बसों की समय सारिणी व समय पर संचालित सेवाओं की संख्या तथा विलम्ब से संचालित सेवाओं की संख्या बावत विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

गत 8 माह में उक्त मार्गों पर कोटा, बून्दी, झालावाड़ आगारों एवं बारां संचालन इकाई से कुल 5730 परिचक्र संचालन हेतु निर्धारित थे जिनमें से उक्त अवधि में कुल 4404 परिचक्र संचालित किये गये, इनमें से 2933 परिचक्र समय पर संचालित हुये तथा 556 परिचक्र 5 से 30 मिनट के बीच विलम्ब से एवं 915 परिचक्र 30 मिनट से अधिक विलम्ब से संचालित हुये हैं। इस प्रकार समय पर संचालित परिचक्रों का प्रतिशत 66-60 एवं विलम्ब से संचालित परिचक्रों का 33-40 है।

(2) कुछ परिचक्रों के समय पर न चलने हेतु वस्तुतः कोई व्यक्तिशः जिम्मेदार नहीं है। वाहनों के समय पर न चलने के मुख्य कारण यान्त्रिक खराबी तथा वर्षाकाल में मार्गों की दशा खराब हो जाने या नदी नाले आ जाने से वाहनों का समय पर न पहुंचना है। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित समयानुसार संचालन हेतु निदेशित कर दिया गया है व यान्त्रिक खराबियों को दूर करने के लिये सामान की विशेष मदद करने व वाहनों की प्रिवेन्टिव मेन्टेनेंस पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। साथ ही नाकारा वाहनों को शीघ्रता-शीघ्र फ्लीट में से निकाल कर उनके स्थान पर नवीनीकृत वाहनें आंवटित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

**अजमेर में टैक्सी व आटो रिक्शा व्यवस्था**

136. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या यातायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में टैक्सी व आटो रिक्शा व्यवस्था सर्वथा असन्तोषजनक है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर में आटो रिक्शाओं में मीटर लगे हुए होने के बावजूद भी चालक मीटर नहीं चलाते ? फलस्वरूप पर्यटकों व अन्य यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करते हैं जिसके कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त कठिनाइयों का समाधान करने का क्या विचार रखती है व कब तक ?

# Page No 33

(33)



उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। मीटर लगे हुये आटो रिक्शा कभी कभी अधिक किराया वसूल करते हैं। परन्तु मीटर के अनुसार न चलने पर विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। वर्ष 81-82 में ऐसे 90 आटो रिक्शाओं के चालान किये गये हैं तथा उनसे 12360 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया।

(3) इन साधनों की समय समय पर चैकिंग कराई जाती है।

राज्य परिवहन निगम की बसें

137. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें हैं।

(2) क्या यह सही है कि सभी जिलों में काफी संख्या में बसें बेकार पड़ी हैं ? यदि हां, तो मरम्मत तलब बसों को सड़कों पर चलाने योग्य बनाये जाने में क्या कठिनाई है ?

(3) बसों की मरम्मत व मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स की खरीद के बारे में क्या व्यवस्थायें हैं ? क्या सरकार इससे सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो निगम को हानि से बचाने हेतु सरकार वर्तमान व्यवस्था में क्या सुधार करना चाहती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम के पास कुल 2562 बसें (निगम 2354, निजी वाहन स्वामियों से किराये पर ली हुई 208) हैं।

(2) जी नहीं। प्रत्येक आगार को निर्धारित परिचक्र संचालन हेतु वाहनें आंवटित की हुई हैं। इसके अतिरिक्त आंवटित वाहनों का 10 प्रतिशत मरम्मत एवं सामान्य रख रखाव हेतु अलग से वाहनों का प्रावधान किया हुआ है। वर्तमान में विभिन्न आगारों को आंवटित वाहनों का 8 प्रतिशत मरम्मताधीन है जिससे आवश्यक संचालन में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं है।

(3) वाहनों की मरम्मत के लिये कुल खपत का लगभग 90 प्रतिशत मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स निगम प्रधान कार्यालय स्तर से ए. एस. आर. टी. यू. रेट कांट्रेक्ट फर्म्स से किये जाते हैं फिर भी यदि आगार में समय पर स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध न हों इसके लिये सम्भाग एवं आगार स्तर पर भी स्थानीय खरीद करने हेतु भी अधिकृत किया हुआ है। किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों-वश स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो प्रधान कार्यालय स्तर से आपातकालीन खरीद कर आपूर्ति की जाती है। निगम वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट है।

# Page No 34

(34)



**भीलवाड़ा जिले में जिंक लैड मेल्टर संयन्त्र**

138. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में रामपुरा आगुचा में जिंक लैड मेल्टर संयंत्र लगाने के बारे में पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही है ? यदि हां, तो ये रिपोर्ट कब तक मिल जाने की आशा है ?

(2) क्या इस फर्म के साथ हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने कोई समझौता किया है ?

(3) इस संयंत्र पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा कब निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. ने पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म मैसर्स स्टालबर्ग इन्जीनियर बेरेटंग को पूर्व सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था। उक्त रिपोर्ट दिनांक 1-5-82 को मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को प्राप्त हो चुकी है।

(2) जी हां। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. ने उक्त फर्म से भीलवाड़ा जिले के रामपुरा, आगुचा क्षेत्र में उपलब्ध शीशा, जस्ता भण्डारों पर आधारित एक परिद्रावक संयंत्र लगाने की पूर्व सम्भाव्यता रिपोर्ट बनाने सम्बन्धी समझौता किया था।

(3) इस संयंत्र पर अनुमानतः 200 करोड़ रुपये की लागत आवेगी। भारत सरकार की स्वीकृति प्रदान होने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

**बाड़मेर जैसलमेर जिले में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण**

139. **श्री अमीन खां** (शिव)–क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कीमती पत्थर, चूने का पत्थर, जिप्सम, सेड़ी, गेरू, कोयले के विपुल भण्डार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्संदर्भ में इन जिलों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या इन खनिजों के खनन से काफी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले के ग्राम माचमर की एक पहाड़ी में कीमती चमकदार पत्थर उपलब्ध है ?

**उत्तर**

(1) बाड़मेर जिले में चूने का पत्थर, जिप्सम, खड़िया, लिग्नाइट (भूरा कोयला) के भण्डार उपलब्ध हैं एवं जैसलमेर जिले में चूने का पत्थर, जिप्सम, गेरू, (पिली मिट्टी) के भण्डार उपलब्ध हैं। दोनों ही जिलों में कीमती पत्थर (प्रेसियस स्टोन) का पाया जाना इंगित नहीं है। राज्य

(खनिज मन्त्री)

सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विगत कुछ वर्षों से इन जिलों में खनिजों की खोज एवं पूर्वेक्षण का कार्य किया जाता रहा है। इस वित्तिय वर्ष में भी खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने बाड़मेर जिले में 2 परियोजनाएं खनिज जिप्सम एवं चूरा कोयला (लिग्नाईट) के पूर्वेक्षण हेतु रखी हैं। जैसलमेर जिले में भी चूना पत्थर के पूर्वेक्षण हेतु 2 परियोजनाएं रखी गई हैं।

(2) बाड़मेर जिले में राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा 105 खनन पट्टे एवं जैसलमेर जिले में 36 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। जिन परकार्य चल रहा है।

(3) ग्राम माचमर की पहाड़ी में कीमती पत्थर के उपलब्ध होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

**नगरपालिकाओं को दिया गया अनुदान**

140. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की नगरपालिका को सरकार द्वारा 1980 से जनवरी, 1982 तक किस-किस नगरपालिका को कितनी-कितनी धनराशि सहायता स्वरूप दी गई? कृपया अनुदानित राशि व पालिकाओं के नाम सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ पालिकाओं को उक्त धन राशि से वञ्चित रखा गया? यदि हां, भेदभाव के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि नगर पालिकाओं को दी गई धनराशि का सदुपयोग न होने के कारण पालिकाओं की सम्बन्धित योजनायें अधूरी रह गई हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1980 से 1982 तक नगर-परिषद्-पालिकाओं को दी गई अनुदान राशि की सूची मय नाम नगर पालिका के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जिन नगरपालिकाओं ने सड़क नालियों आदि निर्माण के लिए तकमीना भेजकर विशेष अनुदान राशि की मांग की है उनकी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुदान भी दिया गया है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

**भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा भू-खण्डों का विनिमय**

141. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने सन्

(30)



( श्री बंशीलाल पटवा )

1981-82 में कितने भू-खण्ड किन-किन को नियत दर या नीलामी पर दिये, कितने भू-खण्डों का विनिमय किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 1981-82 में नियत दर एवं नीलामी दर पर आवंटित एवं विनिमय में दिये गये भू-खण्डों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**भीलवाड़ा नगर परिषद्/नगर विकास न्यास द्वारा उद्योग धन्धे स्थापित करना**

142 **श्री बंशीलाल पटवा** ( भीलवाड़ा ) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भीलवाड़ा नगर परिषद् व नगर विकास न्यास ने सन् 1981-82 में किन-किन को उद्योग धन्धा स्थापित करने हेतु नो आब्जेक्शन प्रमाण-पत्र दिये ? कितने, कब से और किन कारणों से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर विकास न्यास व नगर परिषद् भीलवाड़ा द्वारा सन् 1981-82 में उद्योग धन्धा स्थापित करने हेतु जिन-जिन को एन. ओ. सी. दी है, उनकी तथा विचाराधीन मामलों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

( सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें )

**सड़क निर्माण हेतु पंचायत समिति सांगोद व इटावा को धनराशि**

143. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सांगोद एवं इटावा में किन-किन माध्यमों से कितनी-कितनी धनराशि से कितनी-कितनी किलो मीटर सड़क का निर्माण कार्य हुआ ?

(2) क्या विभाग ने पंचायत समिति सांगोद क्षेत्र का सड़क निर्माण हेतु कोई सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो उक्त सर्वे के अनुसार कार्य न करवाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सांगोद एवं इटावा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से 280.87 लाख रुपये खर्च कर 99.72 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है।

(2) जी नहीं।

**जिला मुख्यालय टौंक एवं सवाई माधोपुर की सड़कें**

144. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

( श्री महावीरप्रसाद जैन )

(1) जिला मुख्यालय टौंक एवं सवाई माधोपुर की सड़क को चौड़ी करने हेतु किस-किस वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई व अब तक कुल कितनी सड़क चौड़ी की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1982 में जितनी भी सड़क चौड़ी की गई वह सड़क स्थान–स्थान से टूट गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया मैटीरियल सब स्टेण्डर्ड का था ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

(4) क्या सरकार इसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) इस सड़क की मरम्मत कब तक कर दी जावेगी ?

### उत्तर

(1) टौंक सवाई माधोपुर सड़क चौड़ी करने हेतु वर्ष 1980–81 में 2.91 लाख रुपये तथा 1981–81 में 27.9 लाख रुपये आवंटित किये गये। अब तक कुल 31 कि. मी. सड़क चौड़ी की जा चुकी है।

(2) जो सड़क चौड़ी की गई थी वह टूटी नहीं है परन्तु प्रतिदिन की भारी वर्षा के कारण कहीं कहीं पर पोट होल्स एवं पेचेद पड़ गये हैं जो कि चौड़े हिस्से एवं पुरानी सड़क होने पर हुये हैं यह खड्डे (पोट होल्स) नई व पुरानी सड़क के जोड़ पर अधिक वर्षा के का हुये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) मैटीरियल स्पेसिफिकेशन के अनुसार लगाया गया है अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) सड़क पर पेच लगाने का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

### अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कम्पोनेन्ट प्लान

147. श्री राजबहादुर ( भरतपुर ) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए कम्पोनेन्ट प्लान से सन् 1978 के पश्चात् वर्ष एवं जिलेवार कितना कितना व्यय किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

अनुसूचित जाति के लिए कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 80–81 व 81–82 में निम्न प्रकार व्यय हुआ है :–

(राशि लाखों में)

| क्र.सं. | सैक्टर | वर्ष 1980-81 | वर्ष 1981-82 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | कृषि एवं सम्बन्धित सेवायें | 543.49 | 850.94 |

(38)



(समाज कल्याण मंत्री)

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. सहकारिता | | 51.21 | 39.25 |
| 3. सिंचाई एवं विद्युत | | 1379.56 | 1393.36 |
| 4. उद्योग एवं खनिज | | 86.70 | 98.61 |
| 5. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें | | 980.85 | 1091.03 |
| योग | | 3041.81 | 3773.19 |

अनुसूचित जाति हेतु कम्पोनेन्ट प्लान राज्य स्तर पर तैयार किया जाता है जिलेवार नहीं। अतः जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जनजाति के लिये कोई कम्पोनेन्ट प्लान नहीं है।

**अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावास**

147. **श्री थानसिंह** (सलूम्बर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में प्रान्त में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र व छात्राओं के लिए कितने छात्रावास कहां-कहां खोले गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है कि जनजाति बहुल क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ व माउन्ट आबू क्षेत्र में एक भी छात्रावास इन तीन वर्षों में नहीं खोला गया? यदि छात्रावास खोले गये हैं तो कहां-कहां? यदि नहीं खोले गये हैं तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार इस वर्ष इस क्षेत्र में छात्रावास खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब और कितने छात्रावास खोलेगी?

**उत्तर**

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट क)।

(2) जी नहीं। जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में निम्न छात्रावास खोले गये हैं:-

| क्र. सं. | स्थान | योजना | स्वीकृत छात्र संख्या | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | साबला (डूंगरपुर) | अनुसूचित जनजाति (कन्या) | 25 | 80-81 |
| 2. | कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) | ,, | 25 | ,, |
| 3. | कोटड़ा (उदयपुर) | ,, | 25 | ,, |
| 4. | सालमगढ़ (चित्तोड़गढ़) | ,, | 25 | ,, |
| 5. | चावण्ड (उदयपुर) | ,, | 25 | 81-82 |

(3) इस वर्ष नये छात्रावास खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

**बाड़मेर-जैसलमेर जिले में भेड़ बकरियां**

148. श्री अमीन खां (शिव) : क्या भेड़ ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में तहसीलवाइज भेड़ व बकरियों की संख्या बताने की कृपा करें ?

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर व जैसलमेर में ऊन की मिल लगाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार भेड़ व बकरी के चरागाहों की व्यवस्था करेगी ?

**उत्तर**

| (1) जिला | तहसील | भेड़ों की संख्या | बकरियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| बाड़मेर | 1–बाड़मेर | 3,70,917 | 6,65 103 |
| | 2–चौहटन | 1,15,345 | 2,74,315 |
| | 3–पचपदरा | 1,33,726 | 1,29 514 |
| | 4–शिव | 1,48,602 | 1,85,502 |
| | 5–सिवाना | 78,422 | 89,037 |
| जैसलमेर | 1–जैसलमेर | 4,05,987 | 2 69,142 |
| | 2–पोकरण | 2,71,744 | 1,67,871 |

(2) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) राजस्थान टिनेन्सी सरकार नियम 1955 के नियम 6 एवं 6-ए में तथा नियम 3-7 के अन्तर्गत पशुओं की परिभाषा में नहीं आने के कारण गोचर भूमि की भेड़ व बकरियों के लिए व्यवस्था वर्तमान नियमों में सम्भव नहीं है, परन्तु इनकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपाय किये जा रहे हैं।

**बाड़मेर जैसलमेर जिले में पंचायत भवन**

149. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कुल कितने पंचायत भवन बने हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे :–

उत्तर

जिला बाड़मेर में 198 व जैसलमेर में 39 पंचायत भवन बने हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें).

**पंचायत समितियों में अध्यापकों की नियुक्ति का मापदण्ड**

150. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समितियों में अध्यापक नियुक्त करने का छात्र संख्या की दृष्टि से क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूरे राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) पंचायत समिति इटावा में कुल कितने स्कूल हैं ? स्कूलवार छात्र संख्या तथा अध्यापकों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या पंचायत समिति इटावा में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी तथा कहां पर ?

(5) क्या राज्य सरकार अध्यापकों की कमी को शीघ्र दूर करने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शालाओं के लिए अध्यापक छात्र संख्या का अनुपात 1:49 है अर्थात् 1 से 49 छात्र संख्या पर एक अध्यापक तथा तत्पश्चात हर 40 छात्रों के लिए एक अध्यापक का है।

(2) जी हां, 30-9-81 की छात्र संख्या के आधार पर पंचायत समितियों की सूचना के अनुसार 5482 अध्यापकों के पदों की कमी है।

(3) पंचायत समिति इटावा में फरवरी, 1982 की सूचना के अनुसार कुल 91 प्राथमिक शालायें स्वीकृत हैं जिनके लिए 175 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। स्कूलवार छात्र संख्या की सूचना पंचायत समिति इटावा से प्राप्त की जा रही है जो प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जावेगी।

(4) 1:49 अनुपात से 34 अध्यापकों की कमी है।

(5) जी हां। यह कमी दो वर्ष में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।

**स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था**

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा छात्रों को रियायती टिकट देना बन्द कर देने के विषय में,

(2) हाजी चाबखां, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर व भरतपुर जिले

(श्री उपाध्यक्ष)

में मुसलमानों, जिन्हें बकाया क्लेम की भूमि दी गयी थी, से पुनर्वास विभाग द्वारा 400.00 प्रति बीघा वसूल करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में पेयजल की कमी के विषय में,

(4) श्री अनंग कुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भवानी मण्डी, जिला झालावाड़ शहर व उसके पास पुलिस अधिकारियों द्वारा सट्टा चलाये जाने के विषय में,

(5) सर्वश्री गोपाल पचेरवाल, नाथूसिंह, यदुनाथसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 अगस्त को मलेरिया विभाग की एक जीप में जयपुर से डूंगरपुर व बांसवाड़ा जाते समय 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के विषय में,

(6) श्री जीतमल जैन ,सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर स्थित भारत एलम्स तथा केमिकल्स कम्पनी द्वारा उत्पन्न जल एवं वायु प्रदूषण से फसलों के नष्ट हो जाने के विषय में,

(7) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर व जिले में पुलिस के आतंक की अनेक घटनायें होने के विषय में,

(8) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर स्थित माणिक्य लाल वर्मा कन्या छात्रावास जो महिला आश्रम, भीलवाड़ा द्वारा संचालित है, की भूमि को बेचे जाने के विषय में।

(9) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर के इंचार्ज व सहायक उप निरीक्षक द्वारा गत 9 जून को दो महिलाओं के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में,

**श्री देवीसिंह भाटी :** शेम ऑन दी पुलिस डिपार्टमेण्ट।

**श्री उपाध्यक्ष :** (10) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर इण्डस्ट्रियल अरबन कोऑपरेटिव बैंक में भयंकर अनियमिततायें, धांधली व सरकारी आदेशों की अवहेलना के विषय में,

(11) श्री त्रिलोक सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भाखरा व राजस्थान नहर परियोजना से गंगानगर क्षेत्र को पर्याप्त पानी न मिलने के कारण इस क्षेत्र की फसलों के बर्बाद होने की आशंका के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(12) श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री गोपाल पचेरवाल, श्री मेघराज तावड़ व श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारियों के विषय में बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू

(श्री उपाध्यक्ष)

न करने के बारे में कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गई है। इसी विषय पर कुछ अन्य प्रस्तावों की पहले भी सूचना प्राप्त हुई थी। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाए, जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(13) श्री भूपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीज निगम की ओर से वितरित शंकर ज्वार बीज के अंकुरित न होने व बीज निगम द्वारा अनियमितता बरतने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गयी है। इसी विषय पर कुछ अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। अतः मैं चाहूंगा कि इस विषय पर सरकार की ओर से सदन में एक वक्तव्य दिया जाय, जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय से सम्बन्धित नहीं हैं अथवा व्यक्तिगत किस्म के हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :–

(1) श्री हीरालाल आर्य–कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीपल्दा जिला कोटा में अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त होने के विषय में।

(2) श्री रामकंवार बैरवा–तहसील चाकसू, जिला जयपुर में गत वर्ष आई बाढ़ से जिन किसानों को नुकसान हुआ, उनको मुआवजा न मिलने के विषय में।

**श्री अनंग कुमार जैन :** मन्त्री महोदय, आसन पैरों पर है, कुछ तो ध्यान रखिए, इसीलिए सस्पेण्ड हुए हैं, वहां से ...

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य।

(3) श्री उम्मेद सिंह व श्री कमलेन्द्र सिंह–ग्राम पंचायत खण्डवा, पंचायत समिति चूरू के सरपंच श्री मूलाराम के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचारार्थ बैठक को जिलाधीश द्वारा स्थगित कर देने के विषय में।

(4) श्री छीतरलाल आर्य–अटरू विधान सभा क्षेत्र के मोतीपुरा गांव के किसानों के खातेदारी के अधिकार छीन लेने के विषय में।

(5) श्री बालचन्द्र आर्यवीर–भवानी मण्डी नगर पालिका द्वारा कई स्थानों पर गुमटियां लगाकर रास्ते अवरुद्ध कर देने के विषय में।

(6) श्री हंसराज शर्मा–सवाई माधोपुर में बनास नदी पर निर्माणाधीन पुल का काम एक वर्ष से बन्द कर देने के विषय में।

(7) श्री महाराम चौधरी– राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कम वर्षा से फसलों को नुकसान होने के विषय में।

(8) श्री कैलाश मेघवाल–जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में अव्यवस्था व लापरवाही के विषय में।

(9) श्री रामकिशोर मीणा–सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी के प्रमाण पत्र अंग्रेजी में दिये जायेंगे, इस निर्णय के विषय में।

# Page No 43

(43)



(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री दाऊदयाल जोशी– कोटा स्थित भीमगंज मण्डी क्षेत्र में गत 10 अगस्त को एक जैन मन्दिर से कुछ प्रतिमाओं की चोरी होने के विषय में।

(11) श्री रंगजी मीणा–बीकानेर जिले के राजस्थान नहर क्षेत्र में 10 केजीडी मुरब्बा नं० 143/40 में एक व्यक्ति का नाजायज कब्जा।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किए गये हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि वे चाहें तो दो दो मिनट के लिए अपनी बात कह सकते हैं।

**श्री हीरालाल आर्य।**

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीपल्दा तहसील हैडक्वार्टर है, वहां पर कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय है लेकिन उस कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पिछले कई महीनों से, करीब 6 महीने से अध्यापिकाओं ...

**श्री त्रिलोकसिंह** (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है गंगानगर के बारे में, वह एक अहम मसला है। वहां पर आज लाखों एकड़ ऐसी फसलें हैं, जो अगर पानी नहीं मिला तो बिलकुल बर्बाद हो जायेंगी। गंगानगर राजस्थान का ऐसा इलाका है ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सरकार से जानकारी मांगी है और...

**श्री त्रिलोकसिंह** : राजस्थान सरकार से क्या जानकारी मांगी जा रही है....

**श्री उपाध्यक्ष** : राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त किये बिना कुछ नहीं कहा जा सकता, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

अंकित न हो।

**श्री त्रिलोकसिंह** : × × ×

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : × × ×

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, श्री त्रिलोकसिंह।

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मसला है....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप रूल जानते हैं। आसन पैरों पर है ...

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह भाटी।

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

**श्री त्रिलोकसिंह** : आज पानी नहीं मिलने के कारण लाखों एकड़ फसल सूख रही है और यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह सरकार नालायक है ...

**श्री नरेन्द्रसिंह** (राज्य मंत्री, पर्यटन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री त्रिलोकसिंह ने सरकार को नालायक बताया है। मेहरबानी करके इसे कार्यवाही से एक्सपन्ज कीजिये।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार को नालायक कहना कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है,

(शोरगुल)

**श्री दुलाराम** (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

मेरा निवेदन यही है, माननीय सदस्य ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उससे तो मैं डिस-एग्री नहीं करता हूं। गंगानगर से हम 11 सदस्य कांग्रेस (आई) के हैं, हमारा विचार भी यही है। मेरा व्यक्तिगत विचार भी यही है कि राजस्थान सरकार अपना वक्तव्य 11-12 दिन में दे, उससे तो नहरों में पानी आने वाला नहीं है। कृपया राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्रीजी को आप पाबन्द कीजिए और डेट फिक्स कर दीजिये ताकि हम भी आश्वस्त महसूस कर सकें और हम भी जानकारी मंगा सकें कि नहरों में पानी है या नहीं, हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं या नहीं, और क्या हो रहा है। आप कृपा करके मंत्रीजी को पाबन्द करें कि वह सोमवार या मंगलवार को, जब भी चाहें, इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपयों की चावल और कपास की फसलें नष्ट हो रही हैं। पानी नहीं मिलने से बरबाद हो गई हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री त्रिलोकसिंह आप तशरीफ रखिये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फसलें नष्ट हो रही हैं। कपास और चावल की करोड़ों रुपयों की फसलें नष्ट हो रही हैं। मंत्रीजी सदन में क्यों नहीं वक्तव्य देते।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, श्री भाटी। श्री देवीसिंह भाटी, आप सदन से बाहर निकल जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय श्री त्रिलोकसिंह।

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कहिये कि किसी निश्चित अवधि में जवाब दे दे।

# Page No 45

(45)



**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है। जवाब मंगवाया गया है। मंत्री जी को पूछ लेते हैं कि कब जवाब देंगे ?

**श्री राजबहादुर** : तो आप यह कहिये।

(व्यवधान)

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : माननीय उपाध्यक्ष, गंगानगर के ...

**श्री दुलाराम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर। मेरा निवेदन है कि आप सिंचाई मंत्री नहीं है। यदि आप सिंचाई मंत्री बन गये हों तो ऐसा बता दें।

**श्री सुनील विश्नोई** (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर ऐसा इलाका है ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं।

( व्यवधान )

माननीय ईरिगेशन मन्त्री जी, कब तक तथ्य भिजवा देंगे ?

( व्यवधान )

शून्य काल में नहीं होता पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

( व्यवधान )

**श्रीमती उजला अरोड़ा** ( जयपुर ग्रामीण) : प्रश्नकाल नहीं है....

( व्यवधान )

**श्री सुनील विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मेरी जानकारी में है ...

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया बैठ जाइये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं बोल रही हूं–

( व्यवधान )

**श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ आ रही है हमारे इलाके....

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य।

**श्री यदुनाथसिंह** : सरकार से जवाब दिलवाइये।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : भरतपुर वाले क्या जानते हैं....

( व्यवधान )

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : 30 तारीख को किसान नहर को काटने वाले हैं। फसल खतम हो जायेगी फिर क्या होगा, सरकार से बयान दिलवाइये।

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं

( श्री उपाध्यक्ष )

विनती करता हूं, आप बैठ जाइये।

( व्यवधान )

माननीय सदस्या, अंकित न हो।

**अनेक माननीय सदस्य** : XXX

( व्यवधान )

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : व्यवस्था का प्रश्न शून्यकाल में होता है और सब समय होता है। मुझे गंगानगर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ की संघर्ष समिति का तार मिला है। पानी के अभाव में ये कह रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं। वे संघर्ष करने पर उतारू हैं। पानी जैसी चीज के लिए मन्त्री महोदय विवश क्यों कर रहे हैं जनता को संघर्ष करने के लिये। आप कहें तो कार्ड पहुंचा दूं,

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है, बैठ जाइये। व्यवस्था का सवाल तो उठाया नहीं और भाषण शुरू कर दिया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : व्यवस्था का सवाल है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : भाखड़ा से हरियाणा होता हुआ पानी आता है ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, बिराज जाइये। बैठ जाइये। कार्यवाही में बाधा मत डालिये।

( व्यवधान )

**श्री पोरूराम** (टीबी) : गंगानगर जिले के किसानों को भाखड़ा कैनाल, गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल से पानी मिलता है। नहरों में पानी की कमी कर दी गई है जिससे चावल और कपास की फसलें खराब हो रही हैं।

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपको अनुमति नहीं है। डिसिप्लीन रखिये।

( व्यवधान )

**श्री सुनील विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा। आपके हिसाब से हमें कितने क्यूसेक पानी मिलना चाहिये, और कितने क्यूसेक पानी आ रहा है? मेरी जानकारी के अनुसार जितना पानी राजस्थान को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इस कारण चार दिनों में फसल तबाह हो जायगी। पिछले साल भी आन्दोलन और लड़ाई झगड़े हुए थे। वही स्थिति आज वापस हो रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, एक्चुअल पोजीशन आने दीजिये।

Let the actual position come from the Government.

---

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री यदुनाथसिंह** : उसके बाद तो फसल सूख जायगी।

( व्यवधान )

**श्री मेघराज तावड़** : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान की फसल पानी नहीं होने से सूख रही है और दक्षिणी राजस्थान की फसल पानी होते हुए नहीं मिलने से सूख रही है। वहां पर अकाल पड़ रहा है, राजस्थान में अकाल की स्थिति है। एक तरफ अकाल से जनता को बचाया जा सकता है, सरकार जानती है....

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री देवीसिंह भाटी, आपको दो दफा वार्निंग दे चुका हूं,

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य।

(व्यवधान)

मन्त्री बोलना चाहते हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह सही है कि राजस्थान को आर.सी.पी. में जो पानी की आवश्यकता है उससे कम पानी, दो हजार क्यूसेक से कम पानी दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में तीन दिन पहले राज्य सरकार ने इस बात की कोशिश की, यहां से आफिसर भेजा एस.ई. लेवल का, हमारे चीफ इन्जीनियर और सैक्रेटरी ने भारत सरकार के सचिव से बात की। वहां की बी. बी. एम बी. के चेयरमैन मिस्टर मूर्ति जो है, दिल्ली और उसके बीच में पानीपत रुक गये थे उनको वहां पर कान्टेक्ट किया गया। मुझे आज की पोजीशन मालूम नहीं है इस सम्बन्ध में पुख्ता स्टेटमेन्ट तो सोमवार को दूंगा। लेकिन हमारी कोशिश के बाद में रोपड़ के पास दो हजार क्यूसेक आ रहा था सो दो हजार क्यूसेक कर दिया है लेकिन तो भी दो हजार क्यूसेक कम है। इस बात के लिए बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन से कान्टेक्ट किया पानीपत में एस.ई. ने जाकर। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है चण्डीगढ़ पहुंचते ही इसके सम्बन्ध में व्यवस्था कर देंगे। अभी मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन एश्योरेन्स दिया गया है, तार दिया गया है, बराबर वह कम्युनिकेशन में है, पानी की क्या स्थिति है, मैं सोमवार को इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर स्टेटमेन्ट दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल 295 के तहत सदन की जानकारी के लिये यह जो तार मुझे किसान संघर्ष समिति सूरतगढ़ का मिला है, यह सदन की टेबल पर रखना चाहती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, अनुमति नहीं है बोलने की, इसलिए आप नहीं बोल सकतीं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : व्यवस्था का प्रश्न तो आप कहती हैं, होता नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : रूल 295 देख लीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : जब मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है, मैं सोमवार को बयान दूंगा तो क्या बात रहती है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : इससे मुझे आशंका है गम्भीर स्थिति हो सकती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक्चुअल स्थिति क्या है बयान दे देंगे तब क्लियर हो जायगी। आपको सन्तुष्ट हो जाना चाहिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं सूचना दे सकती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया, माननीय सदस्या, बाधा मत डालें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : सदन के पटल पर....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अनुमति नहीं है–

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, डा० उजला अरोड़ा

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : 20 तारीख को बांध तोड़ दिया तो क्या होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : हम सारे उधर के प्रतिनिधि बैठे हैं। असली बात हम लोग जानते हैं। मिनिस्टर साहब से जो उत्तर दिया है वह ठीक है। आप ज्यादा शोर करके समय का नुकसान कर रही हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य।

**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था पीपल्दा ग्राम पंचायत में जो कन्याओं का उच्च प्राथमिक स्कूल है उसके बारे में। कन्या प्राथमिक विद्यालय में पिछले 6 महीने से न तो कोई हैड मिस्ट्रैस है और न ही अध्यापिकायें हैं। इनके नहीं होने की वजह से वहां की जो छात्रायें हैं, उनकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। पूरे स्कूल में केवल एक अध्यापिका है। एक अध्यापिका पूरे मिडिल स्कूल में है, किस तरह से स्कूल को चलाती होगी, किस तरह से उनकी पढ़ाई होती होगी, मैं इस ओर आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6 महीने से यह स्थिति चल रही है। पिछली बार परीक्षायें हुई थीं, किस तरह से पेपर बंटे होंगे, किस तरह से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हुई होगी, यह अपने आप में एक जटिल विषय है। उससे वहां के छात्र-छात्राओं का जीवन अंधकारमय हो गया है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछली बार जो सरकार का जवाब मिला है उसमें मंत्री महोदय ने यह यह तो स्वीकार किया है कि पिछले 6 महीने से वहां कोई अध्यापिका नहीं है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा है कि हम उन

( श्री हीरालाल आर्य )

रिक्त स्थानों की पूर्ति कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। वहां पर अध्यापिकाओं के न होने के कारण से पूरे स्कूल की क्या स्थिति होगी इसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें और उनकी पढ़ाई समुचित रूप से हो सके ऐसी अविलम्ब आज ही व्यवस्था करें कि वहां पर जितने भी पद रिक्त पड़े हैं उनको तुरन्त भरा जाये। वहां के नागरिकों ने और वहां की छात्राओं ने बार-बार मंत्री महोदय से निवेदन किया है। पदों को न भरे जाने से उनमें रोष व्याप्त है। आज वहां की स्थिति खराब है, वह और ज्यादा खराब न हो इसलिये मैं चाहूंगा कि आप शीघ्र ही व्यवस्था करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामकंवार बेरवा।

**श्री रामकंवार बेरवा** (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र चाकसू में पिछले वर्ष ढून नदी में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। 114 किसानों की जानें चली गईं, हजारों पशु बह गये और निम्बोड़ा पंचायत और साथेड़ा पचायत के रामनिवासपुरा गांव, रघुपुरा गांव और अन्य गांवों में पक्के कुएं, जिनमें 50 सिंचाई के कुएं थे, सब नष्ट हो गये, खेती की जमीन नष्ट हो गई। वहां से नदी ने अपना रास्ता निकाल लिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे बाढ़ सहायता मन्त्री जी से निवेदन करना है कि मुख्य मन्त्री जी ने वहां का दौरा किया था, आप भी शायद पधारे थे। निम्बोड़ा गांव के किसान काफी तादाद में आपसे कई दफा मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने आपको एक प्रार्थना-पत्र भी दिया है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकाला गया, कोई जवाब नहीं दिया। न तो सरकार ने उनको जमीन देकर किसी दूसरी जगह बसाने का इन्तजाम किया है और न ही उनकी जो सिंचाई की जमीन थी जो बाढ़ से नष्ट हो चुकी है, उसका कोई मुआवजा दिया है। वह बड़े भारी कष्ट में हैं। सरकार के चक्कर काटते-काटते वह बहुत परेशान हो चुके हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन लोगों का सर्वे करके देखें और उनको कुछ मुआवजा दें। उनको जमीन देकर किसी दूसरी जगह बसाने का इन्तजाम किया जाये ताकि वह अपना निर्वाह कर सकें। यही मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री उम्मेद सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कमलेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री छीतरलाल आर्य।

**श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मोतीपुरा गांव के कुछ किसानों से खातेदारी के अधिकार छीने गये हैं, जिससे

(श्री छीतरलाल ग्रार्य)

उनको परेशानी हो रही है। उसके सम्बन्ध में ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय, जो इस वक्त यहां नहीं हैं, से निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 20 किसानों, जिनके नाम से 1978 के ग्रन्दर भूमि ग्रलाट की गई थी, के साथ ग्रन्याय हो रहा है। उन किसानों से जमीनें छीन ली गई हैं। उनके ऊपर करीब 1500-1500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। वह किसान एस०टी० ग्रौर एस०सी० के हैं। उन लोगों से 500-500 रुपये प्रति बीघा मुग्रावजे के रूप में मांगे जा रहे हैं जबकि उन्होंने वह जमीन जागीरदार रघुराज सिंह से कीमत देकर खरीदी थी। तो फिर, उपाध्यक्ष महोदय, उनसे जुर्माना क्यों लिया जा रहा है? वहां के जो ग्रधिकारी हैं एस०डी०ग्रो० ग्रौर तहसीलदार उनको तीन महीने से परेशान कर रहे हैं, उनको सजायें सुनाई जा रही हैं ग्रौर उन पर जुर्माना किया जा रहा है। मेरा ग्रापसे ग्रौर सरकार से निवेदन है कि उनके साथ जो यह ग्रन्याय हो रहा है उसके सम्बन्ध में तुरन्त व्यवस्था की जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बालचंन्द्र ग्रार्यवीर।

**श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर** (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि झालावाड़ में भवानी मण्डी में दिनोंदिन ग्रतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। भवानी मण्डी में नगरपालिका द्वारा पैसे लेकर के गुमटियों ग्रौर ठेले वालों को हटाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको बताना चाहता हूं कि उस मण्डी में जहां ठेले वाले खड़े होते हैं, वहां जनता सब्जी खरीदने जाती हैं, ग्रौरतें वहां सब्जी खरीदने जाती हैं, लेकिन उनको निकलने में बड़ी परेशानियां ग्राती हैं। वहां पर गुमटियां ग्रौर ठेले लगे हुये हैं। यहां से ट्रक निकलते हैं। कई बार दुर्घटना, एक्सीडेंट होने की सम्भावना रहती है। मैंने जिला प्रशासन को भी इस बार में ग्रनुरोध किया, लिख कर दिया, लेकिन ग्रभी तक उन पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से सरकार का इस ग्रोर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नगरपालिका द्वारा जो ग्रन्याय हो रहा है ग्रौर जगह-जगह इस प्रकार की जो ग्रनियमितताये हो रही हैं, रास्तों को रोका जा रहा है, जो सब्जी मण्डी के बीच ठेले वालों को स्थान दिया गया है, गुमटियों वालों को स्थान दिया गया है उसकी सही व्यवस्था की जाये ताकि जनता को राहत मिले ग्रौर सब्जी मण्डी वास्तव में सब्जी मण्डी बन जाये। वह स्थान खुला करवाया जाये ताकि जनता को जो ग्रसुविधा हो रही है वह न हो ग्रौर उनको सुविधा मिल सके। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त इसकी जांच करता कर जो ग्रतिक्रमण हो रहा है उसको हटाया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हंसराज शर्मा।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान सवाई माधोपुर में बनास नदी पर जो पुल बन रहा था ग्रौर जो ग्रब काफी समय से बंद पड़ा है, उसकी ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर क्षेत्र में बनास नदी पर जो

(श्री हंसराज शर्मा)

पुल का निर्माण किया गया है उसमें राज्य सरकार ने कई लाख रुपया खर्च किया है, परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि दोनों साइडों पर करीबन एक साल से काम बन्द पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब वहां पर काम चालू किया गया उस समय कान्ट्रेक्टर और सरकार के बीच में एग्रीमेंट था कि यदि सरकार की गलती से किसी प्रकार से काम में डिले हो गई तो बढ़ी हुई रेट्स या बी०एस०आर० की जो रेट्स बनेगी उसका सम्पूर्ण घाटा राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह काम बंद पड़ा है, इससे आज की तारीख में सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। जिस समय काम दिया गया था उस समय के और आज के बी० एस० आर० में करीबन 25 या 30 प्रतिशत की ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है परन्तु समझ में नहीं आ रहा है उस काम को बन्द क्यों कर रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां का जो जयपुर साइड का पोल है न० 3 का, एग्रीमेंट के अनुसार गहरा करना था। कान्ट्रेक्टर वहां तक पहुंच गया परन्तु पैर तक गहरा नहीं हो पाया तो बाकी जमीन में जाने के लिए कान्ट्रेक्टर ने एक निश्चित राशि मांगी थी। राज्य सरकार ने वह निश्चित राशि देने से मना कर दिया और कह दिया कि सरकार बना लेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पैसा कान्ट्रेक्टर ने मांगा था, राज्य सरकार ने उस पर 50 प्रतिशत पैसा खर्च कर दिया है लेकिन 3 या 4 फीट गहराई तक नहीं जा सके। पिलर के न जाने की वजह से, सरकार द्वारा पूरी नहीं भरने से, कान्ट्रेक्टर ने काम बन्द कर रखा है। सम्पूर्ण आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं, जयपुर से सवाई-माधोपुर वहां से दौसा आने-जाने का पुल एक मात्र साधन है। बनास नदी जब आ जाती है उस समय आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं, यह क्षेत्र भी बन्द हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने जान बूझकर इस काम को डिले किया है, जिनकी गलती से डिले हुआ है, उसकी जांच कराई जाय और इस काम को अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाय। ताकि वहां के लोगों को, वहां के निवासियों को आसानी से आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पोल 3 का जितना खर्चा कान्ट्रेक्टर ने मांगा था उसमें कितना खर्चा होगा और जितना बी०एस०आर० बढ़ा है उससे खर्चा जो राज्य सरकार पर पड़ेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी? आपके माध्यम से राज्य सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय और कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ किया जाय ताकि जनता को राहत मिल सके।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री महाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री रामकिशोर मीणा।

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि अब अंग्रेजी में ही प्रमाण-पत्र सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के दिये जायेंगे यह बहुत ही पीड़ादायक और संविधान की मूल भावना के विपरीत है। एक ओर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों हिन्दी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए कार्य कर रही हैं, स्पेशल एड भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। दूसरी ओर पूरा प्रदेश हिन्दी भाषी होते हुए भी कुछ सनकी अधिकारियों, जिनके प्रशासन काल में निर्णय हुआ है, ने ऐसा आदेश निकाला है जो कि आम नागरिक की भावना के प्रतिकूल है ही, हमारे संविधान के प्रतिकूल भी है। इससे बोर्ड को जहां एक ओर फायदा होना चाहिए था वहां उल्टा नुकसान हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा निर्णय है जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इस ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाय और इस अविवेकपूर्ण निर्णय, जो कि प्रशासन के काल में हुआ है, की परिणति अब हुई है उसकी वजह से बोर्ड को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, कर्मचारियों को अलग से वेतन और भत्ता भी देना पड़ेगा क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह था कि यदि उसमें मशीन लगा दी जाती है तो उनको अलग से एक तरह से कम्प्यूटर अलाउंस दिया जायगा, कर्मचारियों को अलग से पैसा दिया जायगा, 20) रु० क्षतिपूर्ति के दिये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्णय बहुत ही अविवेकपूर्ण है, इसको तुरन्त वापस लिया जाना चाहिये। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री दाऊदयाल जोशी।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही माननीय गृह राज्य मंत्री के निवास स्थान के पास, करौली क्षेत्र की रिपोर्ट मिली है, वजीरपुर क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में मूर्तियां चोरी हो रही हैं, हमारे सनातन धर्म की मूर्तियों की चोरी हो रही है उसको तो माननीय गृह मंत्री शायद गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आपके धर्म में शायद आप भी क्षमा पर्व मानते हैं, अभी 25 तारीख को क्षमा पर्व था उस दिन आप जगह जगह लोगों के यहां सरकारी गाड़ी में क्षमा याचना करने गये थे उस धर्म के भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति की चोरी हुई तो हमें आशा नहीं कि सनातन धर्म की मूर्तियों की चोरियां आप रोक सकेंगे क्योंकि उस पर बड़े बड़े तस्कर लगे हुये हैं, बड़े बड़े स्मगलर्स लगे हुये हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण मूर्तियां लन्दन म्यूजियम तक जा चुकी हैं। एक बहुत बड़ा आला धंधा राजस्थान में चल रहा है, हमारी कलाकृतियां राजस्थान से उठकर विदेशों की ओर जा रही हैं, उसमें बड़े अधिकारी लगे हुये हैं। कोटा के पास एक क्षेत्र में एक अधिकारी मूर्तियों के मामले में पकड़े गये थे। मेरा निवेदन है कि कम से कम आप इसकी जांच करेंगे। आज ही कोटा के एस०पी० साहब से पूछिये कि 10 अगस्त, यानि ठीक आज से एक महीना पहले भीमगंज मंडी क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमायें चोरी हो गई थीं इस सम्बन्ध

( श्री दाऊदयाल जोशी)

में क्या कार्यवाही की। आज तक अभी तक की मुझे सूचना है, जैनी बहुत कह चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, हमने कहा, कोई सेवा हो तो बताओ, कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे तो दो दो मंत्री बैठे हैं राजस्थान केबिनेट में, प्रद्युम्न सिंह बैठे हैं, चन्दनमल बैठे है। 4–9–82 को दोनों को तार दिये गये हैं किन्तु 4–9–82 की टेलीग्राम की कापियां दोनों महाशयों के पास आ जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।

मेरा निवेदन करना है कि 24 मूर्तियां हैं। 24 में से एक भगवान पार्श्वनाथ....

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या मंदिर में निगरानीदार नहीं रहता है ?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : कोटा में जितनी जैन प्रतिमायें हैं अष्ट धातु की हैं। पहले चोरियां हुई हैं, यह छठी चोरी है, लगातार एक के बाद एक हुई हैं। पिछले 2॥ साल में 6 मंदिरों में चोरियां हो गई हैं कोई चोर ऐसा जम गया है जो सीधा जैन मंदिर में पहुंचता है, प्रतिमाओं की चोरी करता है। साथ में भगवान के चरणों पर से रुपये चुराता है। निश्चित रूप से 10–5 हजार रुपये उसको मिल जाते हैं। गृह मंत्रीजो भाग्य से विराज रहे हैं, चन्दनमलजी विराज रहे हैं, उनसे आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं दोनों महान् धार्मिक हैं इस मामले में, भगवान के प्रति उनकी आस्था है, आज ही स्पेशल आदेश निकालें कि 10 अगस्त को जो चोरी हुई है, जिसको एक महीना पूरा होने आया, आज ही चोर की खोज बीन की कार्यवाही करें। मेरा यह जो प्रस्ताव है, इसे स्वीकार किया जाय।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : धौलपुर की मूर्तियां खतम हो गई इसलिये चोर कोटा में आ गये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रंगजी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मेरा प्रस्ताव एक और है तारीख 8 का, जो राज्य सरकार ने जानकारी के लिये भेजा है। मेरा निवेदन है कि आज कोटा के पास केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल चलती है, इसके सम्बन्ध में यह पेम्पलेट छपा है, 30 लाख रुपये का किसानों को केशवराय पाटन शुगर फैक्ट्री पेमेंट नहीं कर रही है। राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजा हुआ हैं लेकिन राज्य सरकार क्या जानकारी देगी। 20 लाख रुपये किसानों को गन्ने का देना है और राज्य सरकार पेमेंट नहीं करवा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के हित का सवाल है। इसके सम्बन्ध में श्री गोपाल पंचेरवाल ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा और मैंने भी इसके लिये स्थगन प्रस्ताव रखा है पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी किसानों के हित की कार्यवाही करे।

(व्यवधान)

**श्री छोतरलाल आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 8 तारीख को एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक स्थगन प्रस्ताव दिया है आपने उसे राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजा है।

(व्यवधान)

उसके ऊपर जल्दी से जल्दी राज्य सरकार से कार्यवाही करने के लिये कहे।

(1.00 म प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति पदासीन)

### व्यवस्था का प्रश्न

### राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वर्ष 1981–82 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने में विलम्ब।

**श्री सभापति** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री परसराम मदेरणा।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदय, मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है। दिनांक 6 को मैं यहां पर हाजिर नहीं था। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र जब विद्युत मंत्री रखने लगे तब विरोधी दल के नेता महोदय ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत आपत्ति उठायी थी। विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि उस पर पहले चर्चा होनी चाहिये। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट की धारा 61 (3) के अन्तर्गत यह होना चाहिये। मुझे ऐसा भी मालूम हुआ है कि शायद मन्त्री महोदय ने उनकी बात को स्वीकार किया था और उनकी बात को स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना भी की थी। अब राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982–83 रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय बिजली बोर्ड एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत जो दूसरा पत्र राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 रख रहे हैं। इस बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आता सभापति महोदय, वर्ष 1981–82 का साल तो समाप्त हो गया है और वर्ष 1982–83 चल रहा है। सन् 1982–83 वार्षिक प्रतिवेदन रखने के पहले यह आवश्यकता थी कि मन्त्री महोदय वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखते। अगर मन्त्री महोदय ऐसा करते तो इस प्रतिवेदन का कुछ मतलब रहता। ऐसा करने से दो बातें होतीं, एक तो यह बताते बिजली बोर्ड ने राजस्थान में वर्ष 1981–82 में क्या कार्यकलाप किये, क्या प्रगति बिजली के लिये राज्य में की और उसके बाद में यह भी बात बताते कि आने वाले साल यानि वर्ष 1982–83 में बिजली बोर्ड राजस्थान राज्य में क्या कार्यकलाप करना चाहता है।

सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बिजली बोर्ड एक्ट की धारा 75 को आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। बिजली बोर्ड एक्ट की धारा 75 में यह दिया है :

The Board shall as soon as may be after the end of each financial year prepare and submit to

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

the State Government in such form, as may be prescribed by the Board giving an account of its activities during the previous financial year and the report shall also give an account of the activities if any which are likely to be undertaken by the Board in the next financial year and the State Government shall cause for such report laid before the State Legislature as soon as may be after it is received by the State Government.

यह, सभापति महोदय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट की धारा 75 है। इस धारा 75 के अनुसार यह बताना आवश्यक था कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 1981–82 में क्या प्रगति की। इसमें दोनों ही बात आ जाती है। बिजली बोर्ड ने वर्ष 1981–82 में क्या काम किया और वर्ष 1982–83 में क्या काम करना चाहती है। वर्ष 1981 82 में क्या काम हुआ वह नहीं बता रहे हैं। मन्त्री महोदय अपनी गलती को छिपा रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि वर्ष 1981-82 की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है नहीं? अगर दी है तो 1981–82 की रिपोर्ट को क्यों छिपाया गया? मन्त्री महोदय उसमें क्या छिपाना चाहते हैं। सदन की मेज पर तो दस हजार पत्र रखे जा सकते हैं। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता की नाक के नीचे यह हो रहा है। मेरा निवेदन है कि वर्ष 1981–82 की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट यहां रखी जाय और यह बताया जाय कि बिजली बोर्ड ने क्या काम किया, कितने कुओं को बिजली दी गयी, कितना राजस्थान में विद्युतीकरण किया गया और उसके बाद में वर्ष 1982–83 में कितना विद्युतीकरण और हो रहा है। पता नहीं राज्य सरकार यह बात क्यों छिपाना चाहती है। एक्ट में दिया गया है उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये। राज्य सरकार को सदन के सामने पहले राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की 1980–81 की रिपोर्ट रखनी चाहिये और यह बताना चाहिए उस रिपोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद में यह बतायें कि वर्ष 1981 82 में क्या करने के लिए उन्होंने योजना बनायी थी और उसके बाद वर्ष 1982-83 में राज्य विद्युत मण्डल क्या करने जा रहा है। वह सभी बातें सदन के सामने आनी चाहिए थीं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं। कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट की धारा 75 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है उसके अनुसार वर्ष 1981–82 की रिपोर्ट पहले रखी जानी चाहिये थी। चूंकि वह रिपोर्ट मन्त्री महोदय ने नहीं रखी है इसलिए मैं आपके निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय को इसके लिए सदन से माफी मांगनी चाहिये। जैसा कि मुझे पता लगा विरोधी दल के नेता महोदय ने आपत्ति प्रस्तुत की तो मन्त्री महोदय ने क्षमा मांगी थी 6 तारीख को। अब 1980–81 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इ के साथ ही वर्ष 1981–82 की रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं जो कि बिजली बोर्ड एक्ट की धारा 75

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के अनुसार रखना जरूरी है। उसके लिए भी वह क्षमा मांगें और यह भी बतावें कि वह कब रखेंगे ? यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सदन को इसकी जानकारी होनी चाहिये, राजस्थान की जनता को भी इसकी जानकारी होना आवश्यक है। राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि वर्ष 1982-83 में बिजली बोर्ड के क्या क्रियाकलाप होंगे, क्या प्रगति बिजली के बारे में करना चाहता है और विकास के क्या कार्यक्रम बिजली बोर्ड आगे हाथ में लेने जा रहा है। इन सभी बातों की जानकारी मन्त्री महोदय सदन में स्पष्ट रूप दे दें उसके बाद में आप मन्त्री महोदय को सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र रखने की अनुमति दें। बस यही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** (विद्युत मन्त्री): सभापति महोदय, वर्ष 1982-83 का बिजली बोर्ड का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बजट में सभी बातों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ बजट में करेन्ट फाइनेन्शियल ईयर में उन सारी एक्टीविटीज का वर्णन है जो कि बिजली बोर्ड हाथ में लेने जा रहा है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपका ध्यान राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट सन् 1948 की धारा 75 की ओर आकर्षित किया और यह कहा कि इस धारा के तहत राजस्थान बिजली बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी जानी चाहिये। इसी तरह वर्ष 1981-82 की रिपोर्ट यहां पर रखी जानी चाहिये। जिस धारा के तहत माननीय सदस्य यह उल्लेख कर रहे हैं कि वर्ष 1981-82 की वार्षिक रिपोर्ट यहां रखी जानी चाहिये मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा :

The Board shall as soon as may be after the end of each financial year prepare and submit to the State Government in such form as may be prescribed by the Board ..

जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके अन्तर्गत नियम बनाये गये थे, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 33 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के सेक्शन 75 के नीचे जो डेलीगेटेड पावर्स हैं उसके अन्तर्गत जो रूल रेलेवेन्ट हैं वह रूल 33 है। वह रूल यह कहता है :

The Board shall as soon as possible after 31st March in each year but not less than 20th Sept. submit to the State Government an annual report........

इसलिए 1981-82 के लिए जो बोर्ड को एक अवधि दी गयी है अभी उसमें 18 दिन बाकी हैं, 19 दिन बाकी हैं या 20 दिन कहिये। यह बात निश्चित है सभापति महोदय, कि वह वार्षिक बजट मार्च और सितम्बर के बीच में प्रस्तुत कर देना चाहिए उसमें कुछ डिले होगी। ऐसी सम्भावनाएं हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं। तो सेक्शन 75 के अन्तर्गत 1980-81 की एनुअल रिपोर्ट, जिसमें लेखा विवरण भी होता है, मैं दो-तीन दिन पहले प्रस्तुत कर चुका हूं और आज आपकी अनुमति से वार्षिक प्रतिवेदन 1981-82 और 1982-83 का बजट आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जहां तक 1981-82 के लेखा विवरण और वार्षिक प्रतिवेदन का प्रश्न है यह बोर्ड की लेटेस्ट बाई सितम्बर के एण्ड तक सरकार को प्रस्तुत कर देनी चाहिए और क्योंकि सरकार को प्रस्तुत करने का समय अभी तक बाकी है, और सदन का सत्र चलता रहा तो निश्चित तौर से उस समय तक प्रस्तुत हो सकेगी। क्योंकि बोर्ड के सामने भी डिफिकल्टीज हैं, इसलिए अकाउन्ट्स तैयार करने में कुछ समय लग सकता है और सितम्बर तक बोर्ड का जो मैक्जिमम पीरियड दिया हुआ है उसके खतम होने में समय बाकी है। सरकार को जो लेटेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है उसके लिए 1 अप्रेल से लेकर 30 सितम्बर के बीच का समय दिया हुआ है और वह समय अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने जो पॉइन्ट आॅफ आर्डर, व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें कोई वजन नहीं है, इसलिए उसको निरस्त किया जाये। आपसे यह मेरा आग्रह है।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा): जो एक्ट बनाया गया है लेजिस्लेशन के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, उसका रूल कहता है:

The Board shall as soon as may be after the end of each financial year.......

माननीय मन्त्री महोदय, बोर्ड ने जो रूल बनाया उसमें 6 महीने की अवधि दी हुई है। फिर माननीय मन्त्री महोदय ने एक बात और कह दी कि मैंने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कौनसी एक्टीविटीज लेंगे, इसका मैं वर्णन कर चुका हू या करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट होता है, बजट में फाइनेन्शियल पोजीशन बनाने वाली बात का वर्णन होता है किन्तु उस पैसे के कारण जो विभिन्न एक्टीविटीज डिटेल में होती हैं उनका वर्णन कभी नहीं होता है। अगर होता तो रूल 75 आॅफ एक्ट में स्पेसिफिक रूप से यह बात नहीं लिखी जाती कि जो रिपोर्ट यहां सबमिट की जायेगी उसमें दो बातें होंगी। एक तो यह होगी कि पिछले साल का कार्य कलाप क्या है और एक बात यह होगी कि आगे वह कौन सी कार्यवाही करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि 6 महीने का जो रूल बना है उस रूल को एक बार स्टडी और करें।

It is in contravance of the Act.

6 महीने गुजर जायें और राजस्थान की जनता को, राजस्थान के सदन को यह मालूम नहीं पड़े कि हम क्या काम करने वाले हैं और मन्त्री महोदय भी कह कर चले जायं, बजट में सामान्य सा उसका वर्णन कर दिया, इतना पैसा रख दिया और काम

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

चलेगा क्योंकि इसको इनकार्पोरेट इसलिए किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 'एज सून एज' का मतलब यह है कि जिन्होंने रूल बनाया वह लॉ डिपार्टमेण्ट से एक बार स्टडी और करवायें। हो सकता है, जिस समय रूल बना उस समय भिन्न प्रकार की स्थिति बनी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान की जनता के हित के लिए उसकी जानकारी के लिए 12 महीने में से 6 महीने इस बात के लिए गुजार देना कि हम कौनसा काम करने वाले हैं, इस एक्ट में 'एज सून एज' लिखा है, उस भावना को प्रदर्शित नहीं करता। इसलिए उस रूल पर पुनर्विचार किया जाय—बात नम्बर एक। बात नम्बर दो कि मन्त्री महोदय की यह जो दलील है, आज बजट देकर यह साबित कर रहे हैं कि कौन-से काम हमें करने हैं, बिलकुल ठीक नहीं है। वह मोटा-मोटा क्राइटेरिया है। उसमें फाइनेन्शियल इन्वेस्टमेण्ट फाइनेन्शियल टार्गेट्स तो हैं लेकिन जिन फिजिकल टार्गेट्स की विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है वह नहीं है। उसी के परिणाम के बारे में मैंने अपने मन की शंका प्रकट की थी। शायद उस पर बहस होगी और उस बहस के द्वारा सारे मुद्दे आयेंगे। लेकिन फाइनेन्शियल टार्गेट्स, कितना पैसा आया, कहां चला गया, कैसे काम होगा, कितने साल की योजना है, के लिए मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय विचार करें। वह रूल बना है उसकी 6 महीने की अवधि है वह ठीक है, 'एज सून एज' जो धारा में है उसकी भावना को प्रकट करती है। अगर नहीं करें अगर वह अभी तक रूल के मार्फत 12 दिन का समय लेना चाहते हैं, फिजिकल टार्गेट्स कम से कम अगले वर्ष कौन-से हो रहे हैं वह सब हमें अप्रेल में दे देने चाहिए ताकि राजस्थान के सदन, विधान सभा और राजस्थान की जनता को यह जानकारी हो कि 12 महीने में बिजली बोर्ड कौन-सा काम करना चाहता है।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय सभापति महोदय, अब कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत जो रूल मेकिंग पावर दे रखी है, उसके बारे में यह कहा है कि रूल मेकिंग पावर में रूल बनाते समय सरकार इन पावर्स को एक्सीड कर गयी। एक्सीड करने के सम्बन्ध में उनकी दलील यह है कि जो सेक्शन 75 की धारा है :-

The Board shall as soon as may be after the end of each financial year. 'As soon as' and 'shall' is mendatory.

'एज सून एज' 6 महीने नहीं होना चाहिए। क्योंकि 6 महीने का रूल में प्रावधान रखा गया है सितम्बर के अन्त तक। इसलिए सेक्शन 75 की मूल भावना यह है कि 'एज सून एज' का मतलब यह है कि 3-4 दिन बाद यानि 4-5 अप्रेल। डेलीगेटेड पावर्स हैं, सरकार के पास रूल मेकिंग पावर्स हैं, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की पावर्स हैं इसलिए ही तो वर्ड प्रेस्क्राइब्ड यूज किया गया है। इसलिए जो सरकार ने रूल बनाया है, इस एक्ट के अन्तर्गत रूल

(श्री परसराम मदेरणा)

33 में सेक्शन 75 में दी हुई शक्तियां में सब ग्राडिनेट लेजिस्लेशन बनाने की पावर्स को एक्सीड नहीं किया है और एक्सीड नहीं किया तो इस आग्यूमेंट में कोई वजन नहीं है।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : काम करने वाले फिजिकल टार्गेट्स कहां हैं ?

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर प्लीज। आपका जो व्यवस्था का प्रश्न था वह स्टैंड नहीं करता है क्योंकि रूल्स में पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास टाइम है।

**'श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : एक एश्योरेन्स और चाहता हूं कि 12 दिन में तो काम हो जायेगा ? उसकी तो चिन्ता कर लेंगे ? यह देख लें।

**श्री सभापति** : 12 दिन तो होने दीजिए।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : कोई बात नहीं। एश्योरेन्स तो आने दीजिए।

**श्री परसराम मदेरणा** : 12 दिन का नहीं कहा है।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : 30 सितम्बर कह दिया मैंने।

**श्री परसराम मदेरणा** : कन्क्लूड करते समय खड़ा हो गया तो मेरी स्मृति से निकल गया। आज तारीख 10 है....

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : चलिए 30 सितम्बर।

**श्री परसराम मदेरणा** : 30 सितम्बर तक का समय है, यह मैं पूर्व में ही कह चुका हूं। मैं इस सदन में हमेशा सच बोलता हूं। मैं कभी सदन को मिस लीड नहीं करता। 30 सितम्बर तक, शायद लेखा विवरण और एनुअल रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकेगी। यह बात भी मैं पूर्व में कह चुका हूं। एक बात जब यह इनसिस्ट करते हैं, तो आप प्रिडिसेसर थे तो, सभापति महोदय, इन्होंने भी यही किया था।

## सदन की मेज पर रखे गये पत्र
## प्रतिवेदन एवं लेखे

**श्री सभापति** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

**श्री परसराम मदेरणा** : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 61(3) व धारा 75 के अन्तर्गत:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक अनुमान) 1982–83 एवं

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति** : श्री चन्दनमल जी बैद।

**श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : चन्दनमल जी कहां गये ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

में वर्ष 1980-81 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व-प्राप्तियां) सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति :** श्री प्रद्युम्नसिंह।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** माननीय सभापति महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81,

(2) हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर के संचालक मंडल का प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखे।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

**सूरतगढ़ नई मंडी पुलिस थाने के पीछे राजकीय भू खण्ड पर पुलिस अधिकारियों द्वारा अनधिकृत व्यक्तिगत निर्माण**

**श्री सभापति :** ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव। श्री सुनील विश्नोई, सदस्य, विधान सभा।

**श्री सुनील कुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो इनका पुलिस डिपार्टमेंट है, आप गृह मंत्री हैं, मैं बताना चाहता हूं। आपके इस डिपार्टमेंट में क्या अनियमिततायें होती जा रही हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपको राज्य की इमेज बनानी है, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, तो इस डिपार्टमेंट को बहुत ही ठीक ढंग से चलाना पड़ेगा। आजकल देखने में आ रहा है, इस समय कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इर्रेगुलरिटीज बढ़ती जा रही हैं। मेरे क्षेत्र सूरतगढ़ मण्डी, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बहुत इम्पार्टेंट मण्डी है, मैं मण्डी से बिल्कुल लगती हुई जमीन थी, मण्डी एरिया की। उसको इन्होंने गवर्नमेंट से चारसौ बीसी करके कब्जे में किया। उस मण्डी की जमीन पर जो कम से कम 50-60 लाख की जमीन है, वहां तारबन्दी की और तारबन्दी करके लोगों ने पूछा तो कहा गया कि पुलिस डिपार्टमेंट के क्वाटर्स बनेंगे। ठीक है, कोई एतराज नहीं था अगर पुलिस डिपार्टमेंट के क्वाटर्स बनते हैं, गवर्नमेंट के क्वाटर्स बनते हैं, तो। लेकिन उन्होंने जमीन कब्जे में करके पहले आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली और फिर अपने मकान बनाने शुरू कर दिये। इस तरह की चीज आप क्यों कर रहे हैं, यह मेरी समझ के बाहर है। आज अगर यह परिपाटी चलती रही, तो जो सूरतगढ़ थाने में हुआ है और जो एजेन्सी कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है वही एजेन्सी अगर गवर्नमेंट लैण्ड पर कब्जा करने लगे और उस पर प्राइवेट मकान बनने लगें तो यह परिपाटी राज्य के दूसरे थानों में भी होगी। इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। तब आपके राज्य में भला कौन रोकने वाला है पुलिस डिपार्टमेंट को ? आप गृह मन्त्री

(श्री सुनीलकुमार विश्नोई)

हैं आप कहीं कब्जा कर लें। सैक्रेटेरिएट के आगे बहुत लम्बा चौड़ा लॉन है। क्या काम आता है वह लैण्ड? वहां मकान बनाते हैं तो कौन रोकने वाला है आपको? मंत्री महोदय के नोटिस में लाया, राज्य गृह मंत्री के नोटिस में लाया, मैंने मुख्य मंत्री को भी लिखित में दिया है, राजस्व कमिश्नर को भी लिख कर दिया है। उसके बाद भी डेढ़ महीने से कोई कार्यवाही नहीं, इसके पीछे क्या कारण हैं, मैं पूछना चाहता हूं।

**श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) :- मंत्री महोदय का संरक्षण है उसमें।

**श्री सुनील कुमार विश्नोई :** गवर्नमेंट लैण्ड पर गवर्नमेंट क्वाटर्स के नाम पर कब्जा कर लिया। स्पष्ट रूप से निजी मकान बने हुए हैं, इन्क्वायरी क्या करवानी है। गवर्नमेंट ने कोई फण्ड्स अलॉट किये हैं, क्या क्वाटर बनाने के लिये? इन्होंने कोई फण्ड्स अलॉट नहीं किये, कोई जमीन अलॉट नहीं की उसके बावजूद एरिया डवलपमेंट कमिश्नर ने लिखा है, गवर्नमेंट लैण्ड पर प्राइवेट मकान बने हैं। मण्डी का विकास होने वाला था। वह जमीन गवर्नमेंट की, मण्डी के कब्जे की हो गई थी, बहुत ही मूल्यवान जमीन है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ी हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा, यह कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि इसको टाल दें। आप सख्ती से एक्शन लें और आश्वासन दें कि सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को सस्पेण्ड किया जायेगा, उनको वहां से हटाया जायेगा।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : सभापति महोदय, सूरतगढ़ के अन्दर जब पुलिस थाने के बाहर ..

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** माननीय सदस्य श्री विश्नोई का ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव है।

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। उन्होंने तो ध्यान आकर्षण कर दिया। कोई माननीय सदस्य अन्य कोई कुछ बात कहना चाहें वह कह सकते हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : सभापति महोदय, मैं राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सूरतगढ़ थाने के पास पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों ने जो कब्जा किया वह कोई एक दिन में नहीं हुआ। यह बात बार-बार उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाई गई है। तो सवाल यह उठता है, जब कोई जागरूक नागरिक सम्बन्धित अधिकारी को यह सूचित करता है कि इस प्रकार से अतिक्रमण कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी, पुलिस अधिकारी और यह पुलिस अधिकारी/कर्मचारी, जो कि अगर कहीं कानून व्यवस्था भंग हो रही हो उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करते हैं, वही अगर इस प्रकार से नाजायज कब्जे कर लें, तो पुलिस की क्या इमेज रहेगी और दूसरा कौन बच जायेगा जिसको वे रोक सकेंगे कि वे नाजायज कब्जे नहीं कर सकते? जहां यह नाजायज कब्जे किये गये हैं वहां एक जमीन का ऑक्शन भी हुआ है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपये है। उससे चार गुना जमीन,

(श्री देवीसिंह भाटी)

जो करीब एक करोड़ रुपये की है, पर पुलिस अधिकारियों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ सूरतगढ़ में ही नहीं, सभापति महोदय, बीकानेर के अन्दर श्री इण्डस्ट्रिल एरिया रानी बाजार है, वह पुलिस कॉलोनी कहलाती है वहां एक थानेदार, एक ए० एस० आई० ने नाजायज कब्जा कर रखा है।

**श्री सभापति :** कृपया समाप्त करें।

**श्री देवीसिंह भाटी :** इसलिए मैं जानना चाहूंगा, जो पूर्व में सूचना दी है, शिकायत की गई उसके ऊपर जिन अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की है, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री सभापति :** श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** सभापति महोदय, सूरतगढ़ मण्डी क्षेत्र के विस्तार के अन्तर्गत मण्डी कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1850 एकड़ भूमि आती है। इस भूमि पर, रेडियो स्टेशन के पीछे आर० सी० पी० कॉलोनी के पास के अन्य क्षेत्रों में, उक्त रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न लोगों ने कुल 836 नाजायज कब्जे कर रखे हैं, जिनमें पुलिस कर्मचारियों के कथित 15 नाजायज कब्जे तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के 95 नाजायज कब्जे शामिल हैं।

**श्री सुनील बिश्नोई :** Don't misguide.

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** रिपोर्ट है। I am not misguiding It, is a report.

अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये 95 नाजायज कब्जे शामिल हैं। उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत अतिक्रमियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही मण्डी विकास समिति द्वारा आरम्भ कर दी गई है।

पुलिस कर्मचारियों पर जो नाजायज कब्जे करने का आरोप है, वह भूमि पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे सिद्धू सिनेमा के सामने है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ है। उपर्युक्त आवश्यक कार्यवाही उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मण्डी विकास समिति द्वारा की गई है वह इस भूमि पर किये गये अतिक्रमण पर भी लागू है।

उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के नोटिस पुलिस कर्मियों पर भी जारी किये गये हैं। उन्होंने इन नोटिसों के जवाब में यह बताया है कि मौके पर उन्होंने कोई नाजायज कब्जा कर निर्माण नहीं किया है। कुछ कर्मचारियों ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि ये नाजायज कब्जे उनके निकट सम्बन्धियों जैसे लड़के, साले आदि ने किये हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने में मण्डी विकास समिति को यह आश्वासन दे दिया गया है कि यदि उन्हें पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, तो वह उपलब्ध करा दी जावेगी। साथ ही ऐसे पुलिस कर्मियों के निकट सम्बन्धियों के अतिक्रमण करने में उनके सक्रिय सहयोग

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

स्थापित होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही तुरन्त की जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जानकारी सर्वप्रथम सरकार के समक्ष अभी कुछ दिन पूर्व ही आई थी जब माननीय सदस्य ने इस बारे में लिखित में शिकायत प्रस्तुत की थी। यह बात सही है। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो रिपोर्ट के अन्दर यह मैंने विवरण दिया है, कुल 836 नाजायज कब्जे हैं जिनमें 110 सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये कब्जे हैं। इस रिपोर्ट के अन्दर आता है लेकिन लॉ एनफोर्सिंग एजेन्सी के कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार से नाजायज कब्जे किये गये हैं, मैं उनको उचित नहीं मानता। उसके जवाब में उन्होंने कहा, जो रिपोर्ट सामने आई है हमने नहीं की, हमारे रिश्तेदारों ने की है। लेकिन उनका दायित्व और सरकारी या अन्य लोगों के मुकाबले अधिक है। कम से कम उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था, सहयोग नहीं देना चाहिये था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अब विस्तृत एन्क्वायरी का विषय है। इसके लिये भी स्पेशल आई० जी० पी० को लिखा गया है कि वे इस बारे में कार्यवाही करें और कार्यवाही करके जिस एक्शन का सुझाव देंगे, उस पर विचार किया जायगा। एन्क्वायरी का विचार किया जा रहा है। कलेक्टर, बीकानेर को भी कहा गया है। वेरियस एजेन्सी भी कलेक्ट करके सरकार को बतायें क्योंकि जो प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह मण्डी समिति के द्वारा कलेक्टर, गंगानगर को जो प्रेषित की थी, वही रिपोर्ट हमारे पास आई है। इसलिए इस बारे में मैंने यह मुनासिब समझा है कि कम से कम वहां के जो एस० एच० ओ० और जो एस० आई० है, जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। मैं आज सुबह जब स्टेटमेंट तैयार कर रहा था उसी वक्त मैंने यह निर्देश दिये हैं उनको कि जो तीन अधिकारी मौके पर मौजूद थे। ए० एस० आई० गंगानगर, उनको लाइन हाजिर किया जाय। लाइन हाजिर करने के बाद, विस्तृत एन्क्वायरी करने के बाद अगर यह पाया गया कि उन्होंने इसमें सक्रिय सहयोग दिया है, नाजायज कब्जा करवाया है, तो मैं बहुत सीरियस बात मानता हूं और उनको सस्पेन्ड करने की बात ही नहीं और अधिक कड़ी कार्यवाही करने की बात करनी पड़ेगी, तो वह भी की जायगी। यह मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं।

## शासकीय वक्तव्य

### दिनांक 1.9.82 को जनाना अस्पताल, जयपुर के बाहर श्रीमती आनन्दी की गर्भावस्था में मृत्यु

**श्री सभापति :** मन्त्री द्वारा वक्तव्य। माननीय गृह राज्य मंत्रीजी, दिनांक 1-9-82 को जयपुर स्थित जनाना अस्पताल के प्रांगण में हुई घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** ( राज्य मन्त्री, गृह ) : सभापति महोदय, दिनांक 1-9-82 को सायंकाल करीब 8 बजे झोटवाड़ा रोड की ओर से एक टेम्पो जनाना अस्पताल की

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

ओर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत साइड से निकला। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सूरजमल ने उसे रोकने का इशारा किया ...

**सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :** सुना नहीं सभापति महोदय, फिर से।

**श्री सभापति :** फीमेल क्वेश्चन है ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** मेल क्वेश्चन का क्या होगा ?

**श्री सभापति :** वह बाद में कन्सीडर किया जायगा।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** सभापति महोदय, दिनांक 1-9-82 को सायंकाल करीब 8-00 बजे झोटवाड़ा रोड की ओर से एक टेम्पो जनाना अस्पताल की ओर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत साइड से निकला। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सूरजमल ने उसे रोकने का इशारा दिया मगर टैम्पो चालक उसकी परवाह न करते हुए टैम्पों को जनाना अस्पताल की ओर लेकर चला गया। इस पर कांस्टेबल उस टैम्पो का नम्बर नोट कर उसके पीछे-पीछे समीप ही स्थित जनाना अस्पताल पहुंच गया। टेम्पो के ड्राइवर से नाम पता पूछे जाने पर उस टेम्पो में आये एक व्यक्ति लक्ष्मीनारायण एवं कांस्टेबल में कुछ कहा-सुनी होकर झगड़ा हो गया।

अस्पताल पहुंचते ही उस टेम्पों में झम्बोरी गांव से लाई गई श्रीमती आनन्दी-देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण, जिसकी उसी रोज दिन में एक मृत शिशु को जन्म देने के बाद, गंभीर हालत हो गई थी, को उसके परिवार जनों द्वारा अस्पताल के अन्दर ले जाया चुका था। जहां डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

जैसे ही श्रीमती आनन्दी देवी के परिवार-जन अस्पताल के भीतर से रोते हुए मृतका को बाहर लाये, आस-पास खड़े लोगों की सहानुभूति, मृतका के पति लक्ष्मीनारायण, जिसकी उस समय तक कांस्टेबल के साथ कहा-सुनी हो रही थी, के साथ हो गई और इन लोगों ने उत्तेजित होकर कांस्टेबल के साथ मारपीट की, जिससे वह नीचे गिर पड़ा। कांस्टेबल की पिटाई की सूचना पास ही स्थित पुलिस लाइन में पहुंचने पर करीब 20-25 सिपाही सादा वर्दी में जनाना अस्पताल पहुंच गये और कांस्टेबल को मारपीट करने के बारे में पूछताछ की और उसे इलाज हेतु अस्पताल ले गये।

इसी बीच जनाना अस्पताल में उप-स्थित विधायिका श्रीमती उजला अरोड़ा भी नीचे पहुंच गईं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व नगर दण्ड-नायक भी अस्पताल पहुंच गये और स्थिति को सम्भाला। कुछ देर बाद जिलाधीश, जयपुर भी वहां पहुंच गये।

विधायक महोदया ने इन अधिकारियों से यह शिकायत की कि श्रीमती आनन्दी देवी की मृत्यु पुलिस द्वारा की गई मारपीट के कारण हुई है, जिस पर अधिकारियों द्वारा मौत का सही कारण जानने हेतु

( श्री प्रद्युम्न सिंह )

मृतका का पोस्टमार्टम करा लेने का सुझाव दिया गया मगर मृतका के पति द्वारा अपनी पत्नी की मौत के बारे में कोई शक शुबाह नहीं होने एवं पोस्टमार्टम नहीं कराने की लिखित इच्छा जाहिर करने पर शव बिना पोस्टमार्टम किये अस्पताल से ले जाया गया।

इस समस्त घटना की अपर पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर द्वारा जांच करने के पश्चात् कांस्टेबल सूरजमल के विरुद्ध उसके किये गये अशोभनीय व्यवहार एवं दुराचरण के लिये नियम 16 राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील्स, 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके हैं।

**श्री सभापति** : इस सम्बन्ध में तीन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है-श्री गोपाल पचेरवाल, सुश्री पुष्पा जैन और डा० उजला अरोड़ा।

श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन।

**सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : सभापति महोदय, मुझे खुशी हुई कि मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेन्ट में, हालांकि बहुत ट्विस्ट करके बहुत ही हल्का बनाकर दिया है, फिर भी, अनजाने में उन्होंने यह स्वीकार किया कि आनन्दीदेवी की मृत्यु होने के बाद जब डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि आनन्दी मृत हो चुकी है तो उसके बाद लक्ष्मीनारायण उत्तेजित हुए और पुलिस के साथ हाथापाई हुई। सभापति महोदय, सही तथ्यों से इन्कार न कीजिये, असली तथ्य वह नहीं हैं जो आपने बताये हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, जब टैम्पो में 11 लोग सवार होकर ग्राम झब्बोरी से आ रहे थे-लक्ष्मीनारायण जो जो कि मृतका आनन्दीदेवी का पति है, वह और दूसरे लोग नाथूसिंह, रामस्वरूप, सत्यनारायन; सेडू, सीताराम, सुरेश, बिरदीचंद भोलानाथ। ये लोग टैम्पो में चढ़े हुए थे तो पुलिसमैन ने उनको रोका। क्योंकि मरीज बहुत सीरियस था लिहाजा उस समय टैम्पो ड्राइवर ने रोकना उचित नहीं समझा और उसने कहा, देखिये, मेरे पास जो मरीज है वह बहुत सीरियस है और मैं इसे अस्पताल छोड़कर बात कर लेता हूं। बावजूद इसके, पायदान पर चढ़े हुए उसके पति लक्ष्मीनारायण को पुलिसमैन ने डण्डा मारा। जब डण्डा मारने के बावजूद भी टैम्पो नहीं रुका तो टैम्पो से लटक कर पास ही अस्पातल में चला गया और अस्पताल में जाने के बाद उस मृतका को जीवित अवस्था में अन्दर ले जाने से इन्कार किया। उससे कहा, तब तक अन्दर नहीं ले जाने दूंगा, जब तक तुम लोगों से निपट नहीं लूं। उसने उस समय उनसे 100) रु० की मांग की और यह कहा कि इसको पहले अन्दर ले जाना चाहते हो तो मेरे हाथ में 100)रु० का नोट रख दो। जनता वहां खड़ी थी, जनता में इस बात का बहुत आक्रोश था। उन्होंने कहा कि यह औरत मर रही है और तुम इसके पति से 100) रु० मांग रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम

( सुश्री पुष्पा जैन )

लोगों को ? तुम लोग कैसे रक्षक हो ? पुलिस लाइन से करीब चार पुलिस के ट्रक चले आये और लक्ष्मीनारायण और उनके परिवार जनों की पिटाई की, बुरी तरह से मार पिटाई हुई । पड़ी हुई औरत जो जीवित अवस्था में थी उसको ठुकराया गया पांवों से, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई ।

जब यह झगड़ा चल रहा था उस समय श्रीमती उजला अरोड़ा नीचे आई अस्पताल से, क्योंकि इनका दोहिता वहां मौजूद था । उस समम ये वहां अस्पातल में मौजूद थीं । वहां मौजूदा जनता ने इनको फरियाद की । ये नीचे आई और इन्होंने कलैक्टर साहब, एडीशनल एस० पी०, डीवाई एस.पी. सुनील माथुर वगैरह सबको बुलाया । जब वे मौके पर आये तो उन्होंने आकर यह झगड़ा शान्त किया । मंत्री महोदय, मुझे दुख हुआ कि आपके जो अधिकारी गए वहां मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को मानने से इन्कार कर दिया । ये सारे अधिकारी अगर ईमानदारी से कहेंगे तो मानने से कभी इन्कार नहीं कर सकते हैं कि यह किस्सा नहीं हुआ था । उसके बाद जब आनन्दीदेवी को अन्दर ले जाया गया तब वहां डाक्टरों द्वारा कहा गया कि यह मर चुकी है ।

मैं कहना चाहती हूं, घंटा, डेढ़ घन्टा दो घंटा, जितनी देर घटना हुई उस दौरान आनन्दीदेवी बीमार अवस्था में, गंभीर अवस्था में बाहर ही पड़ी थी । मैं पूछना चाहती हूं पुलिस लाइन से पुलिस वहां आई । नहीं आई, वहां अधिकारीगण, श्रीमान् कलेक्टर, जयपुर एडीशनल एस पी , मि. सिघवी और सुनील माथुर आये या नहीं आये ? और अगर आये, तो जिन लोगों ने पिटाई की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? पुलिस ने जब जनता को मारा और जब मारने से 15-20 लोगों के संगीन चोटें आई तो उनका मेडिकल मुआयना भी नहीं करवाया गया । सभापति महोदय, इस सारे केस को रफा-दफा करके बहुत ही मासूम बन जाने से और जो लचर व्याख्या की है उससे यह जनता को राहत नहीं दे सकते हैं । मंत्री महोदय, मेरी समझ में नहीं आता जिन पुलिस अधिकारियों ने गलती की और जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनको बचाने का निरर्थक प्रयास क्यों करते हैं ।

आपको क्या मिलेगा ? मैं कहती हूं, आपके खिलाफ राजस्थान की जनता का बहुत ही अविश्वास हो जायेगा, अगर आपने उन लोगों को सेफ किया, उन लोगों को सील किया, जिन लोगों का कर्त्तव्य है जनता की रक्षा करना । मैं आगाह करना चाहूंगी कि भविष्य में उनकी जनता की सुरक्षा के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी । रोजमर्रा इस तरह की आम घटनाएं होंगी और लोग बेमौत मारे जायेंगे । अगर आप वास्तव में न्याय के पक्ष में हैं और आप समझते हैं कि न्याय हो तो आप मन्त्री पद पर हैं, मैं दरखास्त करना चाहूंगी कि यह बहुत संगीन मामला है इस पर 304 ए का मुकदमा बनता है मुझे खुशी है, सभापति महोदय, कि आप इस समय आसन पर हैं, आप कानून को समझते हैं अगर मैं गलत होऊंगी तो आप मुझे करेक्ट करेंगे । सभा

( सुश्री पुष्पा जैन )

पति महोदय, सारे फैक्ट्स मैंने और मन्त्री महोदय ने रखे हैं। मैं चाहूंगी कि जो मृतक के श्वसुर श्री मोहनजी ने आई. जी. साहब को रिपोर्ट की है उस रिपोर्ट को मंगवाकर मन्त्री महोदय, आप दुबारा देखें। अगर वास्तव में अपराध बनता है तो उन लोगों को बचाने का बेकार प्रयास नकीजिए। इस निरर्थक प्रयास से आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, भविष्य में आपकी साख गिरने वाली है। भविष्य में जनता का आपके ऊपर से विश्वास समाप्त हो जायेगा। मैं दुबारा दरखास्त करूंगी कि यह बहुत संगीन मामला है। इसमें आप जांच करवायें और जो भी आफिसर वहां मौजूद थे, उनको बुलाकर आप पूछताछ करें। यह जो पुलिसमैन था उसके साथ 4 पुलिसमैन और थे, उन पुलिस वालों ने सबसे पहले झगड़ा किया। उनमें से एक ने जाकर पुलिस लाइन में कहा कि वहां पुलिस के आदमी से लड़ाई हो रही है। वहां से 4-5 ट्रक भरकर आये। मुझे खुशी है कि उजला अरोड़ा वहां मौजूद थीं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वह सही तथ्य बतावें अगर मैं गलत होऊं तो मुझे करैक्ट करेंगी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण): सभापति महोदय, एक तारीख की घटना है। शाम को 6 बजे के करीब अस्पताल में हलचल शुरू हुई और हलचल शुरू होने के बाद....

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** अस्पताल के बाहर ऐसा वातावरण हो गया कि ऊपर से देखने वालों की समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि उस शाम को एक टैम्पो आया जिसमें एक बीमार औरत और उसके परिवारजन थे। टैम्पो बहुत जल्दी में आ रहा था क्योंकि उस औरत की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे दिखलाना जरूरी था। इसी बीच में बस स्टैण्ड के सामने पुलिस के कर्मचारी सूरजमल ने उस टैम्पो को रोका। टैम्पो जल्दी इसलिए जा रहा था कि मरीज को दिखाना था, उसने कहा कि मैं रुक नहीं सकता। अगर, सभापति महोदय टैम्पो रांग साइड था तो सीज किया जा सकता था, उसके लिए ट्रैफिक में चालान के नियम हैं, उन नियमों का पालन किया जा सकता था। लेकिन उसमें बैठे हुए मरीज और उसके पति लक्ष्मीनारायण को सूरजमल ने टैम्पो से खींचा। पहले डण्डा मारा। उसके बाद जब वह नहीं रुका, उसको पत्नी को बचाने की जल्दी थी, तो उसको खींच लिया और सड़क पर धम धम कूटने लगे। मैं समझती हूं कि यह निन्दनीय काम था। उसके बाद उसकी मां उतरी, अपने बेटे को बचाने के लिए। वह टैम्पो के नुक्कड़ पर थी, उसको मारा। उसके बाद 3-4 ट्रैफिक पुलिस के लोग और आ गये और टैम्पो में जो अन्य परिवारजन बैठे थे, जिनके नाम बहिन पुष्पा ने दिये हैं, उनको पीटने की तैयारी शुरू हो गयी। इसी बीच में एक सिपाही भागकर पुलिस लाइन गया। वहां से हजारों पुलिस के सिपाही डण्डा लिए हुए, कोई वर्दी में और कोई बिना वर्दी में, वहां आ गये। उन्होंने बाहर भीड़ इकट्ठी कर ली और टैम्पो को घेर लिया। टैम्पो को अन्दर नहीं

( श्रीमती उजला अरोड़ा )

आने दिया। वे हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि हमारा मरीज मर रहा है. हमको अन्दर ले जाने दो। मगर पौन घण्टे बाद टैम्पो अन्दर आया तब तक बेचारी आनन्दी इस दुनिया से जा चुकी थी। डाक्टर का यह कथन है कि अगर 15 मिनट पहले भी आ जाती तो बचायी जा सकती थी।

**सुश्री पुष्पा जैन :** डूब मरो।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या सूरजमल 302 का अपराधी नहीं है? जब उन लोगों को पकड़ अन्दर बैठा दिया तो लोग आक्रोश में परेशान हो गये। सभापति महोदय, टैम्पो वाले को पुलिस के सिपाई पकड़ने के लिए दौड़े। एक भंवरसिंह पुत्र हनुमानप्रसाद शर्मा को पुलिस के सिपाही इधर उधर से ढूंढकर, जब मैं उतरी हूं, ले जाने लगे तो मैं ऊपर से एकदम भागकर आयी और मैंने कहा कि यह क्या तमाशा है, नागरिकों को आप पीट पीटकर ले जा रहे हो। कम से कम 6 नागरिकों को ले जाया गया। मैंने देखा कि जब टैम्पो काटेज वार्ड नं० एक के आगे से सड़क पर जा रहा था, तब भी उसको वहां पर पीट रहे थे, दोनों हाथों से। भाग भागकर पुलिस वालों ने मृतका के परिवार के लोगों, जो टैम्पो में बैठे हुए थे, की डण्डे से जमकर धुनाई की और टैम्पो को घेर लिया। जब मैंने कहा तो वहां पर थाना बनीपार्क के देवीसिंह जी पहुंचे और बोले, टैम्पो वाला अब मेरी कस्टडी में है, मैं उसको ले जाऊंगा। पुलिस फोर्स सब को ले जा चुकी थी केवल मृतका टैम्पो में पड़ी हुई थी उसकी सास धाड़ मारकर रो रही थी, जो बड़े चिन्तन का विषय है। सभापति महोदय, जब मैं ऊपर से आ रही थी पुलिस के सिपाही, कूदकर गेट के अन्दर घुसे और अस्पताल के कर्मचारियों की पिटाई की और सूचना खिड़की पर पहुंचकर वहां लोगों से बदतमीजी का व्यवहार किया। जब मैं लपककर बाहर आयी तो मुझे रोकने की कोशिश की गयी। मैं टैम्पो के पास आकर खड़ी हुई तो देवीसिंह जी बोले, हम इनको ले जायेंगे ये हमारी कस्टडी में हैं। मैंने कहा, इन्होंने क्या अपराध किया है. यह बताइये? तो मुझसे कहते हैं, बड़ा दुख होता है खेद का विषय है, नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं।

(व्यवधान)

इसी बीच में वहां के उच्चाधिकारी आ चुके थे। मैंने उनसे कहा कि वे अपने यह शब्द वापस लें अन्यथा अच्छा नहीं होगा।

मैंने कहा, महिलाओं का थानों पर विश्वास नहीं है, मैं किसके सुपुर्द कर दूं? आज तक का थानों का जो रिकार्ड देखा गया है उसमें पाया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है, यह कहीं नहीं जायेंगी। आप ये शब्द वापस लीजिए। इस महिला को आपके सुपुर्द कर दूं तब तो नाटकबाजी नहीं है और सुपुर्द नहीं करूं तो नाटकबाजी है। तो उच्च अधिकारी ने स्वयं माफी मांगी, यह मैं उनकी शिष्टता कहूंगी। देवीसिंह उस समय भी खड़े रहे लेकिन मैं टैम्पो के पास से नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हटी। कलेक्टर साहब के आ जाने के बाद मैंने कहा, जब तक इनका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इनके आदमियों को, जिनको टैम्पो में बैठकर पीटते हुए ले गए, नहीं ले आओगे तब तक मैं इनको पुलिस की कस्टडी में जाने नहीं दूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से नाटकीय ढंग से लक्ष्मीनारायण को फिर लाया गया। लक्ष्मी नारायण से गलत लिखा लिया गया कि वह कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता। वह खड़ा हुआ दहाड़ मार-मारकर रो रहा था। पुलिस वालों को गालियां दे रहा था, क्योंकि उसकी जमकर पिटाई हुई थी, उसके शरीर का कोई अंग चोट से बाकी नहीं रहा था। उसका मेडिकल मुआयना नहीं कराया गया। वह औरत आनंदी, टैम्पो में मरी पड़ी थी। उसके परिवार वाले रो रहे थे। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि एक अस्पताल का वातावरण शांत होता है, उसमें इस तरह की गलत कार्यवाही हुई। यही नहीं, बाद में मैंने जानकारी प्राप्त की तो 8 जून को भी पुलिस के हजारों सिपाही वहां घुसे थे वहां की खिड़की तोड़ी थी और अन्दर कूदकर इसी तरह का आतंक फैलाया था, जैसा अभी फैलाया।

**श्री सभापति** : आप क्या सजेस्ट कर रही हैं, वह फरमायें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं कहना चाहती हूं, उस औरत की मृत्यु पुलिस के नौजवानों की अड़चन और सूरजमल की शरारत करने से हुई है, उसको 302 में अपराधी घोषित किया जाय।

**श्री सभापति** : ऐसा है कि दफा 302 की बारीकी पर तो मत जाइये। बहरहाल राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह उसके विरुद्ध एक्शन ले रही है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : क्या एक्शन ले रहे हैं दफा 157 में ?

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वह खुद बोल रही हैं। आप बैठिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं कहना चाहूंगी मेरे पास पुलिस की एफ. आई. आर. की नकल है, उसमें 157 और 147 जैसी धारायें लगायी गयी हैं। जिस किसी आदमी ने सरासर एक आदमी को जान से मार दिया, पुलिस की गलती से उसकी मृत्यु हुई, उसका दफा 302 में अपराध बनता है। मैं समझती हूं कि धारा 157 या 147 लगाना गलत है। मंत्री महोदय उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कोशिश बिलकुल गलत है। जनता का आप पर से विश्वास उठ जायेगा। न्याय पर से ही विश्वास उठ जाएगा। इस तरह की हरकतें पुलिस लाइन के पास में होने के कारण जनाना अस्पताल में हो रही हैं। आप वहां जाइये, कर्मचारियों को प्रोत्साहन दीजिए। मैं पूछना चाहूंगी कि इसके बारे में क्या जवाब देते हैं, बताइये ?

**श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट मुझे देने का कष्ट करें।

(श्रीमती विद्या पाठक)

माननीय सभापति महोदय, यह मामला एक आनन्दी देवी का ही नहीं है और न एडमिनिस्ट्रेटिवली देखने का है। माननीय सभापति महोदय, इसमें और कई विचारणीय विषय आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात जैसा कि सबको मालूम है, पुलिस हमारी रक्षक है लेकिन इस घटना से तो ऐसा लगता है कि वह जनता की जान की भक्षक है। एक सबसे बड़ा क्राइम पुलिस की तरफ से हुआ, पुलिस कर्मचारी श्री सूरजमल की तरफ से हुआ। पुलिस को मरीज के प्रति संवेदना होनी चाहिए। पुलिस तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है बिना संवेदना के वह प्रोटेक्ट कैसे करेगी? जिस टैम्पो में मरीज है और सीरियस हालत में है, उसको प्रिवेंट करना, डिले करना, मैं सोचती हूं कि कानून की परिधि में हत्या की साजिश है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि सिर्फ धारा 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं होगा। माननीय मन्त्री महोदय, जो आप कर सकते हैं वह यह है कि उसको तुरन्त डिसमिस किया जाना चाहिए। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय एक प्रश्न यह है कि माननीय सदस्या को एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि नाटकबाजी बन्द करिये। सदन आजकल सैशन में है। पुलिस की निर्भीकता और निरंकुशता देखिये। माननीय मन्त्री महोदय, माननीय सदस्या का अपमान हुआ क्या इसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति, उस पुलिस अधिकारी के प्रति कोई कार्यवाही करने के लिए कमिटेड हैं या नहीं? क्या यह आपकी मोरल ड्यूटी है कि नहीं? पुलिस कर्मचारी की इस तरह की अवहेलना, अवमानना, उनकी ओवर हैंडेडनेस क्या यह आपको, हमको सुरक्षित रहने देगी? यह भी एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न आता है कि क्या महिलाओं को पुलिस थाने ले जा सकती हैं। क्या सीनियर पुलिस अधिकारिओं को यह मालूम नहीं कि नियमों के अन्तर्गत रात के समय महिलाओं को पुलिस थाने में कॉल भी नहीं किया जा सकता? ले जाना तो अलग बात है। मैंने माननीय मन्त्री महोदय, यह तीन प्रश्न उठाये हैं, इन तीनों का आप उत्तर देने की कृपा करें।

**सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो तथ्य बताए उनसे तो ऐसा लगता है कि वहां कोई खास झगड़ा हुआ ही नहीं। यदि इतना बड़ा झगड़ा हुआ ही नहीं तो इतने बड़े-बड़े अधिकारियों को वहां पर जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि वहां पर बनीपार्क थाने के इन्चार्ज, श्री देवीसिंह गए; नगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुखराज सिरवी गए; अतिरिक्त जिला दण्डनायक जयपुर शहर, आर. एन. चतुर्वेदी गए; जिलाधीश, लक्ष्मीचन्द गुप्ता गए; पुलिस अपर अधीक्षक सुनील माथुर गए। इतने सारे अधिकारी वहां पर गए तो आखिर किसलिए गए? इसके मायने साफ है कि वहां पर झगड़ा हुआ था, बहुत जम कर हुआ और जनता की बुरी तरह पिटाई हुई। जब किसी कीमत पर उन्हें छोड़ नहीं रहे थे पुलिस के लोग तो उस समय माननीय उजला अरोड़ा के टेलीफोन करने पर वहां यह सब अधिकारी आए। जब एक

# Page No 71

(171)



( सुश्री पुष्पा जैन )

से नहीं सम्भला तो उसने दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, पांचवें को बुलाया। क्या यह सारी बात जाहिर नहीं करती कि वहां झगड़ा हुआ है, पुलिस के लोगों ने जम कर पिटाई की और उसके फलस्वरूप आनन्दी की मौत हुई ? मंत्री महोदय, जब यह सब घटित हुआ था तो आप केवल यह कह कर कैसे बच जायेंगे कि पुलिस अधिकारी की विभागीय जांच चल रही है। क्या विभागीय जांच होना काफी है ? क्यों नहीं उसको निलम्बित कर दिया तुरन्त ? क्यों नहीं एफ. आई. आर. दर्ज कर पुलिस कार्यवाही की गई ? क्यों नहीं इतने सारे लोगों के चोटें आई उनका मेडिकल मुआयना करवाया गया ? आखिर ये सारे अधिकारी फिर गए क्यों थे ? यदि आपको कोई न्याय करना ही नहीं है तो फिर यह नाटक करने की जरूरत क्या है ? नाटक आप कर रहे हैं, इन्होंने नहीं किया है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : नाटक तो कोई नहीं कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी जवाब दे दूंगा।

**श्री सभापति** : जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव थे, वे बोल चुके हैं। इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

**श्री महावीरप्रसाद जैन** (टोंक) : सभापति महोदय, पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है।

**सुश्री पुष्पा जैन** : सभापति महोदय, सवाल महिलाओं की सुरक्षा का नहीं है। सवाल यह है कि जो पुलिस रक्षा करने के लिए तैनात की गई अगर वही भक्षक बन जाएगी तो, मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान की जनता की सुरक्षा का इन्तजाम क्या होगा। यह सरकार चूड़ियां पहन कर आखिर बैठी क्यों है ? आप इस पुलिस के मातहत क्यों हो गए ? आप भूल क्यों गए कि आप मन्त्री महोदय हैं, ये आपके मातहत हैं न कि आप इनके मातहत।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : मैं एक सीधा-साधा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : ऑर्डर ऑर्डर, तीन आदमी प्रश्न एक साथ पूछेंगे क्या ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : सभापति महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। ट्रैफिक कण्ट्रोल रूल्स के तहत कांस्टेबल को अधिकार है कि जो गाड़ी जा रही हो उसको रोक सके या उसके खिलाफ कार्यवाही कर सके। जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने माना है कि उस टैम्पो का नम्बर नोट कर लिया गया था तो फिर क्या आवश्यकता थी कि उसका पीछा करे ? क्या उसमें ऐसा माल पड़ा हुआ था स्मगलिंग का ? क्या ऐसा कोई शक था जिसके कारण पीछा करे और अस्पताल तक जाये ? जब उसको यह मालूम पड़ गया कि इसके अन्दर ऐसा सीरियस पेशेंट है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। उसके उपरान्त भी, जैसा कि माननीय श्रीमती, सॉरी, मिस पुष्पा जैन ने कहा कहा कि उस पुलिस कांस्टेबल ने पैसे की मांग की इस बात को लेकर झगड़ा हुआ वरना ऐसा कभी भी नहीं होता। आप स्वयं

(श्री देवीसिंह भाटी)

देखते हैं, मन्त्री महोदय देखते हैं और सारे लोग बाग देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का जो कांस्टेबल है, ड्यूटी पर जो भी रहता है उसकी नीयत ऐसी रहती है। ट्रैफिक कण्ट्रोल रूल्स के तहत आप नम्बर नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आप फाइन के लिए कोर्ट को लिख सकते हैं। कोर्ट उस पर फाइन कर सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय को कि उस कांस्टेबल को ऐसा कोई अधिकार नहीं था और उसके कारण ऐसे हालात बने कि जिसके अन्दर उस सीरियस पेशेन्ट की मृत्यु हुई उसके खिलाफ तुरन्त एफ. आई. आर. दर्ज करके कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार के तथ्य सामने आये हैं उससे लगता है कि माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय ने इन सारे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पुलिस को बचाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि सारा सदन इस बात को जानता है कि ट्रैफिक नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है कि यदि रांग साइड पर टैम्पो चल रहा है तो उसका चालान किया जा सकता है। लेकिन इन महिलाओं को रोकने का, लक्ष्मीनारायण के डण्डा मारने का और उस टैम्पो के साथ लटकते हुए जाने का ऐसा कौनसा कारण था कि जिसके कारण वहां पर गए। जब टैम्पो में सीरियस पेशेन्ट मौजूद था जिसको अस्पताल पहुंचाया जाना आवश्यक था, जो पुलिस का प्राथमिक कर्त्तव्य था पुलिस ने यह नहीं करके उल्टे उसको रोका। उसको मृत्यु के मुंह में पहुंचाने के लिए क्या वह पुलिस कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है? इसके बाद वहां पर झगड़ा करने की क्यों नौबत आई? ट्रैफिक कण्ट्रोल की जो पुलिस है उसका काम था कि चालान करे। लेकिन इस प्रकार से जो झगड़े की स्थिति पैदा हुई....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। ऐसा है कि ये सब बातें सदस्यों ने कह दी है। नई बात कहना चाहें तो आप कहिये। इसी को बार बार रिपीट करने से क्या फायदा है?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि तथ्यों की बारीकी में हमको जाना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो इतनी बड़ी घटना हुई, सारे अधिकारी वहां पर गए और पुलिस लाइन से इतनी बड़ी फोर्स वहां पर गई, इन सबका क्या कारण था और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या राज्य सरकार इस प्रकार के तथ्य सामने लाकर, इस हाउस को गलत सूचना देकर जनता को मजबूर नहीं कर रही है कि लोग कानून अपने हाथ में लें और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं आगे आवें? यदि आपने इस प्रकार के मुल्जिमों को बचाने का प्रयास किया तो निकट भविष्य में जनता कानून हाथ में लेने को बाध्य होगी। मेरा निवेदन है और मैं मांग करता हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाई जावे। जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं करा कर पुलिस एक्ट की धारा 16 और 58 के अन्तर्गत जिस प्रकार की उन्होंने कार्यवाही की वह अपर्याप्त है। एफ० आई० आर० लॉज

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

करके, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण साफ था, पुलिस की कार्यवाही की जावे और जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जावे।

**श्री सभापति :** कोई नई बात नहीं कही।

**श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :** सभापति महोदय, एक प्रश्न है। यह सारा प्रकरण जो सदन के समक्ष आया है, उसका मंत्री महोदय ने जिस तरह से लीपा-पोती का उत्तर दिया है और जो यह सारे विचार सामने आये हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा साधारण सा इतना निवेदन है कि कोई भी मरीज सीरियस हो, सीरियस होने पर हॉस्पिटल जाता है और वह रास्ते में मर जाता है तो हास्पिटल में पहुचने पर डाक्टर कहता है कि यह मर चुका है। आम तौर पर मेडिकल का नियम और प्रोसिजर है कि इस तरह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती हे तो उसका निश्चित रूप से हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि लोगों को शक-शुबहा नहीं रहे। जब आनन्दी की डेड बाडी हॉस्पिटल पहुंची, डाक्टरों ने देखा कि यह पहले आती तो बचाया जा सकता था। लेकिन टैम्पो में जब परिवारजनों को मारा गया, पीटा गया, उस समय आनन्दी को चोटें आई। एम्बुलेंस गाड़ी को तो ट्रैफिक नियमों के तहत भी प्राथमिकता दी जाती है लेकिन जिस टैम्पो में आनन्दी लेटी थी, उसमें बैठे उसके परिवारजनों को पीटा गया. उसमें आनन्दी को चोटें आई। उसके बाद आनन्दी हॉस्पिटल पहुंची। परिवारजनों ने इस तरह की दरख्वास्त दी, एप्लीकेशन दी कि उसका मेडिकल हम कराना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेडिकल के नियम हैं चाहे पार्टी इस तरह से लिख दे, फिर भी उसका पोस्टमार्टम होना चाहिये। पुलिस की मार से आनन्दी मरी है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिये और ऐसे पुलिसमैन को निश्चित रूप से नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिये। यह संगीन मामला है। इस तरह से नियमों को टाला नहीं जाता है। मंत्री महोदय नियमों की अवहेलना करके उत्तर देकर लीपा-पोती कर रहे हैं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** मैं तो माननीय मंत्री महोदय से एक ही बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने वक्तव्य दिया है, मैं उसको बिलकुल सही मान रहा हूं। इस वक्तव्य के किस अंश में उस सिपाही के विरुद्ध 16 धारा के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही कराने का विभाग ने तय किया? माननीय सभापति महोदय, जो सारा वक्तव्य पढ़ा है माननीय मंत्री महोदय ने, उसमें तो सिपाही कहीं डॉक में खड़ा नहीं है। कोई बता दें एक पंक्ति कि उसके एक्शन के आधार पर कोई रिपोर्ट उन्होने दी है। कहेंगे, विभाग ने दे दी मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो ऑथेन्टिक रिपोर्ट को मानता हूं। माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि इस सारी रिपोर्ट में वर्णित घटना को सही मान भी लिया जाये वैसे वह नितान्त गलत है तो फिर कौन सी बात आ गयी, जिस बात के कारण उस सिपाही के खिलाफ नियम 16 राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील्स, 1958

Page No 74

(74)



(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करना उचित समझा है। मैंने वक्तव्य सुना है, मंत्री महोदय उसका पूरा अर्थ बतायें। मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, विभाग ने जो सूचना दी है, वह जान करके गोलमाल दी है, तथ्यों से परे है, असत्य है। पुलिस विभाग के व्यक्ति को दोष मुक्त कराने, छिपाने की दृष्टि से एक भ्रामक वक्तव्य उन्होंने दे दिया है। इस प्रश्न का उत्तर अपने वक्तव्य में अवश्य दें।

**श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं दो बात जानना चाहता हूं। घटना असाधारण है। पहले तो यह जानना चाहूंगा मंत्रीजी जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि मेरी बात सुनें। क्या ट्रैफिक आफेंस के बारे में किसी प्रकार के पुलिस को स्टेंडिंग आडर्स दिये हुए हैं कि किसी ने उल्लंघन किया ट्रैफिक नियमों का, गलत डायरेक्शन से चला गया एक टैम्पो या स्कूटर तो उस केस में इस तरह से परस्यू किया जाता है या चेज किया जाता है या कोई उसका चालान किया जाता है, क्या आपका तरीका है?

दूसरी बात यह है चूंकि महिला की मृत्यु हुई है, और असाधारण सरकमस्टांसेज में हुई है। बहुत विवादास्पद मामला मान लिया जाय तब भी पुलिस तो प्रोटेक्ट हो गयी क्योंकि इतने सारे आफिसर्स पहुंच गये। Police is bound to protect itself & its employees. ऐसी हालत में क्या इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं? जुडिशियल इन्क्वायरी के जरिये कम से कम जस्टिसेबल हो जायगा, कौन सच्चा था, कौन झूठा है। इस समय तो एक तरफा स्टेटमेंट है जो पुलिस और पुलिस के मिनिस्टर साहब ने दे दिया। यह स्टेटमेंट मिनिस्टर की हैसियत से नहीं है, पुलिस के मिनिस्टर की हैसियत से है और पुलिस के मिनिस्टर जैसा स्टेटमेंट है। वरना किस किस केस में, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन में इस तरह से लोगों का पीछा किया जाता है और एक मरते हुए मरीज को अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया जाता है। यह तो साफ-साफ बात है, कोई छिपाने की बात नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि मरने वाली नहीं थी, वह जिन्दा थी या मर गई, पहले ही मर गई थी। इसकी भी जानकारी पुलिस वालों ने नहीं दी। ना मंत्रीजी को मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाये ताकि ऐसी बात आइन्दा नहीं हो सके।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, यह जग जाहिर है कि पांच ट्रक भर कर पुलिस के जवान पहुंचे तो कोई वजह से पहुंचे होंगे। बिना वजह नहीं पहुंचे होंगे। वह किसके आदेश से पहुंचे? किसी न किसी ने पुलिस लाइन में यह बात कही है। पुलिस लाइन से जनाना अस्पताल की ओर ट्रक निकले हैं, ट्रक में बैठकर पुलिस वाले गये हैं।

**श्री सभापति** : आपके नेता महोदय पूछ रहे हैं, ललित जी। उससे अच्छा सवाल नहीं है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस बात को बिलकुल डिनाई करता हूं जो भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि पुलिस ने आनन्दी के साथ कोई मारपीट की। मैं इसको डिनाई करता हूं। यह बात विधायका श्रीमती उजला अरोड़ा ने उस रोज कही थी कि मौके के ऊपर पुलिस वालों ने आनन्दी को पीटा, इसलिये आनन्दी मर गई। जब माननीय विधायका....

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर :** किस बेस पर बोल रहे हैं? किसी इन्क्वायरी के बेस पर कह रहे हैं?

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मेरा जो मूल स्थगन प्रस्ताव है वह मंगा कर देख लीजिये। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, मूल मंगा कर देख लीजिये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अब आप मेरी बात को सुनने से पहले ही बोल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैंने किसी को टोका नहीं।

(व्यवधान)

आप मंत्री रहे हैं भारत सरकार में बरसों।

**श्री राजबहादुर :** बहुत बड़ा पाप था मेरा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** कभी इस तरह इनट्रप्ट नहीं किया जाता।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** जब आप डिनाई कर रहे हैं तो आपने स्टेटमेंट क्या दिया? You are protecting the police. मारपीट नहीं हुई, आप डिनाई कर रहे हैं, बिना इन्क्वायरी के डिनाई कर रहे हैं। आप कैसे डिनाई कर रहे हैं?

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। आपने जो सवालात पूछे हैं उनका उत्तर सुनिये। आर्डर प्लीज।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** सूरजमल जी बोल रहे हैं या प्रद्युम्नसिंह जी बोल रहे हैं यह ही पता नहीं चल रहा है Whether Surajmal is speaking here or Pradyumn Singh is speaking?

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** सूरजमल को अवसर नहीं है यहां आने का। जो तथ्य सरकार के सामने आये हैं, मैं इन तथ्यों पर राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दे रहा हूं। सूरजमल और बहुत से अधिकारी और कर्मचारी यहां पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

**श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :** आपके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है....

**श्री सभापति :** राज्य सरकार का क्या उत्तर है, क्या बात है उसे सुनिये तो सही।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** यह सरकार का कर्तव्य है, जो तथ्य सामने आयें, जो अधि-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कारी और कर्मचारी यहां उपस्थित नहीं हो सकते हैं, अपने को डिफेंड नहीं कर सकते उनके जो बयान हैं, जो तथ्य सरकार के सामने हैं, उन सही तथ्यों को सदन के सामने रखें। यह किसी को डिफेण्ड करने का, किसी को इम्प्लीकेट करने का सवाल नहीं है। जो तथ्य सरकार के सामने हैं, सरकार जिस निष्कर्ष पर पहुंच गयी तथ्यों के आधार पर, उनसे सदन को अवगत करा रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में जैसा कहा गया, इस प्रकार का कहीं एली-गेशन नहीं है, जैसा भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आनन्दी के साथ मारपीट की गई। अगर आप इसको देखेंगे, श्रीमन्, तो दो तीन सवाल यहां बड़े पर्टी-कूलर उठाये। इतने सारे सिपाही वहां क्यों पहुंचे। माननीय विधायका ने सबको सूचित किया तब वहां पहुंचे। अगर नहीं पहुंचते तो कहतीं मैंने टेलीफोन से इन्फार्म किया था किन्तु कोई आया ही नहीं वहां। वहां बवंडर हुआ। पुलिस के सिपाही के संग मारपीट की गई, निश्चित रूप से पुलिस लाइन पास में है तो किसी ने कहा होगा कि पुलिस का सिपाही पिट रहा है। वहां 25–30 आदमी आये। आपने कहा कि हजारों कांस्टेबल आ गये। हजारों नहीं। हां, आपने जो कहा है वह रिकार्ड पर है, सैंकड़ों या हजारों जो भी कहा। आपने कहा हजारों कांस्टेबल आये। 20–25 कांस्टेबल पहुंच गये थे। जब पता लगा कांस्टेबलों को कि उनके साथी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनका निश्चित रूप से कर्तव्य था कि वह पहुंचते। उन्होंने आकर बीच बचाव किया। यह कहीं आरोप नहीं है कि पुलिस वालों ने कहीं मारा। न अभी तक हमारे समक्ष कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिससे यह बात सामने आये कि उसके परिजनों को पीटा गया।

आपने कहा कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। जब माननीय सदस्या ने यह बात कही कि इसकी मारपीट से मौत हुई है तो पुलिस वाला ने कहा हम इसका पोस्ट-मार्टम कराना चाहते हैं जिससे यह बात बिलकुल निश्चित हो जाये कि महिला की मृत्यु किस कारण से हुई है। किन्तु उसके परिवार वालों ने, उसके पति ने मना कर दिया कि, साहब, मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना है। सन सैट हो चुका।

(व्यवधान)

हां, यह मेरे पास लिखित में है माननीय सदस्य। इसमें लक्ष्मी नारायण, मंसूर अली खां, हनुमान सहाय शर्मा, एक दूसरे श्री शर्मा, एक अलग हैं इसके अन्दर ..

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मंसूर अली खां पुलिस कांस्टेबल है।

**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : इतनी देर तक लाश पड़ी रही। आप उसका पोस्टमार्टम करवाते ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : परिवार वालों के मना करने पर क्या पोस्ट मार्टम नहीं होता ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : कई ऐसे केसेज में नहीं होता जिनमें काज ग्राफ डैथ एस्टेब्लिश हो जाय । जैसे ही महिला अन्दर पहुंची, सभापति महोदय, दो मूल बातें हैं....

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : ऐसा है, सबसे बड़ा फैक्टर काज ग्रॉफ डैथ ग्रसर्टेन कर लिया था क्या ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : जी हां, डाक्टर जैसे ही वहां पंहुंचा, डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जैसे ही स्ट्रेचर लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे, मृत घोषित कर दिया । इसमें जो पाइन्ट मेरे सामने हैं....

**श्री सभापति** : मृत तो घोषित कर दिया लेकिन काज ग्रॉफ डैथ उस समय ग्रसर्टेन कर लिया था क्या ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : काज ग्रॉफ डैथ घोषित करने की इसलिये ग्रावश्यकता नहीं थी; क्योंकि डैथ सस्पिशियस ही नहीं थी । यह सही बात है । मैं ग्रापसे निवेदन कर रहा हूं सारे फैक्ट्स । यहां ग्राने के पहले मीरा नर्सिंग होम में महिला को ले जाया गया । वहां की लेडी डाक्टर ने कहा कि इसकी बहुत सीरियस कंडीशन है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, इसको ग्राप अस्पताल ले जाइये । मैं इससे डिनाइ नहीं कर रहा । वहां से उसको लेकर भागे, ग्रस्पताल ग्राये । ग्रस्पताल में जो कुछ हुग्रा वह निवेदन किया । उसके पति, परिजन, ग्रौर टैम्पों के ड्राइवर द्वारा उसको डाक्टर के पास लाया गया । जो कुछ झगड़ा टंटा पुलिस कर्मचारी से हुग्रा वह उसके पति लक्ष्मीनारायण से हुग्रा, वह बाहर रह गया था । 8–10 ग्रादमी थे टैम्पो में थे, सभी मिलकर लाये इसलिये टाइम कहीं बरबाद नहीं हुग्रा ।

ग्रभी एक सवाल पूछा, चतुर्वेदी जी ने कि ग्रापने 16 सी. सी. ए. की कार्यवाही किसलिये शुरू करी ? बहुत पर्टीनेंट सवाल है । 16 सी. सी. ए. की कार्यवाही इसलिये शुरू की कि जन, उसके पति ने कह दिया सिपाही से कि मेरी धर्मपत्नी की हालत बहुत सीरियस है, ज्यादा बीमार है, तो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों से निपटने की सूझबूझ का परिचय देते हुए वहां झगड़ा नहीं करना चाहिये था । जो करने के कारण वहां पर सनसनी फैली, वातावरण खराब हुग्रा, पुलिस लाइन के सिपाही ग्रा गये ग्रौर टंटा हुग्रा, प्रशासन को ग्रसुविधा का सामना करना पड़ा इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई ।

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)** : माननीय सभापति महोदय, एक सवाल....

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : यह कोई ग्रावश्यक नहीं है कि वक्तव्य के बाद यह बताया जाय । जो इन्क्वायरी रिपोर्ट ग्राई है....

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)** : मैं आरोप लगा रहा हूं ।

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : झगड़ा-टंटा जो किया गया उसका कोई तो कारण था ?

(व्यवधान)

**श्री भगवानदास शास्त्री** : हमें बहुत उम्मीद थी आपसे....

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : डिसीप्लिनरी एक्शन, कार्यवाही करने की बात अब मंत्री महोदय ने सोची। माननीय मंत्री महोदय में कुछ हिम्मत थी तो ...

(व्यवधान)

**श्री भगवानदास शास्त्री** : कम से कम 25–30 आदमियों को पीटा गया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : सभापति महोदय, मैं कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहती हूं। ऐसा है, मंत्री महोदय ने गलत बयानी की है ...

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। एक उत्तर और दे दें मंत्री महोदय, आपके कर्मचारी खुद पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे तो क्यों चाहते थे और उसके हस्बैंड की रिक्वेस्ट पर क्यों नहीं होने दिया ?

**श्री बन्सीलाल पटवा** : यह इसके बारे में डिनाई नहीं कर सकते। यह लीपा–पोती है ...

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सभापति महोदय, पोस्टमार्टम कराना इसलिये पुलिस वालों ने जरूरी समझा क्योंकि माननीय सदस्या उजला अरोड़ा वहां मौजूद थीं। इन्होंने यह बात कहना शुरू कर दी कि पुलिस की मारपीट से इस महिला की मृत्यु हुई है इसलिये पुलिस ने कहा....

**श्री उजला अरोड़ा** : तब तो पुलिस को पोस्टमार्टम जरूर कराना चाहिये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : सुनिये, तब फिर उसके पति ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ....

(व्यवधान)

आप सुनिये ...

(व्यवधान)

**श्री भगवानदास शास्त्री** : यह गवर्नमेंट की कमजोरी है।

(व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)** : आनन्दी की प्रजेंस में कहना चाहिये था। आनन्दी को इलाज नहीं मिल सका। जिसके लिये आप कह रहे हैं कि वह मौजूद नहीं है

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : जिस प्रकार से

(एक माननीय सदस्य)

पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर अपने हाथ में कानून लेकर एक कंडक्टर को गाड़ी में डाल कर ले गये उसी प्रकार से पुलिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

**श्री राजबहादुर :** सभापति महोदय, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आ जाय। मैं अर्ज करूं पहली बात तो यह है कि डाक्टर ने क्या बताया काज आफ डैथ? डाक्टर ने तो काज आफ डैथ नहीं बताया।

**श्री सभापति :** नहीं, उन्होंने कहा कि सस्पिशियल नहीं थी डैथ इसलिये काज ऑफ डैथ बताने की जरूरत नहीं है।

**श्री राजबहादुर :** वह तो खुद कह रहे हैं।

**श्री सभापति :** यह मैंने सवाल उनसे पूछा था फिर शोर हो गया।

**श्री राजबहादुर :** पोस्टमार्टम के लिये निर्णायक अप्लीकेंट नहीं होता, आथोरिटी होती है कि पोस्टमार्टम होगा या नहीं। जब आप आथोरिटी हैं तो आपने पोस्टमार्टम करवाया या नहीं। You cannot condone the special circumstances. मैं प्रश्न करता हूं कि क्या इन्क्वायरी हुई इसके बारे में? जब आप खुद सस्पिशियस थे तो आपको पोस्टमार्टम करवाना चाहिये था, बिना उसके काम नहीं चल सकता।

**सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : आपको जुडिशियल इन्क्वायरी करवाने से इन्कार क्यों है?

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि उसके पति के साथ बाद में झगड़ा हुआ। जब कि टैम्पो को रोका गया तब झगड़ा नहीं हुआ तो पति के साथ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ?

**सुश्री पुष्पा जैन :** और महिला के मरने के बाद जनता उत्तेजित क्यों हुई? किस बात से?

(व्यवधान)

**श्री भगवानदास शास्त्री :** मरने की स्थिति थी, बच नहीं सकती थी फिर भी उसको अन्दर ही नहीं घुसने दिया गया।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** इसका जवाब आ जाय।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। बैठ जाइये। डा. उजला अरोड़ा। इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** जवाब आना चाहिये, सभापति महोदय, सदन में।

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : कोई कार्यवाही नहीं। पुलिस वालों को सस्पेण्ड नहीं किया गया, पुलिस को बचाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने यहां पर आश्वासन दिया, जांच करवाई जायगी, सी. बी. आई. से जांच करवाई जायगी, क्या हुआ उसका ? आज पुलिस वालों को बचा रहे हैं, जितने भी मामले हुए मैं मन्त्री महोदय, पुलिस को ...

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। मैं आपको नाम से पुकारूंगा। बैठ जाइये, आप।

(व्यवधान)

**श्री अनंगकुमार जैन** : यह वही पुलिस है जिसने कांग्रेस (आई) विधायक श्री महादेवसिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस (आई) के दस विधायक उसके लिये मुख्य मंत्री से मिले थे। इनको शर्म आनी चाहिये। मंत्री महोदय ने उनको जो कहा था उस समय आपको शर्म नहीं आई।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मन्त्री महोदय ने चार्ज लगाया है कि पुलिस वाले को पीटा जब कि ..

(व्यवधान)

मैं समझती हूं यह निंदनीय है।

**श्री सभापति** : पोस्ट मार्टम के सम्बन्ध में मैंने आपने पूछा था कि किस वजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ ? पुलिस चाहती थी फिर भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : सभापति महोदय, जब माननीय विधायिका ने यह आरोप लगाये। आनंदी की जो मौत हुई उसके लिये दो आरोप लगाये, नहीं वहां पर तीन आरोप लगाये, एक तो यह कि टाइम खराब किया गया इसलिए समय पर नहीं पहुंचे। दूसरा यह कि जो झगड़ा हुआ इस झगड़े के सदमे से मौत हुई है। तीसरा माननीय विधायिका ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने मारा पीटा है इसलिये मर गई। इसलिए पुलिस ने कहा कि इसका पोस्टमार्टम करा दिया जाये। लेकिन ऐसी कोई हालत नहीं थी, she was not in critical condition in the hospital.

उसके पति ने कहा मुझे कुछ नहीं कराना है। यहां पर नेतागिरी हो रही है।

(व्यवधान)

मैं बिलकुल सही कह रहा हूं।....

**सुश्री पुष्पा जैन** : आप वहां पर मौजूद थे क्या ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : जो यह आदमी है, जिस सज्जन का मैंने नाम लिया है वह तो पुलिस का कर्मचारी नहीं है। लोग परेशान थे। इसके अन्दर तीन आदमियों ने दस्तखत किये हैं। कोई जबर्दस्ती दस्तखत नहीं करवा लिये हैं, माननीय सभापति महोदय ...

**श्री यदुनाथसिंह (नदबई)** : आपने स्वयं ने कहा है वकलम है।....

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : इसकी जुडिशियल जांच करवाई जाये। आप इसकी घोषणा कर दें। आप यह जवाब दिला दें कि आप इसकी इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : मैं इसके अन्दर किसी प्रकार की जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं समझता।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)** : माननीय सभापतिजी जिस तरह का उत्तर आया है उससे दो बातें क्लीयर कट यह इन्डीकेट करती हैं कि निश्चित रूप से इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। आप या मैं ऐसी स्थिति में होते जिस स्थिति में आनंदी का पति है, मैं मन्त्री महोदय से मनोविज्ञान के आधार पर पूछना चाहूंगा हूं कि अगर टैम्पो रोका जाय जिसमें लाश है, जिसको मृत घोषित किया गया है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, या जो लाश है जिसको अस्पताल के अन्दर ले जाना है तो किसी भी कीमत पर क्या उसका पति उसको छोड़ कर सिपाही से बात करेगा, उसको अन्दर नहीं ले जायेगा unless he is forced by the constable not to go inside.

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं, शायद मन्त्री महोदय, केवल मात्र पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर गलत बयान कर रहे हैं। अगर उन्हें साइकोलोजी का ज्ञान है, अगर मेरी पत्नी है या आपकी पत्नी है या मंत्री महोदय की पत्नी है, अगर अस्पताल के किनारे पर पहुंच गये हैं, मृत्यु और जिन्दगी के बीच में वह भूल रही है उसको अन्दर ले जाने का सवाल है, जिसके लिए यह कहते हैं कि अन्दर ले गये और फिर कहते हैं अपने वक्तव्य में कि सिपाही के साथ मारपीट की गई, सिपाही के साथ उसका पति मारपीट करता रहा तो क्या यह सम्भव है? मैं आरोप लगाना चाहता हूं सिपाही ने, पुलिस के लोगों ने उस बॉडी को अन्दर जाने नहीं दिया और इस बीच में उसकी मृत्यु हो गयी। कैसी बातें करते हैं आप। यह सब बातें आपके वक्तव्य से उठी हैं। ऐसे सवाल आकर खड़े हो गये जिसमें जुडिशियल इन्क्वायरी आवश्यक है, जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये ना करते हैं तो जो एजेन्सी है राजस्थान के बाहर की, सी. बी. आई. को बुला लीजिए। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार के वक्तव्य मन्त्री महोदय दे रहे हैं या जिस प्रकार के वक्तव्य पुलिस के अधिकारी इनको लगातार देते चले जा रहे हैं एक के बाद एक करके उनसे यह क्लीअर कट साफ हो रहा है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा, यह भावनाओं का सवाल है। पुलिस की निरंकुशता बढ़ती जा रही है। जैसी स्थिति पैदा हो गयी है, पुलिस जो बयान कर रही है, स्पष्ट रूप से इस घटना से बात निकलती है, जुडिशियल इन्क्वायरी कराने से कोई कठिनाई पैदा हो सकती है तो आप ऐसी एजेन्सी सी. बी. आई. को पकड़ लीजिये, जो आउट आफ राजस्थान हो, दूध का दूध और पानी का

# Page No 82

82



(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पानी कर दे। मन्त्री महोदय यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर ट्रेजरी बैन्चेज अपनी इमेज, कांग्रेस सरकार अपनी इमेज ठीक रखना चाहती है जनता में तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आप सी. बी. आई. से इन्क्वायरी करा कर दुध का दूध और पानी का पानी करें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री राजबहादुर :** मन्त्री महोदय इसकी इन्क्वायरी करवा दें वरना I will stage a walk out on this.

(बहिर्गमन)

**श्री मेघराज तावड़ :** सभापति महोदय, अगर मन्त्री महोदय और राजस्थान सरकार पुलिस के अधिकारियों को इसी तरह से बचाने की कार्यवाही करती रही तो जनता को न्याय मिलने की आशा नहीं है। यह हठधर्मी है सरकार की....

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री मेघराज तावड़ :** पुलिस के अन्याय के खिलाफ, उसके विरोध में इस सदन से वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** जिस तरह महादेवसिंह को पीटा गया × × × अगर गलत लोगों को बचाओगे। हजारों पुलिस के सिपाही वहां पर थे। खिड़की, बरामदे, बाग, सड़क पर खड़े हुए थे। वहां के लोगों ने देखा है। मान्यवर, मन्त्री महोदय यहां पर गलतबयानी कर रहे हैं।....

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** इस पर काफी चर्चा हो गयी है। श्री परसराम मदेरणा आर्डर प्लीज।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मन्त्री महोदय ने ××× बोला है। जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं करायें तो सी. बी. आई. से जांच करवाइये....

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**सुश्री पुष्पा जैन :** मैं मन्त्री महोदय पर आरोप लगाना चाहती हूं कि × × × और जानबूझकर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आप इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं...

(व्यवधान)

× × ×

**श्री सभापति :** अंकित न हो।

**सुश्री पुष्पा जैन :** + + +

**श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :** + + +

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** + + +

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** + + +

(बहिर्गमन)

---

× × × शब्द व अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+ + + माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री यदुनाथसिंह** : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

**श्री सभापति** : किस विषय पर है ग्रापका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

**श्री यदुनाथसिंह** : इसी विषय पर है।

सभापति महोदय, ग्रभी मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है वह स्पष्ट नहीं था। सुबह भी मन्त्रीजी ने कहा था कि कमरे मेरी जेब में हैं ग्रौर ग्राज ग्रभी भी कहा कि ग्राप चीख कर, चिल्ला कर मुझसे इस काम को नहीं करा सकते हैं। ये सदन की कार्यवाही को चीखना कहते हैं जबकि यहां पर बड़ी गम्भीरता से ग्रौर बिना किसी तरह की लीपा-पोती के बात की गयी। सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सही जवाब दें ग्रौर सदन की कार्यवाही के लिए चीखने-चिल्लाने की बात नहीं करें।

**श्री सभापति** : मन्त्री महोदय ने जो शब्द कहे हैं, वे ग्रनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं हैं।

**श्री यदुनाथसिंह** : ये शब्द नहीं थे, ग्राप चीख चिल्ला कर....

(व्यवधान)

हमारा बोलना चीखना ग्रौर चिल्लाना है क्या ?

**श्री सभापति** : मन्त्री महोदय वक्तव्य दें।

**विद्युत कर्मचारियों का स्थानांतरण**

**श्री परसराम मदेरणा** (विद्युत मन्त्री): माननीय सभापतिजी, कोटा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस पर ग्रापके निर्देशानुसार राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है:–

"विद्युत मण्डल के पांच श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने राजस्थान विद्युत श्रमिक संघर्ष समिति गठित कर विद्युत मण्डल को दिनांक 15 ग्रप्रेल को एक मांग पत्र प्रस्तुत कर हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया। समझौता ग्रधिकारी द्वारा दिन भर समझौता करने के प्रयास के बावजूद प्रयास ग्रसफल रहे। राज्य सरकार द्वारा विद्युत मण्डल के ग्रन्तर्गत सभी सेवाग्रों को ग्रावश्यक घोषित करने तथा इन सेवाग्रों में हड़ताल करने का प्रतिबंध करने के बावजूद भी संघर्ष समिति ने दिनांक 19-5-1982 की रात्रि को 11 बजे से हड़ताल प्रारम्भ कर दी। दिनांक 15-7-82 को मुख्य मन्त्री द्वारा कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर, काम पर लौटने की ग्रपील करने पर यह हड़ताल समाप्त हुई। यह सही है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने ग्रपनी ग्रपील में यह विश्वास दिलाया था कि विद्युत मंडल द्वारा हड़ताल के सन्दर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही, बदले की भावना से नहीं की जावेगी। हड़ताल की समाप्ति पर कार्य पर लौटने वाले कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने के सम्बन्ध में विद्युत मंडल द्वारा ग्रपने क्षेत्रीय ग्रधिकारियों को ग्रादेश प्रसारित किये। इन ग्रादेशों के ग्रन्तर्गत निम्नांकित श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर–ग्रन्य सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर ले लिया गया:—

(ग्र) सुपरवाइजरी कैटेगरी के कुछ ऐसे

# Page No 84

(84)



(श्री परसराम मदेरणा)

कर्मचारी जो हड़ताल पर नहीं होते हुए भी हड़ताल के दौरान बिना अवकाश स्वीकृत कराये अपने कार्य से अनुपस्थित रहे।

(ब) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किये गये थे तथा जो उन पर लगाये गये आरोपों से बरी नहीं हुए थे। ऐसे कर्मचारियों, जो उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज होने के कारण कार्य पर नहीं लिये गये थे, के बारे में इस माह के प्रारम्भ में पुनः विचार विमर्श किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमों के निर्णय में समय लगने के कारण इन कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई होगी-ऐसे कर्मचारियों को अधिक कठिनाई होगी-ऐसे कर्मचारियों को पुनः कार्य पर लेने तथा उनमें से 48 घंटे से अधिक की अवधि तक हिरासत में रहे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे विध्वंसात्मक अथवा हिंसात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में थे, उनमें या तो विद्युत मंडल की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने अथवा कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने के आरोप थे, अतः इनको उसी स्थान पर एवं उसी वृत्त में रखना उचित नहीं समझा गया। इस श्रेणी के कर्मचारियों को वर्तमान परिस्थितियों में उनके मूल स्थान पर रखा जाना, प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं रहेगा। ऐसा करने पर आपसी तनाव और बढ़ेगा तथा उन कर्मचारियों, जो हड़ताल के दौरान में कार्यरत रहे, के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रशासनिक पहल के परिप्रेक्ष में, इस श्रेणी के कर्मचारियों को कार्य पर लेने के आदेश जारी करते समय विद्युत मंडल ने निर्देश दिये कि उनको कार्य पर लेने के पश्चात अपने मूल स्थान पर नहीं रखा जाकर उनका पदस्थापन अपने मूल वृत्त से बाहर किया जावे। वस्तुतः यह निर्देश, मंडल कर्मचारियों एवं विद्युत उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ही दिये गये हैं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में मंडल की भलाई, उपभोक्ताओं के लाभ और जो हड़ताल पर कर्मचारी नहीं गये या जो चले गये उनमें पारस्परिक मन-मुटाव होने से क्लेश नहीं हो इसका जिक्र किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय को, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 15 जुलाई को माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो अपील की थी उसमें यह था कि बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं जायेगी। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सदा निर्देश भेजती है और जो इस प्रकार के कार्पोरेशन्स हैं उनको भी सदा डाइरेक्शन्स भेजती है. मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान उस डाइरेक्शन की ओर ले जाना चाहता हूं और उसको पढ़ना चाहता हूं आपके सामने ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि समाज का फायदा करने वाली, समाज को लाभ पहुंचाने वाली सरकार, कल्याणकारी सरकार किस प्रकार से व्यवहार करती है। आपने डाइरेक्शन विभागों को छोटे कर्मचारियों के सम्बन्ध में भेजे, जिनका

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

तनख्वाह काफी कम है जो फोर्थ क्लास जैसे या उनके समकक्ष तनख्वाह पाने हैं। आपके सामने पढ़ रहा हूं।

"Secretary, Rajasthan State Electricity Board, Jaipur.

FREQUENT TRANSFERS OF LOW-PAID EMPLOYEES

I am desired to state that it has come to the notice of the Government that a low-paid Government employee was transferred by head of department six times in about six months. Such transfers are an unnecessary burden on the State exchequer and secondly harassment to such employee. Besides, such transfers are also in contravention of Government instructions issued from timd to time."

इसके बाद में है-"I am therefore to request that when there is something against low-paid Government employees, they should be proceeded against under the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, but they should not be frequently transferred as a mode of punishment."

माननीय सभापति महोदय, लो पेड गवर्नमेण्ट एम्प्लाइज का, मन्त्री महोदय ने कहा कि आई०पी०सी० में चालान हुआ, बिलकुल सच है। आई०पी०सी० में दो प्रकार के चालानों की बात बतायी। एक तो जिन्होंने कार्यरत कर्मचारियों, काम पर आने वाले लोगों को मारपीट कर रोका। दूसरे उन्होंने बताया कि जिन्होंने इस प्रकार की एक्टीविटीज उस समय, जिस समय हड़ताल चल रही थी, की जिसके कारण बोर्ड की गतिविधियों में बाधा पहुंची। उनके खिलाफ आई०पी०सी० में केसेज हो गये जजेज के पास हैं, उन पर निर्णय होगा न्यायाधीश द्वारा। न्यायाधीश निर्णय कर सकते हैं, उनको अधिकार है। या तो कहें कि डिसिप्लिनिरी एक्शन लो, ट्रान्सफर मत करो, या जैसे गवर्नमेण्ट इन्स्ट्रक्शन देती है, आर०एस०ई०बी० सदा सर्वदा दुहाई देती रही है इसलिए मत हटाओ। इस बात की चिन्ता करो कि लो पेड सर्वेण्ट हैं। आई० पी० सी० के अन्तर्गत निर्णय न्यायालय करेगा, कटघरे में खड़ा करेगा। आपके नियम के अनुसार 48 घण्टे से अधिक की अवधि तक हिरासत में रहे कर्मचारियों को तत्काल सस्पेण्ड करना है तो जरूर कर दीजिए। किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि सर्किल, माननीय सभापति महोदय, सर्किल को वृत्त कहने से समझ में नहीं आयेगी बात, सर्किल और वृत्त का मतलब यह है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर एक सर्किल है ..

(2.42 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस वक्त फोर्थ क्लास सर्वेंट को फ्रॉम बारां टू अलवर, अलवर टू बारां,

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बारां टू गंगानगर, फ्रॉम गंगानगर टू जयपुर ट्रान्सफर किया। डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर भी नहीं, इन्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर भी नहीं, इन्टर सर्किल ट्रान्सफर भी नहीं, इन्टर डिवीजन ट्रान्सफर भी नहीं, आउट साइड सर्किल ट्रान्सफार किये। मैं बता दूंगा, ऐसा कारण क्यों है। ठीक है, मंत्री महोदय के पास विधि मंत्री बैठे हैं, शायद विधि मन्त्री के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। मैं कहना चाहता हूं, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय के सामने सवाल खड़ा कर रहा हूं यह जो लो पेड सर्वेंट हैं इनके लिए आर्डर क्या किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आर्डर कोट किया वह यह बताने के लिए किया कि बदले की भावना से आर्डर किये जा रहे हैं। इस प्रकार की बात हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो एक आर्डर है अलवर का मेरे पास। 22 लोग हैं इसमें। बहरोड़ से ट्रान्सफर बारां, हैल्पर-टू का, He is not a gazetted officer. He is not a big man. दूसरा ओम प्रकाश ड्राइवर का बारां बहरोड़ से। मुरारीलाल, हैल्पर-2 का बारां, बहरोड़ का। महावीर हैल्पर-2 का बारां हुआ है। ग्यारसी, कन्हैयालाल का, हैल्पर-2 का बारां हुआ है। सब बहरोड़ के हैं। यह अलवर डिस्ट्रिक्ट से हुए हैं। उन 33 में हैल्पर-2, हैल्पर-1, लाइन मैन नं० 1, नम्बर-2, फोर्थ क्लास सर्वेंट हैं। आखिर मन्त्री महोदय क्या कहना चाहते हैं। उन पर उपकार कर रहे हैं? आप नौकरी से सस्पेंड कर देते तो बहुत अच्छा होता बजाय नौकरी में रखकर इतनी दूर भेजने वाली बात, सर्किल के बाहर ट्रान्सफर करने के। आपको सुनकर आश्चर्य होगा,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपसे कहना चाहता हूं, 3 सितम्बर का आर्डर है सीक्रेट, अरजेण्ट, बाई स्पेशल मैसेन्जर। 1200, एक हजार दो सौ से ऊपर लोग हैं। फोर्थ क्लास कैटेगरी के लोग हैं। उनको सर्किल के बाहर भेजा जा रहा है। उनको कहा क्या जा रहा है? 3 तारीख के इस आर्डर के निकलने के 7 दिन के अंदर अंदर 10 तारीख, यानि आज तक उन 1200 लोगों, गरीब व्यक्तियों को....

(व्यवधान)

हां, चलो आर०एस०एस० के मान लेते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 1200 व्यक्ति, फोर्थ क्लास सर्वेंट, 500 के आसपास की पगार वाले हैं, उनको सर्किल के बाहर 7 दिन के अन्दर जोइन करने का आर्डर किया है। अलवर वाला क्या कहता है, जोइन नहीं करने दूंगा, ट्रान्सफर का आर्डर पकड़ो रिलीव हो जाओ, यहां से चले जाओ। मौका न मिले सोचने का। मुझे पता नहीं कितने रिलीव हो गये। एक आर्डर की कॉपी मिली है केवल 32 की। राजस्थान के 1200 लोगों में से कितने लोग तबादले होकर रिलीव हो गये होंगे? इसकी जानकारी दें। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, आपने कहा कि पारस्परिक...

(व्यवधान)

देखिए, निश्चित रूप से, मन्त्री महोदय, आई०पी०सी० के केसेज चल रहे हैं। मैं

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आरोप लगा रहा हूं इन पर स्पष्ट रूप से 10 लाख रुपये का खर्चा हो रहा है, टी०ए०, डी०ए० डिस्टर्ब अलाउन्स, आर०एस०ई०बी० में दिया जाता है। उन पर आई०पी०सी० के केसेज चलेंगे। अलवर वाले का अलवर में चलेगा। गवर्नमेण्ट ड्यूटी में आयेंगे, बारां से आयेंगे, साल भर में कई बार आयेंगे। इन्टर डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर नहीं, इन्टर डिवीजन ट्रान्सफर नहीं, बहुत अच्छा होता अगर इन्टर स्टेट ट्रान्सफर करने का मौका मिलता, चलो पंजाब में भेज दो इसको तो। आर०एस०ई०बी० के लोग हैं, 1200 लोग हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कुछ सवाल....

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात नहीं, आर्डर। कोई पाइन्ट आफ आर्डर....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : 10 लाख का खर्चा....

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : खड़े होकर कह दीजिए, माननीय सदस्य।

**श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)** : व्यवस्था का प्रश्न है। इनको सवाल पूछने का....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

( व्यवधान )

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)** : चमार, भंगी, बैरवा हैं, छोटे लोग हैं,....

**श्री भैरू सिंह गुर्जर** : व्यवस्था यह दीजिए, जैसा नियम में है कि सवाल पूछ सकते हैं। XXXसमझ कर भाषण....

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : XXX उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको जवाब दीजिए, What is he saying ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठ जाइये।

**श्री भैरू सिंह गुर्जर** : भाषणों की आदत पड़ी है....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सदन की गरिमा को ध्यान में रखिये। XXX मत कहिए....।

**श्री भैरू सिंह गुर्जर** : नियमों में यह है कि सवाल पूछें ..

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आप लोगों का सौदा हुआ है ..

**श्री उपाध्यक्ष** : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये।

**श्री भैरू सिंह गुर्जर** : यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है। विधायकों का सौदा हुआ यह

---

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

कह रहे हैं। पहले अपने शब्द वापस लें। उन्होंने आरोप लगाया है····

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इन्होंने आरोप लगाया है। विधायकों का सरकार के साथ सौदा हुआ है, सदन में जवाब दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने अनुमति नहीं दी है किसी को। आर्डर प्लीज।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि XXX कहा है, उसको निकाला जाये। मैं रिक्वेस्ट करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : स्ट्राइक आफ।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : यह भी बाहर निकालो।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह सदन की गरिमा के खिलाफ चीज कही है आपने।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : उन्होंने कहा है कि XXX उसका क्या होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं सुन रहा हूं जो····

( व्यवधान )

माननीय सदस्य, जो रूलिंग दे दी गयी है, वह दे दी गयी है। आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : मैं आपसे, उपाध्यक्ष जी, निवेदन कर रहा हूं····

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये। इन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : उन्होंने आरोप लगाया है। कैसे सहन कर लें। इन्होंने कहा XXX क्या XXX की है हमने ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आरोप लगाने का अधिकार है इनको।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : यह तो गलत बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने भी आरोप लगाये हैं।

**श्री गोकुलचन्द शर्मा** ( सुमेरपुर ) : हमारा भी अधिकार बनता है····

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है ··

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको मौका दे देंगे। बैठ जाओ।

श्री भैरूंसिंह, कृपया बैठ जाइये।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं।

---

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, आप नहीं चाहते, हम यहां बैठें। आप नहीं चाहते, हम परम्परा को निभायें। सौदेबाजी किनसे की है, इनसे कहिए....

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है मेरे सामने कि एक आरोप लगाया गया है कि XXX वह शब्द निकाल दिये जायें।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने जो रूलिंग दी है वह मान्य है किन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे डिनाई कर सकते थे इस बात को, अगर आरोप असत्य लगता। लेकिन नहीं, उसका कोई सवाल नहीं है, कोई अन-पार्लियामेन्ट्री बात नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप अपनी बात पर आ जाइये। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप अपनी बात पर आ जाइये।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : जी हां।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं, पब्लिक एक्सचेकर पर इमीजिएटली 10 तारीख तक 10 लाख का जो भार डाल रहे हैं, वह क्यों डाल रहे हैं? उनको आई०पी०सी० केसेज के लिये बार-बार अपने स्थान पर आना पड़ेगा। उनके बच्चे यहां रहें वे वहां रहें। लो-पेड गवर्नमेन्ट सर्वेंट के दो परिवार बन जायं....

**श्री उपाध्यक्ष** : Which you have alcready said.

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बदले की भावना से यह सारी कार्यवाही चल रही है, मुझे लगता है और मेरा आरोप है राज्य सरकार पर a directive has come from the Government. बोर्ड शायद यह नहीं चाहता था। 51 दिन की हड़ताल हो गई। हड़ताल के बाद क्या मिला और क्या नहीं मिला, यह अलग विषय है। 51 दिन के बाद सब लोग काम पर आ गये। काम पर आने के बाद 4-4 महीने से बिलों के पेमेंट नहीं हुये, लाइनें लग रही हैं काम पर आने के बाद सोचा, शायद सुविधा मिल सकेगी, आपस में प्रेम सम्बन्ध, स्नेह सम्बन्ध बन सकेंगे लेकिन इसको तरजीह न देकर माननीय मन्त्री महोदय ने सर्किल से बाहर इसलिये भेजा है कि आपस में झगड़ा होगा। टेन्शन 12 सौ लोगों के मन में रहेगा, 12 सौ परिवारों के मन में रहेगा, उन यूनियन के लोगों के मन में रहेगा और श्रमिकों के मन में मानसिक वेदना होगी और क्या काम कर सकेंगे? मैं चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसको प्रेस्टीज का इश्यू न बनाये। मेरा यह आरोप है राज्य सरकार का क्लीयर कट डाइरेक्टिव है। एक मीटिंग हुई जिसमें माननीय मन्त्री महोदय थे, माननीय विधि मन्त्री महोदय भी बुलाये गये, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष भी बुलाये गये और कहा कि जाओ ऐसा निर्णय लो, मीटिंग करो और यह कहो कि करें इस काम को। फिर चोर दरवाजे का प्रयोग कर रहे हैं। डाइरेक्टिव मीटिंग में नहीं चोर

X X X अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

दरवाजे से दिया। मन्त्री मण्डल में कुछ इस प्रकार के सदस्य थे। मैं कहना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, बहुत अधिक चपेट में मत आइये, सलाह मानते समय ध्यान करिये। इन्हीं के कारण 51 दिन की हड़ताल चली है। आपको मैं वह पत्र पढ़कर सुनाऊं, मैं चाहता हूं कि आप जवाब देते समय इस बात का भी जवाब दे दें। क्या लिखा है विधि मन्त्री महोदय ने पत्र में? थोड़ी सी बात कह कर समाप्त कर दूंगा। "प्रतिलिपि अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 103, दिनांक 22-8-1982; प्रेषिति : ऊर्जा मन्त्री, राजस्थान : प्रेषक : विधि मन्त्री, राजस्थान। कल मेरी आपसे टेलीफोन पर हुई वार्ता के अनुसार मैं आपके पास उन बिजली मजदूर यूनियन (इन्टक) के पदाधिकारियों की सूची भेज रहा हूं जिनका अभी 16-4-1982 को भरतपुर के बाहर स्थानांतरण इसलिए कर दिया गया कि वे दामोदर मौर्य की यूनियन को छोड़ कर हमारे साथ इन्टक में आये हैं। इनके स्थान पर उन लोगों को लगाया गया है जो भरतपुर के बाहर के थे, भरतपुर में स्थानान्तरित हो गये हैं। उन्हें भरतपुर के बाहर भेजा जाय। इन्टक के कार्यकर्ताओं के नाम निम्न प्रकार हैं जिन्हें भरतपुर से हटाया है। उनको वापस लगाया जाय।" क्योंकि विधि मन्त्री महोदय एक स्पेशल इन्टक यूनियन से सम्बन्ध रखते हैं, वह चाहते हैं कि बिजली बोर्ड राजनीति का अखाड़ा बन जाय""

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कैसे लोगों को शील्ड कर रहे हैं? आज खबर आई है, बिजली चोरी तथा धोखाधड़ी के नाम पर दो कर्मचारी निलम्बित। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल सिविल क्षेत्र के सहायक अभियन्ता, रमेशचन्द्र श्रीवास्तव ने बिजली चोरी तथा विद्युत मंडल के उपकरणों के दुरुपयोग करने के आरोप में इन्टक यूनियन के महामन्त्री को रंगे हाथों पकड़ कर थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई है, यह वही हैं जिनकी यूनियन को संरक्षण प्राप्त है। उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है""

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : उनका तबादला कैंसिल कराने की प्रक्रिया की जा रही है इन्टक को एस्टेब्लिश करने के लिए। ऐसा बोर्ड कहां से आ गया, कहां से बन गया-इनको पता नहीं। यह साजिश करने की प्रक्रिया है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय रिफ्यूज करें, मन्त्री महोदय ने दिशा दी आर. एस. ई. बी. को। आप चाहें तो मैं इन दोनों पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी की जाय कि ये तबादले एकाएक कहां हुये हैं, किससे हुये हैं और क्यों हुये हैं? रिपोर्ट भेजी जाय ताकि एक्शन लिया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ मन्त्री महोदय नहीं हैं, झगड़े की जड़ संघर्ष समिति नहीं है, 51 दिन की हड़ताल नहीं है, इन्टक के छोटे गुट को बनाने के लिए विधि मन्त्री महोदय पीछे से डोरी हिला रहे हैं, राजनैतिक घपलेबाजी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

है, यह उसका परिणाम है। माननीय मन्त्री महोदय, कुछ रहम करो उन गरीबों पर, 13 सौ परिवारों पर रहम करो, फोर्थ क्लास के हैल्पर टू, हैल्पर वन पर दया करो। इस प्रकार की स्थिति पैदा न करें और ऐसे लचर आर्गूमेंट न दें कि आपस में झगड़े हो जायं, उस झगड़े से बचने के लिए उनको वृत्त से बाहर स्थानांतरित कर दिया। इतना ही करो कि यहां से हटाकर 10 मील पर रख दो फिर तो झगड़ा नहीं होगा। लाइन मैन है वह लाइन मैनी यहां नहीं करता, तो दूसरे गांव में करेगा। इन्टर डिवीजन में नहीं, इन्टर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, इन्टर सब डिवीजन में नहीं, इन्टर सर्किल हो रहा है ट्रांसफर। उन गरीबों पर इन सात दिनों में आपने यह कुठाराघात किया है, यह हथौड़ा चलाने की कोशिश की है। इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ने वाला आपका ही है। बदले की भावना के बारे में मुख्य मन्त्री महोदय कहते हैं कि बदले की भावना का प्रयोग नहीं करेंगे। किन्तु बदले की भावना से आप चल रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं, पीछे से डोरी हिला रहे हैं विधि मन्त्री महोदय, जिनके इशारों पर इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है और यह स्थिति पैदा हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अब भी सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें। 10 तारीख लास्ट थी, उसके बाद कितने ट्रांसफर हो गये, यह दूसरी बात है लेकिन आगे न हों, इन्टर सर्किल, इस पर आप कृपया गौर करें यह मैं आपसे आशा करता हूं राजस्थान के हित में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के हित में। आई पी. सी. का चालान बनाया आपके दबाव से और ऐसे-ऐसे केसेज आपने आई. पी. सी. में लगा दिये और चन्द दिन के बाद ही कहा कि आई. पी. सी. में नहीं है। रेश्मा के बारे में क्या किया? रेश्मा को वापस ले लिया। ऐसी हालत में आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर आपके दुश्मन नहीं हैं, ये आपके सहयोगी हैं। 51 दिन की हड़ताल के बाद कुछ सामंजस्य, कुछ स्नेह, प्रेम, कुछ तारतम्य बनने दीजिये, बैठने दीजिये, वातावरण शुद्ध होने दीजिये ताकि जो जनता में बड़ी-बड़ी राशि बकाया हैं, लम्बी लाइनें लग रही हैं, 4 महिने का पेन्डिंग काम नहीं हो रहा है, विद्युतीकरण नहीं हो रहा है, गांवों में बिजली नहीं जा रही है. आर. एस. ई. बी. की योजनायें पूरी नहीं हो रही हैं, ट्यूब-वैल का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो रहा है, उसको सुविधा मिल सके। टेंशन पैदा करके इस प्रकार के हालात न बनायें, माननीय मन्त्री महोदय। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

जवाब आने दीजिये? आप बैठ जायं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री बृजसुन्दरजी मन्त्र पढ़

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रहे हैं और मदेरणाजी बाम्बी में हाथ दे रहे हैं....

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** (ऊर्जा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के उपनेता ने अपने वक्तव्य में और कथन में 3–4 मुद्दे उठाये हैं, मुख्य मन्त्री जी की बदले की भावना से कार्यवाही नहीं थी, इस बात को स्वीकार किया है और राज्य सरकार को बधाई दी है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिन लोगों के ट्रांसफर के सम्बन्ध में आदेश 3 सितम्बर को दिये गये हैं, ये वही लोग हैं, जिनके खिलाफ 313 इंडियन पीनल कोर्ड के केसेज थे जो आफेन्सेज किये हैं अण्डर सेक्शन 353, 332, 342, 341, 339, 436, 504, 425, 504, 147, 149, 452, 332, 392, 34, 333, 186, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 421, 401 आई. पी. सी., 379, 430 इस प्रकार के उन लोगों के खिलाफ केसेज किये हैं, जिन्होंने टावर्स ही नहीं जलाये, ट्रान्सफार्मर्स ही नहीं जलाये, लाखों रुपयों की सम्पत्ति, जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, का नाश किया और....

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : वह इन्होंने नहीं जलाये। वह इन्होंने नहीं जलाये।

**श्री परसराम मदेरणा** : दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि 57 दिन की हड़ताल रही है 51 दिन की नहीं। 19 मई से ले करके 15 तारीख तक केलकुलेट कर लीजिये 51 दिन नहीं बनते हैं, 57 दिन हड़ताल रही है। मुख्य मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया था उसकी अनुपालना में और उसके अनुरूप ही केसेज थे 2224 लोगों के खिलाफ थे, सरकार ने विथड्रा किये। सी. आर. पी. सी. सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स के 2700 लोगों के खिलाफ केसेज थे जो सरकार ने विथड्रा किए। 10, 11 हजार लोग हड़ताल पर गये थे, 1000 को छोड़कर बाकी सबको ड्यूटी पर लिया। 15 से लेकर 30 सितम्बर तक, जो बोर्ड के सर्क्यूलर का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, ये 1000 लोग ड्यूटी पर नहीं थे। 1000 लोग ड्यूटी पर नहीं थे, आज बोर्ड के रेगुलर सर्विस के रूल्स बने हुए हैं उसमें स्थिति इस प्रकार है "If a worker absents himself for more than eight consecutive day...."

ये गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के सिविल सर्विस रूल्स लागू नहीं होते हैं इन पर लागू होते हैं : "If a worker absents himself for more than eight cosnecutive days without leave, he shall be deemed to have left the service of the Board without notice, thereby terminating his contract of service.

Provided further that...."

इसका मतलब यह है कि जो हड़ताल पर बिना छुट्टी के गये थे उनकी सर्विसेज

( श्री परसराम मदेरणा )

समाप्त हो गई । मुख्य मंत्रीजी की जो सद-भावना की बात करते हैं वह इण्डस्ट्रियल पीस के सम्बन्ध में बात थी, मैं भारतीय जनता पार्टी के उपनेता महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरे साथ में इस संघर्ष समिति की लम्बी वार्ता हुई । बहुत ज्यादा कर्मचारी इस हड़ताल में इन्वाल्व्ड थे, हड़ताल फेल हो चुकी थी, हड़ताल फेल होने के बाद, मैंने उनसे यह बात कही कि आप लोग इस प्रकार का कन्जीनियल वातावरण बनाइये, आई. पी. सी. केसेज के बारे में बाद में विचार किया जायगा । जैसा कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के सम्बन्ध में किया गया था, अभी तक गवर्नमेन्ट एम्प-लाइज के खिलाफ क्रिमनल आफेन्सेज थे उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ है । बिना अवकाश स्वीकृत करावे जो एब्सेन्ट रहे थे, उनको छोड़कर अन्य एम्पलाइज को ड्यूटी पर लिया जाय, यह बोर्ड ने सक्यूलर निकाला है । इसके अलावा जो 48 घण्टे से ज्यादा पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रहे उनको सस्पेण्ड कर दीजिये, क्योंकि उन्होंने क्रिमनल आफेन्सेज किये हैं । जिन्होंने इण्डस्ट्रियल पीस डिस्टर्ब की उन्हें उस सर्किल में मत रखिये दूसरे सर्किल में ले लीजिये । जिनकी सर्विसेज टर्मिनेट हो चुकी थी अण्डर लॉ और जिन्होंने आई. पी. सी. के ऑफेन्सेज किये हैं उनके लिए आज यह कहना गलत होगा कि 10 लाख का खर्चा होगा । सेबोटेज के 739 मामले हुए उन 739 मामलों के अन्दर 220 के. वी. लाइन को क्षति पहुंचाने के 14 मामले हैं, 132 के. वी. लाइन को क्षति पहुंचाने के 56 मामले हैं, 66 के. वी. को क्षति पहुंचाने के 3 मामले, 33 के. वी. को क्षति पहुंचाने के 300 मामले 11 के. वी. को क्षति पहुंचाने के 281 मामले और अन्य प्रकार के 85 मामले, कुल मिलाकर 739 सेबोटेज के केसेज किए उनमें से 313 केसेज रजिस्टर हुए पुलिस में आई. पी. सी. के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में ड्यूटी पर लिये । अब यह बात कहें कि 10 लाख रुपया खर्च होगा तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहूंगा कि बोर्ड की हमेशा यह नीति रही है कि इण्डस्ट्रियल पीस बनी रहे, औद्योगिक शान्ति रहे । हम वातावरण को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं इस उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि सभी कदम उठाये गये हैं । जब 57 दिन तक हड़ताल हुई उस हड़ताल के दौरान जो 11 हजार लोगों ने अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा का उदाहरण पेश किया और जिनके साथ मारपीट के मामले हुए हैं, 307 और 326 के केसेज हुए हैं उन लोगों के सम्बन्ध में एक लैटर का आपने हवाला दे दिया, इस प्रकार का लैटर इण्टक के मामले में लिखा गया । सदन को जानकारी होनी चाहिये, इन्टक के अलावा सब यूनियन्स, जो अलग-अलग एफिलियेटेड हैं, वे लोगों ने हड़ताल की, मोस्ट असेन्सियल सर्विस हवा के बाद जो पानी है जो ह्यूमन लाइफ के लिए, असेन्सियल है, पानी की सप्लाई डिपेण्ड करती है फ्री ऑफ इलेक्ट्रि-सिटी पर, आपने बहरोड़ की बात की, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, वहां 54 आवर्स तक वाटर सप्लाई नहीं हो सकी क्योंकि वहां पर सेबोटेज के मामले किये गये, नया जे. ईएन. लगाया

(श्री परसराम मदेरणा)

गया उसका काला मुंह करके तीन घण्टे बहरोड में घुमाया गया। फिर ग्राम जनता उसके रेस्क्यू में आई और उसको छुड़ाया गया। उन बहरोड़ वाले लोगों का ट्रान्सफर कर दिया। वह लॉ-पेड एम्पलाइज हैं तो लो-पेड एम्पलाइज संयम रखते हैं, लो-पेड एम्पलाइज कानून की पालना करते हैं, Ignorance of law is no excuse. You can not incite him to murder.

मैं मर्डर कमिट करूंगा तो मुझे भी वही सजा मिलेगी और लो-पेड एम्प्लाई करे तो उसको भी वही सजा मिलेगी। कानून सबको बराबर की निगाह से देखता है। इस तरह जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, उनको कानून को हाथ में लेने के कारण ड्यूटी पर नहीं लिया। इस स्थिति में भी मुख्य मन्त्रीजी ने स्पष्ट तौर से यूनियन्स के लीडर्स को कहा था, आई.पी.सी.के जो केसेज हैं मेरिट्स, और डी-मेरिट्स गुण और अवगुण पर उनका फैसला करें। जो ड्यूटी पर नहीं थे, 3 तारीख के सक्युलर, जिसमें ट्रांसफर का उल्लेख था, से ड्यूटी पर लिया गया है करीब एक हजार कर्मचारियों को, उस बात को छिपा गये। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बोर्ड ने फैसला किया है, विधि मन्त्रीजी क्या सलाह दे रहे थे, विधि मन्त्रीजी और मैं....

(व्यवधान)

मुझे मालूम नहीं,

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : इनके चक्कर में कैसे आ गये ?

**श्री परसराम मदेरणा** : बोर्ड ने जो 2 तारीख को डिसीजन लिया, 3 को उसे जारी किया है, मैं तो उस दिन जोधपुर में था। मुझे यहां आने के बाद मालूम हुआ कि इस प्रकार का डिसीजन लिया है उस डिसीजन से सदन को अवगत कराया है। मैं समझता हूं जिन परिस्थितियों के कारण हड़ताल रही, जिस तरह का आज वातावरण है वह ठीक रहे और जो काम पर रहें वह कार्यरत रहे जिन्होंने मुस्तैदी से असेन्सियल सर्विसेज को कायम रखा उनका मनोबल नहीं गिरे, इस परिप्रेक्ष के अन्दर जो भी बोर्ड ने आदेश दिया, मैं समझता हूं इन परिस्थितियों के अन्दर उपयुक्त दिया। जय हिन्द।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : मैं दो सवाल करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : सवालों का तो कोई अन्त ही नहीं होगा।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : केवल दो सवाल करना चाहता हूं।

**श्री मोहनलाल मोदी** : मंत्री महोदय का स्टेटमेंट क्लीयर है इसलिए प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो सवाल पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया, आपने कहा कि उन पर आई. पी. सी. के केस चल रहे हैं, बिलकुल

( श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी )

ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मन्त्री महोदय ने उसको बड़ी लच्छेदार भाषा में कह दिया। मैं सूची बतला सकता हूं कि कितने आदमियों पर आरोप लगाये, उनमें से कितने लोगों का निर्णय हुआ है और कितनों पर आई. पी. सी. का केस चल रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि आपने आरोप लगाये, पुलिस ने लगाये हैं। लेकिन कोर्ट में निर्णय हुआ नहीं है आपने उसके पहले उनको अपराधी कैसे मान लिया। Let the court decide first. मैं कहना चाहता हूं कि आपने उनको ले लिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं यह बताना चाहता हूं कि उनको सस्पेंड करना था, तो करते, उनको डिसमिस करना था तो डिसमिस करते, ताकि उनको कोर्ट में तो जाने का अधिकार मिलता। इस तबादले के कारण 300 किलो मीटर दूर अपने बच्चों से दूर रह कर झोंपड़ी में उनका पालन–पोषण करता है, कौन कहता हैं कि उसने अपराध किया है। कौन सा निर्णय करके ..

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** कौन कहता है कि उन्होंने अपराध किया है। एक बार जब निर्णय हो जाता है ...'

(व्यवधान)

पहले मैं बोल लूं फिर आप बोल लेना।

दूसरा सवाल यह कि उन्होंने जो चर्चा की कि 11 हजार कर्मचारी बड़े फेथफुल रहे। उनको रिवार्ड दीजिये, एवार्ड दीजिये, उनको माथे पर बैठाइये। किसने मना किया है। किन्तु सरकार ने जो सक्यूंलर के लिए डाइरेक्शन दिये हैं, उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दृष्टि से, मानवीय आधार पर मनोवैज्ञानिक आधार पर, पारिवारिक आधार पर पुनर्विचार कीजिये। सरकार ने उस सक्यूंलर से मजदूरों का अनादर किया है। मैं चाहता हूं कि इसको प्रेस्टिज इश्यू मत बनाइये। मैंने जो बात कही है उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूं जनहित को देखते हुए बोर्ड को सरकार की ओर से डायरेक्शन देने की अभी भी आवश्यकता है। उनका इन्टर डिवीजन ट्रान्सफर कर दीजिए, इन्टर डिस्ट्रिक्ट कर दीजिये, किन्तु बिना किसी कारण से उनके पेट पर लात मारने की कोशिश मत करिये। पहले जजमेंट होने दीजिये।

**श्री राजबहादुर :** इसके मैरिट्स क्या हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। केसेज सब-जुडिस हैं इसलिए मैं उनमें नहीं जाना चाहता। उनको दोषी ठहराना है कि नहीं ठहराना है, यह तो सरकार का काम है अदालतों का काम है मैं इनमें नहीं जाना चाहता। एक बात जो मुझे गम्भीर लगी जिस पर मुझे कन्फ्यूज हुआ है मेरे दिमाग में है और शायद मन्त्री जी के दिमाग में भी। अगर मेरे दिमाग में है तो मैं माफी मांग लूंगा। मुझे समझ में नहीं आया कि एक डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर पार्टी का जिन वर्क्स के लिए परसुएशन है, पर्टिकुलर पार्टी से एफिलियेशन है उन वर्क्स को क्यों रखा जाय। यह मेरे जिला है, मेरा मुकाम है। भरतपुर से लगाया गया है ...

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : सब जगह ऐसा हो रहा है, बाबूजी।

**श्री राजबहादुर** : लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पार्टिकुलर पालिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, इसलिए भरतपुर से हटाया गया और इन्टक के वर्क्स को भरतपुर लगाया गया। यह अल्फाज नहीं होते तो मुझे एतराज नहीं होता। एतराज की बात है कि स्थानान्तरण इसलिए कर दिया गया है कि वे दामोदर मौर्य की यूनियन को छोड़ कर इन्टक में आये हैं, इसलिये उनको रिवार्ड दिया जाये, वापस उनको भरतपुर भेजा जाये, रखा जाय इस तरह का लैटर जो सामने आ रहा है तो निश्चय ही यह गम्भीर चीज है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या सरकार जस्टिफाइड है, क्या मानती है कि अपने परसुएशन से और एफिलियेशन से लोगों को जहां चाहे रखे और मैरिट का सवाल न हो। मुझे सिर्फ यह कहना है कि भरतपुर को इस काम के लिए चुना गया। इस तरह के लैटर पर करना कहां तक उचित है ? Government has been caught with its face down.

अंग्रेजी में एक कहावत है, जो यहां पर बिलकुल सही बैठती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो केस होते हैं या चालान होते हैं कोर्ट के अन्दर, यह प्राइमाफेसी, अपराध प्रूव हों तो उस आधार पर होते हैं। उनको सरकार कंसीडर कर सकती है।

**श्री मेघराज तावड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मन्त्री जी पहले जवाब देंगे।

**श्री मेघराज तावड़** : पहले मैं प्रश्न कर लूं, फिर मंत्री जी जवाब दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

**श्री मेघराज तावड़** : मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का ?

**श्री उपाध्यक्ष** : लेकिन कोई कायदा है, कानून है। मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता।

**श्री मेघराज तावड़** : सरकार ने बिजली कर्मचारियों के साथ ज्यादती की है, विश्वासघात किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बैठ जायें।

**श्री मेघराज तावड़** : आज उनके साथ अत्याचार हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, आज का मंडल किसी का भी गला घोट सकता है, फांसी पर लटका सकता है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेड यूनियन, राज्य कर्मचारी इस सरकार को बदल कर रहेंगे। राज्य कर्मचारियों को धोखा दिया है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ सरकार ने वायदा किया मुख्य मन्त्री ने वायदा किया वह पूरा नहीं किया। यह सरकार निकम्मी है। इसने राज्य कर्मचारियों और बिजली कर्मचारियों के साथ जो वायदा किया था, उसको पूरा न कर उनके साथ विश्वासघात

(श्री मेघराज तावड़)

किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल प्रश्न पूछना चाहता हूं। XXX हम मजदूरों और किसानों की आवाज यहां रखने के लिए आये हैं।

(व्यवधान)

आप हंसते हो यह मजदूर किसान तुमको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जिनके खिलाफ आई. पी. सी. के केस हैं उनको बर्खास्त करने की बात मन्त्री महोदय ने कही है, आपने उनके खिलाफ निर्णय ले लिया है। क्या इसका कोई कानून बना हुआ है? अगर है तो उस कानून के अन्तर्गत उन सबको व्यक्तिगत तौर पर नोटिस दिये गये हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिन लोगों के खिलाफ आई. पी. सी. के केस हैं उनको नोटिस दीजिये। अगर उनको नोटिस नहीं दिया तो कैसे कार्यवाही कर ली?

दूसरा मेरा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा कि जिन लोगों ने तोड़-फोड़ की है, ट्रान्सफार्मर्स को जलाया है उनके खिलाफ आपके लोगों ने, पुलिस के लोगों ने केस बनाये थे। उसका प्रोसिजर क्या है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि मुख्य मन्त्री महोदय जी के इस आश्वासन पर हड़ताल बन्द की थी कि उनके साथ किसी भी तरह की बदले की कार्यवाही नहीं की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उनके साथ सरासर विश्वासघात किया गया, धोखा किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप सवाल कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।

**श्री मेघराज तावड़**: मैं सवाल कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप सवाल कहां कर रहे हैं, आप तो भाषण दे रहे हैं।

**श्री मेघराज तावड़**: मुख्य मन्त्रीजी ने जो आश्वासन दिया उसके प्रति क्या सरकार अडिग है, सरकार पाबन्द है?

**श्री परसराम मदेरणा**: माननीय उपाध्यक्षजी, मुख्य मंत्री ने जो भी आश्वासन दिया उसके सम्बन्ध में यह कथन निराधार और काल्पनिक है कि सरकार उससे मुकरी है। बोर्ड को परामर्श दिया गया, जैसा मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, हरैसमेंट के सब केसेज विथड्रा किये गये, सी. आर. पी. सी. के सब केसेज विथड्रा किये गये क्योंकि वे एक लम्बी अवधि तक हड़ताल पर रहे इसलिए उनको कर्जा दिया गया। एक हजार के आई. पी. सी. में आफेंस थे, पिछले करीबन 15 जुलाई से लेकर 3 सितम्बर तक ड्यूटी पर नहीं थे, उनको ड्यूटी पर लिया, ड्यूटी पर लेने के बाद केवल उन्हीं लोगों को सस्पेण्ड करने के आदेश दिये जो 48 घण्टे लॉक अप में रहे, बाकी सब ड्यूटी पर ले लिये गये। उसके बाद अब यह कहना

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसराम मदेरणा)

गलत है कि यह सरकार अपने वायदे से मुकर रही है या आश्वासन या वायदा-फरोशी कर रही है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दफा नहीं इस हड़ताल के ड्यूरेशन में आपके वहां के सब लोग मेरे पास में आते थे, कुछ समस्याओं का हमने समाधान निकाला। आज भी उनकी जो मांगें उचित हैं उनके सम्बन्ध में सरकार शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही करने का परामर्श बोर्ड को दे चुकी है। तो यह कहना कि सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध है या उनका हरैसमेंट करना चाहती है या उनके प्रति कोई बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है, यह निराधार और अत्यन्त कपोल कल्पित तो है ही, सत्यता से भी परे है।

मैं निवेदन कर रहा था कि जो आदेश बोर्ड ने दिये हैं वे इन परिस्थितियों में दिये हैं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके पेट पर लात मारी जा रही है। मैं कह रहा हूं कि जो ड्यूटी पर नहीं थे उनको ड्यूटी पर लिया....

**श्री भगवानदास शास्त्री :** ट्रांसफर्स के बारे में।

**श्री परसराम मदेरणा :** पेट पर लात मारने का सवाल है या उनके पेट भरने का प्रश्न है....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** वह तो लेना ही था उसमें क्या मेहरबानी की है?

**श्री परसराम मदेरणा :** एक बात भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ने कही। पॉलिटिकली एफिलियेटेड ही नहीं। यह तो आप स्वयं जानते हैं, माननीय सदस्य, यूं ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जो हैं वे अपने आपको डाइरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलियेटेड नहीं मानते हैं लेकिन क्या मैं इस तथ्य को सदन में भी प्रस्तुत कर सकता हूं कि राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन, एटक जिसको कहते हैं, का सम्बन्ध किस से है? राजस्थान विद्युत कामगार एकता फैडरेशन, जिसको सीटू कहते हैं, उसका सम्बन्ध किससे है?

**श्री राजबहादुर :** लेकिन इस आधार पर ट्रांसफर किया जाय यह ठीक नहीं है। एफिलियेशन तो है।

**श्री परसराम मदेरणा :** और तो और लेकिन राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ है, माननीय उपनेताजी, उसका सम्बन्ध....

**श्री राजबहादुर :** यह एफिलियेशन सब ठीक है, मैं मानता हूं...

**श्री परसराम मदेरणा :** अगर उन सब का सम्बन्ध बी०एम०एस० से है....

(व्यवधान)

**श्री राजबहादुर :** मैं मानता हूं यह सच्चाई है।

**श्री मेघराज तावड़ :** यह सही है कि ट्रेड यूनियन्स का अलग-अलग पार्टीज से

(श्री मेघराज तावड़)

एफिलियेशन था। यह बात तो सही है लेकिन यह सही नहीं है कि इन्टक के....

(व्यवधान)

यह सही नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष :** वह जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिये। शांति रखें।

**श्री परसराम मदेरणा :** इसी प्रकार प्रांतीय विद्युत मण्डल मजदूर फैडरेशन इन्टक से एफिलियेटेड है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** भारतीय मजदूर संघ के बारे में क्या कह रहे हैं? दुबारा कहिए।

**श्री परसराम मदेरणा :** भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, क्योंकि आप ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, अहमदाबाद में इन्टक की स्थापना हुई इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी।

**श्री राजबहादुर :** यह खण्डूभाई देसाई ने गठित की थी यह सब ठीक है....

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** दामोदर गुट किससे सम्बन्धित है, विधि मन्त्री यह तो बतायें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** वृज सुन्दर जी....

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

**श्री परसराम मदेरणा :** जिस दिन बयाना का उपचुनाव हुआ तो भरतपुर जिले की बयाना सीट का उपचुनाव होने के कारण भरतपुर में मैं 19 तारीख को था। स्टाइकर्स को मालूम था कि ऊर्जा मंत्री यहां पर हैं, उन्होंने रात को ट्रांसफार्मर वहां पर काट दिया, भरतपुर में भी सेबोटेज करे। इन्टक के जिन लोगों ने बिजली का फ्री फ्लो कायम रखा, कुछ कोशिश की, उनका ट्रांसफर हो जाय। इन्टक के लेबर या लेबर लीडर ने इण्डस्ट्रियल पीस के हित में अपना दायित्व निभ ने में कोई कसर नहीं छोड़ी उनके लिए पत्र लिखा तो कौन-सा दोष कर दिया। यह कोई राजनैतिक दुर्भावना से नहीं किया लेकिन जो लोग ड्यूटी के प्रति फेथफुल रहे और असेंसियल सर्विस को मेंटेन जिन्होंने किया, वह क्योंकि पर्टिकुलर किसी यूनियन से एफिलियेटेड हैं इसलिए सबका होलसेल ट्रांसफर किया जाय, यह सही नहीं है होना भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी ट्रांसफर के बोर्ड ने आदेश दिये हैं, जैसी आपने बात कही है, आप फिर कह रहे हैं षड्यन्त्र कर रहे हैं, मैंने तो अभी चेयरमैन से बात ही नहीं की है। अभी तो दूसरे अधिकारियों, चीफ इन्जीनियर और सेक्रेटरी से ही बात कर रहा हूं। चेयरमैन से बात आज रात करूंगा कि यह आदेश क्या निकाला है क्या नहीं है लेकिन निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जो कुछ भी आदेश दिये गये, यह बदले की भावना से नहीं दिये गये। बोर्ड का काम सुचारू रूप से चले, बिजली अनइन्टरप्टेड कन्ज्यूमर्स को मिले, 13-14 लाख उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ न हो। जिन लोगों ने इल्लीगल स्ट्राइक की थी, इल्लीगल स्ट्राइक करने के

(श्री परसराम मदेरणा)

बाद में भी बोर्ड का एटीट्यूड नर्मी का ही नहीं रहा है. बहुत लिबरेट रहा है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं और जो आप यह कह रहे हैं, इन सब यूनियन्स के लोग हड़ताल पर थे, वह मुझसे आज भी मिलते हैं और मैंने घण्टों तक इनसे बातें की हैं, कोई एक दिन बात नहीं की है। जिस मनोविज्ञान की बात आप करते हैं, मैं आपके बराबर सरकास्टिक नहीं हूं लेकिन थोड़ा बहुत, मनोविज्ञान के ए०बी०सी० का ज्ञान मुझे भी है। निश्चित रूप से उनकी जो वाजिब मांग है उन पर विचार किया जायगा लेकिन जो कानून हाथ में लेने वाले हैं और जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि चीफ इंजीनियर ने कानून हाथ में लिया या हैल्पर ने लिया है। उनको देखना चाहिए था, कानून हाथ मे नहीं लेना चाहिए था। कानून हाथ में लिया, आई०पी०सी० के केसेज उनके खिलाफ रजिस्टर हुये। मैं फिर निवेदन करूं कि आई०पी०सी० के हीनिअस टाइप केसेज हैं, सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि जो छोटे मामूली केसेज हैं उनको किसी प्रकार का हरॅसमेंट न हो। यह भी सरकार की धारणा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मानता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में⋯

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : पंडित के चक्कर में मत आना।

**श्री परसराम मदेरणा** : यह आपको भ्रम रहता है कि मैं किसी के चक्कर में हूं।

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मदेरणा साहब, आप माथुर साहब के चक्कर में तो आ गए।

**श्री परसराम मदेरणा** : जो मौजूदा परिस्थितियों में विद्युत मण्डल ने आदेश दिये हैं उनको राज्य सरकार उपयुक्त मानती है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मुख्य मन्त्री के आश्वासन के विपरीत है।

**श्री परसराम मदेरणा** : तो भी इस सम्बन्ध में कुछ वार्तालाप करेंगे, इसके रिजल्ट्स को कितना कम किया जा सकता है इस पर और बातचीत करेंगे।

**श्री मेघराज तावड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

**श्री भैरूंलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया ही नहीं गया, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया। मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

**श्री मेघराज तावड** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बिलकुल ही बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय। बहुत जरूरी प्रश्न।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया हाउस की कार्यवाही में बाधा नहीं डालें वरना मुझे नियमों की पालना कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

**श्री भैरूलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इण्टक के बारे में बोलना है। मैं इण्टक के बारे में बिलकुल बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिये। यहां पर इण्टक के ऊपर लान्छन लगाया गया है। मैं एक दो बात बोलूंगा। मैं बिलकुल बोलूंगा। यहां पर विधि मन्त्री पर लान्छन लगाया है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। कृपया स्थान ग्रहण। अंकित नहीं हो।

**श्री भैरूलाल मीणा** : XXX

**अनुदान की मांगें**

**अनुपूरक अनुदान की मांगें**

**(प्रथम संकलन) 1982-83 का उपस्थापन**

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, श्री भैरूलाल, आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री चन्दनमल बैद वित्त मन्त्री वर्ष 1982–83 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करेंगे।

**श्री चन्दनमल बैद** (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वर्ष 1982–83 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) उपस्थापित करता हूं।

**श्री दुलाराम** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : हां, क्या है आपका पाइन्ट आर्डर।

**श्री दुलाराम** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह क्या आपका पाइन्ट आफ आर्डर है।

**श्री दुलाराम** : पहले, उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें। आप मेरी बात सुनने के पहले ही निर्णय दे देंगे तो मैं क्या बोलूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपना पाइन्ट आफ आर्डर बताइये।

**श्री दुलाराम** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य ने जो इण्टक के खिलाफ में चार्जेज हाउस में लगाये हैं उनका माननीय मंत्री, जो सरकार में बैठे हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं, एक पार्टी की सरकार का मंत्री होने से जवाब नहीं दे सकते हैं, तो माननीय सदस्य कुछ

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दुलाराम)

निवेदन करना चाहते हैं इसलिए आप उन्हें समय दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जिन लोगों ने सेबोटेज किया है उनको एट पार नहीं समझा जा सकता है जिन लोगों ने फेथफुली काम किया है उनको आप विराज जावें।

**श्री भैरूंलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, में इण्टक के बारे में बोलना चाहता हूं। मुझे बोलने दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब चर्चा समाप्त होती है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री भैरूंलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हो गई, माननीय सदस्य।

**श्री भैरूंलाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का दो मिनट का समय दिया जाय। मैं दो मिनट ही बोलूंगा। आप चाहें तो टाइम देख लें!

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री भैरूंलाल मीणा** : मैं दो मिनट बोलूंगा उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इन्टक की डोरी विधि मन्त्रीजी के हाथ में है यह गलत कहा है। इन्टक अपने बलबूते पर चलती है, वह किसी के हाथ में नहीं है। राजस्थान में इन्टक के मुकाबले किसी के पास कार्यक्रम नहीं है। यहां पर लोग बौखलाहट में आ गये थे और फिर इसके टुकड़े को गये लोग मजदूरों को गुमराह करते हैं, मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि असेन्सियल सर्विस चालू रहे, बिजली चालू रहे....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

**श्री भैरूंलाल मीणा** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने आपका नाम नोट कर लिया है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य। मैं अंकित नहीं करा रहा हूं। वित्त मन्त्री जी।

**श्री भैरूंलाल मीणा** : × × ×

**वर्ष 1975-76 की अतिरेक मांगों का उपस्थापन**

**श्री उपाध्यक्ष** : वित्त मन्त्री जी।

**श्री चन्दनमल बैद** (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1975-76 के लिये अतिरेक मांगों का विवरण उपस्थापित करता हूं।

**विधायी कार्य**

**वापस लिया गया विधेयक राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981**

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : वापस लिए जाने वाले विधेयक, श्री शिवचरण माथुर मुख्य मन्त्री राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने का प्रस्ताव करेंगे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मन्त्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेता हूं।

**पुरः स्थापित किया गया विधेयक**
**जयपुर**
**विकास प्राधिकरण, विधेयक, 1982**

**श्री उपाध्यक्ष** : पुरः स्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री श्रीराम गोटेवाला, प्रभारी मन्त्री जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

**श्री मेघराज तावड़** : यह गोटेवाला नहीं ××× हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह ××× शब्द को स्ट्राइक आफ किया जाय।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने अनुमति चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आजा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : वे प्रक्रिया के नियम

---

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

63 (1) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1982) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज रखेंगे। रखिये।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : उपाध्यक्ष महोदय, वही रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1982) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित करने में विलम्ब**

**श्री नाथूसिंह** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या है आपका पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 66 के अनुसार मेरा निवेदन यह है कि यह जो बिल है उस पर 13 सितम्बर को चर्चा होनी है किन्तु आज प्रातः काल ही इस बिल की कापी मिली। अब इसमें जो अमेंण्डमेंट देने है। वह हम कब देंगे। इस रूल 66 में क्लीयर कट लिखा हुआ है कि ....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप आज शाम तक दे दें। कल तो छुट्टी है।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की कापी ही आज प्रातः काल मिली है कल की छुट्टी है। आप स्वयं भी वकील रह चुके हैं, आपको सभी बातें मालूम हैं। हम इस बिल को कब स्टडी करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप एक बजे से पांच बजे तक दे सकेंगे।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, हम सुबह से तो यहां पर बैठे हुए हैं फिर संशोधन इस बिल पर देना चाहेंगे तो कैसे देंगे ? हम तो आज प्रातः काल से ही डिबेट में पार्टीसिपेट कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : कल तो छुट्टी है, आप किसको को देंगे। मैं आफिस तो खोल नहीं सकता हूं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आफिस तो कल खुला हुआ है।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आप आफिस खुलवायें। पहले इस पर चर्चा 13 तारीख को होनी थी। चर्चा कैसे होगी। यह तो चर्चा हो नहीं सकती, 13 तारीख को इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप शाम तक दे दीजिए।

**श्री नाथूसिंह** : आपने पढ़ लिया क्या ? आप ही बता दें ?

**श्री उपाध्यक्ष** : कल 11 बजे तक दे दीजिए।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : राज्य मंत्री, राजकीय उपक्रम प्रस्ताव करेंगे।

निगम प्रतिवेदन पर विचार

**राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के 34 वें वार्षिक प्रतिवेदन 1980–81 तथा राजस्थान स्टेट मिनरल्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों का विवरण 1980–81 पर विचार**

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राज्य मंत्री, राजकीय उपक्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्न प्रतिवेदन एवं लेखों पर विचार किया जाये :—

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० के 34 वें वार्षिक प्रतिवेदन 1980–81 तथा

(2) राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों का विवरण 1980–81

**श्री उपाध्यक्ष** : वार्षिक प्रतिवेदन 1980–81 तथा लेखों पर विचार किया जायेगा। जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जायेगी।

**श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर का स्वागत करता हूं जबकि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन व राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों का आज हम मूल्यांकन कर सकेंगे, किन्तु खेद का विषय यह है कि सबसे पहले जो रिपोर्ट हमारे हाथ में दी गई है, जो हमें मिली है वह 1980–81 की है। 1981—82 का वर्ष गया, और 1982—83 के लगभग 6 महीने निकल चुके हैं इसलिए यह बासी चीज, स्टेल चीज हमारे सामने है। मैंने खनिज विभाग एवं उसके जो अधीनस्थ संस्थान हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी साथ में पढ़ने की चेष्टा की है। उनकी रिपोर्ट्स मुझे मिल गयी थीं। उसमें दो तीन बातें बहुत आकर्षक हैं और वस्तु स्थिति के अनुकूल भी हैं। पहली पंक्ति मे लिखा हुआ है कि देश में पाये जाने वाले कई खनिजों का उत्पादन सम्पूर्णतया अथवा विशेषतया राजस्थान में ही होता है। इस प्रकार के खनिज मुख्यतया शीशा, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, चांदी, राक फास्फेट, जिप्सम, कैल्साइट, सोपस्टोन, एसबस्टस आदि–कोई दस बारह पन्द्रह हैं। इसके अलावा दूसरे और विशेष खनिज भी हैं। जो मैंने इसकी आय के आंकड़े देखे कि कितनी आय होती है दूसरे पेज पर दिया है कि 1970–71 से लेकर 1981–82 के जनवरी मास तक रायल्टी से कितनी आय हुई। 1980–81 में 27 करोड़ 63 लाख आय थी। जहां ईश्वर की देन का इतना बड़ा जखीरा हमारे प्रदेश को प्राप्त है वहां सारी आय हमारी इतनी सी रह जाये और इस वर्ष 2 महीने छोड़कर 27 करोड़ 13 लाख की आय हुई मालूम पड़ती है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात कहीं जायेगी। हम इन खनिज सामग्रियों का बहुत अधिक विकास कर सकते हैं। कोई कम खनिज नहीं हैं, ऐसी चीजें हैं जिनकी आज के आधुनिक, वैज्ञानिक और टेक्नालाजी के जमाने में बहुत आवश्यकता है इसलिये एक एक चीज को देखा जाये। यह भी प्रदेश के एक बड़े सौभाग्य की बात है कि जो उत्तम से उत्तम स्टोन कन्स्ट्रक्शन के काम में आते हैं, चाहे

# Page No 106

(106)



(श्री राजबहादुर)

वह रेड सैंड स्टोन हो, चाहे वह यलो सैंड स्टोन हो, चाहे सफेद सैंड स्टोन हो, चाहे वह लाइम स्टोन हो, लाइम स्टोन तो कन्सट्रक्शन के काम में नहीं आता, चाहे कोटा स्टोन हो, चाहे संगमरमर हो, हमारे यहां हैं। आप देश के उत्तरी भारत की जितनी भी इमारतें देखेंगे तो उनमें यही पत्थर नजर आयेगा। यह बहुत भारी चीज है कि इन सब चीजों के होते हुए, इसकी उपलब्धियां और विकास को देखते हुए जो कुछ आय प्रदेश को होती है वह इतनी कम क्यों है, यह समझ में नहीं आता। इसके कारण थोड़े से मिल भी सकते हैं। जो मुझे रिपोर्ट मिली, उसको मैंने निश्चित रूप से ध्यान से पढ़ने की चेष्टा की है। मैं कोई इस विषय का एक्सपर्ट तो नहीं हूं और न एक्सपर्ट होने का दावा करता हूं लेकिन यह निश्चित बात है कि जो कुछ भी आपने रिपोर्ट में कहा है उसको भी देखा जाये तो बहुत उत्साह नहीं बढ़ता।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० की 1980–81 की रिपोर्ट में आपने स्वयं लिखा है कि रॉक फास्फेट का उत्पादन वर्ष 1979–80 के उत्पादन 3,99,924 मै० टन की तुलना में इस वर्ष 1980–81 में 2,79,604 मै० टन हुआ। जो घाटा पड़ा वह 1,20,320 मै० टन का घाटा पड़ा। तो रॉक फास्फेट जैसी चीज, जो कि इन्डस्ट्रीज के काम में आती है, के ऊपर हमारी इन्डस्ट्रीज निर्भर हैं खास तौर से फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज निर्भर हैं उस के उत्पादन में एक वर्ष में इतनी कमी है। 4 लाख मैट्रिक टन में से 1 लाख 20 हजार मैट्रिक टन कम उत्पादन है, तो 25 पर्सेन्ट 28 पर्सेन्ट और 28 पर्सेन्ट कम है। क्यों? कारण आपने बताया है कि अवरोध उत्पन्न हुआ उसका कारण यह बताया कि उपकरण उपलब्ध नहीं हुए।

उपकरण उपलब्ध नहीं हुए, राजस्थान को बने हुए कितने वर्ष हो गए, यह तो जाने दीजिए, तब से लेकर अब तक उपलब्ध नहीं हुए यह किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यह निश्चित बात है कि उपकरणों के अभाव में उत्पादन कम हुआ। यह कोई बहुत हर्ष की या गौरव की बात नहीं हो सकती। आगामी तीन वर्षों के दौरान 18 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष अधिभार हटेगा, जो फिजूल वास्ट होती हैं उनका। लेकिन प्रगति अनुकूल नहीं है। वर्ष 1980-81 के दौरान गत वर्ष में 4 लाख 4 हजार 799 मैट्रिक टन की तुलना में 3 लाख 44 हजार 365 मैट्रिक टन की बिक्री हुई। बिक्री में भी आप पीछे रहे 60 हजार टन से। बिक्री में 60 हजार टन से पीछे रहने का मतलब क्या है? क्यों? सैल्स प्रमोशन भी नहीं है प्रॉडक्शन भी नहीं है। इसके बावजूद सब चीजों के भाव बढ़े हैं और इसके भाव भी बढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी कम होगी। जहां तक राक फास्फेट का सम्बन्ध है, आपका दावा यह है कि देश में कच्चे फास्फेट की खपत की लगभग 15 प्रतिशत की पूर्ति झामर कोटरा के उत्पादन से हुई है। वहां भी कमी है। आगे आपने कहा है।

चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए देश में राक फास्फेट की आवश्यकता मूलत: 18.5 लाख मैट्रिक टन मानी गयी थी। ऐसी आशा है कि आपकी कम्पनी 1981-

Page No 107

(107)



(श्री राजबहादुर)

82 में देश के उत्पादन का करीब 66 पर्सेन्ट भाग उत्पादित करेगी। कम्पनी की राक फास्फेट की बिक्री के सम्बन्ध में पारिश्रमिक गत वर्ष के 333.50 लाख रुपये की तुलना में 424.13 लाख रुपये प्राप्त हुआ। कम्पनी के संकायों से गत वर्ष के 17.52 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान सरकारी कोष में 21.50 करोड़ रुपये का अंशदान किया गया। यह कब मिला? जब कि आपकी रायल्टी की दर 5 रुपये से 15 रुपये हो गयी। जब कि राक फास्फेट का मूल्य 5 मार्च, 1981 से 78 रुपया प्रति मैट्रिक टन बढ़ गया है।

(3.49 म० प०)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

तीसरी उपलब्धि आपकी यह हुई कि कम्पनी की कार्यकारी संविद के अनुसार प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक में 1 अप्रैल, 1980 से वृद्धि करके 96 रुपये प्रति मैट्रिक टन एफ. ओ. आर. उदयपुर को 140 रुपये प्रति मैट्रिक टन एफ. ओ. आर. उदयपुर कर दिया गया है। इन तीन बातों के बावजूद जो आमदनी हुई वह तुलना में बहुत कम मालूम पड़ती है।

आपने कहा है कि हम पाइलट बेनिफिसिएशन प्लान्ट लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस संयंत्र के नवम्बर-दिसम्बर 1981 तक चालू हो जाने की आशा थी, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। ऐसी डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट थी। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि Has it been commissioned by now? और नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा?

फिर आपने कहा है कि जांच परिणामों के आधार पर ऐसे 4000/5000 टी. पी. डी. वाणिज्यिक बैनिफिसिएशन संयत्र जो फ्लोटेशन प्रोसेस रूट व्यवस्था पर आधारित होगा तथा ओपन कास्ट माइन द्वारा समर्थित होगा एवं जिसकी 1.7 मिलियन टन निम्न स्तरीय एवं उच्च स्तरीय कच्चे फास्फेट के उत्पादन की क्षमता होगी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जायेगी लेकिन विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने की तैयारी में ही आपको समय लगेगा। मैंने हिसाब लगाया तो अगले बजट का हिसाब साफ हो जाता है। पायलट बैनिफिसिएशन प्लांट पर परिणाम प्राप्त होने में लगभग एक वर्ष लगेगा तत्पश्चात् एक वर्ष विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा। उसके बाद पांच वर्ष में यह परियोजना चर्मोत्कर्ष पर पहुंचेगी। इस प्रकार 7 वर्ष के बाद इसका परिणाम निकल सकता है। धीमी गति से यह डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, एक तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाद सबसे बड़ा प्राडक्शन हो सकता था। फिर आपने यह कहा है इस सारे संयंत्र को लगाने में लगभग 100 करोड़ रुपये लगेंगे। 100 करोड़ रुपया। मैं देख रहा हूं मन्त्री जी का ध्यान इधर नहीं है, बातों में मशगूल हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं यह प्रिविलेज का सवाल पैदा हो जाता है, सभापति महोदय...

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

**श्री राजबहादुर :** अगर कोई प्रश्न किया जाये और प्रश्न का उत्तर नहीं मिले, बार

(श्री राजबहादुर)

बार याद दिलाने पर जवाब न मिले It is a breach of privilege of a member of the House.

**श्री सभापति :** सदन में बातें न करें।

**श्री राजबहादुर :** यह पहला ही अनुभव नहीं है मेरा। मैं देखता हूं जो भी अन-कम्फर्टेबल पाइन्ट्स हैं उनको कारपेट के नीचे से निकाल देने की कोशिश होती है। उस रोज सवाल हो रहा था प्रेस की फ्रीडम का। मैंने सवाल पूछा था अगर आपका इरादा नेक था तो जवाब देते। मैंने फिर इन्क्वायर किया, एक सर्कूलर इश्यू किया जिसके मुताबिक सारे अखबारों से पत्रकारों से यह सूचना मांगी गयी है कि तुम्हारा सर्क्युलेशन क्या है ? उन पर नंगी तलवार लटकाई जायेगी, क्योंकि तुम्हारा सर्क्युलेशन कम है इसलिए तुम्हारा एडवर-टाइजमेंट काटा जाता है। उसका जवाब मैंने मुख्य मन्त्री से खास तौर से मांगा था लेकिन हुआ आज तक जवाब नहीं मिला।

इसी तरह से पूछना चाहता हूं यह जो 100 करोड़ रुपये का आपने लक्ष्य रखा है तब इस योजना के रिसोर्सेज क्या हैं, क्या इसके प्रबन्ध हैं ? इसके अलावा इसकी इकॉ-नामिक वायबिलिटी क्या है ? आप पैसा तो लगा देंगे लेकिन इतना खर्चा, इतना इन्वेस्ट-मेंट करने के बाद आप कितनी आमदनी उससे कर पायेंगे ?

अब मैं विस्तार के साथ दो-तीन उदाहरणों पर आता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं लाइसेंस देने की प्रक्रिया में चेंज हुआ। आपको मालूम होगा कि किस-किस तरह से कहां-कहां क्या-क्या होता है। माइन्स डिपार्टमेंट और उससे सम्बन्धित जो लोग हैं वे प्राफिट्स का, बैनिफिट्स का बहुत बड़े माध्यम हैं। आप छोटी-मोटी बातें न लें। मार्बल लाइम स्टोन जो कोटपूतली, नीम का थाना में है, यह जानकारी मिली है, उसके लाइसेंस देने में कई कई चेन्जेज हुए हैं। एक बार यह चेंज हुआ कि इतने किलो मीटर्स में कोई दूसरा लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। जब बहुत पुकार हुई तो कहा गया कि किलो मीटर के अन्दर नहीं मिलेगा, फिर यह हुआ कि 150×150 के प्लाट्स ही मिलेंगे। इसके बावजूद बहुत सी दरख्वास्तें आई, लेकिन चेंज नहीं किया गया। नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी की लीज जो एक्सपायर हो गई 8–9–81 को उसका भी पजेशन सरकार ने ले लिया। तीन दरख्वास्त आई। दरख्वास्त देने वालों में एक बड़ी कन्सर्न थी रीको। रीको की खुद की दरख्वास्त थी लेकिन उसको मन्जूर नहीं किया गया। एक और दरख्वास्त आई उसको भी मन्जूर नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने उसका कब्जा ले लिया और अन्य कार्य-वाही उस पर नहीं हुई। इससे क्लीयर मालूम पड़ता है कि फेवरेटिज्म चलता है और फेवरेटिज्म चलेगा, जिनका प्रॉफिट-ईल्डिंग ज्यादा हो, उस व्यवसाय को सर-कारी क्षेत्र में होना चाहिए। या तो उनका नेशनलाइजेशन हो, कोआपरेटिव बेसिस पर हो। कोआपरेटिव सोसाइटीज होंगी तो मजदूरों को फायदा होगा। म्युचुअल को-आपरेटिव सोसाइटीज हों, उनको फायदा

(श्री राजबहादुर)

मिले। लेकिन ऐसा न होकर दूसरी चीज हुई है।

एक छोटी सी इण्डस्ट्री है। मैंने सुना है, वह रोड़ के इलाके में स्लेट का पत्थर निकलता है। जगह का नाम माण्डन बताया है, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां स्लेट का पत्थर निकलता है। उसके लिये शिड्यूल्ड कास्ट वालों ने एप्लाई किया, लेकिन उनकी दरख्वास्त नामन्जूर कर दी गई बिना किसी बिना पर और किसी खास आदमी को लीज दे दी गई। समझ में नहीं आता, ऐसी चीजें क्यों होती हैं। स्लेट-स्टोन तो बहुत छोटी इण्डस्ट्री है। रेड स्टोन की लीज, मैंने बहुत दिनों तक देखा है, खास आदमियों को मिलती है। अब थोड़ा बहुत सुधार हुआ है और कोआपरेटिव आधार पर लीज देने लगे हैं। लेकिन चोरियां वहां पर नहीं हैं, यह आप नहीं कह सकते। इसलिए मैंने दो उदाहरण आपको दिये हैं। मैं यह मानता हूं कि माइन्स एण्ड मिनरल्स का बहुत प्रामिसिंग ईल्ड है. इसका अगर प्रॉपर एक्सप्लायटेशन हो, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, और जो फेवरेटिज्म चलता है वह न हो। प्रदेश के सीमित साधन हैं और ओवर ड्राफ्ट है, आज आम तौर से जो यह बातें कही जाती हैं कि किस तरह से आय बढ़ायी जाये, यह जरिया ऐसा है जिससे आय बढ़ायी जा सकती है। मैं तो टोटल नेशनलाइजेशन के फेवर में हूं। या तो को-आपरेटिव के जरिये से हो, जो खुद हथोड़ा चलाने वाले हैं, काम करने वाले हैं उनको लाइसेंस दिया जाये। इससे जो मुनाफा होता है वह उनको हो और कोई जो चोरी होती भी है, वह चोरी भी नहीं होगी। जहां मिडिल मैन बीच में आ जाता है, जहां पूंजीपति बीच में आ जाता है वहां दो ही क्लासेज को फायदा हो सकता है, या तो मिडिल मैन को प्रॉफिट हो सकता है या उन करप्ट लोगों का भला हो सकता है जो करप्ट पॉलिटिक्स में हैं। इस इल्जाम से बचने के लिए जरूरत इस बात की है कि जब जिंक और कॉपर जैसी चीज पब्लिक सैक्टर में हो सकती है तो मार्बल क्यों नहीं आ सकती? बहरहाल, हमारे पास इतने बड़े रिसार्सेज होने के बाद, इतनी बड़ी दौलत होने के बाद, इतनी बड़ी पूंजी होने के बाद हमारा प्रदेश घाटे में है, यह बड़ी हैरत की बात है। इसलिए मैं विनती करूंगा आपसे कि अब आप इस बात पर गौर करें। अव्वल तो यह बहस अधूरी रहेगी, जैसा मैंने शुरू में कहा, कोई कारण नहीं था, क्या वजह है आपको कुछ छुपाने की? 81-82 की रिपोर्ट अगर हमारे हाथ में होती, कुछ लेटेस्ट पोजीशन मालूम कर सकते थे लेकिन रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं है। जैसा मैंने कहा, कुछ खनिज तो ऐसे हैं, आपने खुद ने भी कहा था जो केवल राजस्थान में निकलते हैं, राजस्थान सारे देश की आवश्यकता पूरी करता है। बहुत पुरानी मिसाल है, बहुत कहा गया, उसको भी दूंगा।

तीसरी मिसाल दे रहा हूं। पहले एक तजवीज की गई पार्लियामेंट में की गई, यहां भी गई, सैन्ट्रल लेवल पर की गई। जिप्सम हमारे यहां से जाता है तब फर्टिलाइजर बनता है। देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कम्पनी थी जिप्सम फर्टिलाइजर उसको हमारा जिप्सम जाता था क्योंकि कोल वहां है। तजवीज यह की गई कि जिन वैगन्स

(श्री राजबहादुर)

में जिप्सम यहां से जाये उनमें वहां से कोल आये। जिन वैगन्स में जिप्सम जाये, उन्हीं में खाली होकर कोल ले कर आयें। जिस पैमाने पर वहां इण्डस्ट्री बन रही है उसी पैमाने की इण्डस्ट्री यहां बन सकती है और इस तरह से बहुत बड़ी चीज पूरी हो सकती है। बहुत अर्से से यह बात चल रही थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उलझन सामने आई। न तो ब्यूरोक्रेटिक लैवल पर न प्लानिंग लेवल पर, न पालिटिकल लेवल पर, न एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और, माफ करिये, उसको कन्डेम नहीं करना चाहता, इस हाउस में भी तसफिया नहीं होता। आखिरकार What is your policy ? What are your aims ? जैसा मैंने जिप्सम के बारे में कहा, कोई वजह मालूम नहीं होती। आप बिजली के साथ-साथ इसके बारे में भी सोच सकते हैं, शायद फर्टिलाइजर बनाने के काम में आ जाये। जो आर्ग्यूमेंट हमें दिये जाते थे, यह दिये जाते थे कि कोल वहां पर है इसलिए फर्टिलाइजर वहीं बनेगा, यह निश्चित बात है। लेटेस्ट पोजीशन तो हमें मालूम नहीं लेकिन हमारे यहां फर्टिलाइजर की इण्डस्ट्री चल सकती है, बन सकती है, इसका सवाल नहीं है, और जैसा मैंने कहा, आपके खुद के आंकड़े हैं उनके अन्दर तो नहीं पड़ता हूं, लेकिन जो आपने आंकड़े बताये हैं उनके अनुसार from year to year you are not progessing very much. हो सकता है, कैपेबिलिटी काम्पीटेन्स के साथ आगे की धारणायें बन जायें तब काम हो सकता है। मैं ज्यादा आलोचना न करता हुआ इतना ही कहता हूं कि शायद नई दृष्टि इस सरकार को मिले और जो लाभ मिल सकता है वह मिले। By leaps and bounds for proper exploitation of mineral wealth of our state उसको देखें, यह मेरी विनती है।

**श्री सभापति :** श्री कैलाश मेघवाल।

**श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, खनिज राज्य मन्त्री तो हैं नहीं, उनके स्थान पर शायद सार्वजनिक राज्य मन्त्री नोट कर रहे हैं। आर. एस. एम. एम. के 34 वें वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आर. एस. एम. एम. को बहुत बड़ी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कही कि ये समस्यायें अगर हम ठीक ढंग से से कार्य करें तो हल हो सकती हैं। हमारी और भी समस्यायें हैं। बार-बार इस सदन में बहस होती है तो एक ही बात बहुत जोर देकर कही जाती है कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाय। हमारे राजस्थान का खनिज बिहार के बाद जितना विविधता लिए हुए है उतना शायद अन्य किसी प्रदेश का नहीं है। विशेष रूप से, मोनोपोली आइटम्स जिनको कहना चाहिये जैसे रॉक-फास्फेट है जो या तो राजस्थान में ही है या इसका आयात करना पड़ता है। इसलिए रॉक-फास्फेट को जितना अधिक उभारा जाय और उसका जितना अधिक उत्पादन किया जाय, योजनाबद्ध तरीके से

( श्री कैलाश मेघवाल )

शोध और चिन्तन किया जाय उतना ही न केवल राजस्थान को लाभ है बल्कि सारे देश को लाभ है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा से बचेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1968 में झामरकोटड़ा में रॉक-फास्फेट के डिपाजिट्स का पता चला। उस डिपाजिट्स का पता लगने के बाद बीकानेर जिप्सम लिमिटेड नामक एक कम्पनी खुली, और कम्पनी को 10 साल के लिए इसका रेजिंग कान्ट्रेक्ट दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस रेजिंग कान्ट्रेक्ट की शर्तें देखी जायं।

अच्छा है, प्रद्युम्न सिंह जी आ गए और ये शायद कुछ जवाब देंगे। इनसे मैं एक ही निवेदन कर दूं, सामान्य रूप से जो इनकी आदत है कि जनता पार्टी की सरकार में आप मन्त्री थे, आपने क्या किया, पहले ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हो गया, अगर ऐसा जवाब देते हैं तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन यदि ये चाहते हैं सार्थक और गम्भीर चर्चा हो और राजस्थान में आर. एस. एस. एम. के द्वारा ये सेवा कर सकें, आर्थिक रूप से ये देश की सेवा कर सकें, विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से देश की सेवा कर सकें तो मैं चाहूंगा कि ये इन बातों को ध्यान से सुनें।

माननीय मन्त्री महोदय, आपको एक बहुत गम्भीर शल्य चिकित्सा करनी होगी। अगर यह नहीं होगी तो फिर यह ऐसा ही चलता रहेगा और वही हाल होगा, परनाला वहीं गिरेगा, गिरता रहेगा और पंचों की पंचायत चलती रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, रॉक-फास्फेट के डिपाजिट्स का पता लगाने के बाद 1969 में डी. जी. एस. डी. को रेजिंग कान्ट्रेक्टर बनाया गया। और 46) रु० प्रति टन के हिसाब से उसकी रेट तय की गयी। कान्ट्रेक्ट में एक शर्त यह थी कि एक टन और निकाला जायेगा और 4 टन ओवर बर्डन हटाया जायेगा। बहुत निश्चित शर्त थी कि ओपन कास्ट माइन्स है और यहां पर एक टन और निकाला जायेगा और चार टन ओवर बर्डन हटाया जायेगा। उस समय 46) रु० प्रति टन रेट तय की। उसके बाद राजस्थान सरकार की एक कम्पनी आर. एस. एम. एम. बनी। आर. एस. एम. एम. ने इसका रेजिंग कान्ट्रेक्ट बन्द कर दिया और 96) रु० की रेट तय की। मुझे जैसा ख्याल है उस समय तक एक टन और निकालने की और चार टन ओवर बर्डन हटाने की शर्त थी। एक टन और खनन किया जायगा, उसके साथ चार टन ओवर बर्डन हटाया जायेगा। उसके बाद रेट बढ़ी और 120) रु० की जब रेट आई उस समय यह तय किया गया कि एक टन और निकाला जायेगा और पांच टन ओवर बर्डन हटाया जायेगा। सभापति महोदय, खान में धीरे-धीरे ऊपर से जब नीचे जाते हैं तब खनन का खर्चा ज्यादा आता है और ओवर बर्डन हटाने का भी ज्यादा खर्च पड़ता है। सभापति महोदय, यह तय किया था कि एक टन और निकाला और पांच टन ओवर बर्डन 120) रु. के हिसाब से हटाया जायेगा। उसके

( श्री कैलाश मेघवाल ):

बाद लास्ट जो आपका चौतीसवां प्रतिवेदन है, उसमें आपने 140) रु. की रेट बताई है। स्पष्ट लिखा है 140) रु. एक टन ओर निकलने और 6 टन ओवर बर्डन को हटाने का दिया जायेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर साल के आंकड़े ले लीजिये। आंकड़े मेरे पास हैं। हर साल का खनन का जो औसत है वह मेरे पास है, राज्य मन्त्रीजी के पास है। जो कोटा तय किया गया वह मेरे पास है, खनिज मन्त्रीजी के पास भी है। समय-समय पर दी गई रिपोर्ट में भी लिखा है। जो कोटा तय किया गया, उस कोटे के अनुसार जो ओर खनन का लक्ष्य था वह तो पूरा हुआ लेकिन ओवर बर्डन के हटाने का जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं हुआ। उसका जो रेश्यो निश्चित था चार, पांच, छः 1:4, 1:5, 1:6 उस रेश्यो के अनुसार ओवर बर्डन नहीं हटाया गया है तो उसका जो चुकारा किया है वह चुकारा गलत किया है। माननीय सभापति महोदय, पहले यह शर्त थी कि 46) रु. में एक टन ओर का खनन किया जायेगा और उसके साथ चार टन ओवर बर्डन हटाया जायेगा। इस पांच टन को खनन कार्य 46) रु. पूरा नहीं हुआ।

इसी तरह जब रेट बढ़ी तो 96) रु. के हिसाब से एक टन ओर के साथ चार टन ओवर बर्डन हटाने पर चुकारा किया जाना चाहिये था। जब रेट बढ़ी 120) रु. तो 120) रु. के हिसाब से एक टन ओर के साथ 5 टन ओवर बर्डन हटाने पर चुकारा किया जाना चाहिये था। उसी परम्परा पर अभी भी उन्होंने शर्त रखी है कि 140) रु. के हिसाब से तभी भुगतान करेंगे जब एक टन ओर के साथ 6 टन ओवर बर्डन हटाया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे मैथमेटिक्स बतायें, जब ओवर बर्डन हटाने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए, और खनन के तो लक्ष्य पूरे हो गये, तो एक टन ओर खनन के हिसाब से पूरा चुकारा क्यों किया गया? ये चुकारे करने वाले अधिकारी इस राजस्थान की स्थिति को डांवाडोल करने वाले, धोखा देने वाले थे कि नहीं? सारे आंकड़े मेरे पास हैं, सारी रिपोर्ट हैं। ओवर बर्डन हटाने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए और कम्पनी को ओर के खनन के हिसाब से चुकारा किया जाता रहा। यह सबसे बड़ा संक्रमण है इस आर०एस०एम०एम० का। और आज क्या हुआ, सभापति महोदय? बढ़ते-बढ़ते ओवर बर्डन इतना बढ़ गया कि आज तीसरी पार्टी को पैसा देकर ओवर बर्डन उठाया जा रहा है। माननीय राज्य मन्त्री जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप भी दो साल से राज्य मन्त्री हैं, 70 से 72 तक रहे हैं आपको अन्दर की भी जानकारी है। आपने व्यक्तिगत रूप से मुख्य मन्त्री को, जब आप मन्त्री नहीं थे, पत्र भी लिखा है। मैं एक बात पूछ लूं कि आर०एस०एम०एम में क्यूबिक मीटर के हिसाब से रॉक हैण्डलिंग का कोई पैसा आज तक चुकाया गया है क्या? बहुत बड़ा घोटाला है। माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं क्यूबिक मीटर के हिसाब से अब ओवर वर्डन हटाने का ठेका दिया गया है। जो ओवर बर्डन को हटाने का ठेका दिया है, सभापति महोदय, उसके अनुसार 35) रु० 80 पैसा एक क्यूबिक मीटर ओवर बर्डन हटाने पर दिया जायेगा। बाकी आज तक रॉक हैण्डलिंग, चाहे वह ओवर बर्डन चाहे और था उसके रॉक हैण्डलिंग का पैसा टनों में चुकाया गया, रेटेड से चुकाया गया। यह एक मिस्चीफ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था, उस समय भी अपने उस एग्रीमेंट को देख लिया होगा। क्या हो रहा है। प्राइमाफेसी ऐसा दिखता है कि ओवर बर्डन को हटाने के लिए 6 करोड़ रुपया लगेगा। मन्त्री महोदय, माफ कीजिए, जिसको ठेका दिया गया है, ईस्टर्न एन्टर प्राइजेज को वह जिस ढंग से आज चल रहा है उस ढंग से वह 36 महीने में काम को पूरा कर सकेगा। 35) रु० 80 पैसा प्रति क्यूबिक के हिसाब से ठेका दिया गया है। 15 करोड़ रुपया यह जो आपका ओवर आर्डर है, उसको हटाने में लगेगा। 55 लाख टन ओवर बर्डन आज पड़ा है। माननीय सभापति महोदय। उसको हटवा रहे हैं। टनों में क्यों नहीं तय किया आपके अधिकारी ने? बाकी सारा रॉका हैण्डलिंग टनों है आप देख लीजिए आज 15 करोड़ जो आर. एस. एम. एम. को राज्य सरकार के खजाने से ओवर बर्डन हटाने के लिए जायगा, यह 15 करोड़ रुपया यह फाइमा फेसी 6 करोड़ नहीं है, मैं सारा हिसाब लगा कर बता सकता हूं, क्यूबिक मीटर क्या है साइन्टिफिक आधार पर जियोलोजिस्ट के आधार पर वहां के रॉक के हिसाब से केलकूलेशन निकालकर देना चाहता हूं, ये 6 करोड़ रुपया कहते है, यह सरकारी खजाने का भयंकर दुरुपयोग है। राजस्थान की जनता के ऊपर यह इस बात का टैक्स है कि राजस्थान के आर० एस० एम० एम० में जो अधिकारी बैठते हैं, वे नाकाबिल हैं। यह इस बात का टैक्स है कि वे अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सके। यह 15 करोड़ रुपया इस बात का राजस्थान की जनता को चुकाना पड़ेगा कि आर० एस० एम० एम० में बैठने वाले अधिकारी नियम के अनुसार अपना काम नहीं करवा सके। माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय क्या जवाब दें। कोई है आपके पास जवाब? आप क्या जवाब देंगे मुझे मालूम है। लेकिन मैंने स्पष्ट निवेदन किया है और हालत क्या है? हालत यह है, माननीय सभापति महोदय, आपको यह क्यों दिया, आपके पास मशीनें हैं। सारे हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया लेटेस्ट मॉडल शावल। डम्पर्स, ड्रिलिंग मशीन, दूसरी मशीनें आर० एस० एम० एम० लिमिटेड उदयपुर में हैं। माननीय राज्य मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, राजकीय उपक्रम समिति ने भी 78 में वहां का सारा ब्यौरा लिया था। उस समय भी यह पाया सारी मशीनों का केवल 40 प्रतिशत उपयोग होता था। उसके बाद 79 निकला, 80 निकला, 81 निकला, आज आर० एस० एम० एम० के पास जो मशीनें हैं, वह मशीनरी में आपको निवेदन करना चाहता हूं। इनके पास 4 इलेक्ट्रिक शावल्स हैं, 6 क्यूबिक याड्र्स के

(श्री कैलाश मेघवाल)

है। इनके पास 5 डीजल शावल्स हैं, 25 क्यूबिक यार्ड्स के, 42 डम्पर्स हैं जो 25 और 35 टन कैपेसिटी के बीच के हैं, 10 ड्रिलिंग मशीनें हैं 6 से 10 इंच डाया मीटर की हैं। 12 बुलडोजर्स हैं, 12 एयर कम्प्रेशर्स हैं, एक क्रशिंग प्लान्ट एक सैन्ट्रल स्टोर्स हैं, एक सैन्ट्रल वर्कशाप है। यह सारी कैपेसिटी इनके पास है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस कैपेसिटी का आज पूरा उपयोग हो रहा है क्या ? माननीय सभापति महोदय 1978 के आंकड़े हैं। उस समय के मशीनरी के आधार पर जो उत्पादन होते थे, उस बारे में पब्लिक अकाउन्टस कमेटी ने कहा है कि मशीनों का उपयोग सही नहीं हो रहा है। वह मैं इसलिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। राजकीय उपक्रम समिति विधायकों की समिति है, वह इस सदन से निर्वाचित होती हैं तो उससे कहीं थोड़ी सी शिक्षा लेते। यह सारा चार्ट आपका है। वर्ष 77–78 के लिए भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वाणिज्यिक पेज नम्बर 11 पर जो चार्ट दिया है उस समय जो मशीनें थीं उन सब में उपयोग का प्रतिशत 30, 31, 20, 4, 36, 56, 67, 40, 42, 24, 28, 10, 20, 9, 20, 38, 2, 43, 29, 40, 30, 2, 14, 20, 17, 10 है। इनका एवरेज जो मैंने निकाला हैं वह 30 या 31 प्रतिशत आता है। कोई 60 है तो कोई 21 इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आर० एस० एम० एम० में जो करोड़ों रुपये की मशीनें खरीदी गई हैं इन मशीनों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उसके बाद इसमें और जोड़ा हुआ है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब जो नीति तय हो रही है आर० एस० एम० एम० में वह है 5 लाख टन से ज्यादा नहीं निकालेंगे। योजनाबद्ध तरीके से चलाना चाहते हैं और इसलिए इस ढंग से चलेंगे। 5 लाख टन में, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन की कानपुर और खरबाड़िया की जो रॉक फास्फेट की माइन्स हैं उसका भी खनन आ जाता है। इनकी योजना में उस 5 लाख टन में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की जो मैट्न माइन्स है, उसका भी खनन आ जायेगा। इस तरह बहुत कम यह जो इनके पास केपेसिटी है वह 25 प्रतिशत कॅपेसिटी रॉक हैण्डलिंग के लिए यूज कर पायेंगे। 75 प्रतिशत केपेसिटी इनके पास आज बेकार पड़ी है। मशीनें आइडल पड़ी हैं, जिनसे यह सारा काम होता है ओवर बर्डन हटाने का, ये सारे रॉक हटाने का। आज उस आइडल पड़ी हुई मशीनरी को काम में न लेकर और ओवर बर्डन को नहीं हटा कर, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के साथ जो धोखा किया जा रहा है, उसको कैसे बर्दाश्त किया जाये, मुझे समझ में नहीं आता ? माननीय राज्य मन्त्री को तो शायद नींद आ जायेगी लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, ये अच्छे आंकड़े नहीं हैं, ये अच्छे लक्षण नहीं हैं। आप अपने आंकड़े दे दीजिए, जो आज मशीनरी है उसका उत्पादन का लक्ष्य कितना पूरा होगा ? आपने जो रेजिंग कांट्रेक्ट ईस्टर्न एन्टरप्राइजेज को दिया है, भाई, तुम हटाओ, उसके पास आज क्या है, माननीय सभापति महोदय ? उसके पास केवल तीन शावेल्स हैं। उसकी क्या केपेसिटी है ? 3 क्यूबिक फीट यार्ड की केपेसिटी है। 10 टन केपेसिटी के

(श्री कैलाश मेघवाल)

18 डम्पर्स हैं। यह केपेसिटी ईस्टर्न एन्टर-प्राइजेज की है। अगर मैं गलत हूं तो, माननीय राज्य मन्त्री महोदय, आप आंकड़े मंगवा लीजिए। अधिकारी सब आये हैं, लेकर आये होंगे। इस केपेसिटी के आधार पर वह यह ओवर बर्डन नहीं हटा सकता, कभी नहीं हटा सकता है। फिर ओवर बर्डन के एक के बाद एक नोटिस आये। माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है, सूचना समेत 1977 में भी नोटिस आये सैक्रेटरी टू डिपार्टमेंट से, 1978 में भी आये, 81 में भी आये। उन सारे नोटिसेज की आर. एस. एम. एम. के अधिकारियों ने पालना की है या नहीं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं? उन्होंने पालना नहीं की। उन्होंने साफ कहा है कि यह जो ओपन कास्ट माइनिंग है, उसके जो तौर तरीके माइनिंग के हैं डिपाजिट्स 16-16 मीटर नीचे तक हैं और जो 75 और 90 डिग्री के हॉरिजेन्टल है उनके लिए बहुत आवश्यक है कि जो फुट वाल है और हैंगिंग वाल हैं उनके बीच में बैंचेज कायम की जायें। क्या यह बैंचेज कायम की गयीं, सभापति महोदय? फुट वाल और हैंगिंग वाल के बीच में बैंचेज कायम नहीं की गयीं। तरी लाना चाहते थे। और निकालें और पैसा खाओ। एक टन का और उठाओ पैसा, ओवर बर्डन की कौन चिन्ता करता है जिसका वे पैसा लेते थे। आज फुट वाल और हैंगिंग वाल के बीच में बैंचेज नहीं बनने से राजस्थान के रॉक फास्फेट का जो कार्य है वह सारा अवैज्ञानिक हो गया है। कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, और इसलिए नहीं निकाल सकते जैसा मैंने कहा कि सीरियस आपरेशन नहीं होता। सीरियस आपरेशन इसलिए नहीं होता कि रख रखाव वाली स्थिति है। वहां जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वे आई. ए. एस. होते हैं, 2-3 साल में बदल जाते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वित्त सचिव, इन्डस्ट्री सचिव है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग हैं, आप एक के बाद एक नाम देखेंगे, वह इतने व्यस्त लोग हैं कि सारी बात समझने की उनको फुर्सत नहीं है। जब कभी भी मीटिंग होती है तो वहां का जो वैभव और ऐश्वर्य है उस वैभव और ऐश्वर्य के पीछे जो पैट्रोनाइज्ड लोग हैं, वे साथ लग जाते हैं और उसमें जो कुछ भी होता है नजर अंदाज किये चले जा रहे हैं। राजस्थान की जनता के साथ धोखा किये चले जा रहे हैं। इसका हल कब होगा, कैसे होगा आज राज्य मन्त्री मुझे बता दें। मेरा तथ्य गलत है तो मैं उनकी चुनौती किसी भी तरह की हो, स्वीकार करने को तैयार हूं। तो यह नोटिस आया था, जैसा मैंने आपसे कहा, समय-समय पर आपके पास नोटिस आये। नोटिस ही नहीं आजकल एक बात और हो रही है, वह आप सुन लीजिए। जो खरबाडिया माइन्स थी वह राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन को दी थी। उसका रेजिंग, खनन भी आर. एस. एम. एम. कर रहा है। दूसरा, आपकी जो मैटून माइन्स है, उसका भी खनन कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, लैंडिंग ग्राउण्ड झामर कोटड़ा में बनाया है। माननीय सभापति महोदय, बड़ी हंसी की बात है, वहां से खनन होकर लैंडिंग ग्राउण्ड झामर कोटड़ा पर आयेगा। यहां से उठेगा फिर आगे

(श्री कलाश मेघवाल)

जायेगा। वहां से उठेगा फिर जायेगा ट्रक में या वैगन में। 3-3 जगह लोडिंग अनलोडिंग है। कौन पूछता है, माले मुफ्त दिले बेरहम। सरकारी खजाना है, इसको कौन पूछ सकता है जहां चीफ सैक्रेटरी अध्यक्ष हों बोर्ड ऑफ डायरेक्सं के और जहां सचिवालय के बड़े-बड़े प्रभावशाली लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हों, वहां पर अंगूठा लगाना है लगवा लिया जायेगा। मैं आज भी चुनौती देकर कहना चाहता हूं, आर. एस. एम. एम. की सारी पद्धति, माननीय सभापति महोदय, 4 दिन का समय देता हूं, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी बैठ कर प्रामाणिकता से अगर मुझे समझा देंगे, मैं यहां से त्याग पत्र दे दूंगा। उरफत क्या होता है, और क्या होता है, कैसे निकलता है, वेनिफिसिएशन प्लान्ट क्या है। तो यह मैंने आपको इसलिए निवेदन किया, अब हो क्या रहा है कि वह लैंडिंग ग्राउण्ड के नाम पर आ तो रहा नहीं भयंकर चोरी चल रही है। सौ टन और नियमित रूप से रोजाना चोरी में जा रहा है। कानपुर का निकलने वाला जो पी2 ओ5 है वह 38 पर्सेन्ट है। $P_2 O_5$ is chemical name for rock phosphate, sir. रॉक फास्फेट जो कानपुर की खान से निकलता है 38 पर्सेन्ट है। सीधा उठाया और काम में आ जायेगा क्योंकि सामान्यतः 30 से 32 प्रतिशत का जो राक फास्फेट होता है उसके कोई परिशोधन की, कोई किसी वेनिफिसिएशन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी परिष्करण की आवश्यकता नहीं है वह सीधे बेचा जा सकता है। सौ टन रोज की चोरी हो रही है। और रख रखावन? उधर से राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन के कर्मचारी ने बैंक भेजा है। इधर से आया है और उधर से जा रहा है। सौ टन रोज इधर-उधर जा रहा है। यह मैं आपको इसलिए कहता हूं कि कितनी हानि होती है? कैसे होती है यह मैं आपको बताता हूं। यह मैं आपका 34वां प्रतिवेदन पढ़ रहा हूं। इस 34वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 27 पर आ जाइये। इस 27वें पृष्ठ पर, माननीय सभापति महोदय, 9 नम्बर का जो खण्ड है उसमें आप देखिये, 'रॉक-फास्फेट के विधायन घेत्ररित करने में नीचे वर्णित विभिन्न वर्षों में हुई हानि को अपलिखित करने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने की अभी तक प्रतीक्षा है।' माननीय राज्य मन्त्रीजी, आंकड़े देखिये 1975-76 में 26225 मैट्रिक टन। आज की कीमत में यह एक करोड़ का है। यह अपलेखन में आया है। 1976–77 में 32110 मैट्रिक टन अपलिखित कर दिया। साहब, रॉक हैण्डलिंग करने में गया, उड़ गया। अरे भाई कहां उड़ा, कैसे उड़ा? 78–79 में 13062, मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, जिस समय राज्य मन्त्री के स्थान पर बैठता था उस समय एक माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया था, साहब, यह चोरी जा रहा है, यह अपलेखन कहां है, हैण्डलिंग में बड़ा खा रहे हैं। उस समय हमको भी अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा होता है, वैसा होता है। मैंने कहा, ऐसा वैसा नहीं समझता, यह चोरी नहीं जाना चाहिए और उनके परिणाम सामने आयें। नीचे के दो साल देखिए, माननीय राज्य मन्त्रीजी, यह आपकी रिपोर्ट है, यह आपने छपाई है मैंने इसमें आंकड़े नहीं डाले

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिये हैं। माननीय सभापति महोदय मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं। कहां एक साल में 36200 और 1978-79 में 13062, 1979-80 में 1775। यह मैं नहीं कहता, मेरी क्षमता नहीं है. जो सफेद वेष में डकैत बैठे हैं माननीय सभापति महोदय, उनको कहीं न कहीं किसी केवल पर सीरियसली ठोकना पड़ेगा। ठोकने की हिम्मत उसमें होती है जो नाजायज लाभ नहीं उठावे, उनके किसी अवैध लाभ में हिस्सा नहीं बंटाये, जो उनसे किसी नौकरी की उम्मीद नहीं करें, जो कि आजकल एक सामान्य बात हो गई है।

माननीय राज्य मन्त्रीजी के कहने से एक को नौकर लगाया और राज्य मन्त्री बोलेंगे, आपने भी एक सिफारिश की थी। उसमें भी बड़ा जोर आया। एक झूंठी सिफारिश इनकी और दस उनके, बीस उनके। मैं उस प्रश्न पर आऊंगा। आप देखिये, आंकड़े मेरे नहीं हैं। मैंने कहा, कहां 36 हजार था और कहां अपलेखन की स्थिति थी। उतना ही और ज्यादा पैदा हुआ। आप आंकड़े देख लीजिए, उस समय के आंकड़े बता रहा हूं 1980-81 में वापस बढ़ गया है 6471। भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक जो बात बता रहे थे वह वापस पढ़ना चाहूंगा। माननीय राज्य मन्त्रीजी, ये आंकड़े क्या हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि उन आंकड़ों को आप सीरियसली देखिये। जो आपकी रिपोर्ट में हैं। आर० एस०एम०एम० को अगर आप डवलप करेंगे तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की भावी पीढ़ियां आपकी शुक्र गुजार होंगी। उसका वैज्ञानिक ढंग से सीरियसली आपरेशन करें। रख रखाव वाली बात छोड़कर 15 करोड़ का जिसने घाटा दिया, कौन है वह अधिकारी। कोई भी हो, मत छोड़िये उनको। उनकी ड्यूटी थी कि ओवर बर्डन हटना चाहिए था। आज यह क्यों हो रहा है? लीजिए सीरियसली एक्शन। अपलेखन में आप पता लगाइये कि क्या है, कितना आता है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि

(विराम)

यह मैं आपको बता ही चुका हूं।

"Notice under rule 108 of Metalleferous Mines Regulations, 1961. From Director, Mines Safety, Udaipur. For making proper benches in both foot walls and hanging walls in the years 1977, 1979 and 1981,"

77 में, कब का है, पता नहीं। मैं मंत्री था, 78 में मैं था, 79 में मेरे वक्त में आया। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी निगाह में नहीं लाया गया था। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कितने चौंकाने वाले आंकड़े हैं, ये रिपोर्टर्स हैं आडिटर्स की। सी०ए० होते हैं आडिटर्स। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि देश का जैसा वातावरण चल रहा है, माननीय सभापति महोदय, उसमें सी०ए० भी बचे नहीं हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अभी-अभी राज्य मन्त्रीजी के घर पर कोई शादी हुई है। लड़की की शादी हुई है और जंवाई जी भी उनके यहां आते होंगे और अपने यहां सबसे ज्यादा खातेदारी जंवाई की करते हैं। इसी तरह जब भी इस आर० एस०एम०एम० में सी०ए० गये हैं, आडिटर्स की पार्टी गई है, आर०एस०एम०एम० में जंवाई के नाते उनकी खातेदारी की गई है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि कुछ निकाल दें तो, बचना है। सी०ए० का आडिटिंग है। ये नहीं करें तो नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, आप देखिये तो सही, कितना है। मुझे कोई एतराज भी नहीं है, मैं जब माइन्स मिनिस्टर था तब के ये आंकड़े हैं, कोई एतराज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी यह आडिट रिपोर्ट सही स्थिति नहीं दर्शा सकेगी। जंवाई की तरह खातेदारी हो तो किसकी हिम्मत है कि ऐसी खातेदारी करने वाले को कोई गाली दे दे। यह मैंने इसलिए पूछा है कि आपके यहां जंवाई जी आते हैं तो कैसी खातेदारी करते हैं। इसमें हालत क्या है? माननीय सभापति महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, स्टेटुटरी आडिटर्स को ...

(व्यवधान)

देखिये, साहब, बड़े चौंका देने वाले आंकड़े हैं। "उपरोक्त आडिटर्स को नीचे अनुसार फीस दी गई, स्टेटूटरी आडिटर्स को। मैं केवल चार साल के आंकड़े देना चाहता हूं: 76-77 में 16 हजार 77-78 में 20 हजार, 78-79 में 20 हजार, 79-80 में 20 हजार और आंतरिक आडिटर्स को 75-76 में 15600) रु०, 76-77 में 21 हजार, 77-78 में 21 हजार, 78-79 में 84 हजार फीस दी गई। मै खनिज मन्त्री था। मुझे यह कहने में एतराज नहीं है। आप कहिये मैं था। इससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है, उपरोक्त आडिटर्स को नीचे अनुसार यात्रा भत्ता दिया गया। यात्रा भत्ता 75-76 में स्टेटुअटरी आडिटर्स को यात्रा भत्ता दिया 26236) रु०, 76-77 में 29309) रुपया, 77-78 में 40018) रुपया और 78-79 में 51,241) रुपये। आन्तरिक आडिटर्स का देखिये, 75-76 में 37430) रु०, 76-77 में 69449) रु०, 77-78 में 78 हजार रुपया मात्र भत्ता दिया। ये इनके आंकड़े हैं। उनको केश पेमेंट हुआ है। माननीय सभापति महोदय...

(व्यवधान)

क्या कहना चाहते हैं, शिवरामजी, आप।

**श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क): यह सब आपके वक्त में हुआ है।

**श्री कैलाश मेघवाल**: मेरे वक्त में हुए हैं, यह मैंने स्वीकार किया है।

**श्री सभापति**: आर्डर प्लीज।

**श्री कैलाश मेघवाल**: मैंने मना नहीं किया है। मेरे वक्त में हुए हैं। मैंने कहा है कि मेरे वक्त में हुए हैं लेकिन आपके राज्य मन्त्री बैठे हैं। मंत्री केवल माइन्स सैक्रेटरी, जो इसका डायरेक्टर हैं, के माध्यम से इसमें

(श्री कैलाश मेघवाल)

हस्तक्षेप कर सकता है या चीफ सैक्रेटरी को चिट्ठी लिख सकता है। इसका प्रशासनिक ढांचा जिस तरह का बना हुआ है, मैने कहा था यह नहीं सुधरेगा। नहीं सुधर सकती यह ब्यूरोक्रेसी, जिसके रख-रखाव के किस्से आज चलते हैं, और बाहर गली कूचों में आपको और हमको सुनने को मिलते हैं, उसके आधार पर जितने डायरेक्टर्स हैं वे सुधर नहीं करो। आप देख लीजिए कि इसमें डायरेक्टर कौन-कौन हैं। मैं कह रहा हूं यही नहीं, यही होता तो ठीक था। वहां जाते हैं तो कारों की क्या स्थिति है। पूछ लेना, माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, कारों की लॉग बुक मंगा लेना। वहां आडिटर्स जाते हैं उन आडिटर्स के बच्चों के लिए कार, उनके भाई के लिए कार उनकी मार्केटिंग के लिए कार। आर०एस०एम०एम० की कार है। बहुत बड़ा आर्गेनाइजेशन है, क्या चिन्ता है, करोड़ों दे रहे हैं, हो जाएगा कुछ तो हो जाएगा। कारों के साथ आर.एस.एम.एम. के गेस्ट हाउसेज हैं। आप नोट कर लीजिए, रिपोर्ट में भी लिखा है प्रामाणिकता से, "आडिटर्स को सही रूप से आने जाने के लिए कार भी उपलब्ध कराई जाती रही है तथा वे कम्पनी के गेस्ट रूम में ठहरते हैं। माननीय सभापति महोदय मेरे दिमाग में यह आया तो मैंने पूछा कि ये आडिटर्स कौन लगाते हैं ? साहब, वह लगाते हैं दिल्ली की कोई है एक आडिटर्स लगाने वाली। मैंने कहा कि उनसे पूछो कि यह क्या गड़बड़ हो रहा है ? मैं आपको, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, कुछ सुधार होगा, कुछ निश्चित बात हो गई कि इतना भत्ता मिलेगा, इतनी फीस मिलेगी और ये कार-फार नहीं मिलेंगी। ऐसा आपके यहां नोट है, वह आप देख लीजिए। यह मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे जंवाइयों की बनाई हुई यह रिपोर्ट आज कोई असलियत आर.एस.एम.एम. के बारे में बताये, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए तैयार नहीं हूं कि आज यह जो सारा चल रहा है उसके बारे में वहां कोई सीरियस नहीं है। यह प्रसाद साहब वहां गये, मैं उदयपुर गया नहीं हूं, उनको जानकारी है आजकल के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के बारे में। बाकी कोई सीरियसली काम करना नहीं चाहता। इसके बाद आगे चलिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं आडिट रिपोर्ट्स के बारे में। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह आपकी रिपोर्ट के 14 पेज पर है : 'वर्ष 80-81 के दौरान फर्नीचर और फिटिंग्स, कार्यालय के एवं अन्य उपकरणों, विद्युत उपकरणों तथा इन्स्टालेशन्स एवं सड़कों को सम्मिलित करते हुए स्थिर परिसम्पत्तियों के सत्यापन करने का त्रि-वर्षीय क्रमबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।" स्थिर सम्पत्ति के सत्यापन करने का कार्यक्रम हाथ मे लिया गया है। इनमें कुछ मदों का भौतिक सत्यापन पहले ही कर लिया गया है। अगले वर्ष के भौतिक सत्यापन के कार्यक्रम में अंकेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट लगभग समस्त मदों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा। अगले वर्षों के लिये भौतिक सत्यापन के कार्यक्रम में इन दृष्टिकोण को सम्मिलित करने के लिए सत्यापन दल में एक अभियन्ता रखा जायेगा। माननीय सभापति महोदय, बड़ी मिस्ची विग्रस रिपोर्ट है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसमें एक बात और कही गई है वह पेज 13 पर कही गई है। कम्पनी के अपने आकार एवं कारोबार की प्रकृति के अनुरूप अपनी आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है। देख लीजिए, माननीय राज्य मन्त्री महोदय, कम्पनी की अपने आकार एवं कारोबार की प्रकृति के अनुरूप अपनी आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है। इस प्रणाली का भी प्रयोग हुआ या नहीं, इन बातों का इन रिपोर्ट्स में कोई परिचय नहीं मिलता। यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, इसके पहले की जो रिपोर्ट है, 33 वां जो वार्षिक प्रतिवेदन है, उसमें एक बात स्पष्ट ईमानदारी से लिखी थी, वह पेज 13 पर है। अंकेक्षण की रिपोट का परिशिष्ट 'कम्पनी की अपनी आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है।'' माननीय राज्य मंत्री महोदय, जरा देखिये इसको। आप उलझ जायेंगे। यह बड़ा इम्पार्टेन्ट सवाल है, यह अफसर यहीं उलझाते हैं आपको। हां सुन नहीं सकेंगे, तो जवाब किसका देंगे। यह देख लीजिये। उनको यह सब पहले ही बताना चाहिए था।

**श्री सभापति** : वही सवाल देख रहे हैं।

**श्री कैलाश मेघवाल** : वह दूसरा देख रहे हैं। मैं यह चाहता हूं, वह सुनें इस बात को....

(व्यवधान)

इसलिए कि मैंने कहा एम. एम. के. वली वक्तव्य में जो टिप्पणी आई है, उसके पहले जो टिप्पणी आडिटर्स की है, वह टिप्पणी क्या है? यह पेज 13 पर दी गई है। उसके पहले कम्पनी की अपनी आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है। जो माननीय वली साहब ने लिखा है, परन्तु यह प्रभारी ढंग से कार्य नहीं कर सकी क्योंकि आन्तरिक अंकेक्षण का कार्य समय पर आवंटित नहीं किया गया। यह व्यवस्था यद्यपि कम्पनी के आकार के अनुरूप ही है परन्तु वास्तविक डिवीजन के सम्बन्ध में इसे और अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता है। अपेक्षा यह थी, अगर कि कोई ईमानदार चैयरमेन होता, इस कमेन्ट को देखते हुए वहां इतना कमेन्ट करके नहीं रह जाता और लिखता कि इस को हमने सशक्त कर लिया है, या सशक्त करने के साथ इस पद्धति को ठीक ढंग से चलाने का काम कर लिया है। इस 34 वे वार्षिक प्रतिवेदन के पेज 12 पर तीन नम्बर का आब्जेक्शन है वर्ष के दौरान प्रबन्धकों द्वारा स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया था परन्तु स्टोर तथा फालतू पुर्जो के मामले में बहुत सी मदें सत्यापित नहीं की गई हैं। मिलान किये जाने के अभाव में स्टोर के सत्यापन के सम्बन्ध में त्रुटियां अवधारित नहीं की गई हैं। क्या रिपोर्ट है। वह स्वीकार करवाना चाहते हैं। पूरी पद्धति आपके पास मौजूद है। काम क्या है। यह पूर्जे सत्यापित किस बेरहमी से किये गये। माननीय सभापति महोदय, जब जिसको कहीं टूर पर जाना पड़ा अफसर को, जब जिसको कुछ कमीशन की कमी आई, जब जिसको कुछ मौज मजे, आनन्द की कमी आई, अच्छा, यह पुर्जे ले आओ। माननीय सभापति महोदय, जितने

(श्री कैलाश मेघवाल)

पुर्जे खरीदे गये, मैं निवेदन करना चाहता हूं, न तो स्टाक रजिस्टर में है, न उनकी विद्यमानता है और उनमें से पचास प्रतिशत भी आज तक काम नहीं आये। कहां वे पुर्जे ?

**श्री सभापति** : समय काफी हो गया है। आप संक्षेप में कहें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं निवेदन करूं, इतनी सार्थक चर्चा मैं राजनैतिक आधार पर नहीं कर रहा हूं, आप समय दें। आर. एस. एम. एम. में क्या हुआ ? राज्य मंत्री बैठे हैं, यहां तो बड़े चंचल दिखते हैं। टेबल पर इतने चंचल हैं या नहीं, यह तो मालूम नहीं है। लेकिन अगर इनका ध्यान मैंने ईमानदारी से खींचा और इन्होंने अगर थोड़ा किया तो, माननीय सभापति महोदय, समय तो जो मिलेगा वह सार्थक होगा। आपको भी यह भी लगेगा कि निश्चित रूप से सार्थक है।

**श्री सभापति** : और भी लोग डिबेट में हिस्सा लेंगे।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मुझे मालूम है, लेंगे। इसमें मैं मना नहीं करता हूं। आप जितना समय देंगे उतना ही बोलूंगा। मेरे पास बहुत सारी तैयारी है।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आपको यह देखना तो पड़ेगा। आखिर हम नहीं देखेंगे। पुर्जे के बारे में है।

**एक माननीय सदस्य** : थोड़ा सा रहा गया।

**श्री कैलाश मेघवाल** : थोड़ा सा नहीं बहुत सारांश है इसमें। यह तो विधायकों की कमेटी है, जिसने सारांश दिया है।

**श्री सभापति** : अब पांच मिनट और हैं आपके लिए।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस डिबेट में तो समय निर्धारित है। डेढ़ घण्टा इनकी पूरी पार्टी का है, घण्टे भर यह अकेले ही बोल गये हैं। अगर आप अपनी पार्टी की तरफ से अकेले बोलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चूंकि जानकारी तो आपको ही ज्यादा है दूसरे इसमें बोलें, कोई खास बात नहीं है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है 77-78 का। इसमें इन्होंने स्पष्ट आक्षेप किया है, खनन मशीन तथा साज-सामान में ईंधन तथा लुब्रीकेन्ट की खपत हेतु मानक भी निश्चित नहीं किये गये।

**एक माननीय सदस्य** : उस वक्त तो आप ही थे।

**श्री कैलाश मेघवाल** : हां, मैं था। मैं मना नहीं कर रहा हूं।

**एक माननीय सदस्य** : आप अपनी पोल बता रहे हैं।

**श्री कैलाश मेघवाल** : हां, मैं अपनी पोल बता रहा हूं। यह पोल बताने की हिम्मत आप में नहीं है। क्योंकि रख रखाव वाली संस्कृति के लोग हैं इसलिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। 'कुछ और बातें बतावें, कैलाश जी।

**श्री कैलाश मेघवाल** : सुझाव तो यह है कि गलतियां दूर हो जायं। आमद दुगुनी और पिलफरेज खतम। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं लेकिन पत्राचार तो गौरव कर रहे हैं। 34 करोड़ ले सकते हैं यह चाहे तो सवाल यह है कि सुधार तो करो। एक पाइन्ट यह भी माननीय राज्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं, वहां जो यह डम्पर चलते हैं, जो यह बुलडोजर चलते हैं, या दूसरी मशीनरी को ले जाने के वाहन चलते हैं उनके अन्दर कितने लीटर डीजल पैट्रोल खर्च होगा। आपका कोई पैमाना नहीं हैं। भराये ले जाओ, भरे हुए हैं। एक साथ खरीदते हैं। जितना ले जाओ, उसका उपयोग हुआ नहीं। उसका आक्षेप किया है, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में पेज 15 पर खनन मशीन तथा साज--सामान में, ईंधन तथा लुब्रीकेन्ट की खपत हेतु मानक भी निश्चित नहीं किये गये। 1976-77 तक वास्तविक खर्चे के मशीनवार लेखे भी नहीं रखे गये। 1977-78 के दौरान उसी श्रेणी की मशीन साज-सामान हेतु प्रति घण्टे ईंधन तथा लुब्रीकेन्ट औसत खपत में भी पर्याप्त अन्तर था।

मैं यह कह रहा हूं कि मुझे सुझाव यही देना है कि यह जो गलतियां हो रही हैं, यह जो चल रहा है, क्या कहते हैं आपाधापी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मीटिंग हुई और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर समझेंगे, समझेंगे तब तक कोई और बात हो जायगी, या ट्रांसफर हो जायगा। वली साहब को फुर्सत नहीं है उसको समझने के लिए। शायद आज की चर्चा के बाद इसको सीरियसली देखेंगे। मैं चाहता हूं, देखें। आखिर हम यहां से आमद ले रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, स्टाफिंग पैटर्न। माननीय सभापति महोदय, मैं शार्ट करूंगा, आपने समय शोर्ट कर दिया है। स्टाफिंग पैटर्न क्या है। मालूम है आपको? माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, आप सचिवालय में बैठते हैं, आप सुनिये, 21 यहां पर आटोमेटिक प्रमोशन है। एक एल. डी. सी. लगा, तीन साल बाद वह यू. डी. सी. हो जायेगा, तीन साल में उसको और प्रमोशन। मैं स्टाफिंग पैटर्न की बात कर रहा हूं आर. एस. एम. एम. में जिसमें आप भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चैयरमेन साहब कर सकते हैं। आप उन्हीं को चिट्ठी लिखेंगे। वह आपके वहां के माइन्स सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे। अपनी स्थिति वहां कमजोर है। लेकिन सरकार अपनी है। केबिनेट कर सकती है। चैयरमेन जो है, वह चीफ सैक्रेटरी है। यह आज तक किसी आर्गेनाइजेशन में आपने सुना कि जितने एल. डी. सी. लगे वह तीन साल में यू. डी. सी. हो जायें, जितने यू. डी. सी. लगे वह असिस्टेन्ट सैक्रेटरी हो जाये। अब क्या परफार्मेन्स का सिद्धान्त रहा? एक असिस्टेन्ट सैक्रेटरी के नीचे दो यू. डी. सी. रहेंगे, कहां रहा वह सिद्धांत? आपका स्टाफ जिस

(श्री कैलाश मेघवाल)

बेरहमी से बढ़ा है, माननीय सभापति महोदय, इस नीति से। यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं, पब्लिक अण्डर टेकिंग्स कमेटी ने कहा है, दूसरे राज्यों में भी आटोमेटिक प्रमोशन का नहीं है....

( व्यवधान )

आटोमेटिक प्रमोशन के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। इतना बड़ा आर्गेनाइजेशन, 17 करोड़ का जो लाभ देता है, आज वहां पर अनस्किल्ड लेबर के रूप में लगा गये उसने नैक्स्ट प्रमोशन पा लिया तो आज वहां पर लोएस्ट कैडर पर भर्ती होने वाला आदमी चीफ इंजीनियर बनेगा। कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान नहीं है। फ्रेस ब्लड, एन्थूजियास्टिक ब्लड, टेक्निकली साउन्ड, एजूकेशनली साउण्ड, नो हाऊ के सारे रास्ते बन्द हैं यह लम्बा चौड़ा इस सारा पेटर्न के बारे में है। लोएस्ट कैडर में जम्पिंग, दो दो तीन तीन जम्पिंग दे देते हैं कामन सीनियोरिटी नहीं है। एक आर. एस. एम. एम. का बड़ा सारा आर्गेनाइजेशन है, लेकिन अलग अलग सैक्शन की अलग सीनियारिटी। कामन सीनियोरिटी आज तक नहीं बना सके। इसके जो नियम है, पहले नियम ही नहीं थे, मैं आपको सब से बड़े आश्चर्य की बात बताऊं, यह सब क्यों? क्योंकि एम्पलायमेंट के कोई नियम ही नहीं हैं। कैसे भर्ती करेंगे, कैसे प्रमोशन होंगे, इसके कोई नियम नहीं थे, माननीय सभापति महोदय। जब यह बात मेरे ध्यान में लायी गयी, माननीय राज्य मन्त्रीजी, इस बात को सही करेंगे कि 1978 में पहली बार नियम बने, इससे पहले रूल्स ही नहीं थे। हमारी पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी इस बारे में कहती है— आफिसर अननेसेसरी, पेज 33 पर। इसमें उन्होंने पैरा ग्राफ 5.7 और 5.8 में सारे आफिसर्स के नाम गिनाये हैं। उसके बाद पैरा 5.9 में लिखते हैं कि "मुख्यालय के उपरोक्त अधिकारियों का औचित्य के सम्बन्ध में विचार करते समय कमेटी ने फास्फेट संभाग और डिस्पैच संभाग कार्यरत अधिकारियों के पदों और उनके वेतनमानों को ध्यान में रखा है। इस सम्बन्ध में समिति का विचार है कि जो फास्फेट संभाग में एक अकाउन्ट्स आफिसर का पद है तथा विपणन संभाग में जो वित्तीय अकाउन्ट्स आफिसर है और खानों के लेखों सम्बन्धी कार्य वहां हो रहा है। मुख्यालय में वित्तीय अकाउन्ट्स आफिसर और असिस्टेण्ट अकाउन्ट्स आफिसर के पदों का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। साथ ही यह समिति यह भी अनुरोध करती है कि वित्तीय अकाउन्ट्स आफिसर्स और असिस्टेण्ट अकाउन्ट्स आफिसर्स के पद अलग-अलग रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।" यह सारे कारण बताये हैं, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। यह आश्वासन दिया गया है कि इसको ठीक कर लिया जायेगा। आज तक तो ठीक नहीं किया गया है सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, बेनिफिसिएशन प्लाण्ट की बात करनी है यह प्लाण्ट तो इस आर. एस. एम. एम. के गले की हड्डी बन गया है।

**श्री परसराम मदेरणा** (खनिज मन्त्री): सर्विस रूल्स जो आपने बनाये थे उसका तो

(श्री परसराम मदेरणा)

कहीं अभिलेख में, रेकार्ड पर जाना चाहिये You have done a commendable work. लेकिन आपने, जो सरप्लस स्टाफ था, उसके लिए सर्विस रूल में एक प्रावधान क्यों नहीं डाला कि उनको हटाया जाय या टर्मिनेट कर दिया जाय ?

**श्री कैलाश मेघवाल :** यह प्रावधान, अगर सामने आ जाता यह स्थिति तो....

**श्री परसराम मदेरणा :** अगर यह कर देते तो पी. यू. सी. को इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। आपने रूल में बहुत बड़ा लेकना रख दिया।

**श्री कैलास मेघवाल :** माननीय सभापति महोदय, माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने तो हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर दिया। वे भी जानते हैं कि जब जो स्थिति आती है उसी के अनुसार कदम उठाये जाते हैं। वह आप क्यों नहीं करते। रूल्स बने हुए हैं, कोई भी बाधा आती है स्मूथ वर्किंग में जब रूल आड़े आ जाते हैं कोई भी बाधा आ जाती है, तब कदम उठाये जाते हैं। उस समन मेरे ध्यान में यह बात लाई नहीं गयी। ये हरजी रामजी बुरड़क जो थे, उस वक्त पेश हो गई थी। लेकिन मैं कर नहीं सका, यह सही है। मैंने इसको कई बार स्वीकार किया है। कई बातें समय-समय पर सामने आती गई....

**श्री शिवराम शर्मा :** वह आपके राज में आपको याद नहीं आया।

**श्री कैलाश मेघवाल :** अरे, शिवरामजी, आपकी समझ के बाहर है जब समझ जाओगे तो आपका हस्तक्षेप भी स्वीकार कर लूंगा। यह मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हालत यह है, माननीय सभापति महोदय, राज्य मन्त्रीजी नोट कीजिये, आप तो क्वोटेशन पद्धति पर आ रहे हैं। बेनिफिसियेशन प्लान्ट के लिए अभी जियालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के चैयरमेन हैं, उन्होंने एक बात कही कि राक फास्फेट की लो-ग्रेड को सीधा काम में ले लिया जाय, ऐसी पद्धति का विकास आस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट्स कर रहे हैं। अगर यह बात सही है, जैसी कि मुझे सूचना है, तो यह 100 करोड़ का कॉमर्शियल बेनिफिसियेशन प्लाण्ट आप क्यों लगा रहे हैं। इस प्लाण्ट के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो यह करवा रहे हैं, करने दो, उसे कोई दिक्कत नहीं, वहां किस किस तरह के तौर-तरीके चलते हैं, लेकिन कहीं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं चला जाय। आपको तो पानी की अभी तैयारी करनी है और मेरी सूचना यह है कि जितना पानी चाहिये, वह रिपोर्ट गलत है, उसको आप पुन: चैक कराइये एक्सपर्ट्स कमेटीज से, ऐसे लोगों से चैक मत कराइये जो यह देखें कि बांध बनेना तो अपना हिस्सा अपने को मिलेगा। आपको बांध चाहिये, पावर चाहिए और बेनिफिसियेशन प्लाण्ट बनने के बाद जिस ढंग से यह आर० एस० एम० एम० विकसित होगा उस विकास के साथ आपको बड़ी रेल लाइन चाहिये क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं हैं। इस इन्फ्रा स्ट्रक्चर की जब तक आपकी पूरी तैयारी न हो, सभापति महोदय, मैं निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)

करना चाहता हूं कि राजस्थान के जन-धन के साथ खिलवाड़ न करें। इसमें यह बिन्दु भी देखें कि राक फास्फेट का लो-ग्रेड है यह सीधा काम में आ सकता है। अभी ऐसा है, सभापति महोदय, पाइन्ट रह गया....

(4.45 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितना समय और है मेरे लिए ?

**श्री उपाध्यक्ष :** आपको एक घण्टा हो गया है। आप दूसरों को भी मौका दीजिए।

**श्री कैलाश मेघवाल :** मैं समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**श्री शिवराम शर्मा :** इनके समय में कमियां रह गईं जो बता दें।

**श्री उपाध्यक्ष :** गुलाबचन्द कटारिया।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दीं, उनको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि ओवर-बर्डन का जिस हिसाब से काम बढ़ा है और जिस आधार पर प्राइवेट कम्पनी को आपने ठेका दिया है वह वास्तव में इस आर. एस. एम. एम. पर बहुत बड़ा भार है। आप इस पर फिर से विचार करिये। जो साधन आज हमारे पास है, आज आर. एस. एम.-एम. में है, उसमें लगभग 15-16 करोड़ की मशीनें हमारे पास हैं और हिन्दुस्तान की अच्छी से अच्छी और विश्व की जानी मानी मशीनें हैं वह हमारे पास हैं। वह मशीनें प्रतिदिन 5-6 हजार टन ओवर बर्डन उठा रही हैं। जो 15 करोड़ की मशीनें है, और जिस कम्पनी ने ठेका लिया है उसके पास साधन बहुत सीमित हैं, इसका सौवां हिस्सा भी नहीं है, वह प्रतिदिन 4 हजार टन उठा रही है, वह इतने सीमित साधनों से उठा रही है 4 हजार टन प्रतिदिन। तो वास्तव में अगर हमारे साधनों का उपयोग किया जाय, हमारे यहां के वर्कर्स का उपयोग किया जाये तो ओवर बर्डन उठाने के लिये इस पार्टी की आवश्यकता नहीं। हम इसमें कठोरता करके डिपार्टमेंट को मजबूर करें कि वह इस ओवर बर्डन को हटाये और, जो हम पर जबर्दस्ती घाटा थोपा जा रहा है उसको हटाया जाय। श्रीमान, यही नहीं, जो माल भेज रहे हैं, हमारी थोड़ी सी गलती के कारण हमको माल लोड करना पड़ता है या तो उदयपुर स्टेशन से या फिर उम्बाड़ा स्टेशन से माल लोड होता हैं वहां से रतलाम जाकर फिर बड़ी लाइन में जाने के कारण वहां से हटकर फिर लोड होता है। इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है यह फिजूल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है। इसके लिये आप एक काम कर सकते हैं, पहले ट्रक में जाता है, फिर रेल में जाने के लिये उम्बाड़ा से लदना है, वहां से जाकर फिर रतलाम में बड़ी लाइन के दूसरे डिब्बे में माल चढ़ता है, आप इस पर विचार करिये। यह सोच कर नहीं कि यह हम कह रहे हैं। इसलिये इसको बेकार न समझ कर हम चाहे तो रेलवे की उम्बाड़ा और झामर कोटड़ा तक लाइन बढ़ा सकते हैं। केवल पांच किलोमीटर की दूरी है उसको पूरी किया जा सकता है लेकिन कुछ प्राइवेट पार्टियां इस काम का ठेका लेकर जनता का पैसा बरबाद कर रही हैं उन लोगों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण। कभी किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि हम इस रेल लाइन को चार किलोमीटर झामर कोटड़ा तक खड़ी कर दें जिसके कारण लदान का फिजूल खर्चा बचे। यही नहीं, श्रीमान्, आपको ताज्जुब होगा, यह जो प्रगति विवरण है 79-80 का, इसमें आपने लिखा है कि हमारा प्रति दिन प्रति टन 20) रुपये के हिसाब से लॉस हो रहा है। आप इस लाइन को देखिये इस प्रक्रिया में रतलाम से राक फास्फेट का पुनः लदान करना पड़ता है। पुनः लदान करने व मार्ग में वैगन से माल निकल जाने के 5 से लेकर 7 प्रतिशत तक की कमी हो जाती है। यह कमी 20 रुपये प्रति टन होती है। इस हानि की पूर्ति रेलवे द्वारा किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। फिर आगे सुनिये, कितनी आश्चर्यजनक बात लगेगी। तुला यन्त्र की सुविधा के अभाव में रेलवे द्वारा सही आर. आर. जारी नहीं की जाती। क्या तुला यन्त्र में लाखों रुपये लगते है? केवल वजन करने के लिये हम कोई कांटा नहीं लगा सकते? क्या हम इतने गरीब हैं। इसके कारण प्रति टन .0 रुपये इन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन इससे बहुत अधिक है। श्रीमान्, चार लाख टन प्रति वर्ष की कमी हो रही है। यह इनके आंकड़ों से है। इसका मतलब यह हुआ, 80 लाख का घाटा केवल आपके और इन अधिकारियों की दी हुई रिपोर्ट के आधार हो रहा है। अगर इसकी तह में जाये तो 2 करोड़ मिलेगा। इस तरह से माल की चोरी होती है। कितना माल लद कर जाता कांटे पर? एक बार गाड़ी लेट हो गई, किसी दूसरे आदमी का कांटा लगा हुआ है वहां माल तुल कर ट्रक अनलोड होता है। फिर वापस आकर खाली ट्रक कभी भी नहीं तुलता। पता नहीं लगता कि माल कहां गया, कितना था उसमें, कोई हिसाब नहीं है। हम को यह चाहिये, लदान का जो वजन आता है उसको ठीक ढंग से देखा जाय ताकि हमारे प्रदेश का जो इतना बड़ा धन है जिसकी हानि हो रही है जिसको चोरी हो रही है उसको रोका जाये।

इसके साथ, श्रीमान्, आपको बड़ा आश्चर्य होगा यहां पैसा इस तरह से खाया जा रहा है जैसे किसी के बाप-दादों की जागीर हो। आपको ताज्जुब होगा कि आर. एस. एम. एम. में एक लाख रुपया पर मन्थ का मैडिकल बिल उठता है। एक लाख रुपया पर मन्थ। यह मैं नहीं कह रहा, इनकी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के मिनिटस हैं। ये मिनट्स 7 जनवरी, 1982 के दिन के हैं। एस. प्रसाद, जो एम. डी. हैं, ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने

( श्री गुलाबचन्द कटारिया )

लिखा है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका प्रति माह एक हजार से लेकर दो हजार रुपये का का मेडिकल बिल बनता है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राज्य मंत्री, खजिन) : कटारिया जी, एक मिनट। जो लासेज आपने बताये हैं यह किस की रिपोर्ट से आपने पढ़े हैं ?

**श्री गुलाबचंद कटारिया** : यह आपकी 1979–80 की प्रगति रिपोर्ट अन्तिम पृष्ठ पर लिखा हुआ है। आपने माना है कि 20/– रुपये प्रति टन के हिसाब से हम को यह लासेज होते हैं, वजन के डिफरेंस के कारण और चार लाख टन माल जाता है तो वह 80 लाख रुपये का हो जाता है। श्रीमान्, इसमें लिखा है। यह जो एम. डी. हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है, इस पत्र में लिखा है :,

"It has been observed that certain employees have claimed reimbursement in respect of their in-laws, their parents, married daughters and sisters." ऐसे लोगों के नाम से यहां पर मेडिकल बिल उठाते हैं। जब कि ये सब आप कमाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके मैडिकल बिल उठते जा रहे हैं। श्रीमान् इन मेडिकल बिलों के बारे में मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं जो इन बातों को शो करते हैं, किस तरह से बेरहमी से आर० एस० एम० एम० की इस प्रापर्टी को एक तरह से लूट रहे हैं। हमारे जो यूनियन के वर्कर्स हैं, जिनके बारे में आपने कहा, उन लोगों में से कुछ के नाम आनको पढ़ कर सुनाता हूं। जो अध्यक्ष हैं यूनियनों के उन लोगों ने यह बिल उठाये हैं। उपाध्यक्ष मि० रोजर्स ने भी उठाये हैं। ऐसे 19 लोग हैं जिन्होंने प्रति माह एक हजार से लेकर दो हजार तक के बिल उठाये हैं। लगातार 6 महीने तक बिल बनते रहे और पास होकर पेमेन्ट होता रहा है। श्रीमान्, यही नहीं इसमें आगे भी बहुत कुछ है। वास्तव में हम इसको सुधार सकते हैं लेकिन हमारी शायद यह इच्छा नहीं है। हरिप्रसाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इन्टक के उनका बिल है। आर० एन० मौर्या कोषाध्यक्ष है, उनका बिल है। सांवरलाल, संयुक्त मंत्री का बिल है। अज़ीज खां इनके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका बिल है। ऐसे 19 लोग की सूची है। ये लोग इस तरह से बिल उठाते हैं। प्रति-माह का मेडिकल बिल बना कर यह आर. एस. एम. एम. के एक लाख रुपये का किस प्रकार सदुपयोग कर रहे हैं। श्रीमन्, यही नहीं, यह सुन कर शायद कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है, वे मेरे से शायद नाराजगी जाहिर कर सकते हैं लेकिन आपने देखा होगा, 19 जनवरी को इस देश में मजदूरों ने एक आन्दोलन किया था, अपने अधिकारों के लिये। उस पर एक नोटिस निकाला था आर. एस. एम. एम. ने कि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना उचित नहीं है। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन, 20 तारीख को मुख्य मंत्री देबारी पधारे। उनके स्वागत के लिये आर. एस. एम. एम. ने छुट्टी कर दी। श्रीमन् वहां का आर्डर है, किस तरह से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया )

आर्डर निकलते हैं वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं । 'यह आर. एस. एम. एम. का कार्यालय आदेश है । राक फास्फेट मजदूर संघ, झामरकोटड़ा के अनुरोध पर दिनांक 20.1.1982 को माननीय मुख्य मंत्री जी की सभा में उपस्थित होने के लिये उक्त दिवस को देबारी जाने व आने के लिये प्रातः काल 8 बजे से अपराह्न 12 बजे तक की अवधि के लिये समस्त कामगरों को रिलीज किया जाता है ।" रिलीज ही नहीं किया, आप देखिये, आर. एस. एम. एम. ने उन कामगरों को ले जाने के लिये चार गाड़ियों का प्रबन्ध किया । उन चार गाड़ियों का पेमेन्ट आर. एस. एम. एम. ने किया । मैं उन्हीं का आदेश बता रहा है जिस के आधार पर उन्होंने पेमेन्ट किया है । उनके अधिकारी लिखते हैं "प्रशासन विभाग, उप प्रबन्धक, प्रशासन । लिखने वाले हैं श्री के० एल० लूकर, जो वहां खदान प्रबन्धक है । वे लिखते हैं कि मैसर्स जगदीश चन्द्र वर्मा, बिल नं० एवं दिनांक....

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

**श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाये और 5 बज कर 40 मिनट पर गवर्नमेंट रिप्लाई शुरू करा दिया जाये । उस तरह से आप रेगूलेट कर दीजिये ।

**श्री उपाध्यक्ष :** समय एक घन्टे के लिये बढ़ाया जाता है ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** मैं तो जगदीशचन्द्र वर्मा, बिल नं० एवं दिनांक ...

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या आपकी परमिशन है कि समय बढ़ाया दिया जाये ?

(व्यवधान)

समय एक घन्टे के लिये बढ़ाया जाता है ।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता ।

**श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :** आप बंधुआ मजदूर कब से बन गये ।

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें ।

**राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के 34 वें वार्षिक प्रतिवेदन 1980–81 तथा राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों का विवरण 1980–81 पर विचार**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** उपाध्यक्ष महोदय, मैसर्स जगदीश चन्द्र वर्मा, को बस नम्बर 3747 दिनांक 20.1.1982 को झामरकोटड़ा खदान से हिन्दुस्तान जिंक

( श्री गुलाबचन्द कटारिया )

स्मेलटर तक कामगरों को क्रमश: लेकर गयी एवं पुन: लेकर आयी जिसका अन्तराल 70 किलोमीटर है, जिसका कुल किराया 196.59 देय है। यह किराया माह जुलाई का इनके जो नियम हैं उनके अनुसार से है। ऐसी पांच बसें गई हैं। मैसर्स लक्ष्मी ट्रेवलर्स की एक बस गयी जिसका 196.59 रुपया किराया है। मैसर्स लक्ष्मी बस सर्विस की तीन बसें गई, 196.59 के हिसाब से, मैसर्स जगदीश वर्मा की एक बस गई। यह मिला कर 982.92 रुपये का उनको पेमेन्ट किया गया है। ये उन के आर्डर्स हैं।

श्रीमान्, यही नहीं यहां जिस यूनियन के बारे में आप तारीफ कर रहे हैं, अगर वे यूनियन चलावें तो अपने बलबूते पर चलावें लेकिन यह आर. एस. एम. एम. वह यूनियन कैसे चलाते हैं। यूनियन के पदाधिकारी अगर जयपुर के अन्दर अधिवेशन में आते हैं या यूनियन का कोई अखिल भारतीय अधिवेशन जावर माइन्स में है तो उसके लिये उनको आने जाने के लिये पैसा दिया जाता है। उसका आर्डर आर. एस. एम. एम. के आफिसर निकालते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, "राक फास्फेट मजदूर संघ की कार्यकारिणी के सदस्य, जो कि संघ के प्रान्तीय अधिवेशन में भाग लेने के लिये जयपुर गये उन्हें झामरकोटडा खदान से उदयपुर जाने एवं उदयपुर से वापस झामरकोटड़ा खदान पर आने के लिये नियमानुसार देय बस किराया देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"....

(व्यवधान)

श्रीमान् यही नहीं, एक दूसरा आर्डर 29.11 का इसी प्रकार है, एक दूसरे अधिवेशन के लिये....

(व्यवधान)

राक फास्फेट संघ के निम्नलिखित....

( व्यवधान )

तो मैं आपको निवेदन कर रहा था....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तारीख बता दीजिये।....

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : तारीख ही नहीं मैं आपको आर्डर नम्बर व आर्डर की कॉपी दे देता हूं। पहले वाला 6.12.1981 का कार्यालय आदेश है। अगर आप चाहें तो नम्बर नोट कर लें, 403/2ओ,एफ/534।....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : ये लाये कहां से ?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : कहां से लाया यह तो नहीं पूछना। एक दूसरे और है। दूसराजो आदेश है वह भी कार्यालय आदेश है। वह है 29.11-1981....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : जो यूनियन के साथ एग्रीमेन्ट हुआ है, वह आप पेश कर रहे हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : यूनियन के साथ यह एग्रीमेन्ट नहीं है कि आप किसी अधिवेशन में जायें तो उसको छोड़ने और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लाने का पैसा भी आर. एस. एम. एम. दे। आपकी कुछ सुविधा के लिये जरूर एग्रीमेन्ट है। उस पर हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन इस तरह से पैसा देने का कोई हमारा एग्रीमेन्ट नहीं है। श्रीमान्, यही नहीं, एक और नुकसान जो पिछले कुछ दिनों पहले आपने किया उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक जिप्सम डिवीजन बीकानेर में है वह आर. एस. एम. एम. के अन्दर में है। पिछले कुछ सालों से जिप्सम डिवीजन में कुछ काम कम हुआ है। वहां पर जो लोग थे, जो बड़ी मशीन, शावेल और डम्पर्स को चलाने वाले लोग थे उनका ट्रान्सफर किया था, झामरकोटड़ा उदयपुर में। उनके ट्रान्सफर 1971 से लेकर 1975, 1976 और लास्ट में 1977 तक वहां से यहां इसलिये किये गये थे कि वहां काम कम था। लेकिन एक आदेश निकला है इसी छठे महीने में, और उस आदेश के द्वारा 40 लोगों का वहां से ट्रान्सफर कर दिया। वह आर्डर मैं आपको बताता हूं। वह 28 मई, 1982 को निकला है। बी. सी. मेहता, चीफ पर्सोनल के सिगनेचर से यह आर्डर है। उसमें लिखा है, "इन 40 व्यक्तियों का आप जिप्सम डिवीजन में ट्रान्सफर कर दें।" ये जिप्सम डिवीजन में जायें, काम करें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिप्सम डिवीजन पर उनका एक मिनट का भी काम नहीं है। केवल दस्तखत करके ढाई महीने से वे लोग बैठे हैं और उनकी सेलेरी प्रति माह 80 हजार रुपये होती है। मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब देना। ढाई महीने पूर्व 40 लोगों का ट्रांसफर जिप्सम डिवीजन में किया है, 1-6-82 के दिन ट्रांसफर आर्डर निकला है, उन्होंने वहां ड्यूटी जोइन की, ढाई महीने से ये 40 लोग वहां पर क्या काम करते हैं? एक तरफ ये सब इतनी बड़ी मशीन को चलाने वाले हैं और दूसरी तरफ कोटड़ा में मशीन के लिए आदमी नहीं हैं, उनको आप ओवर टाइम दे रहे हैं। एक तरफ हमारा पैसा फालतू जा रहा है, बेकार बैठे लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं दूसरी तरफ यहां पर लोगों को ओवर टाइम दिया जा रहा है। आपके पास काम है तो आप उनको वहां लगाइये, कोई एतराज नहीं है। अगर काम नहीं है तो आप उन लोगों को कम से कम यहां लाकर, यह जो ओवर बर्डन हटाने का काम है 15-16 करोड़ का, उस जगह लगा कर काम क्यों नहीं ले सकते? इस तरह की धांधली हो रही है, मैं चाहूंगा कि राक फास्फेट के आधार पर राजस्थान की बहुत कुछ खुशहाली निर्भर है, हम इससे बहुत आपको पैसा कमा कर दे सकते हैं, लेकिन भगवान जाने हर एक चीज का यह हाल है, अगर वह कुबेर का खजाना है, उससे जो चाहे जेब भर कर ले आये। अगर आप यही मंशा लेकर इसके सुधार की ओर चलेंगे तो हम सुधार नहीं कर पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जितने हमारे लीकेज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की बेईमानी हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन के कारण लॉसेज हो रहे हैं जिस तरह से वहां काम हो रहा है, आदमी एक दिन में दो घंटे भी वहां काम नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करता है आराम से बैठा रहता है। केवल पैसे पूरे करने के लिए वहां काम चल रहा है। आप उस ओर देखें और हमारी इस आर. एस. एम. एम. की स्थिति को सुधारिये।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आप वहां पर भाषण दे आते हैं कि भाइयों इसी तरह करो और यहां कहते हैं कि काम नहीं करते हैं। उनको तो आप काम नहीं करने देते हो। जिनके ट्रांसफर किये हैं उनको आप कहते हैं कि यहां पर अड़े ही रहो।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : माननीय चीफ व्हिप साहब, आपको मैं इस बात के लिए आमंत्रण देता हूं कि किसी भी भाषण का कोई भी शब्द आप इस प्रकार का निकाल दें तो किसी भी प्रकार का नुकसान करके यहां काम करें तो मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : ठीक है फिर अपन असेम्बली के बाहर मिलेंगे।

(व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : मैं जो भी कहता हूं जिम्मेदारी से और सोच विचार के कहता हूं। इतनी बड़ी बात कहने से पहले मैं तोल कर कहता हूं। हमारे मन में यह भावना नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे जो लीकेज हैं बड़े लोसेज हो रहे हैं. हम एफिसियेन्सी के आधार पर रोक सकते हैं और बहबूदी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने यह सुझाव दिये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सी. पी. जोशी।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में डेढ़ घंटे से चलती हुई बहस के बाद मैं स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे पास जियोलोजी का सब्जेक्ट था। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही उस सब को सुनने के बाद सबसे मोटा और मौलिक प्रश्न आता है वह यह आता है कि सारे आर. एस. एम. एम., जिसके आधार पर राजस्थान की इकानामी को सुधारा जा सकता था, को केवल मात्र ब्यूरोक्रेट के हाथों में छोड़ दिया गया है जिनकी क्वालिफिकेशन यह है कि जीवन में कोई काम्पिटेटिव एग्जाम पास कर लिया, अपने जीवन में एक परीक्षा पास कर ली और उसे पास करने के बाद अपने आपको एक्सपर्ट मान लिया, एक्सपर्ट बन गये। उस सारे आर. एस. एम. एम. के भाग्य का निर्णय चन्द आई. ए. एस. आफिसर करेंगे, चाहे वह डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज हो, चाहे फाइनेंस सैक्रेटरी हो, चाहे चीफ सैक्रेटरी हो। मेरा मौलिक प्रश्न यह है कि यह उस आर. एम. एम. एम. का दुर्भाग्य है कि जिस आर. एस. एम. एम. के चेअरमैन चीफ सैक्रेटरी हो वहां पर फाइनेंसियल कन्ट्रोलर के स्थान पर बी. ए. पास हो वह बैठा हुआ हो, बी.ए. पास आदमी जो आर.एस.एम.एम. में बैठा हुआ है उस आदमी को हटाने की क्षमता जनता पार्टी के तत्कालीन खनिज मन्त्री और राजस्थान के वर्तमान खनिज मन्त्री, जो इसका आज जवाब देना चाहते हैं, से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इतने बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट में बी. कॉम. पास आदमी फाइनेंसियल कन्ट्रोलर बना

(श्री सी. पी. जोशी)

हुआ है। यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि चन्द आई. ए. एस. आफिसर हैं जिनको राजस्थान की मिट्टी से प्यार नहीं है, जिनको केवल अपनी तनख्वाह से प्यार है, जिनको यह पता नहीं है कि आर. एस. एम. एम. चल रहा है या कैसे चल रहा है। इसलिये मौलिक प्रश्न यह उठता है कि अगर इसमें सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले खनिज मन्त्रीजी यह बतायें कि क्या आर. एस. एम. एम. को भंग करके, इसमें आई. ए. एस. के आदमी कम करके जिसे एक्सपर्ट व्यक्ति समझते हों, जो राजस्थान की मिट्टी से प्यार करते हों, राजस्थान की इकोनोमी को सुधारना चाहते हों, ऐसे आदमी का नया बोर्ड बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।

ओवर बर्डन की जो बात है मैं स्वयं इस इस बात को जानता हूं, प्रद्युम्नसिंह जी स्वयं इस बात को जानते हैं, जब ये खनिज मंत्री नहीं थे तो ये खुद लिख लिख कर थक गये थे, अब आज स्वयं खनिज मंत्री हो गये हैं। आपको मालूम है तो आप इस ओवर बर्डन के मोटे स्केण्डल को देखें, वरना जो हाल आगुचा का हुआ और जो आर. एस. एम. एम. में हुआ, राजस्थान के आने वाले 20-25 सालों के लिए जिस तरह राजस्थान का जंगल कट गये, राजस्थान का इकालोजीकल बेलेंस बिगड़ गया, अगर सरकार के सम्पट में नहीं रहा, यदि आपका विजन नहीं है, तो ये चन्द ब्यूरोक्रेट, जिनकी ट्रान्सफरेबल ड्यूटी है, राजस्थान आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं और देश में कहीं भी जा सकते हैं सारे राजस्थान की इकोनोमी को बेच खायेंगे। आगुचा में क्या हुआ, जो आपके सामने पांच हजार करोड़ का पोटेंशियल जिस जगह पर है वहां पर जोइन्ट सैक्टर में राजस्थान सरकार ने समझौता नहीं किया, उसके कण्ट्रोल में हमारा से नहीं रहेगा, उसके एम्पलायमेंट में हमारा से नहीं होगा और वहां की इकानामी बढ़ाने में हमारा से नहीं रहेगा। आर. एस. एम. एम. में भी आप यही करना चाहते हैं। इसलिए रिपोर्ट कितने दिन में सामने रखना चाहते हैं? इस के आधार पर हम क्या बोलें? क्या है इसमें। जहां राजस्थान के चीफ सैक्रटरी और बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के मेम्बर हैं वहां पर फाइनेन्शियल कंट्रोलर एक बी. कॉम. पास है और वहां जो चार्टेड अकाउन्टेड रिपोर्ट पेश करेगा उस पर अपने कमेन्ट्स क्या देगा? वह निश्चित तौर पर ऐसी रिपोर्ट आयेगी, जो बेकार होगी। 10 साल तक आपको स्वयं को मालूम है कि जो एक त्रिलक बना हुआ था, मैं चार्ज लगा चुका हूं सदन के अन्दर, 1968 में जब बी. जे. एल. को आर. एम. एम. एम. में कन्वर्ट किया था उस दिन से लगाकर आपने मुख्यमन्त्री को पत्र लिखा कि दो सालों तक एक करोड़ रुपया पर एनम तक खाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो वह बोर्ड आफ डायरेक्टर के 10 आदमी हैं। कलकत्ता में आफिस है आपका, दिल्ली में आपका आफिस है, आफिस होने के बाद आपका बी. कॉम. पास कंट्रोलर यह नहीं बता सका कि जो ओवर बर्डन हटाने की कंडीशन है 1:4, 1:5, 1:5 की, वह पूरी

(श्री सी. पी. जोशी)

क्यों नहीं हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी कहना चाहता हूं, ओवर बर्डन को उठाने के लिए जो 3 टेण्डर इन्वाइट किये। उनमें से इस्टर्न इण्डिया कम्पनी को ठेका दिया गया है। वह उसी प्रकार से ठेका दिया गया है जिस प्रकार से राजस्थान में हैंड पम्प का ठेका दिया था। हैंड पम्प पर खर्च हो रहा है 15 हजार। 240 पर मीटर आप वसूल कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट 110 रु0 पर मीटर है, जो कि डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। राजस्थान में पीने के पानी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये हैं, ठीक उसी प्रकार का ठेका इस्टर्न इण्डिया कम्पनी को दिया है, जिसके पास टेक्निकल नो हाऊ जीरो है। जो एक सैकण्ड कम्पनी थी जिसको रिजेक्ट किया गया था, हमारे प्रद्युम्नसिंह जी ने उसी को ठेका दिया है। आर. एस. एम. डी. सी. में अभी दूसरा काम करने का। एक वेल इक्विप्ड कम्पनी को आपने आर. एस. एम. एम. मे ओवर बर्डन हटाने का ठेका नहीं दिया और केवल मात्र जो एक फेक कम्पनी बनी हुयी थी जिसके पास टेक्निकल जानकारी कुछ नहीं थी उसको आपने ठेका दिया ओवर बर्डन हटाने का। आप कह सकते हैं इस बात को कि मैं मंत्री हूं। मंत्री आयेंगे और जायेंगे, मुझे इसमें तकलीफ नहीं है। 35 सालों में जो कुछ हुआ है उससे यदि आप सबक नहीं सीखना चाहते हैं या अगर आप यह सोचते हैं कि जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर इस सदन में बहस करने से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बात को राजस्थान में बिना जनता पर टैक्स लगाये यदि आप राजस्थान की इकानामी को सुधारना चाहते हैं तो प्रद्युम्नसिंह जी, सदन में घोषणा करें कि जिस तरह से जुडिशियरी इण्डिपेंडेंट है, जिस तरह से हम एनवायरमेंटल इकालॉजी की बात सोचते हैं उसी तरह से राजस्थान के अन्दर जियोलोजी और माइन्स के ऊपर बेस्ड इण्डस्ट्रीज क्या होनी चाहिये, डवलपमेंट क्या होना चाहिए। आपके आर. एस. एम. एम. में तो टेक्निकल स्टाफ नहीं है।

कोई आदमी अगर फैक्ट्री भी लगाता है एक करोड़ की, तो वह भी अपना जो स्टाफ लगाता है तो वह सोचता है कि उसमें एम. बी. ई. लूंगा, उसमें किस तरह के आदमी होंगे, लेकिन आपके यहां तो हायर सैकण्डरी पास आदमी गजेटेड आफिसर हैं, बी. ए. पास आदमी पर्सोनल आफिसर है। आप सारे आर. एस. एम. एम. में सिंगल नाम भी बता दें जो आदमी क्वालिफाइड हो उस पर बैठने के लिये। केवल मात्र आर. एस. एम. एम. को डुबाना चाहते हैं, यह कह कर कि, साहब, हमारे पर्सोनल आफिसर की क्वालिफिकेशन क्या है ? इण्टर मीडियेट। हमारा फलां टाइम कीपर क्या पास है ? साहब, हायर सैकण्डरी पास है ? यह सब करके, चीफ सैक्रेटरी महोदय और आई. ए. एस. आफिसर्स के दस्तखत करने के आधार पर आर. एस. एम. एम. को गिरवी रखा है मिस्टर वागु के नाम पर। मैं बड़ी गम्भीरता से चार्ज लगा रहा हूं, प्रद्युम्नसिंह जी, यदि आप में इतनी

(श्री सी. पी. जोशी)

ग्रॉनिस्टी है, यदि ग्राप राजस्थान के ग्रन्दर कुछ करना चाहते हैं तो ग्राज सदन के सामने घोषणा करें कि ग्रार एस. एम. एम. को डुबाने का श्रेय केवल मात्र एक ग्रादमी को है, वह ग्रादमी मिस्टर वासु है। उस मिस्टर वासु में जो कलाकारी है, जो क्षमता है उस क्षमता के जो हमारे भूतपूर्व चीफ सैक्रेटरी श्री भमोत साहब भी बड़े कायल थे। उन जैसा ऐफीसिऐंट ग्रादमी उससे कायल था तो ग्रब वर्ली साहब भी हो जायें तो मुझे कुछ कहना नहीं। यह तो एक पैटर्न है, चलता है ब्यूरोक्रैट ग्रादमी का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे उस ग्रादमी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैं तो उसको दाद देना चाहता हूं कि जो 1968 से लेकर 1980 तक 12 साल तक राजस्थान के दस ग्राई. ए. एस. ग्राफिसर्स को मूर्ख बनाकर राजस्थान का एक करोड़ रुपया खाकर राजस्थान का ग्रोवर बर्डन नहीं हटा सका। ग्रोवर बर्डन हटाने के नाम से उसको डुबो दिया। फिर 34 वें प्रतिवेदन पर निवेदन करना चाहते हैं प्रतिवेदन किसको सुनाना चाहते हैं? तो, श्रीमान्, ग्राप प्रतिवेदन सुनना चाहते हैं तो मुझे यह बताइये मैं चार्ज लगाना चाहता हूं, 1968 से 1980 तक इस ग्रार. एस. एम. एम. के नाम एक करोड़ रुपये का लीकेज, to entertain the Board of Directors, खर्चा होता है। ग्राप मुझे समझा दें। कलकत्ता के ग्रॉफिस की ग्रावश्यकता क्या थी? कलकत्ता के ग्रन्दर ग्रापका वैल इक्विप्ड ग्रॉफिस स्टाफ चल रहा है। क्यों चल रहा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्रब तो बन्द है।

श्री सी० पी० जोशी : ग्रब बन्द कर दिया पत्र लिखने के बाद। पत्र लिखने के पहले तक तो चल रहा था। बड़ी खुशी है कि ग्रापने एडमिट किया ग्रौर बन्द कर दिया। इसके लिये बहुत धन्यवाद। जो ग्रादमी बैठा हुग्रा है, उसे पदोन्नत कर दीजिये, तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मुझे इस बात का दुःख है कि इस राजस्थान के ग्रन्दर मिनरल वैल्थ है, जिसके आधार पर ग्राप राजस्थान की इकानामी को सुधार सकते हैं, जनता पर बिना टैक्स लगाये। उसको डवलप करने का विजन हमारे पास नहीं, मास्टर प्लान नहीं, काम्पिटेण्ट स्टाफ नहीं। हम राजस्थान कैनाल में टैक्निकल ग्रादमी को ग्रपॉइन्ट करने की सोचते हैं, हम वाटर बोर्ड बनाने की बात सोचते हैं, लेकिन माइन्स डिपार्टमेण्ट के ग्रन्दर कोई टैक्निकल एडवाइजर या ऐसा बोर्ड बनाने की बात सोची? मैं एक ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं, ग्राज से दस साल पहले सोचा नहीं था, राजस्थान में भी माल मिल सकता है। जब हम राजस्थान में विधान सभा में बैठने वाले ग्रादमी स्वयं इस बात के भिज्ञ नहीं है कि ग्राज से 5 साल बाद मकराने से भरी मंडी मार्बल की बन्द होने वाली है। ग्रापने पॉलिसी बनायी, ग्रापके ब्यूरोक्रैट्स कहते है, भाई, हम ग्राज से बन्द करते हैं कि ग्राज यहां प्लान्ट नहीं लगायेंगे फिर ग्राप प्लाण्ट को विथड्रा करेंगे। डायमंड कटर का प्लान्ट ग्राप जब चाहें बन्द कर दें, जब चाहें शुरू

(श्री सी. पी. जोशी)

कर दें। आप वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को कब तक पूरा करते रहोगे। इस राजस्थान के अन्दर 35 साल में 50 आदमी पैसे वाले बने, केवल मात्र इस माइन्स डिपार्टमेन्ट की बुद्धि के दिवालियेपन के कारण। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिये कि जो आदमी यहां राजस्थान में पैसे वाले बने हैं, उनमें से 35 आदमी ऐसे मिलेंगे जिनके पास डोलोमाइट की माइन हैं, किसी के पास किसी की, किसी के पास किसी की। आपका विजन नहीं है, सोचने का तरीका नहीं है, आने वाले समय में जो नया पोटेंशियल निकलने वाला है, मैं कुछ भी नहीं जानता, आप स्वयं भी नहीं जानते। जिसके बारे में भिज्ञ नहीं, उसके बारे में भिज्ञ होने की कोशिश करें तब तो राजस्थान की इकानॉमी में सुधर सकती है। जो आंकड़े ओवर बर्डर के दिये गये हैं, मैं माननीय प्रद्युम्न सिंहजी से एक बात चाहूंगा, यह जो हमारा कमिटमैण्ट है, हाउस में कहते हैं कान्ट्रेक्ट हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आगूचा में आपने पूरे राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को सेल कर दिया है, आप रायल्टी को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाये। सरकारें आयेंगे और जायेंगी, मन्त्री रहेंगे और नहीं रहेंगे, लेकिन यह बात निश्चित तौर पर है कि राजस्थान के भविष्य को डुबोने के लिये यह फाइल्स के अन्दर हर ब्लैक एण्ड व्हाइट में नहीं लाना चाहते हैं तो हर ब्यूरोक्रेट सिंघवी जैसे आदमी ने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात कर हिन्दुस्तान की जोइन्ट सेक्रेटरी शिप प्राप्त की। इसलिए बहुत से आई. ए. एस. ऑफिसर आयेंगे और इस राजस्थान को डुबो जायेंगे। इसको ब्लैक एण्ड व्हाइट में लीजिए कि जब इस माइन्स के आधार पर इकॉनॉमी डवलप करना चाहते हैं, इन्फास्ट्रक्चर बनाने के लिए राजस्थान में बोर्ड की स्थापना करनी पड़ेगी। बोर्ड की स्थापना करने में जो कॉम्पिटेंण्ट आदमी है, जियोलोजिस्ट, माइनिंग इन्जीनियर हो, ऐसे आदमी को बोर्ड का मेम्बर रखना चाहिए। आज आपके जितने बोर्ड राजस्थान के अन्दर हैं, टी. ए. डी. में क्या हो रहा है, रोडवेज में क्या हो रहा है, आर. एस. ई. बी. में क्या हो रहा है, इन सबके पीछे आपने समझ लिया कि एकमात्र कॉम्पिटेंण्ट आदमी हिन्दुस्तान में पैदा हो रहा है, वह आई. ए. एस. आफिसर है। उसमें इतनी कॉम्पिटेन्सी कैसे आ गयी और उसकी कॉम्पिटेन्सी में हमको इतना फेथ कैसे हो गया। It shows कि पोलिटिकल पावर राजस्थान के पोलिटिकल लीडर में नहीं है। राजस्थान के पोलिटिकल लीडर्स में पोलिटिकल विल नहीं थी, उसका फायदा किसने उठाया? इन ब्यूरोक्रेट्स ने उठाया, जिनका राजस्थान से लेना नहीं था। इसलिये मैं इस अवसर पर, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर एक पोलिटिकल विल बतायें इस बात को कि जब राजस्थान का भला चाहते हैं तो इन ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर हम राजस्थान का भला नहीं कर पायेंगे। सदन में घोषणा करें कि आर. एस. एम. एम. का राजस्थान में बोर्ड है, उसके कम्पोजीशन को भंग करके, 5–10 साल का अनुभव है, जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, उदयपुर से आने वाले माननीय

(श्री सी. पी. जोशी)

सदस्य ने बताया, पिछले इतिहास से सबक सीख कर हम ब्लैक एण्ड व्हाइट में लायें। भविष्य में पोटेंशियल मिनरल्स के निकल रहे हैं, उनको डवलप करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स अपनी इच्छा के आधार पर राजस्थान के धन का दुरुपयोग नहीं करें। इसलिये मैं निश्चित तौर पर कॉन्क्रीटली आश्वासन चाहूंगा, निश्चित रूप से जो आंकड़े दिये हैं अजमेर से आने वाले सदस्य ने, उदयपुर से आने वाले सदस्य ने उनको कॉन्ट्रेडिक्ट तो न आप कर सकेंगे, न मैं कर सकूंगा, इसका कारण है, वह भी मन्त्री रहे हैं, वे भी सही बोलेंगे और आप भी जवाब देंगे वह भी सही बोलेंगे क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है, उनको, जो आपके सबोर्डिनेट्स हैं। राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी जिसके मैम्बर हों, आठ-आठ आई. ए. एस. ऑफिसर्स हों, उनके खिलाफ रिमार्क हाउस में पास करेंगे, मुझे इस बात का विश्वास नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि पास्ट एक्सपीरियेन्स के आधार पर, मुझे किसी आदमी की कॉम्पिटेन्सी में शक–शुबाह नहीं है, आपको यह घोषणा करनी चाहिये कि पिछले अनुभव जो हैं, उनका फायदा उठा कर राजस्थान की आने वाली इकॉनॉमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने इसके लिये धन्यवाद।

Singh

आज जो चर्चा हो रही थी, आर. एस. एम. एम. पर हो रही थी। दूसरी रिपोर्ट है आर. एस. एम. डी. सी. की, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** ( राज्य मन्त्री, राजस्थान नहर ) : माईनिंग के बारे में जानते हैं ?

**श्री नाथूसिंह** : यह तो आप अन्दाजा लगाइये।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो हरफन मौला हैं।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा था कि यह जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, या मास्टर हैं ?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : He is master of all trades.

**श्री नाथूसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आर. आई. एम. डी. सी. के. बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जब आर.आई. एम. डी सी. था, आर. एस. एम. डी. सी. था, उसके साथ ही था, अलग नहीं किया गया था जब यह नियम उस समय में लगभग 60 लाख रुपए का लाभ था। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पिछले साल लगभग 40 लाख का घाटा था, इस समय जो बढ़ कर 60 लाख के आसपास है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : रिपोर्ट पढ़ लीजिए, फिर बताइये।

**श्री नाथूसिंह** : मैं बता रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं. आप सुनिये । आप जब उत्तर दें, उस समय बता दें ! यह कैसे घाटा हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, इसके कुछ कारण हैं। टंगस्टन का विक्रय, जो कम मूल्य में विक्रय किया, उसका घाटा 48 लाख 87 हजार। फ्लोरस्पार के विक्रय में अनावश्यक कमीशन दिया गया, मन्त्री महोदय सुन लें नोट कर लें, उसका घाटा 3 55 हजार। राक फास्फेट की खुदाई कार्य में तुलनात्मक रूप से अधिक दर; उसका घाटा है 6 लाख 66 हजार। डेयरी माइन्स पर फिजूल खर्ची का प्रति वर्ष 5 लाख घाटा। टोटल 64 लाख 8 हजार का घाटा आर. एस. एम. डी. सी. को है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप टंगस्टन विक्रय करते हैं, इस विक्रय में यह 65 प्रतिशत कन्टैण्ट मानकर विक्रय करते हैं। बम्बई की लेबोरेट्री से इसकी रिपोर्ट आयी है, उपाध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि जब उसका वैल्यूएशन किया गया, उसकी मात्रा आंकी गयी, 66.59 प्रतिशत कन्टैण्ट से लेकर 74.77 प्रतिशत तक पाया गया था। लेकिन इस से कम, जब कि इसका कोई कारण नहीं था, 65 प्रतिशत मानकर टंगस्टन वेचा गया। इन्टरनेशनल प्राइस के आधार पर भी देखा जाये तो बाहर से टंगस्टन खरीदते हैं उसको भी इस मूल्य पर नहीं खरीदते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुल घाटा 7 लाख 87 हजार इस 65 प्रतिशत कन्टैण्ट के कारण। फाइनेंसियल एडवाइजर है, उसने नोट बार-बार लिखा कि 75 प्रतिशत कन्टैण्ट पर इसको नहीं बेचा जाये लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गयी। नोटिंग में देख लीजिये, उसने लिखा 65 प्रतिशत नहीं मानकर बेचा जाये लेकिन इसको बेचा गया। इसका क्या कारण था, माननीय मन्त्री महोदय पता लगायें। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, राक फास्फेट उदयपुर की खानों में जो खुदाई होती है उसका जो ठेका दिया जाता है उसकी दर भिन्न भिन्न होती है। उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, उस पर कर्मचारियों को खुदाई के लिये यदि दिया जाता है, खरबरिया का गुडा खान में निगम के जो श्रमिक कार्यरत हैं उनका खर्चा निकाला गया उसमें उत्पादन की लागत आई, लगभग 79 रुपये पर टन। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा भी इन्क्लूड है। लेकिन जो ठेका दिया गया, ठेके पर खुदाई का कार्य, उत्पादन किया गया उसकी लागत है 94 रुपये टन, इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेन्ट इसमें शामिल किया जाता है तो इसकी कॉस्ट आती है लगभग 140 रुपये टन। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्यों होता है? ठेकेदारों से मिली भगत है। और मिली भगत कैसे है, नोट करिये, मन्त्री महोदय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर की एक फर्म मेसर्स महाराणा खनिज उद्योग को ठेका दिया गया पिट नम्बर 3 पर और उन्होंने कमीशन के ऊपर खुदाई का कार्य किया। कमीशन पर क्यों दिया गया? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, दिया कि मून्दड़ा साहब हैं, मुख्य खनिज अभियन्ता, उसके वे मित्र हैं। एक और फर्म है मैसर्स चीमा मिनरल्स, उसमें, मूंदड़ाजी की पत्नी और मैसर्स महाराणा खनिज उद्योग, दोनों की साझेदारी है, इसलिए ठेका दिया गया

(श्री नाथूसिंह)

इसलिए सात लाख का घाटा उनको भुगतना पड़ा। किस रेट पर? कम रेट पर ठेका उनको दिया गया, आप इसकी जांच कराइये। इसी तरह से चलिए, उपाध्यक्ष महोदय, एक मैसर्स जीया इस्पात कम्पनी है उसको कानपुर राक फास्फेट की खुदाई का कार्य दिया गया। इन्होंने टेण्डर नहीं दिये, खास बात यह है। आप देख लीजिए उन्होंने टेण्डर भेजा है क्या। टेण्डर नहीं भेजा। लेकिन बाकी जिन्होंने टेण्डर भेजे उनको कैन्सिल कर दिया और इनको बाद में बुलाकर यह ठेका दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से भैरूंपुरा खटकड़ में आधुनिक मशीनों से खुदाई होती है। उन्होंने जो खुदाई का कार्य किया है वह ढंग से नहीं किया। जो दस साल खान चलेगी वह पांच साल में ही समाप्त हो जायगी। इसलिए जो अलग-अलग कान्ट्रेक्ट्स दिये गये थे उनके कान्ट्रेक्ट्स को आप देखिये, माही बांध में क्या है आर. एस. एम. एम. में क्या है, इसका लम्बा चौड़ा हिसाब है, मैं आपको दे सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्होंने मून्दड़ा जी से मिलकर इस पर जो ठेका दिया गया, एक आदमी कमीशन लेने के लिए उन्होंने 150रु. प्रतिदिन के वेतन पर नियुक्त कर दिया। इसका उल्लेख सर्वे रिपोर्ट में है। इसी तरह से घाटा हो रहा है। इसका कारण ऐसा नहीं है कि माइन्स में घाटा है या किसी और चीज में घाटा है, इसलिए है, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अधिकारी बिठा रखे हैं ये लोग कमीशन लेते हैं। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मैसर्स आदर्श उद्योग, कलकत्ता इन्होंने उसको फ्लोरस्पार की बिक्री के लिए एजेन्ट नियुक्त किया। एजेन्ट नियुक्त करने के पश्चात् उनका जो समय था वह खतम हो गया। समय समाप्त होने के पश्चात् जितना माल बिका उसका कमीशन भी उनको दे दिया। आप जांच कराइये। क्यों दिया? उनकी एजेन्सी कब समाप्त हुई, उनका अनुबन्ध कब खतम हो गया और उसके पश्चात् कितना रुपया कमीशन के रूप में दिया गया? उपाध्यक्ष महोदय, 3 लाख 55 हजार रुपये का घाटा इसमें हुआ। जिस समय कान्ट्रेक्ट, अनुबन्ध समाप्त हो गया उसके पश्चात् 75 हजार रुपये कमीशन के रूप में आपने दिये। आप जांच कराइये क्यों घाटा है। इसी तरह से यह जो अनुचित कमीशन दिया गया वह इसलिये दिया गया कि माननीय मन्त्री महोदय के निजी सहायक हैं, मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा, उनका इसमें हाथ है। मैं आरोप लगाता हूं आप जांच करा लें। उन्होंने इसमें कमीशन लिया इसलिये यह कमीशन एजेन्सी को दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक घोटाले इसके अन्दर हो रहे हैं चाहे किसी प्रकार के हों। इसी तरह से और यह घोटाले चल रहे हैं। अवैध नियुक्तियां हो रही हैं। ये तो हो घोटाले हैं जो ऊपर ऊपर लेन और देन में हो रहे हैं। इसके अलावा और कई तरह के घोटाले हैं जिसमें अवैध नियुक्तियां भी सम्मिलित हैं। अब आप देखिये, तकनीकी निदेशक का पद निकाला, इन्होंने पैदा किया, नया पद क्रियेट किया तकनीकी निदेशक का, श्रीमान्, मन्त्री महोदय, उस तकनीकी निदेशक के पद पर पदोन्नति करने के लिए

(श्री नाथूसिंह)

दो व्यक्तियों में काम्पटीशन हुआ, मिस्टर जौहरी और मिस्टर मून्दड़ा। वे कोर्ट में चले गये। मिस्टर मून्दड़ा को तकनीकी निदेशक बनाना चाहते थे, मन्त्री महोदय। सीनियर नहीं थे, सीनियोरिटी मे नहीं आते थे इसलिये दूसरे महाशय कोर्ट में चले गये। उन्होंने इस पद पर पदोन्नति को रोक दिया। इन्होंने क्या किया? नये पद का सृजन कर दिया। मुख्य खनिज अभियन्ता का एक नया पद और बना दिया। इस पद पर श्री मून्दड़ा की नियुक्ति कर दी बिठा दिया। उस पद के लिये जो योग्यतायें निर्धारित की गई, क्या योग्यता होनी चाहिये, क्या क्या रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स होने चाहिये, जो मून्दड़ा की क्वालिफिकेशन्स थी उनको देखकर वे क्वालिफिकेशन्स तय कर दीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर मामले में आपको निवेदन कर रहा हूं, इसमें डिपार्टमेंट करोड़ों और लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी इस तरह से नियुक्ति कर दी गई। वैसे ही कानून-नियम बना दिये गये और उनको मुख्य खनिज अभियन्ता बना दिया गया। मैने बताया कि किस किस कन्सर्न में उनकी पत्नी की साझेदारी है। एक फर्म, जिसमें उनकी पत्नी की साझेदारी थी, को अवैध रूप से ठेके दिये। और कितना घोटाला हुआ, मन्त्री महोदय, आप उसकी जांच कराइये। उनकी नियुक्ति में मन्त्री महोदय ने जितना इन्ट्रेस्ट लिया, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं, हो सकता है उसमें भी उनकी साझेदारी हो'

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** यह गलत कहते हैं।

**श्री नाथूसिंह :** गलत कहता हूं। उसमें इन्ट्रेस्ट दिखाया उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति की गलत नियुक्ति नहीं की है। इनके जो निजी सहायक आज बने बैठे हैं उनकी योग्यता क्या है यह इनसे पूछना चाहता हूं? उन्होंने अपने आपको स्नातक बताया जब कि....

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** मेरे वक्त में उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। मैं जुलाई, 81 में माइन्स मिनिस्टर बना हूं उसके पूर्व ही वे वहां पर काम कर रहे थे। इसलिये आप इस बात का मेरे ऊपर क्यों, आरोप लगा रहे है। He is an old employee of that corporation वहां पहले से काम कर रहे हैं। इस बात का भ्रम डालने की चेष्टा कर रहे हैं, यहां पर आप कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि मैंने अपाइन्टमेंट किये हैं, मैंने गड़बड़ियां की हैं। और आप किस लिये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वह अभी मैं कहूंगा। आप किसके कहने से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं आप।

**श्री नाथूसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। मैं किसी के कहने से नहीं बोलता हूं। मैं तो बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर ओमप्रकाश शर्मा की योग्यता का प्रमाण पत्र मंगवाइये। उनकी योग्यता क्या है? मिस्टर तनखा, जो यू. आई. टी. में चले गये थे, पहले इसमें थे

(श्री नाथूसिंह)

उन्होंने इनको नोटिस दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कागज जरा पेश करें। उससे पहले कि कागज उनको पेश करें, उनका ट्रांसफर यू. आई. टी. में करा दिया गया। ये अपने आपको स्नातक बताते हैं लेकिन स्नातक हैं नहीं। उनको जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है, फिर इधर ट्रांसफर कर दिया निजी सचिव बना कर, जब कि रूल्स में प्रोविजन्स नहीं है कि इस डिपार्टमेंट का इस तरह से निजी सचिव बन सके। तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक मूंदड़ा साहब की ही नियुक्ति नहीं हुई, और नियुक्तियां देखिये। एक मिस्टर सुमनेश शर्मा, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी हैं। उनको कैसे बिठाया ? उनकी नियुक्ति का भी एक नया पैटर्न चला है, यहां पर नियुक्ति तब होती है जब संचालक मण्डल कोई पोस्ट क्रिएट करता है। उसके पश्चात् उस पद की योग्यता तय की जाती है। उसके पश्चात् इन्टरव्यू फेस करना पड़ता है। इन्टरव्यू बोर्ड बनाया जाता है। बोर्ड के सामने इन्टरव्यू फेस करने के बाद सलेक्शन होकर नियुक्ति होती है। लेकिन श्री सुमनेश शर्मा की नियुक्ति जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर कैसे हुई इसका मैं रोचक उदाहरण देना चाहता हूं। न तो कोई पद का सृजन किया, न कोई प्रोसिजर ही तय किया गया। उसकी योग्यता क्या है, उस पद के अनुकूल उनकी योग्यता है भी या नहीं, यह भी नहीं देखा गया। उनको इसलिये नियुक्ति दी गई, माननीय बृजसुन्दरजी शर्मा सौभाग्य से यहां बैठे हुये हैं, उनकी नियुक्ति इसलिए हुई कि वे श्रीमान् बृजसुन्दरजी शर्मा के निजी सचिव के पुत्र हैं, इसलिये उनकी नियुक्ति हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** (विधि मन्त्री): मुझे तो यह पता भी नहीं है कब किसकी नियुक्ति हुई है और कौन किसका लड़का है।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यही मैं कह रहा हूं, आपको पता भी नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जिन लोगों को यहां रिप्लाई देने का अवसर नहीं हो सकता उनके ऊपर ··

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : अवैध नियुक्तियां कैसे हो रही हैं, यह बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में ला रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय को शायद मालूम ही नहीं होगा उस नियुक्ति का। किस तरह आपके डिपार्टमेंट में क्या-क्या हो रहा है इसका मैं निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, एक मिस्टर जे. एस. टांडा थे वरिष्ठ पद पर। उस पद के लिये भी स्नातक और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये लेकिन उनको तीन वर्ष का अनुभव नहीं था उसके बावजूद उनको इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। एक हैं आर.के. गोस्वामी, श्रम कल्याण अधिकारी, आज तो वे वकील हैं। श्रम कल्याण अधिकारी वहीं लगाये जाते हैं जहां श्रमिक हों, रूल के अनुसार कम

(श्री नाथूसिंह)

से कम 500 श्रमिक हों वहां श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा जयपुर मुख्यालय में इस समय एक भी श्रमिक नहीं है तो आर. के. गोस्वामी की नियुक्ति यहां पर क्यों की गई है? आप जांच कीजिये कितने श्रमिक हैं जयपुर में, मुझे बताइये? रूल्स के मुताबिक क्या उनकी नियुक्ति सही है, यहां पर?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : कोई नहीं है। आप ऊपर देखते हैं बार-बार बोलते हुए।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** : अभी समाप्त करता हूं।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आप ऊपर मत देखा करो। वहां कोई नहीं है, मैं यह कह रहा हूं।

**श्री नाथूसिंह** : इस तरह के घोटाले, नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां की गई हैं। इतना ही नहीं इनके एक अधिकारी थे, मिस्टर एम. जी. दास, परियोजना अधिकारी। वे श्रीमान् जी यहां से डेगाना जा रहे थे। यह 13-5-82 की बात है। वे स्वयं जीप चला रहे थे। शराब पीकर जीप चलाते हुये उन्होंने रास्ते में तीन आदमियों को मार दिया और तीन आदमियों को मारने के पश्चात् आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। वे तीन आदमियों को मारने के बाद डेगाना पहुंचे और 24-5-82 को डेगाना में कार्यरत एक कर्मचारी की पत्नी के साथ उन्होंने आधी रात को बलात्कार किया। वहां से टेलीग्राम आया, सूचना दी गई। उस बलात्कार के खिलाफ वहां लोग इकट्ठे हो गये, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, पकड़ लिया बलात्कार करते। इसकी लिखा-पढ़ी की, कम्पलेंट की, सब कुछ कर लिया लेकिन उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं, मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उनको निलम्बित नहीं किया गया, उनके खिलाफ और कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो व्यक्ति शराब पीकर तीन आदमियों को मार दे, कर्मचारियों को पत्नियों के साथ बलात्कार करे, अनियमितता करे उनके विरुद्ध कार्यवाही न कर आप आंख मूंद कर बैठे रहें? उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि डेमोक्रेटिक शासन में, इस पद्धति में तो यह नहीं हो सकता, डिक्टेटरशिप में जरूर हो सकता है।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : क्या इसकी कम्पलेंट की गई है?

**श्री नाथूसिंह** : बिलकुल की है। कर्मचारियों ने उसी वक्त टेलीग्राम किया मैं नाम बतला सकता हूं, वह कौन कर्मचारी है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : माननीय सदस्य, आप नाम बता दें और किस तारीख को कम्पलेंट की गई है जहां पर कि इस तरह की बात की गई है तो बड़ा अच्छा रहेगा।

**श्री नाथूसिंह** : मैं बता रहा हूं।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : It will be better.

( व्यवधान )

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय पूछ रहे हैं, तीन आदमी मारे गये थे। मैं उनका नाम बता सकता हूं। हरि राम परिहार और मूल सिंह राठौड़, उन दो आदमीयों की तो आन दी स्पाट डेथ हो गई और एक आदमी, मूलसिंह राठौड़ की किशनगढ़ हास्पिटल में डेथ हो गई, एक्सीडेंट से इस घटना को 12 दिन भी पूरे नहीं हो पाये थे यह 13.5.82 की घटना है। 24.5.82 को डेगाना में कार्यरत एक कर्मचारी की पत्नी के साथ बलात्कार किया।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप का कोई केस दर्ज हुआ होगा, एक्सीडेंट में।

**श्री नाथूसिंह** : दर्ज हुआ है। सब कुछ हुआ है। उसकी कार्यवाही नहीं हुई। यह वह व्यक्ति है जिनके पास प्रथम श्रेणी का कोई प्रमाण-पत्र न होते हुए भी उनको प्रथम श्रेणी के मैनेजर का स्तर दिया जा रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : वे बलात्कार का जिक्र कर रहे हैं।

**श्री नाथूसिंह** : जूनियर असिस्टेंट मिस्टर जैन की पत्नी के साथ बलात्कार किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : रिपोर्ट किसने की और किस थाने में की ?

**श्री नाथूसिंह** : 24.5.82 को रिपोर्ट की, सब आदमियों ने दर्ज करवायी। किस थाने में की, यह मालूम नहीं कि थाने में की या नहीं। लीगल सैन्किटिटी यह है कि तीन आदमियों को शराब पीकर जीप चलाते हुए मार डाला गया।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मामला है

This is very serious allegation which the Hon'ble member has made on the floor of the House.

आज तक आप उसको साबित नहीं कर पा रहे, यह बड़ी अजीब बात है। कोई अधिकारी यहां पर मौजूदा नहीं है, जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं। मेरा आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो आरोप आप लगायें उसको वेरीफाइ करें। यहां यूनियन की पार्टीबाजी चल रही है, मैनजमेंट के अन्दर, इस आधार पर लगाना मुनासिब नहीं है। कोई किसी के खिलाफ टेलीग्राम दे दे, कहीं पर सब्सटेनशियेट नहीं हो कोई बात, और आप उसको बिना वेरीफाई करे यहा कह दें, इससे अधिकारियों का मनोबल गिरता है। इतने घृणित अपराध का आरोप लगायें उसकी पहले आप जांच कर लें।

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, नाथूसिंह जैसे सदस्य को शोभा नहीं देता।

**श्री नाथूसिंह** : आप चाहें तो जांच कर

( श्री नाथूसिंह )

लें। उसके पास प्रथम श्रेणी का सर्टिफिकेट नहीं है। उसने तीन आदमियों को मारा, उसका नाम मैंने बता दिया।...

( व्यवधान )

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मना करिये, नहीं मरे।

**श्री उपाध्यक्ष** : Proper forum is the Police Station.

माननीय सदस्य, प्रापर फोरम शिकायत का पुलिस स्टेशन है न कि डिपार्टमेंट।

**श्री नाथूसिंह** : तीन आदमी मारे गये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : तीन आदमियों का केस चल रहा है।

**श्री नाथूसिंह** : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर जितने मैंने मुद्दे रखे हैं, ठेकेदारों से कमीशन प्राप्त करना, रॉक फास्फेट का मामला, इन मामलों की आप जांच करायें और जो लोग इसमें दोषी हों उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राज्य मंत्री, खनिज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, उदयपुर शहर नाथद्वारा और बान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपने विचार रखे। मैं बान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य के विचारों पर कुछ एतराज करता हूं, बाकी जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे मैं उनका स्वागत करता हूं। क्योंकि उन्होंने कुछ कन्सट्रक्टिव बातें यहां पर बैठ कर कही है, भविष्य के लिये आर. एस. एम. एम. का कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाय, उसमें सरकार को और बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को सहायता मिलेगी, ऐसा मैं मानकर चलता हू। बान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो करेक्टर असेसिनेशन की बात कही। जब मैंने और कालोनाइजेशन मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि आप नाम बतायें, क्या रिपोर्ट हुई, कोई जवाब नहीं। जो लगाये हैं एलिगेशन यह बिलकुल असत्य है। मैं आपको चैलेन्ज करता हूं इसके लिये।

**श्री नाथूसिंह** : आपके डिपार्टमेंट में शिकायत नहीं आई?

**श्री उपाध्यक्ष** : उत्तर दे रहे हैं, अभी सब्र कीजिये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : ऐसे ही नियम, घृणित अपराध की पुलिस में कोई रिपोर्ट हुई?

**श्री नाथूसिंह** : बिलकुल आपने कार्यवाही क्यों नहीं की?

(व्यवधान)

# Page No 144

(144)



**श्री प्रद्युम्नसिंह** : हम क्या कर सकते हैं। आप बैठ जाइये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप वकील हैं। आप जानते हैं यह चीज तो आपको कहनी नहीं चाहिये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : अभी लॉ की बात भैया, पास कर लो तब करना। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं आर० एस० एम० एम० के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम पहले इसका जवाब दे दूं, ये बहुत उत्सुक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. एम. डी. सी. के बारे में कहा कि 60 लाख का घाटा हो गया।

**श्री नाथूसिंह** : कुल मिलाकर लगभग।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : लगभग 1000, 500 में कोई फर्क नहीं। चलिये। इस कार्पोरेशन का जो सृजन हुआ था वह 1979 के अन्दर हुआ था। पहले साल के अन्दर जो इस कार्पोरेशन ने घाटा दिया वह 12 लाख का दिया। दूसरे साल के अन्दर इसका घाटा रहा 24 लाख रुपये का। 1981–82 में 24 और 12, 36 लाख का घाटा रहा। 79–80 में 12 लाख का रहा। 80–81 में 24 लाख रुपये का घाटा घाटा रहा। 81–82, जिसकी रिपोर्ट अण्डर कसीडरेशन नहीं है में 22 लाख रुपये का प्राफिट है। तो मेरा आपसे कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने कह दिया कि इसके अन्दर घाटा हुआ, 60 लाख रुपये का घाटा बता दिया। उपाध्यक्ष महोदय, असली स्थिति यह है कि कार्पोरेशन के अन्दर जिस समय यह रीको का भाग था उस वक्त जो स्टाफ था उस पर एस्टेब्लिशमेंट पर कुल 3 लाख रुपये साल का खर्च था और आज की तारीख में 35 लाख रुपये साल का एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है। जब मैंने मंत्री पद का कार्यभार सम्भाला, मेरे आने के बाद मैंने पहला आर्डर यह निकाला कि इस कार्पोरेशन में कोई नई नियुक्ति नहीं की जायगी। आपको जानकर खुशी होगी कि दो या चार नियुक्तियों के अलावा इस कार्पोरेशन में नई नियुक्ति कोई नहीं हुई है। जो लोग काम नहीं करते थे, यह हाल था इस कार्पोरेशन के अन्दर श्रीमान्, दस्तखत किये और घर चले गये। जब सख्ती बरतनी शुरू की, प्रोजेक्ट्स के नाम पर उनको नौकरी दी हुई थी इस कार्पोरेशन के अन्दर, आप फलां प्रोजेक्ट के ऊपर नौकर हैं तो ये काम कर रहे हैं जयपुर हैड ऑफिस में बैठकर कोई मांडो-की-पाल, कोई टंगस्टन के नाम पर, कोई बाड़मेर में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई जोधपुर में प्रोजेक्ट चल रहा है, और बैठे हुए है कहां पर? यहां जयपुर के अन्दर। जब लोगों को यहां से हटाकर प्रोजेक्ट्स पर भेजना शुरू किया तो लोगों की नाराजगी शुरू हो गई। पहली दफा मौका था इस कार्पोरेशन के अन्दर, जिन श्रीमान् माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं टंगस्टन की बात करता हूं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। वहां एक माइनिंग इन्जीनियर थे, यह पहला मौका है इस कार्पोरेशन में कि एक माइनिंग इन्जीनियर को डिस्चार्ज शीट देकर नौकरी से अलग कर दिया। उनसे कहा गया कि टंगस्टन का उत्पादन क्यों नहीं आ रहा है। बराबर उनसे कहा गया, तब भी काम उन्होंने नहीं सुधारा। फिर भी दूसरी जगह

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

भेजा कि इस काम को पूरा कर लो, वह नहीं किया। फिर एक जगह डेग्ररी के ऊपर भेजा, भाई, वहां जाकर काम करो। नहीं किया। डिस्चार्ज शीट देकर तीन महीने की तनख्वाह देकर नौकरी से छुट्टी कर दी। उसके बाद जिस इन्जीनियर के बारे में ये बात कह रहे हैं उन्होंने प्रॉडक्शन चौगुना कर दिया उस आदमी के निकालने के बाद। क्योंकि उस आदमी के खिलाफ रेप की रिपोर्ट आई, एक्सीडेंट में तीन आदमी मार दिये, इस प्रकार से लोगों का डीमोरेलाइज करने का कन्सेंट्रेटेड वे में एक एफर्ट चल रहा है, एक तरीका चल रहा है कि लोगों को डीमोरेलाइज करो। मैं आपको निमन्त्रित करता हूं, काम को देखिये, जब तक मि० जौहरी वहां थे, जिनको कार्पोरेशन ने डिस्चार्ज शीट देकर तनख्वाह देकर अलग किया, मैं आपको भेजने की व्यवस्था कर दूं, आप जायें, वहां रिकार्ड देखें कि टंगस्टन का उत्पादन कहां से कहां आ गया है। टंगस्टन का उत्पादन कहां से कहां आ गया। नागौर जिले के सदस्यों से निवेदन करूंगा आप खुद जाकर वेरीफाई करें। लेकिन किसी की दाढ़ी खींचनी है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है।

**श्री नाथूसिंह** : बेचने के हिसाब से बताइये। किस हिसाब से बेचते हैं, आप ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : मै आपसे निवेदन कर रहा हूं टंगस्टन हम बेच रहे हैं, हमारा टंगस्टन का मेजर प्रोडक्शन डिफेंस पर्पज के लिये जा रहा है, डिफेंस लेबोरेटरी के लिए जा रहा है। गड़बड़ क्या हो सकती है इसमें ? 12 टन टंगस्टन का एक ट्रक हमने डिफेंस के लिए भेजा है। आप कहेंगे, इन्टरनेशनल प्राइस इन्टरनेशनल मार्केट में चलती है। श्रीमान्, अभी हमने 1 लाख 20 हजार की जगह एक लाख छह हजार किया, क्योंकि इन्टरनेशनल प्राइस कम हो गयी। हिन्दुस्तान में टंगस्टन केवल राजस्थान में मिलता है। 38–39 टन का उत्पादन हमारा है और एक टन बंगाल में मिलता है, कुल 40 टन प्रॉडक्शन है। जो 40 टन का प्रॉडक्शन हिन्दुस्तान में है उसमें से 38–39 टन राजस्थान में निकालते हैं, एक टन बंगाल निकलता है। बाकी हिन्दुस्तान के आवश्यकतानुसार विदेशों से आता है। चाइना इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है।

**श्री नाथूसिंह** : कन्टेंट्स कितना पर्सेंट है ?

( व्यवधान )

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : वह भी दे रहा हूं।

**श्री नाथूसिंह** : फाइनेन्शियल एडवाइजर ने नोटिंग की हैं फाइल पर।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, आज सबसे बड़ी दिक्कत कार्पोरेशन में यह आ रही है कि हमारा कामर्शियल एटीट्यूड नहीं है। आज माल पड़ा हुआ है। जो एडवान्स ले रखा था, बैंकों से एक तरह का ओवरड्राफ्ट ले रखा था, 60 लाख रुपये का ओवर ड्राफ्ट आर० एस० एम० डी० सी० वालों ने ले रखा था क्योंकि day to day working के लिये केपिटल तो नहीं थी

# Page No 146

(146)



(श्री प्रद्युम्नसिंह)

उनके पास। 60 लाख रुपये का ब्याज कितना हो गया। मैंने कहा, भाई, बाजार में कीमत कम हो गई टंगस्टन की। इससे, साहब, फाइनेन्स वाले एग्री नहीं करते। मैंने कहा, एग्री करें या नहीं करे, बाजार में कीमत कम हो रही है तो बिकेगा कैसे यह माल। आज इन कार्पोरेशन्स में मुझे कहीं इस मामले में कोई डर नहीं है, आरोप लगाइये। आरोप लगाइये जांच करायेंगे। गलती करेंगे तो पकड़े जायेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है जितने कार्पोरेशन्स हैं अगर उनके अन्दर सरकार का कामर्शियल एटीट्यूड नहीं रहा तो यह कार्पोरेशन नहीं चल पायेंगे। आज घाटे का सबसे बड़ा कारण क्या है? वही लकीर के फकीर चले आ रहे हैं। लकीर के फकीर के हिसाब से चले आ रहे हैं। कार्यवाही करते नहीं है, काम रुका पड़ा हुआ है। फाइनेन्स की एप्रूवल आयी नहीं कि हिसाब फाइनेन्शियल एडवाइजर ने लिख दिया। कोई भगवान ने लिख दिया अगर फाइनेन्शियल एडवाइजर ने लिख दिया तो? You apply your mind. आज मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? आपकी कीमत कितनी आ रही है? आप देख लीजिये हमारी कीमत यह आ रही है।

आज वही हाल लिग्नाइट का हो रहा है। 80) रुपये पर स्क्वायर फीट पर आपने लिग्नाइट की कीमत फिक्स कर दी है। जोइंट सैक्टर में लेने की बात करते हैं, तो कोई आता नहीं अब 80) रुपये में माल पड़ा हुआ है। कागज पर लिख दीजिये कि इसकी वैल्यू यह है, इसकी 15–20 लाख की वेल्यू है। लेकिन लिग्नाइट की वेल्यू है क्या आज की तारीख में? आपने 75–80 रुपये स्क्वायर फुट कर रखी हैं। आपको कामर्शियल एटीट्यूड रखना पड़ेगा इन कार्पोरेशन्स अन्दर अन्यथा हमको सफलता नहीं मिलने वाली है। सबसे पहला कार्पोरेशन का घाटे का कारण मैं मानकर चलता हूं, हमारा एटीट्यूड हमारी एप्रोच कतई कामर्शियल नहीं है। इसलिये मैं इस मामले में, जब तक मन्त्री हूं, मैंने निर्देश दिये कि आप बोर्ड के अन्दर फैसला लीजिये, बोर्ड की मीटिंग कीजिये, मीटिंग में निर्णय लीजिये, किस को ठेका देना है, किस की प्राइस कम करनी है, किस की बढ़ानी है, किस का क्या करना है। बोर्ड मीटिंग में निर्णय लीजिये, बोर्ड से एप्रूवल कराइये। बोर्ड में मैम्बर्स बैठे हुये हैं, वहां फाइनेन्स के आदमी बैठे हुये हैं, आप सब सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। आप स्वीपिंग एलीगेशन्स लगा दीजिये कि लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला है। अब आप बताइये, कार्पोरेशन की इस साल की 274 लाख की सेल है और कहते हैं करोड़ों का घोटाला हो गया। आपको स्वीपिंग एलीगेशन्स नहीं लगाने चाहिये, पिन पॉइन्ट कीजिये। आप एक बात पिन पॉइन्ट कीजिये। आपने कहा है, फर्लोरपार के कमीशन एजेन्ट मुकर्रर करने में गड़बड़ी हुई है। The men concerned will be taken to task, whoever he may be. हमारा क्या प्रोटेक्शन देने का काम है? मुझे 16 महीने हुये महकमे को सम्भाले हुये और आप आरोप लगाते हैं

**श्री नाथूसिंह** : आप पर नहीं लगा रहा हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप बैठ जाइये। मैं हाउस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। निर्णय हाउस को करना है। एक तो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा, लोगों ने कहा, मेरे समय में हुआ। मैं भी यही पूछने वाला हूं। मैं आपकी बात यहीं समाप्त करता हूं। मैंने एक मुद्दे की बात थी, श्रीमान्, वह कह दी। जहां तक आर. एस. एम. एम. का मेन फंक्शन है ...

**श्री नाथूसिंह** : राक फास्फेट के मामले में जो खुदाई का ठेका दया हि ...

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : बिलकुल सही दिया। बोर्ड की एप्रूवल से दिया है।

**श्री नाथूसिंह** : नुकसान हुआ है या लाभ है ठेके देने में ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : इसके अन्दर कोई नुकसान नहीं है। आज जितना बढ़िया काम चल रहा है, मैं आपसे कहता हूं, आज 10 हजार टन महीने का माल निकाल रहे हैं कानपुर की खानों के अन्दर। आप क्या कहते हैं ? बोर्ड की इकानॉमी बदल गई। उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी हुई है तो लिख दीजिये, मैं किसी माध्यम से जांच कराने को तैयार हूं।

**श्री नाथूसिंह** : जो लोएस्ट टेण्डर आया था ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बाधा न डालें। कहने दीजिए।

**श्री नाथूसिंह** : मैसर्स महाराणा खनिज उद्योग....

**श्री उपाध्यक्ष** : महाराणा उद्योग का आप कह चुके हैं।

**श्री नाथूसिंह** : उनको जो ठेका दिया इसलिए ठेका दिया ...

**श्री उपाध्यक्ष** : Please sit down. He is replying.

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, 10 मिनट का समय दिया गया है। मैं आर० एस० एम० एम० के बारे में कुछ चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

आपको हर चीज में घपला नजर आ रहा है। इसमें नहीं तो उसमें घपला होगा।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समय का ख्याल रखिये।

**श्री नाथूसिंह** : इसके अन्दर जांच करायें कि मैसर्स महाराणा खनिज उद्योग को दिया कि नहीं। आप डिनाई करिये इसको, गोलमाल मत करिये।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो दिलावें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । अभी वह जवाब दे रहे हैं ।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, आर० एस० एम० एम० के बारे में कहा जाता है कि यह ओवर बर्डन हटाया....

**श्री नाथूसिंह** : आपने मेरी बात का जवाब नहीं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । बैठ जाइये आप । जरा समय का ख्याल तो कीजिये । Please don't interrupt. 6 बजे हाउस का समय समाप्त होने वाला है ।

**श्री नाथूसिंह** : मैंने जो आपत्तियां उठायी हैं उनका जबाब दिया जाय । मेरा कहना है कि....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई इर्रेगुलेरिटी कमिट नहीं हुई है ।

**श्री नाथूसिंह** : आप जांच तो कराइये ।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : No irregularity has been committed in giving the orders to ony party.

हां सही है कोई इर्रेगुलेरिटी कमिट नहीं हुई है । मैं कह रहा हूं ।

**श्री नाथूसिंह** : मेरा जवाब तो दें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप पूरे फैक्ट्स और फिगर्स दीजिये । पूरे प्रमाण दीजिये तो कोई बात हो ।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रमाण दिये हैं । मैंने कहा है कि आपका वहां पर 140 रुपये पर टन खर्च होता है जब कि सिर्फ 73 रुपये पर टन के आंकड़े दिये मैंने आपको ।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही गलत बात हो गयी । पहले जवाब आने दीजिये । उसके बाद में माननीय सदस्य को कोई बात पूछनी हो तो पूछें ।

**श्री नाथूसिंह** : मैंने जो प्रमाण दिये हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : आपको जो सवाल पूछने हैं वह इनका जवाब खतम होने के बाद पूछ लीजिए ।

**श्री नाथूसिंह** : माननीय खेतसिंहजी, माफ करना । यह मन्त्री महोदय समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

**श्री नाथूसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़े दिये हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्राप बाद में दे देना। Not in the middle. Don't interrupt. Please sit down.

**श्री नाथूसिंह** : इसमें देखिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, ग्राप स्थान ग्रहण करें। इनका जवाब खतम नहीं हुग्रा है। ग्राप बीच में बोल रहे हैं।

**श्री नाथूसिंह** : यह जांच करायें इसकी।

**श्री उपाध्यक्ष** : ग्रार्डर ग्रार्डर। ग्राप समाप्त करें।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दस मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं ग्रापके समय पर समाप्त कर दूंगा। ग्रोवर बर्डन के रिमूवल के रेश्यो बारे में खास तौर से यहां पर चर्चा की गयी। कुछ ट्रान्सपोर्टेशन के बारे में कहा, कुछ यूनियन को फैसिलिटीज दी गयीं, जो कि दी भी जानी चाहिये थीं, कुछ मेडिकल बिल्स के मिस-यूज के बारे में कहा ग्रौर मशीनरी का पूरा यूटिलाइजेशन होने के बारे में कहा। मैं समझता हूं, यही मोटे मुद्दे थे जो उठाये गये। छोटे-छोटे मुद्दे माननीय कटारिया जी ने उठाये, ट्रान्सपोर्टेशन के बारे में थे। I will come to the point. खास तौर से ट्रान्सपोर्टेशन के बारे में उठाये जिससे कि भ्रम फैल सकता है, बाकी तो पॉलिसी का मामला है, एप्रोच का मामला है। उन्होंने यह कहा कि लदान होता है राक फॉस्फेट का, झामरकोटड़ा के पास गांव है, वहां से Whatever it is जो भी हो, वहां से उसका लदान होता है ग्रौर जो रेलवे की ग्रार० ग्रार० बनायी जाती है टनेज के हिसाब से that is finall रेलवे वाले जो ग्रार० ग्रार० बनाते हैं वही फाइनल है ग्रौर रास्ते में जो लॉसेज होते हैं, ग्रागे जाकर रतलाम के पास होते हैं, उसका हमारे ऊपर भार नहीं ग्राता है। तो ग्रापने 20 रुपये के हिसाब से चार लाख का 80 लाख रुपये की नुकसान की बात कही। मैंने इसको चैक ग्रप कर लिया। ग्रपने ग्राफिसर्स से ग्राप ग्रौर चैक-ग्रप कर लीजिये, जिसने ग्रापको यह दिया है, मैं ग्रापका स्वागत करूंगा, ग्रगर ग्राप इसको मेरी नॉलेज में लायेंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। मेरा तो यह मतलब है नहीं लेकिन मेरे यहां सीनियर आफिसर्स बैठे हैं, क्योंकि बड़ी एक्सेप्शनल चीज थी कि 80 लाख रुपये का घाटा हो रहा है। मैंने पूछा क्या चीज है यह, 80 लाख रुपये का घाटा कैसे हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी बात नहीं है, वहीं से रेलवे में चढ़ता है ग्रौर कहीं ट्रान्सपोर्टेशन में लॉसेज हों उसका हमको सफर नहीं करना पड़ता है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : ग्रापकी जो प्रगति रिपोर्ट है 79-80 की, उसके ग्रंतिम पृष्ठ में सैकण्ड पैरा है, उसको ग्राप देख लें। ग्रापने स्वयं लिखा है, मैंने ग्रपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाया है। ग्राप 79-80 की रिपोर्ट देख लें। उसके ग्रंतिम पृष्ठ के सैकण्ड पैरा में ...

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : मैं ग्रापको लैटेस्ट पोजीशन बता रहा हूं। 79-80 की भी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

मैं दिखवा लूंगा। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट पोजीशन अर्ज कर रहा हूं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** यह लॉसेज वजन का पड़ता है, उसका तो आपने स्वयं माना है।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** वह तो आप मेघवाल जी से पूछो। वह थे 79-80 में तो।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** अगर आपको पूछ लें तो क्या तकलीफ है ?

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** तकलीफ तो आप पैदा कर रहे हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** आपको पूछ लें तो क्या बात है। ऐसी कोई डिक्टेटरशिप है क्या कि नहीं पूछ सकते हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** गड़बड़ तो उस वक्त हुई होगी, हुजूर।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** आज ओवर बर्डन के बारे में कहा। ओवर बर्डन के बारे में वह सही बात है, ओवर बर्डन हटाने का जो रेश्यो मेनटेन रखना चाहिये था वह उन सालों में नहीं रखा गया। अगर इस बात को मैं कहूं कि नहीं रखा गया तो कोई भी नहीं मानेगा क्योंकि उस वक्त का रिकार्ड बोलता है। इसके पीछे मूल भावना यह थी उस वक्त की सरकार की कि अधिक से अधिक रेवेन्यू, आय हो। सरकार के द्वारा इनसट्रक्शन्स गये थे, जबानी खर्च में फाइनेन्स डिपार्टमैन्ट वालों ने कहा, और ने भी कहा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की आर्थिक स्थिति बदकिस्मती से दो चार सालों को छोड़ कर अच्छी नहीं रही। मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं जिससे आप अन्दाज लगायेंगे कि ओवर बर्डन के अन्दर इनिशियल स्टेज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह आपको रेवेन्यू से पता पड़ेगा। यह मै आपको राउन्ड अबाउट फिगर्स दे रहा है। Amount devited to government account in lacs.

| | |
|---|---|
| 73-74 में | 320 लाख रुपये, |
| 74-75 में | 914 लाख रुपये, |
| 75-76 में | 1048 लाख रुपये, |
| 77-78 में | 1651 लाख रुपये, |
| 78-79 में | 1517 लाख रुपये, |
| 79-80 में | 1610 लाख रुपये, |
| 80-81 में | 1751 लाख रु०, और |
| 81-82 में | 2275 लाख रुपये। |

एक्युयल 21 करोड़ 92 लाख रुपये अगेन्स्ट 22 करोड़। 82-83 में टार्गेट है 24 करोड़ का। मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरू से ध्यान इस ओर नहीं दिया गया कि ओवर बर्डन रिमूवल रेश्यो मेनटेन करना चाहिये, वह हो रहा है या नहीं, क्योंकि 1:4 का कहा है माननीय सदस्यों ने, यह सही है मेनटेन हुआ 1:1 या 1:2 का। यह तो इन सालों के अन्दर आप देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, जब ओवर बर्डन का मामला इतना जबर्दस्त बढ़ गया, इसके बाद इसके लिये एजेन्सी लगायी गयी और एजेन्सी की राय भी ली गयी। उन्होंने यह राय दी कि अब आपकी स्थिति यह आ गयी है कि आप को 1:6 नहीं तो

(151)



(श्री प्रद्युम्न सिंह)

1:4 के बराबर रिमूवल रेश्यो रखना पड़ेगा।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री उपाध्यक्ष** : मन्त्री महोदय का रिप्लाई समाप्त हो, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय। आपको मंजूर है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है जब तक आपका रिप्लाई समाप्त न हो।

### आर. एस. एम. एम. लि. एण्ड आर. एस. एम. डी. सी. लि. के प्रतिवेदन एवं लेखों पर विचार

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी दस मिनट में समाप्त कर दूंगा।

अब आप देखेंगे, श्रीमन्, 80–81 में ओवर बर्डर, जो हटाया हैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 73–74 में ओर का प्रोडक्शन हुआ। 1,16 893 टन और ओवर बर्डन हटाया है 2 लाख 10 टन। 74–75 में चार के अगेंस्ट ओवर बर्डन 6। 75-76 में 3 51 और 9, 76-77 में पांच, 5 के अगेन्स्ट में 11, जो ओवर बर्डन हटाया इन्होंने। 77-78 में 5 1·5 के अगेन्स्ट में 18। 79–80 में 3,99 रफली 4 1·4 के अगेन्स्ट में 15। 80-81 में 2.79। उसके मुकाबले हटाया 18 यह 1:9····

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : प्रोडक्शन कम कर दिया आपने।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं वही कह रहा हूं, 81–82 में तीन लाख टन ओर निकाला और 22 लाख टन ओवर बर्डन रिमूव किया। मेरा आपसे यह कहना है कि इनीशियल स्टेज में जो हमारे लेप्सेज रहे, जो हमें करना चाहिये था उससे मैं डिनाई नहीं करता। वे कमाऊ पूत के समान सरकार के सामने अपने आपको पेश करना चाहते थे और उन्होंने कमाकर सरकार को दिया भी। जो कुछ कमाया वह सरकारी खजाने में गया, किसी की जेब में नहीं गया। उस वक्त के काम को आप अनसाइन्टिफिक माइनिंग कह सकते हैं, जैसे आपने फ्रैंकली कहा मैं फ्रैंकली एड्मिट करता हूं लेकिन उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उसमें किसी के इन्टेन्शन में किसी प्रकार की बद-नीयती नहीं थी। जो भी पैसा कमाया वह सरकार के खजाने में गया। कोई गड़बड़ी नहीं है सही हुआ। आखिर पैसा रहा तो सरकारी खजाने में। It is purely a Government Organisation, Government Company. यह कोई प्राइवेट कम्पनी तो है नहीं, यह तो सरकार की कम्पनी है कि अगर उस वक्त ओवर बर्डन का 1:4 का रेश्यो मैन्टेन करते तो प्रॉडक्शन इतना नहीं आता। तो सरकार के खजाने में आमदनी कम होती। वह आप कैसे कर लेते ? आपने कहा, आप माल-माल तो ले गये। हुआ यही। मैं तो कहता हूं कि ऊपर से अपन बढ़िया माल हटाते रहे, बेचते रहे और सरकार को कमा-कमा कर देते रहे। किसी ने एफर्ट्स नहीं किये। मशीनरी की पोजीशन क्या थी उस वक्त, मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन आपने यह कहा कि आज 16 करोड़ रुपये

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

की मशीनरी है। आपने जिस ए०जी० की रिपोर्ट का जिक्र किया, उस ए०जी० की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने माना है कि 24 घण्टे मशीन चलती रहेंगी। मैने पढ़ा है इसको। जवाब भी इसके अन्दर आया है। आप देख लें इसको। मेरे पास जो जानकारी है, मैंने इसके बारे में नोट बनवाया है। इसके अन्दर आप यह मानकर चलते हैं, कहीं पर उनको उनकी तरफ से जवाब भी दिया गया है कि जितनी मशीनरी है वह कभी खराब ही नहीं होगी। उसका हमने पूरा यूटिलाइजेशन किया लेकिन आप मान कर चल सकते हैं....

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 24 घण्टे वाली बात है वह स्पष्ट हो जाय तो ठीक रहेगा। बात यह है कि जिस तरह का जवाब दे रहे हैं उस तरह के जवाब की उम्मीद थी। क्योंकि जिस तरह से नार्म्स बदले गये, मैं बतलाऊंगा कि रेजिंग का जितना पैसा आर०एस०एम०एम० को गया, वह अनावश्यक गया। जो माइनिंग के नार्म्स हैं। वह मेन्टेन होने चाहिए थे। वे नार्म्स जिन आफिसर्स ने मेन्टेन नहीं किये उनको आज जिस तरह से डिफेण्ड कर रहे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप डिफेण्ड मत कीजिए। आप अब तो एक्शन लीजिए। यह एक्सप्लेनेशन वही आया है जो बार-बार आता रहा है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैने जवाब दे दिया है। मेरे जवाब देने के बाद कह दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, ठीक है, सुन लिया।

**श्री कैलाश मेघवाल** : 24 घण्टे वाली बात भी उन्होंने आपको ब्रीफ कर दी और इसमें केवल 5 घण्टे बता दिये। सुन लीजिए आप।

मशीनों का उपयोग–फास्फेट राक। कच्चे राक के छेदन, लदान तथा परिवहन हेतु कम्पनी द्वारा लगायी गयी विभिन्न मशीनों / साज सामान के लिये संक्रियात्मक मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। मशीनों/साज सामान के कार्य हेतु मानक सुझाने का कार्य कम्पनी ने फरवरी, 1977 में मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन० एम० डी० सी०) को सौंपा। यह आर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट आफ इण्डिया का है। फरवरी 1979 को कम्पनी द्वारा प्राप्त उनकी रिपोर्ट में एन० एम० डी० सी० ने यह विचार व्यक्त किये कि साल में 275 कार्य दिवस, साप्ताहिक छुट्टियां, सवेतन छुट्टियां तथा मौसम की हालत के कारण पारी की हानि के बाद, तथा पांच घण्टे प्रति पारी, 3 घण्टे पारी को बदलने, जलपान तथा सामान्य संक्रियात्मक विलम्ब इत्यादि को छोड़ने के बाद आठ घण्टे के बजाय पाँच घण्टे माना है उन्होंने/यह और देख लीजिये, बहुत स्पष्ट लिखा है। क्रमशः सामान्य कार्य दिवस तथा प्रति पारी कार्यकारी घण्टे लिये जा सकते थे। 1975-76 से 1977-78 के मध्य मशीनों / साज सामान की उपयोगिता के उपर्युक्त मानकों के अनुसार व्यावहारिक रूप में दो पारी प्रतिदिन का आधार मानकर समीक्षा की गई, और यह ध्यान में आया कि नीचे

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिये गये मामलों में उपयोगिता का प्रतिशत बहुत ही कम था।

यह गवर्नमेन्ट ग्राफ इण्डिया ग्रण्डरटेकिंग है ग्रौर उसके ये मानक हैं। उन्होंने सारा पर्सेन्टेज बताया सारा सोच विचार के बाद....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने ग्रापसे वही कहा। जो ग्रापके पास है वह मेरे पास है। ग्राप सुन लीजिये मेरी बात।

"It has been presumed by audit that these machines will work for three shifts and eight hours per shift. While discussing it has been clarified that full shift hours can never be taken as effective working hours for this machine. Even M/s National Mineral Developmet Corporation Ltd. Hyderabad Company's Mining consultatns in their report have computed utilisation hours as under :–

275 working days in a year of 2 shifts per day and five hours per shift–275 working....

श्री कैलाश मेघवाल : इसी के ग्रनुसार ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, इसी के ग्रनुसार ?

श्री कैलाश मेघवाल : ग्रापके ठीक करने के बाद क्या ग्राता है ? वह 20 पर्सेन्ट ग्राता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Sometimes it happens. ऐसा हो सकता है, मशीनरी में जो उन्होंने मापदण्ड का सुझाव दिया है, जो मापदण्ड ग्रपनाना चाहिये उसके ग्रनुसार नहीं हुग्रा है। तो मैं ग्रापसे निवेदन कर रहा था कि हालात ऐसे हो गये थे कि जो ग्रार० एस० एम० एम० की मशीनरी थी, क्योंकि ग्रापने शुरू में कह दिया कि ग्राप बराबर पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं कहूं कि ग्रापने 1977-78, 1978,79 ग्रौर 79-80 में क्या किया। मैं उसको नहीं कहना चाहता हूं। कहने से लाभ भी नहीं है....

श्री कैलाश मेघवाल : ग्रप्रत्यक्ष कह तो दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसके कहने से लाभ भी नहीं है क्योंकि यह जो बीमारी है एक लम्बे ग्रर्से की बीमारी है जिसके लिये मैं ग्रापके माध्यम से सदन को ग्राश्वासन दे सकता हूं, एश्योर कर सकता हूं कि कार्पोरेशन ने इफेक्टिव स्टेप्स ले लिये हैं। कलकत्ता का गैस्ट हाउस हमने बन्द कर दिया। खर्चों में कमी करने की बात थी, तो दिल्ली में दो गैस्ट हाउस थे हमने एक गैस्ट हाउस समाप्त कर दिया। ग्राज भी जहां पर इकानामी की जा सकती थी सब जगह इकानामी की जा रही है। नया रिक्रूटमेन्ट क़रीब करीब हमारे यहां ना के बराबर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

दूसरी बात, बांदीकुई से ग्राने वाले

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय सदस्य ने यह कहा कि गड़बड़ी हो रही है जो आर. एस. एम. डी. सी. को राक फास्फेट्स के छोटे मोटे डिपाजिट्स इधर-उधर मिल गये हैं उनमें हाई ग्रेड का जितना राक फास्फेट है वह सब आर. एस. एम. एम. के मार्फत बिक रहा है। डाइरेक्ट कोई नहीं बेच रहा है बाजार में। गवर्नमेन्ट कम्पनी टू गवर्नमेन्ट कम्पनी बेच रहे हैं। अब उसके अन्दर एक स्टेप लिया है हमने ...

**श्री सी. पी. जोशी** : पिलफरेज ...

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : पिलफरेज की बात आप कह रहे हैं। अभी तक कोई पिलफरेज जांच में नहीं आया। जब कोई काम करेंगे, मेघवाल जी, हमेशा यही आरोप लगेंगे। या तो हम काम बन्द कर दें। हम यह कहते हैं कि आपने एक जिम्मेदार सदस्य की हैसियत से सुझाव दिये हैं। मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर पिलफरेज की आपकी शिकायत है, मैं शिकायत मान रहा हूं आपके सुझाव को, मैं अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि इस तरफ और भी चौकसी बरती जाये ताकि किसी किस्म का पिलफरेज न हो।

**श्री सी. पी. जोशी** : क्या यह सही है कि अपने जितने भी गवर्नमेन्ट अण्डरटेकिंग्स हैं वहां चार्टर्ड अकाउन्टेट लेवल का आदमी अपन फाइनेन्स में रखते हैं? फिर आर. एस. एम. एम. में क्या तकलीफ है? बी. कॉम. पास आदमी क्यों रखा है? इतना बड़ा आपका आर्गेनाइजेशन है....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि फाइनेन्शियल एडवाइजर के रूप में मुझे उनकी क्वालिफिकेशन का पता नहीं लेकिन वह वहां लम्बे अर्से से काम कर रहे हैं। खाली एक क्वालिफिकेशन के आधार पर ही–अब यों तो हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस श्री वान्चू थे, जैसा सिंचाई मंत्री जी बता रहे थे, He was not a law graduate.

**श्री सी. पी. जोशी** : If you want to compete the competence of that man with Wanchoo Sahib then I have nothing to say about it. Therefore this is very plain to the House that that man is so competent that he is indispensible. The only man is not dispensible for ten years–should have been brought to the notice of the Government. What is the criterion of obverburden.

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : No. No. No one is indispensible. कोई आदमी इनडिस्पेन्सिबल नहीं है इस दुनिया के अन्दर।

**श्री सी. पी. जोशी** : You have said this Since he is only a B. Com., Put there some senior man.

**श्री उपाध्यक्ष** : He will consider

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

your suggestion.

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** Qualification cannot be an only criterion for selection.

**श्री सी. पी. जोशी :** यूनिवर्सिटी में आपने एक सी० ए० को बैठा रखा है और आपने एक बी० कॉम० पास आदमी आपको पाइन्ट आउट नहीं करा सका और कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम्पीटेन्ट आदमी है ।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** I do not say this thing. मैंने उस बात को पूरा नहीं किया लेकिन खाली क्वालिफिकेशन के आधार पर since he is a B. Com ..

**श्री सी. पी. जोशी :** Put there some senior man.

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कई अनपढ़ लोग पढ़े–लिखों से ज्यादा अच्छा काम चला लेते हैं। बिजनेस चलाते हैं करोड़ों का और दस्तखत करना भी नहीं जानते हैं ।

**श्री सी. पी. जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय, यह बात होती तो मैं नहीं बोलता । यह आदमी वहां 12 साल से बैठा हुआ है....

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):** सभी डिपार्टमेन्ट्स में अनुभवी लोगों को लगवा दीजिये ।

**श्री सी पी. जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय. हिन्दुस्तान में सी० ए० अवेलेबल हैं । आपके पास काम्पीटेन्ट स्टाफ नहीं है तो समझ में आता ।

**श्री उपाध्यक्ष :** He will consider your suggestion.

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव आया, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा लेकिन मैंने कहा कि guali-fication cannot be the only criterion for selection of any person. Should I throw him out खाली बी. कॉम. और चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से पुराने मुनीम बहुत होशियार हैं ...

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** यह सरकार की नीति है क्या ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** आप बीच में क्या बोल रही हैं, बहन जी, यह जयपुर का मामला नहीं है । यह उदयपुर का मामला है ।

**श्री सी० पी० जोशी :** एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष :** Your suggestion is noted down Take your seat, please.

**श्री सी० पी० जोशी** : क्या No. No. No. साइड ट्रेक कर रहे हैं। मन्त्री महोदय, आप जानते हैं, एक मिनट। वहां के तत्कालीन एम. डी. ने सरकार को जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर आप सदन के सामने कह सकते हैं कि वह काम्पीटेन्ट आदमी है, इनडिस्पेन्सिबल आदमी है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : I am not aware of any report. There are so many M. D., which M. D. gave.

**श्री सी० पी० जोशी** : Would you tell the name of the M. D. ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मुझे मालूम नहीं। I am not aware। किस एम० डी० ने रिपोर्ट दी। वहां पर कई एम० डी० रहे हैं पिछले सालों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन फिर भी एक सुझाव आया है, अगर हमको बैटर आदमी मिल सकते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सेवायें ली जायेंगी। अगर उससे बैटर आदमी मिल सकते हैं ....

**श्री उपाध्यक्ष** : According to rules.

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : नियमों के तहत। नियम क्या है, क्या कायदा है, क्या कानून है, क्या तौर, तरीका होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इस पर विचार किया जा सकता है। मैं इसको मना करके नहीं चल रहा हूं।

**श्री सी० पी० जोशी** : आप एक तरफ कहते हैं कार्मशियल एटीट्यूड रखना चाहिये। सारे आर० एस० एम० एम० में एक भी अफसर ऐसा नहीं है। एम० बी० ए० मिलते हैं। इण्टरमिडियेट पास आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर है। You do not want। एक तरफ कहते हैं इनकाम्पीटेंट आदमी चलते रहेंगे, यह कौन सा तरीका है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री उपाध्यक्ष** : बस खतम कीजिये आप। समाप्त कीजिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नये नियम बने हैं उसके तहत प्रथम बार दोनों कार्पोरेशन्स की रिपोर्ट यहां पर डिस्कस हुई और मुझे सौभाग्य मिला उसका उत्तर देने का। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, मैं बहुत सच्चाई के साथ निवेदन करना चाहूंगा, I have not taken anything otherwise. I will try to act upon them.

जो भी इसके अन्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, पैसे की बचत की जा सकती है वह करेंगे।

जहां तक बैनिफिसियेशन प्लांट लगाने की बात कही उसका उत्तर देना भी आवश्यक है। अभी यह निश्चित नहीं हुआ है कि बैनिफिशियेशन प्लांट पर खर्चा करने के, फाइनेंसेज किस प्रकार जुटायें, कौन

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

भागीदार बनेगा, क्या होगा। जो आपके एप्रीहेन्शन हैं, जिस रिपोर्ट की आपने चर्चा की है उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगर उसकी आवश्यकता होगी, नई प्रक्रिया कोई आ गई नई, तकनीक कोई आ गई, उसको भी ध्यान में रखेंगे। सरकार का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं पुनः एक बार आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 13 सितम्बर, 1982 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.00 बजे सोमवार दिनांक 13 सितम्बर, 1982 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

# परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची व अधिसूचना की प्रति

राज्य सरकार के द्वारा गत वर्षों में निर्धारित किये गये किराये की दरें :—

| मार्गों की श्रेणी व बसों का प्रकार | किराये की दर (प्रति कि. मी. पैसों में) तथा वृद्धि की तिथि | | | | वृद्धि प्रति यात्री प्रति कि० मी० |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-4-78 | 16-9-80 | 24-6-81 | 18-2-82 | |
| 1—"क" श्रेणी का मार्ग | | | | | |
| (क) सामान्य सेवा | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.3 | 2.9 |
| (ख) एक्सप्रेस/मेल सेवा | 4.9 | 6.1 | 7.3 | 8.0 | 3.1 |
| (ग) से० मी० डी० लक्स सेवा | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 9.8 | 3.9 |
| (घ) डीलक्स सेवा | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 11.3 | 4.4 |
| 2—"ख" श्रेणी का मार्ग | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 7.4 | 2.9 |
| 3—"ग" श्रेणी का मार्ग | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.1 | 3.6 |

## सूची 2

नगरीय बस सेवा के किराये की दर :—

राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 5-1-75 को नगरीय सेवा के लिए निम्नलिखित दरें निर्धारित की गई थीं :—

| | |
|---|---|
| 2 कि० मी० तक | 15 पैसे |
| 2 से 4 कि० मी० तक | 25 पैसे |
| 4 से 6 कि० मी० तक | 35 पैसे |
| 6 से 8 कि० मी० तक | 45 पैसे |
| 8 से 10 कि० मी० तक | 55 पैसे |

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

HOME (GR. VII) DEPARTMENT

No. F-29 (3) Home-7/76 Jaipur, dated the 7th August '82

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939), and having regard to the requirements of clauses (a) to (d) of the said sub-section and and in supersession of this Department Notification No. Fl(3)(4)Pari/74 dated 2-1-75 published in Rajasthan Rajpatra part IV (c)(ii) dated 2-1-75 and No. 29 (3) Home/Gr-7/76 dated 30th October, 1976 published in the Rajasthan Gazette Extra Ordinary, Part 4 (c) (ii) dated 30th October, 1976 the following draft of directions, which the State Government proposes to issue to the State Transport Authority is hereby published as required by the proviso to the said sub-section, for the information of the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on 8-9-82 at 11 a. m. or on any other date to be fixed on the said date.

Any objection or suggestion which may be received by the undersigned with respect to the said draft from any person on or before the said date will be taken into consideration by the State Government in consulation with the State Transport Authority after giving the representatives of the affected interests an opportunity of being heard.

DIRECTIONS

Fares for Stage carriages plying exclusively within Municipal areas shall be as under :

(160)



| DISTANCE IN KILOMETERS | FARE |
|---|---|
| Upto " 2 Kms. | 30 paise |
| More than 2 but upto 6 Kms. | 60 paise |
| More than 5 but upto 7 Kms. | 70 paise |
| More than 7 Kms. but upto 10 Kms. | 80 paise |
| More than 10 Kms. but upto 15 Kms. | 1.10 paise |
| More than 15 but upto 20 Kms. | 1.30 paise |

By order of the Governor

Sd/—

Dy. Secretary to Govt.

—o—

# परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 138 की सूची

**अति आवश्यक**

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रं०पं० 6 (54) जीए/ग्रुप-1/76　　　जयपुर, दिनांक 24 अगस्त, 1977

—: आज्ञा :—

विषय:-- विधायकों एवं संसद सदस्यों को विश्राम भवनों में ठहरने की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

—o—

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 6-3-1976 द्वारा राजस्थान राज्य के संसद सदस्यों को एवं विधायकों को सभी राजस्थान के विश्राम भवनों में, जयपुर एवं माउन्ट आबू के विश्राम भवनों के छोड़कर, एक बार में अधिक से अधिक 2 दिन और मास विशेष में अधिक से अधिक चार दिन राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान ठहरने की सुविधा प्रदान की गई है।

इसके क्रम में अगर राजस्थान राज्य के संसद सदस्यों एवं विधायकों को किसी राजकीय कमेटी/मण्डल/निगम आदि के सदस्य के रूप में या अन्य किसी राजकीय कार्य वश राजस्थान के किसी विश्राम भवन में ठहरना पड़ता है तो उपरोक्त वर्णित शर्त लागू नहीं होगी, और उनको उक्त अवधि में राज्य सरकार के प्रथम श्रेणियों के अधिकारियों के समान ही सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

आज्ञा से,
ह0
(राजेन्द्रपाल सिंह)
उप शासन सचिव

(162)



प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित है:—

1- सचिव, मुख्य मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
2- निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्रीगण।
3- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर,
4- वित्त आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5- समस्त शासन सचिव।
6- समस्त जिलाधीश।
7- अधीक्षक, विश्राम भवन, जोधपुर।
8- प्रबन्धक, राज० हाऊस/बीकानेर हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
9- प्रबन्धक, विश्राम भवन, अजमेर/अलवर/बूंदी/भरतपुर/बीकानेर/चितौड़गढ़/ जयपुर जोधपुर/कोटा/उदयपुर/

10- पर्यवेक्षक, विधायक निवास, जयपुर।
11- सहायक लेखाधिकारी, सामान्य प्रशा0 (ग्रुप-4) विभाग।

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इन आदेशों से समस्त विधायकों को अवगत कराने की कृपा करें।

ह0
(बी०एन०कपूर)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 16 (38) जीए /ग्रुप-1/77 जयपुर, दिनांक 31 जुलाई, 1978

: आ ज्ञा :

विषय:—संसद सदस्यों को जयपुर एवं माउन्ट आबू में तथा विधायकों को माउन्ट आबू के विश्राम भवनों में ठहरने के संबंध में

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग की आज्ञा सं प. 6 (54) सा0प्र0/ग्रुप-1/76 दिनांक 25-8-77 के क्रम में राजस्थान राज्य के संसद सदस्यों को राजस्थान के अन्य विश्राम भवनों में ठहरने की सुविधा के अनुसार जयपुर तथा माउन्ट आबू के विश्राम भवनों में एवं राजस्थान के विधायकों को अब माउन्ट आबू में (जयपुर को छोड़कर) भी एक बार में अधिक से अधिक दो दिन और मास विशेष में अधिक से अधिक चार दिन राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान ठहरने की सुविधा प्रदान कराई जावेगी। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार पाण्डे)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1- सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण,/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
3- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4- वित्तीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5- समस्त शासन सचिव।
6- समस्त जिलाधीश/विभागाध्यक्ष।
7- समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली।
8- विधायक निवास, जयपुर।
9- सहायक लेखाधिकारी, सा0प्र0 (ग्रुप-4) विभाग। (10) गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर को भी प्रेषित कर लेख है कि इन आदेशों से समस्त विधायकों को अवगत कराने की कृपा करें।

ह0/-
अनुभागाधिकारी

(164)



राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग

क्र0प0 16 (38)जाए/1/77 जयपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 1979

: आज्ञा :

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 31–7–78 के क्रम में आदेश की पांचवीं तथा छठी पंक्ति में अंकित 'मास विशेष में अधिक से अधिक चार दिन राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान ठहरने की सुविधा, के स्थान पर 'राजस्थान के संसद सदस्यों तथा विधायकों को इस आदेश के प्रसारित होने की तिथि से मास में चार दिन के स्थान, पर अब 'पांच दिन राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान ठहरने की सुविधा प्रदान कराई जावेगी। संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य यदि इस सुविधा (अर्थात् 5 दिन) का लाभ एक बार में ही लेना चाहें तो वे मास विशेष में पांच दिन तक एक साथ ठहरने के लिये भी अधिकृत हैं। इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 31–7–78 में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,<br>
ह0<br>
(जयनारायण गोड़)<br>
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1– सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।<br>
2– निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।<br>
3– महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।<br>
4– वित्तीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।<br>
5– समस्त शासन सचिव। (6) समस्त जिलाधीश, राजस्थान।<br>
7– समस्त विभागाध्यक्ष।<br>
8– समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान। (9) प्रबन्धक, विधायक निवास, जयपुर।<br>
10– प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।<br>
11– सहायक लेखाधिकारी, सा0प्र0 (ग्रुप–4) विभाग।<br>
12– गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को भी प्रेषित कर लेख है कि इन आदेशों से समस्त विधायकों को भी अवगत कराने की कृपा करें।

ह0<br>
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग

—००—

क्रमांक : प० 16 (14) जीए/ग्रुप–1/75 जयपुर, दिनांक 26 मई, 1978

–: आदेश :–

इस विभाग के पत्रांक : प० 27 (3) जीए/ग्रुप–ए/66 दिनांक 16-3-66 एवं आदेश क्रमांक प० 27 (3) सा० प्र०/ग्रुप–1/66 दिनांक 17-6-1972 को निरस्त करते हुए, राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकारियों के लिए इस विभाग के आदेश संख्या प० 29 (3) जीए/ए/71 दिनांक 18-4-1972 द्वारा निर्धारित दरों पर ठहरने हेतु प्राधिकृत करते हैं :—

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारी। प्रोवेशनर्स सहित।

2. राजस्थान सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी जिनका मासिक वेतन रु० 1150)–(अंके एक हजार एक सौ पचास रुपये) मात्र से अधिक है।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार पाण्डे)
उपशासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. प्रबन्धक, विश्राम भवन, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, आबू पर्वत, जोधपुर।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, विधायक निवास, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधीश।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त निगम/मण्डल/संस्थान।
9. गार्ड फाइल।

ह०
सहायक शासन सचिव

(166)



राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन ग्रुप प्रथम विभाग

संख्या एफ 16 (14) सा०प्र०/1/75 जयपुर, दिनांक 18 जुलाई, 1978

शुद्धि-पत्र

इस विभाग के सम क्रमांक आदेश दिनांक 26-5-78 द्वारा जारी किये गये आदेश के संशोधन क्रम संख्या 1 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम संख्या 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के मध्य में भारतीय वन सेवा भी पढ़ा जावे।

आज्ञा से,
(अशोक पाण्डे)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. प्रबन्धक, विश्राम भवन, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, आबू पर्वत, जोधपुर।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, विधायक निवास, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधीश।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन-पथ) राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त निगम/मण्डल/संस्थान।
9. गार्ड फाइल।

ह०
अनुभागाधिकारी

(167)



राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प० 16 (14) जीए/ग्रुप–1/75 जयपुर, दिनांक 29 सितम्बर, 1978

शुद्धि पत्र

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 26-5-78 द्वारा जारी किए गए आदेश के क्रम में पैरा सं० 2 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :—

2–राजस्थान सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी जिनका मासिक वेतन रु० 1150)–(अं के एक हजार एक सौ पचास रुपये) मात्र या इससे अधिक है।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार पाण्डे)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, विधायक निवास, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त जिलाध्यक्ष।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त निगम/मण्डल/संस्थान।
10. रक्षिका पंजिका।

ह०
(के० एल० झा)
अनुभागाधिकारी

168



# परिशिष्ट 3

## समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर

### ग्राम मोहड़ा का प्राइमरी स्कूल

139. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बायतु के ग्राम मोहड़ा के राजकीय प्राइमरी स्कूल चीला-नाडी का टांका पूरा बना दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह टांका कब तक बना दिया जाएगा ?

उत्तर

पंचायत समिति बायतू के ग्राम मोहड़ा के राजकीय प्राथमिक स्कूल चीला नाडी के टांके का निर्माण कार्य अगस्त, 1982 में पूर्ण कराया जा चुका है।

### पर्यटन निगम की गाड़ी का उपयोग

140. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन निगम की किस-किस नंबर की गाड़ी (कार) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक किस-किस अधिकारी के पास कितने-कितने दिन रही ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन अधिकारियों के पास यह गाड़ियां रहीं उनमें कौन-कौन अधिकारी गाड़ी रखने के लिए अधिकृत थे और किस प्रकार से ?

(3) अनधिकृत रूप से गाड़ी रखने वालों ने इस अवधि में प्रति माह कितने-कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है ?

उत्तर

(1) पर्यटन निगम के जिन सम्बन्धित अधिकारियों ने निगम के वाहनों (कार) का निगम के कार्यों के लिए 1 अप्रेल सन् 1980 से इस्तेमाल किया है, उनकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) निम्नांकित अधिकारियों ने गाड़ियों का उपयोग निगम के कार्यों के लिए किया है :—

1. अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक
3. सचिव, पर्यटन एवं पदेन सदस्य निदेशक मण्डल, पर्यटन निगम
4. महा प्रबन्धक
5. महाप्रबन्धक (कार्मिक)
6. महाप्रबन्धक (कार्य)
7. मुख्य लेखाधिकारी
8. महाप्रबन्धक (शाही रेलगाड़ी)
9. अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन
10. डिवीजनल मैनेजर
11. सहायक मुख्य लेखाधिकारी
12. सहायक सचिव
13. वास्तुकार

इन सभी अधिकारियों ने प्रचलित प्रथा, कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए, निगम के कार्यों के निष्पादन के लिए निगम के वाहनों का उपयोग किया।

(3) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

169

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की गाड़ियाँ (कार) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक जिन-जिन अधिकारियों के पास रही हैं, का विवरण

| क्रम सं० | वाहन नम्बर | अधिकारी | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आर० आर० बी० 6314 | अध्यक्ष | 18-5-81 से 25-8-81 |
| | (दिनांक 18–5–81 को क्रय की गई) | | 11-10-81 से 5–4–82 |
| | | प्रबन्ध निदेशक | 10-6-82 से 13-6-82 |
| | | महाप्रबन्धक | 26-8-81 से 29-8-81 |
| | | | 5-9-81 से 8-9-81 |
| | | | 14-9-81 से 15-9-81 |
| | | पर्यटकों के लिए | 1-9-81 से 3-9-81 |
| | | टैक्सी कार उपयोग | 10-9-81 से 12-9-81 |
| | | हेतु । | 16-9-81 से 11-10-81 |
| | | | 13-6-82 से अब तक |
| 2. | आर० आर० एम०-7533 | महाप्रबन्धक (कार्य) | 1-4-80 से 20-6-82 |
| | | | 21-6-82 से मरम्मत हेतु मुख्यालय में खड़ी हुई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | आर० आर० बी०-6369 (दिनांक 18-5-81 को क्रय की गई) | प्रबन्ध निदेशक | 18-5-81 से अब तक |
| 4. | आर० एम० बी०–4887 (दिनांक 15–12–79 को क्रय की गई) | प्रबन्ध निदेशक | 1-4-80 से 26-12-80 |
| | | सचिव पर्यटन/प्रबन्ध निदेशक | 27-12-80 से 20-2-81 |
| | | प्रबन्ध निदेशक | 21-2-81 से 15-5-81 |
| | | वरिष्ठ प्रबन्धक | 19-5-81 से 3-6-81, 9, 10, 11, 12 से 16-6-81 |
| | | | 22-6-81 से 24-6-81 |
| | | सचिव पर्यटन | 30-6-81 से 21-5-82 |
| | | | 30-6-82 से 5-8-82 तक पर्यटकों के लिये टैक्सी कार उपयोग हेतु। |
| | | अध्यक्ष | 6-8-82 से अब तक |
| 5. | आर० एस० बी०–185 (दिनांक 28-3-79 को क्रय की गई स्टाफ कार) | अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक | 1-4-80 से 26-12-81 |
| | | अध्यक्ष | 8-12-81 से 10-12-81 |
| | | | 29-6-82 से 1-7-82 |
| | | | [illegible] |

# Page No 171



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 6-8-82 से अब तक |
| | | प्रबन्ध निदेशक | 13-1-81 से 24-1-81 |
| | | | 7-2-81 से 9-2-81 |
| | | | 11-2-81 से 12-2-81 |
| | | | 5-5-81 से 9-5-81 |
| | | | 5-1-82 से 7-1-82 |
| | | | 20-1-82 |
| | | | 22-7-82 |
| | | | 23-8-82 से 29-8-82 |
| | | महाप्रबन्धक | 27-12-80 से, 5-1-81 |
| | | | 26-1-81 से 6-2-81 |
| | | | 10-2-82 |
| | | | 13-2-82 से 24-2-81 |
| | | | 28-2-81 से 9-3-81 |
| | | | 18-3-81 से 4-5-81 |
| | | | 27-5-81 |
| | | | 8-6-81 से 11-6-81 |
| | | | 17-6-81 से 21-7-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 22-7-81 से 24-7-81 |
| | | | 27-7-81 से 28-8-81 |
| | | | 29-8-81 से 2-9-81 |
| | | | 4-9-81 |
| | | | 7-9-81 से 3-11-81 |
| | | | 5-11-81 से 7-12-81 |
| | | | 17-12-81 से 4-1-82 |
| | | | 8-1-82 से 15-1-82 |
| | | | 20-1-82 से 25-2-82 |
| | | | 27-2-82 से 27-2-82 |
| | | | 2-3-82 से 22-3-82 |
| | | | 20-3-82 से 31-3-82 |
| | | | 3-4-82 से 5-5-82 |
| | | | 6-5-82 से 17-5-82 |
| | | | 20-5-82 से 27-5-82 |
| | | | 1-6-82 से 3-6-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 8-6-82 से 11-6-82 |
| | | | 17-6-82 से 23-6-82 |
| | | | 3-7-82 से 14-7-82 |
| | | | 17-7-82 से 20-7-82 |
| | | | 23-7-82 से 24-7-82 |
| | | | 28-7-82 से 5-8-82 |
| | | | 6-7-82 से 10-8-82 |
| | | | 29-8-82 से अब तक |
| | | महाप्रबन्धक (शाही रेलगाड़ी) | 17-8-82 से 22-8-82 |
| | | महाप्रनन्धक (कार्य) | 6-1-81 से 9-1-82 |
| | | | 3-9-81 |
| | | | 4-11-81 |
| | | | 18-5-82 |
| | | महाप्रबन्धक (कार्मिक) | 13-5-81 से 18-5-81 |
| | | | 27-5-81 से 28-5-81 |
| | | | 2-7-82 |
| | | मुख्य लेखाधिकारी | 18-5-81 से 26-5-81 |
| | | | 28-5-81 से 6-6-81 |
| | | | 21-7- 82 से 22-7-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 25-7-82 |
| | | | 31-3-82 से 1-4-82 |
| | | | 6-5-82 |
| | | | 19-5-82 |
| | | | 4-6-82 |
| | | | 16-6-82 |
| | | सहायक मुख्य लेखाधिकारी | 12-6-81 से 13-6-81 |
| | | सहायक सचिव (पर्यटन निगम) | 29-8-81 |
| | आर. एस. बी.-185 | लेखाकार (भुगतान) | 21-7-82 |
| | | | 5-8-82 |
| | | | 24-6-82 से 26-6-82 |
| | | सचिव पर्यटन | 12-3-81 से 16-3-81 |
| | | पर्यटन मन्त्री | 26-2-82 |
| | | | 28-2-82 |
| | | अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन | 5-9-81 से 6-9-81 |
| | | | 16-1-82 से 19-1-82 |
| | | | 24-3-82 से 25-3-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | डिवीजनल मैनेजर | 24-3-82 से 25-3-82 |
| | | | 28-5-82 से 1-6-82 रात्रि में पर्यटक विश्रामगृह, गणगौर में कार्यरत रही। |
| | | | 4-6-82 |
| | | | 6-6-82 |
| | | | 12-6-82 से 16-6-82 |
| | | | 2-7-82 |
| | | | 21-7-82 |
| | | पर्यटन निगम अतिथि | 26-7-82 से 27-7-82 |
| | | | 10-8-82 से 16-8-82 |

**सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में गोचर भूमि**

141. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राज्य मन्त्री भेड़ व ऊन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी जिले जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर में भेड़ व बकरी आदि जानवर बहुसंख्या में हैं ?

(2) क्या यह भी सच है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में लोगों का जीवन यापन भी भेड़ व बकरी पर निर्भर है ?

(3) क्या सरकार इन जानवरों के लिये उक्त जिलों में गोचर भूमि की व्यवस्था करेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां ।

(2) जी हां । अधिकांशतः ।

(3) राजस्थान टिनेन्सी सरकरी नियम, 1955 के नियम 6 एवं 6–ए में तथा नियम 3–7 के अन्तर्गत पशुओं की परिभाषा में नहीं आने के कारण गोचर भूमि की भेड़ व बकरियों के लिये व्यवस्था वर्तमान नियमों में संभव नहीं है, परन्तु इनकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपाय किए जा रहे हैं ।

**धाभाई जी की हवेली में सदस्य आवास गृह की सफेदी का ठेका**

142. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धाभाई की हवेली में एम. एल. ए. क्वार्टर्स की सत्र 1981–82 में सफेदी की गई थी ? यदि हां, तो क्या पूरी हवेली की सफेदी हुई या कुछ हिस्सों की तथा सम्बन्धित ठेकेदार को पूरी हवेली की सफेदी का पेमेंट या कुछ हिस्सों का ?

(2) क्या यह सच है कि सन् 1981-82 में धाभाई की हवेली के कमरा नम्बर 10 एवं 14 की सफेदी एवं दरवाजों व खिड़कियों के वार्निश नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि धाभाई जी की हवेली एम० एल० ए० क्वार्टर्स की सन् 1981 (अक्टूबर) में सफेदी की गई थी । उक्त वर्ष में पूरी हवेली की सफेदी की गई थी सिवाय उन कमरों के जिनमें कि ताला बन्द पाया गया और कार्य के लिये हस्तानान्तरित नहीं किये गये । यह कार्य विभागीय तौर पर लेबर लगाई जाकर कराया गया था ना कि ठेकेदार द्वारा । अतः ठेकेदार को किसी प्रकार के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) सन् 1981-82 (अक्टूबर, 81) में धाभाई जी की हवेली में क्वार्टर नं० 10 एवं 14 में सफेदी कराई गई थी किन्तु इन क्वार्टरों में से प्रत्येक में एक कमरा बन्द होने के कारण उसमें सफेदी नहीं कराई जा सकी । इन दोनों क्वार्टर्स में वार्निश

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

का कार्य नहीं था बल्कि पेन्ट का कार्य था जिसे भी बन्द कमरे के अन्दर के हिस्से को छोड़कर करा दिया गया था।

**जयपुर में एक भू-खण्ड पर दो सिनेमाघर बनाने की स्वीकृति**

142. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महावीर मार्ग 'सी''-स्कीम जयपुर में नियम विरुद्ध एक प्लॉट पर दो सिनेमाघर बनाने की स्वीकृति दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ? कृपया रिपोर्ट को प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) यह सही नहीं है कि महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर में एक प्लॉट पर दो सिनेमा बनाने की स्वीकृति दी गई थी।

(2) जी हां। जनहित में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की इस प्रकार की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना उचित नहीं।

(3) कार्मिक विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

**अजमेर नगर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्ले में विद्युत् व्यवस्था**

144. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर में अब तक किन किन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के मोहल्ले में बिजली पहुंचा दी गई है और कितने मोहल्लों को और बिजली दी जाने हेतु सर्वेक्षण किया गया है और कितने मोहल्ले पूर्णतया वंचित हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य सरकार कब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इन समस्त मोहल्लों में बिजली पहुंचा देगी ?

**उत्तर**

(1) अजमेर नगर में अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 78 बस्तियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। सूची संलग्न है। वर्ष 1982–83 के लिए निम्न 3 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया है एवं इन स्थानों का कार्य प्रगति पर है:—

1. बावरी बस्ती–नबाव का बेड़ा
2. वार्ड नं. 21– नबाव का बेड़ा
3. भोपों का बेड़ा–लोहाखान

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने मोहल्ले और हैं जो बिजली से वंचित हैं, की जानकारी विद्युत मण्डल के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) इस सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(178)



अजमेर नगर की विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां

| क्र० सं० | वार्ड सं० | हरिजन बस्ती का नाम | विद्युतीकरण की दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | 1 | शान्तिपुरा | 16-11-73 |
| 2- | 1 | आनासागर हरिजन बस्ती | 15-10-73 |
| 3- | 2 | कमेला मोहल्ला | 17-11-73 |
| 4- | 2 | बाबूगढ़ | ,, |
| 5- | 2 | गादा गाटी | 18-11-73 |
| 6- | 2 | शिवनगर फाईसागर रोड | 20-11-73 |
| 7- | 3 | लोंगिया हॉस्पिटल के पास | 17-11-73 |
| 8- | 4 | चांदी का कुआ | 19-11-73 |
| 9- | 5 | लोहारा बस्ती | 31-1-74 |
| 10- | 6 | तारागढ़ बस्ती | 28-7-73 |
| 11- | 7 | इमली मोहल्ला | 24-11-73 |
| 12- | 7 | धोबी मोहल्ला | ,, |
| 13- | 7 | नूरी मोहल्ला | ,, |
| 14- | 7 | देवी मोहल्ला | ,, |
| 15- | 8 | मनही मोहल्ला | 25-11-73 |
| 16- | 9 | बज मोहल्ला | 14-11-73 |
| 17- | 10 | नगीना बाग (बांभ इमली रोड) | 27-11-73 |
| 18- | 10 | सावित्री कालेज रोड | ,, |
| 19- | 11 | तोपदड़ा | ,, |
| 20- | 12 | राजेन्द्रपुरा | 31-12-73 |
| 21- | 16 | कवण्डलपुरा | 15-5-74 |
| 22- | 16 | धानक्या बस्ती | ,, |
| 23- | 19 | उतार धसेबी खटीक बस्ती | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24- | 19 | खातियांन गला | 15-5-74 |
| 25- | 21 | मलूसर रोड | " |
| 26- | 21 | रैंगर मोहल्ला (डिग्गी) | " |
| 27- | 21 | राजेन्द्र स्कूल रोड | " |
| 28- | 21 | रैंगर मोहल्ला | " |
| 29- | 21 | प्रभात मोहल्ला | " |
| 30- | 21 | त्रिलोक नगर | " |
| 31-अ | 21 | बड़ा पीर रोड | " |
| 31-ब | 21 | गूजर बस्ती | " |
| 32- | 21 | शान्तिनगर | " |
| 33- | 22 | दाऊनवाब जेरी गेट | " |
| 34-अ | 23 | मामुड़ा नाड़ी | " |
| 34-ब | 23 | छातरी मोहल्ला | " |
| 35- | 24 | बावू " (रावण की बगीची) | " |
| 36-अ | 25 | चांदीनगर | " |
| 36-ब | 25 | सन्त मोहल्ला | " |
| 36-स | 25 | खटीक बस्ती | " |
| 36-ड | 25 | शान्ति बस्ती | " |
| 37-अ | 26 | इमली मोहल्ला | 31-3-74 |
| 37-ब | 26 | भगवानगंज | 16-4-74 |
| 37-स | 26 | गूजर बस्ती | " |
| 38-अ | 27 | अवधपुरी/भूषण वाली गली | 31-3-74 |
| 38-ब | 27 | सांखला का कुआं | " |
| 38-स | 27 | कोली बस्ती | " |
| 38-द | 27 | नारंगपुरा | " |
| 38-ई | 27 | गली मालियान | " |
| 38-क | 27 | भूतियों का कुआ | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 38-ज | 27 | जोसगंज | 31-3-74 |
| 39- | 28 | उडनीगंज | 17-1-74 |
| 40- | 28 | भजनगंज नाई बस्ती | " |
| 41- | 28 | बालुपुरा गांव | " |
| 42- | 28 | दव डूंगरी | " |
| 43- | 28 | सिंगार चवडी | " |
| 44- | 29 | उस्त्री मोहल्ला | 30-4-74 |
| 45- | 29 | नया घर/गुलाब बाड़ी | " |
| 46- | 29 | कल्याणीपुरा | " |
| 47- | 29 | नया बाग | " |
| 48-अ | 30 | नगरा बस्ती | 21-4-74 |
| 48-ब | 30 | अशोकपुरी | " |
| 48-स | 30 | मेयो लिंक रोड | " |
| 48-ड | 30 | प्रताप नगर रोड | " |
| 48-ई | 30 | रेलवे यूनियन बस्ती | " |
| 49- | 31 | लणकरण का अहाता | " |
| 50- | 31 | रामलीला का बाड़ा | " |
| 51- | 31 | नगरा | " |
| 52- | 31 | सुनार का बाड़ा | " |
| 53- | 31 | बगीच का बाड़ा | " |
| 54-अ | 31 | जादू घर | " |
| 54-ब | 31 | पावर हाउस | 21-10-73 |
| 54-स | 31 | सिन्धी मन्दिर | 28-12-74 |
| 54-ड | 31 | श्रीनगर रोड पोस्ट आफिस के पास | " |
| 54-ई | 31 | दादाबाड़ी कालोनी | 24-10-73 |
| 54-फ | 31 | नल बाग का अहाता | 28-2-74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 55-अ | 31 | मजीद रोड़ | | 24-11-73 |
| 55-ब | 31 | गुलावबक्ष का तकिया | | ,, |
| 55-स | 31 | तोपदड़ा | | ,, |
| 55-द | 31 | बड़ी बस्ती | | 21-11-73 |
| 55-ई | 31 | साधू बस्ती | | ,, |
| 55-फ | 31 | शिवनगर | | 24-11-73 |
| 55-जी | 31 | पालबीचला | | 23-11-73 |
| 55-एच | 31 | अंधेरी पुलिया | | 31-3-74 |
| 55-आई | 31 | पीलेशाह का तकिया | | 22-11-73 |
| 56- | 31 | पालबीचला | | 31-3-74 |
| 57- | 31 | नाका मदार | | ,, |
| 58- | 31 | नाल मदार | | 7-4-74 |
| 59- | 31 | कुन्दन नगर | | 31-5-74 |
| 60- | 31 | मीरशाली | | 15-10-73 |
| 61- | 31 | भोपों का बाड़ा | | ,, |
| 62- | 31 | पुलिस लाइन | | ,, |
| 63- | 31 | सुभाष नगर | | 1[illegible]-1-76 |
| 64- | | छोटा बगरू तोपदड़ा | | दिसम्बर, 78 |
| 65- | | लोहाखान/भोपों का बाड़ा | | ,, |
| 66- | | लोंगिया | | ,, |
| 67- | | रेम्वल रोड क्रिश्चियनगंज | | ,, |
| 68- | | शास्त्री नगर | | ,, |
| 69- | | दिल्ली गेट | | ,, |
| 70- | | गूजर धरती | | ,, |
| 71- | | गुलाब शाह का तकिया | | ,, |
| 72- | | पाल बीचला | | ,, |
| 73- | | गोवर्धन बस्ती आर्यनगर | | ,, |
| 74- | | लूनकरण का अहाता | | ,, |
| 75- | | भगवानगंज | | ,, |
| 76- | | डाका मोहल्ला गुलाबबाड़ी | | ,, |
| 77- | | उदयगंज | | ,, |
| 78- | | कसाई मोहल्ला पहाड़गंज | | ,, |

**राजकीय जनरल अस्पताल,**
**सवाई माधोपुर**

145. **श्री चुन्नीलाल** ( खण्डार ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाईमाधोपुर राजकीय जनरल अस्तपाल में कितनी शैयाएं हैं तथा इस अस्पताल को वर्ष 1981 में अब तक अलग अलग वर्ष में कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) इस अस्पताल में भर्तीशुदा रोगियों को खाना दिये जाने का क्या प्रबन्ध अब तक राज्य सरकार ने किया ? क्या सरकार ने कभी इस मद में रुपया स्वीकृत किया ? यदि हां, तो 1980 से अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना रुपया दिया गया ? इस राशि में कितना कितना रुपया अस्पताल में भोजन वितरण पर खर्च किया गया एवं कितने कितने रुपये का बजट व्ययगत हुआ ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) इस अस्पताल में लगी हुई एक्स-रे मशीस कितने एम० एम० की है और कौन से वर्ष का मॉडल है ? वह मशीन वर्ष में कितने दिन चालू हालत में रहती है ? कृपया 1980 से अब तक की वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

(4) क्या अंतरंग मरीजों की दृष्टि में इस अस्पताल में 200 एम.एम. की एक्स-रे मशीन का औचित्य है ? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस अस्पताल में स्क्रीन सेवा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) सवाईमाधोपुर राजकीय अस्पताल 100 रोगी शैयाओं का है। वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में क्रमशः 2,70,000, 2,86,000 व 2,99,000 की राशि स्वीकृत की गई।

(2) भर्ती हुए मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन का प्रावधान है, लेकिन निविदाएं प्राप्त न होने के कारण दूध के अलावा भोजन का प्रबन्ध न हो सका। इस वर्ष भी दुबारा निविदायें आमंत्रित की गई हैं जिसकी अन्तिम तिथि 1.10.82 है।

(3) जी हां। भोजन के मद का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) एक्स-रे मशीन 30 एम० ए० की है व 1965 का मॉडल है। मशीन निम्न अवधि में कार्यरत रही:—

| | | |
|---|---|---|
| 1-1-80 | से | 30-7-80 |
| 25-11-80 | से | 7-4-81 |
| 16-8-81 | से | 29-10-81 |

21-12-81 से अब तक चालू हालत में है।

जी नहीं। केवल 100 एम० एम० की मशीन का औचित्य है। समुचित वित्तीय

(चिकित्सा मंत्री)

प्रावधान उपलब्ध होने पर व्यवस्था करना सम्भव होगा ।

(5) जी हां ।

**सूची**

खाद्य सामग्री में आवंटित राशि एवं व्यय :—

| वर्ष | आवंटित राशि | व्यय |
|---|---|---|
| 1980-81 | 75,000 | 33,000 |
| 1981-82 | 43,000 | 35,000 |
| 1982-83 | 60,000 | 3,600 |

**नगर परिवहन सेवा**

146. **श्री राजबहादुर** ( भरतपुर ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की नगर परिवहन के लिये समस्त राष्ट्रीयकरण की नीति रही है ? यदि हां, तो इस नीति का उल्लंघन करके निजी मिनी बसों आदि को अनेक मार्गों पर समान्तर चलाने की अनुमति क्यों और किन किन शर्तों के आधार पर दी गई है ? क्या इन मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम की गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती थीं ?

(2) क्या सरकार परिवहन सेवाओं के लिए राष्ट्रीयकरण करने की नीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन करने का विचार कर रही है ? यदि हां,तो क्या ? कृपया विवरण सदन के पटल रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

**जयपुर में "होटल सरगम" में दुर्घटना में मृत एवं घायल व्यक्ति**

147. **श्री भगवानदास शास्त्री** ( अजमेर पश्चिम) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 18-8-1982 को "होटल सरगम" सिन्धी कैम्प के पास बनी होटल में तीसरी चौथी मंजिल की छतों का गिरना ठेकेदारों द्वारा कम सीमेंट प्रयोग के कारण पाया गया ? यदि हां, तो अधिकारियों एवं ठेकेदारों के पर्सेन्ट लाभ कब राज्य सरकार समाप्त कर सकेगी ?

(2) क्या यही सही है कि चार लोगों की मृत्यु हुई व सोलह जने घायल अवस्था में घटना स्थल पर पाये गये ? यदि हां, तो ठेकेदार व सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ? कृपया ठेकेदारों के नाम व अन्तर्ग्रसित अधिकारियों के नामों को सूची सदन के पटल पर रखें ।

**उत्तर**

(1) छत गिरने का अभी तक कोई निश्चित कारण मालूम नहीं हो सका है । मामला अभी अनुसंधानाधीन है ।

(नगर आयोजना राज्य मंत्री)

(2) इस दुखान्तिका में अब तक 6 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 25 व्यक्ति घायल हुए हैं। इस सम्बन्ध में प्र० सं० 220/82 धारा 288,336,337,304-ए ता. हि. के अन्तर्गत थाना बनीपार्क पर दर्ज कर अन्वेषण जारी है। आर० सी० सी० के कार्य का ठेका श्री शंकरलाल पुत्र थानाराम माली का था। किसी अधिकारी के लिप्त होने के कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आये हैं। अन्वेषण पूर्ण होने पर ही अपराधियों के बारे में अन्तिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

**नागौर व मूण्डवा पंचायत समितियों में विकलांगों का नियोजन**

148. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में कितने विकलांग व्यक्ति हैं ?

(2) क्या विकलांगों के पंजीकरण हेतु कोई राजकीय एजेन्सी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) विकलांग वर्ष में कुल कितने विकलांग राजकीय सेवा मे लिए गए हैं ? कृपया नागौर व मूण्डवा पंचायत समिति की विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

**उत्तर**

(1) नागौर पंचायत समिति में 314 तथा मूण्डवा पंचायत समिति में 354 विकलांग हैं।

(2) विकलांगों के पंजीकरण हेतु एक विशेष राजकीय एजेन्सी है जिसका पता निम्न है :–

विशेष नियोजन कार्यालय विकलांग, सी–52 प्रियदर्शी मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।

अन्य सभी नियोजन कार्यालयों द्वारा भी विकलांग आशार्थी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

(3) विकलांग वर्ष में राज्य के कुल 1557 विकलांग व्यक्तियों को राजकीय सेवा में लगाया गया। नागौर व मूण्डवा पंचायत समिति का कोई विकलांग व्यक्ति राजकीय सेवा में नहीं लगा है।

**पीपल्दा एवं सुलतानपुर क्षेत्र में बने मिट्टी के चेक डैम्स की मरम्मत**

149. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा एवं सुलतानपुर क्षेत्र में भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा बनाये गये मिट्टी के चेक डैम्स, जो कि स्थान स्थान पर टूट गये हैं, की मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त डैम्स की

(श्री हीरालाल आर्य)

मरम्मत किये जाने की सरकार की क्या योजना है तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इनकी मरम्मत की योजना सरकार के विचाराधीन है।

उदयपुर जिले की पंचायतों को आवासन व लघु उद्योग लगाने के पट्टे

150. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की भुआणा, बैंदला, बडगांव आदि पंचायतें आवासन पट्टे दे रही हैं? यदि हां, तो वर्ष 1981–82 में प्रत्येक पंचायत ने कितने कितने आवासीय पट्टे दिये हैं? कृपया पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें ?

(2) क्या पंचायतों को लघु उद्योग लगाने के लिए भी पट्टे देने का अधिकार है? यदि हां, तो भुआणा पंचायत ने कितने लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए पट्टे वितरित किये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 में ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा 11 एवं बड़गांव द्वारा 19 पट्टे जारी किये गये हैं। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। ग्राम पंचायत बैंदला द्वारा किसी प्रकार के आवासीय पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत भुआणा द्वारा लघु उद्योग लगाने के लिये पट्टे वितरित नहीं किये हैं।

# Page No 186

(186)



निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन वर्ष 1981–82

पंचायत भुआणा–जिला उदयपुर

| क्र.सं. | नाम व्यक्ति जिसे भूखण्ड आवंटन किया | श्रेणी |
|---|---|---|
| | **ग्राम भुआणा** | |
| 1. | श्री तुलसीराम पिता तेजा गमेती | अ० ज० जा० |
| 2. | ,, सोहन पिता तिलोक गमेती | ,, |
| 3. | ,, सोहन लाल पिता लक्ष्मी लाल | ग्रा० दस्तकार |
| 4. | ,, आबुड़ा पिता रामा गमेती | अ० ज० जा० |
| 5. | ,, माणा पिता सवा डांगी | सीमान्त कृषक |
| | **ग्राम सुखेर** | |
| 6. | ,, लाला पिता धन्ना डांगी | भू० कृषक |
| 7. | ,, लच्छा पिता पूरा गमेती | अ० ज० जा० |
| 8. | ,, मोड़ा पिता तेजा गमेती | ,, |
| 9. | ,, नारी पिता लहरा गमेती | ,, |
| 10. | ,, माणा पिता पेमा गमेती | ,, |
| 11. | ,, पन्ना पिता किशना | अ० जा० |

—o—

(187)



नि.शुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन वर्ष 1981–82

पंचायत बड़गांव–जिला उदयपुर

| क्र.सं. | नाम व्यक्ति जिसे भूखण्ड आवंटन किया | श्रेणी |
|---|---|---|
| | **ग्राम लोयरा** | |
| 1. | श्री रूपा पिता रामा डांगी | कृषक |
| 2. | ,, भगवान लाल पिता पीथा जी लोहार | ग्रा० द० |
| 3. | ,, छगन लाल पिता अम्बावजी भील | अ० ज० जा० |
| 4. | ,, भैरू लाल पिता नाथू भील | ,, |
| 5. | ,, मनोहर लाल पिता खेमा भील | ,, |
| 6. | ,, धर्मचन्द पिता जगन्नाथ लखाखर | भू० मजदूर |
| 7. | ,, गोपाल पिता अमरा जी लोहार | अ० जा० |
| | **ग्राम पालड़ी** | |
| 8. | ,, खेमसिंह पिता केशर सिंह राजपूत | कृषक |
| 9. | ,, टीला पिता वेणा भील | अ० ज० जा० |
| 10. | ,, गोपा पिता कन्ना भील | ,, |
| 11. | ,, खुमा पिता लच्छा भील | ,, |
| 12. | ,, हीर पिता पेमा भील | ,, |
| 13. | श्रीमती मागुबाई प० वरदाजी कुमार | ग्रा० द० |
| | **ग्राम चीकलवास** | |
| 14. | श्री भवानीसिंह पिता केशरसिंह राजपूत | भू० मजदूर |
| 15. | ,, किशना पिता शिवराम गाडरी | ,, |
| 16. | ,, मांगी लाल पिता उदय लाल कुमार | ,, |
| 17. | ,, लच्छीराम पिता लाला गाडरी | ,, |
| 18. | ,, मांगीलाल पिता आत्माराम नाई | भू० मजदूर |
| 19. | ,, वेणा पिता कालू भील | अ० ज० जा० |

–०–

(188)



**थाना सांगोद एवं कनवास (कोटा) में हत्याओं के मामले**

151. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): व **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले की सांगोद, इटावा पंचायत समिति क्षेत्र के थाना सांगोद व थाना कनवास में गत दो वर्षों में कुल कितनी हत्यायें हुई ? उन हत्याओं में से कितने अपराधियों का पता नहीं लग पाया व किन किन हत्याओं में कौन कौन व्यक्ति अपराधी थे ? उनमें से कौनसा अपराधी गिरफ्तार नहीं किया जा सका व क्यों ?

(2) अब उन हत्याओं के खिलाफ कहां कहां किन किन अदालतों में मुकदमे हैं ?

**उत्तर**

(1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

—o—

(189)

| क. स. | नाम थाना | कुल हत्या के अपराधों की संख्या | कुल हत्याओं की संख्या | अदम पता अपराधों की संख्या | गिरफ्तार हुए अपराधियों का नाम एवं अभियोग विवरण | अदेम गिरफ्तार अपराधियों का नाम एवं कारण | नाम अदालत जिसमें ट्रायल जारी है | सजायाब अभि-युक्तों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1– | वनवास | 4 | 4 | 2 | 1- अ. सं. 112 दिनांक 9-10-80 धारा 302 147, 148, 149 ता. हि. थाना वनवास<br>1- शिवजी पुत्र नारायण धाकड़<br>2- घनश्याम पुत्र श्योजी<br>3- देवीलाल पुत्र श्योजी धाकड़<br>4- अल्लाबक्स पुत्र भासी पिंजारा<br>2- अ. सं. 9/82 दि. 30-1-82 धारा 302 ता० हि० थाना वनवास | अभियुक्त मोहन पुत्र मथुरा गुजर की मृत्यु हो जाने से गिरफ्तारी नहीं की जा सकी । | मुन्सिफ एवं न्यायिक मजि. सांगोद | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1- याकूब पुत्र अब्दुलशकूर मुसलमान | — | बाल, न्यायालय कोटा | — |
| 2– | सांगोद | 2 | 2 | 1 | 1-अ. सं. 215 दि. 9-11-80 धारा 147, 148, 149 307, 302, 120 बी. ता. हि. थाना सांगोद | — | मुंसिफ एवं न्यायिक मजि0 सांगोद | — |
| | | | | | 1- दधिया पुत्र नन्दा 2-बग्धा पुत्र जीवन 3-चौथमल पुत्र चन्दा 4-गोमदा पुत्र चन्दा 5- नाथूलाल पुत्र रामचन्द्र 6- कालू पुत्र धन्ना 7- रामप्रताप पुत्र जयलाल 8-भगवतिया पुत्र रामचन्द्र 9- मदन पुत्र जयलाल 10-छीतर पुत्र मांगा 11-श्रीलाल पुत्र धन्ना 12-गोपाल पुत्र कजोड़ | | | |

—०—

**लालसोट क्षेत्र की पंचायतों के ग्रामों का विद्युतीकरण**

152. श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लालसोट क्षेत्र की कितनी पंचायतों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और कितनी शेष हैं ?

(2) क्या सरकार कृषकों की सुविधार्थ इस वर्ष शेष पंचायतों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) विद्युत मण्डल द्वारा जिले या पंचायत समिति के पंचायतवार विद्युतीकरण के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र के 277 ग्रामों में से 99 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) वर्ष 1982-83 में लालसोट क्षेत्र के पांच ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। अतः शेष सारे गांवों के विद्युतीकरण के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

**आयुर्वेद विभाग में कथित भ्रष्टाचार की जांच**

158. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

श्री शिवदान सिंह (जैतारण) एवं

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, गैर कानूनी नियुक्तियां, दवाओं की खरीद में हुए घोटालों व गबन की विधान सभा के कई विधायकों ने शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो ये शिकायतें कब-कब व किस-किस को की गई व किन-किन विधायकों द्वारा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन शिकायतों पर या इनसे पूर्व हुई शिकायतों पर विभाग द्वारा या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच कब-कब हुई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन सभी शिकायतों के केन्द्र बिन्दु आयुर्वेद विभाग के निदेशक, श्री गोकुलेन्द्र शर्मा हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या शिकायतों व भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के बावजूद श्री गोकुलेन्द्र शर्मा निदेशक के पद पर यथावत् कार्यरत हैं ?

(श्री भैरूं सिंह गुर्जर)

(5) श्री गोकुलेन्द्र शर्मा का वास्तविक पद क्या है तथा ये निदेशक के पद पर कब से व किस कारण से कार्यरत हैं ?

(6) सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का निर्णय किया है ? क्या इनका डी०पी०सी० द्वारा चयन किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) विधान सभा के जिन विधायकों ने विभाग में आरोपित भ्रष्टाचार, अनियमितताएं आदि की जो शिकायतें की हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कतिपय शिकायतों के बारे में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है। यह जांच जून-जुलाई-अगस्त, 1982 में हुई है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पत्र दिनांक 26-11-81 से अवश्य प्राप्त हुई है, जिसमें विशिष्ठ महानिरीक्षक ने सूचित किया है कि प्राथमिक जांच के बाद आरोप (परिवाद 76/81) अप्रमाणित पाये गये तथा इस मामले को नस्तीबद्ध किये जाने की सिफारिश की है। यह प्रकरण 21 विधायकों की शिकायत के बिन्दु सं० 7 से सम्बन्धित है। विभाग में प्राप्त शिकायतों पर भी प्रारम्भिक जांच कराई जा रही है। इनमें से एक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 27-8-82 को कार्मिक विभाग को विभागीय जांच हेतु भेज दी गई है। शेष शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच जारी है। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं है।

(4) उक्त विधायकों द्वारा दी गई शिकायतों में केन्द्र बिन्दु श्री गोकुलेन्द्र शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग को ही दर्शाया गया है। सरकार द्वारा तो आरोप सिद्ध होने के उपरान्त ही किसी अधिकारी को शिकायत का केन्द्र बिन्दु माना जा सकता है और उसके खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। जब तक अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतें सिद्ध नहीं हो जाती, कोई परिवर्तन करना उचित नहीं होगा।

(5) श्री गोकुलेन्द्र शर्मा, स्थाई उप-निदेशक है और वरिष्ठतम उप निदेशक होने के कारण इन्हें दिनांक 9-7-79 से निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार नियमानुसार दिया गया था।

(6) अधिकारी को दोषी पाये जाने पर ही कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सकता है। डी० पी० सी० किसका चयन करेगी यह कहना अभी सम्भव नहीं है।

श्री गोकुलेन्द्र शर्मा, निदेशक आयुर्वेद विभाग के विरुद्ध जिन विधायकों ने चिकित्सा मन्त्री को शिकायत की उनकी सूची।

—००—

श्री गोकुलेन्द्र शर्मा, निदेशक आयुर्वेद विभाग के विरुद्ध निम्नांकित विधायकों ने एक शिकायती पत्र स्वास्थ्य मन्त्री को सम्बोधित किया था जो 26-10-81 को प्राप्त हुआ :—

1. श्री दीपेन्द्र सिंह
2. श्री सुनील विश्नोई
3. श्री भैरू सिंह गुर्जर
4. श्री गोकुलचन्द्र शर्मा
5. रिक्त
6. अपठनीय
7. अपठनीय
8. श्री दीनमोहम्मद
9. श्री जगनसिंह
10. अपठनीय
11. अपठनीय
12. श्री रामप्रसाद
13. श्री मालसिंह
14. अपठनीय
15. श्री पृथ्वीसिंह
16. श्री डी० पी० बैरवा
17. श्री अमरचन्द
18. श्री अयाज महाराज
19. श्री माणक मेहता
20. श्री ईश्वरलाल सैनी
21. अपठनीय

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री कैलाश मेघवाल व श्री भैरू सिंह गुर्जर, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने गत विधान सभा-सत्र में शिकायती पत्र दिये थे।

**वन विकास की योजना, सरदारपुरा (सांचौर)**

154. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सांचौर स्थित सरदारपुरा (भवातड़ा) वन, जो कि गत वर्षों में काट डाला गया हैं, के विकास की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

सांचौर स्थित सरदारपुरा (भवातड़ा) के लिए पृथक से कोई योजना नहीं बनाई गई है। बजट प्रावधान के अभाव में अभी इस क्षेत्र में विकास कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है, लेकिन जब भी वांछित धनराशि उपलब्ध होगी, इस सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

**नगरपालिका प्रतापगढ़ की सीमा का विस्तार**

155. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका प्रतापगढ़ की सीमावृद्धि का मामला राज्य सरकार के समक्ष वर्ष 1977 से विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार सीमावृद्धि के मामले में कोई परिवर्तन करना चाहती है ? यदि हां, तो परिवर्तन का क्या आधार है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। धारा 6 के तहत जन आपत्तियां आमन्त्रित कर ली गई हैं एवं प्राप्त आपत्तियों पर जांच कर शीघ्र ही नियमानुसार निर्णय लिया जा रहा है।

(2) प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जावेगा।

**मांढ़न से शांतों एवं बहरोड़ से भूमारिका सड़क निर्माण**

156. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार मांढ़न से शांतों एवं बहरोड़ से भूमारिका सड़क निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क निर्माण से बहरोड़ तहसील हरियाणा राज्य की सीमावर्ती सड़कों से जुड़ जायेगी ?

**उत्तर**

(1) इन सड़कों को बनाये जाने की कोई योजना धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां।

**राष्ट्रीय मरु-उद्यान**

157. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब की गई ?

(2) उक्त उद्यान की स्थापना के समय कितने गोडावन पक्षी इस क्षेत्र में थे व वर्तमान में गोडावन पक्षियों की क्या गणना है ?

(3) उक्त उद्यान की स्थापना के समय कितने चिंकारा, हिरण इस क्षेत्र में थे व वर्तमान में चिंकारा, हिरणों की क्या गणना है ?

(4) उक्त उद्यान में चिंकारा, हिरण व गोडावन पक्षी के अतिरिक्त कौन-कौन से पक्षी व कौन-कौन से जानवर निवास करते हैं व किस-किस मात्र में ? कृपया विगतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना वर्ष 1980 में की गई।

(2) उद्यान की स्थापना के समय गोडावन पक्षियों की गणना नहीं की गई थी। लेकिन वर्ष 1981 की ग्रीष्म ऋतु में की गई सेम्पल गणना के अनुसार उद्यान के 185.6 वर्ग किलोमीटर हिस्से में 21 गोडावन पक्षी पाये गये। इसके विपरीत 1982 में 135.6 वर्ग किमी क्षेत्र में की गई गणना में 80 गोडावन पाये गये।

(3) उद्यान की स्थापना के समय चिंकारा हिरणों की भी गणना नहीं की गई थी। वर्ष 1981 की ग्रीष्म ऋतु में की गई सेम्पल गणना के अनुसार उद्यान के 185.6 वर्ग किमी हिस्से में 1205 चिंकारा हिरण पाये गये। जब कि वर्ष 1982 में 185.6 वर्ग किमी क्षेत्र में की गई गणना के अनुसार इनकी संख्या 1240 है।

(4) उद्यान में पाये जाने वाले पक्षियों एवं जानवरों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

: : उद्यान में पाये जाने वाले पक्षियों एवं अन्य जीवों की सूची : :

| | | |
|---|---|---|
| 1. डेजर्ट केट | – | 13 |
| 2. डेजर्ट फाक्स | – | 80 |
| 3. खरगोश | – | 65 |
| 4. मोनिटर लिजाई | – | 41 |
| 5. नेवला | – | 46 |
| 6. झाउ चूहा | – | 68 |
| 7. सनग्रोव | – | 455 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. पार्ट्रिज | – | 434 |
| 9. फल्कन | – | 134 |
| 10. ईगल | – | 116 |
| 11. मोर | – | 631 |

उपरोक्त संख्या उद्यान के Rnadon Sampling से लिये गये 146-6 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र में पाई गई ।

**बीकानेर हाउस, दिल्ली**

158. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस, जो केन्द्रीय सरकार को किराये पर दिया है, को खाली करने का निर्णय केन्द्रीय सरकार ने ले लिया था और बीकानेर हाउस खाली भी कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि खाली कमरों पर राजस्थान सरकार ने अपने ताले लगवा दिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने बीकानेर हाउस में पुलिस भेजकर राजस्थान सरकार के तालों को तुड़वाया और पुनः बीकानेर हाउस पर केन्द्रीय सरकार ने अपना अधिकार कर लिया ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । बीकानेर हाउस को खाली कराकर उसे राजस्थान सरकार को वापस देने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार से लगातार उच्च स्तर पर पत्र व्यवहार कर रही है ।

**चिरपटिया बांध–मारवाड़ जक्शन**

159. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) व **श्री भैरूसिंह गुर्जर** (उदयपुर) एवं **श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिरपटिया बांध पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली का निर्माण पिछले दो वर्ष पूर्व किया गया था और इसका अंतिम भुगतान हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध में इस वर्ष पहली बार ही पानी आया और वह भी पूरा नहीं भरने से पूर्व ही बांध टूट गया ? यदि हां, तो बांध टूटने की क्या वजह है–निर्माण कार्य में त्रुटि रखना या डिजायनिंग संबंधी दोष ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मिट्टी के बांध पर डेन्सिटी ली जाती है ?

(श्री माधवसिंह दीवान)

यदि हां, तो उक्त बांध निर्माण कार्य पर ली गई डेन्सिटी की रिपोर्ट की प्रति कृपया सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त बांध टूट जाने के कारणों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें। इस बांध के निर्माण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(5) इस बांध के टूट जाने से सरकार को कितना नुकसान हुआ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। बांध पूरा भरने के बाद टूटा था। बांध के टूटने के कारण जांच के पश्चात ही पास हो सकेंगे।

(3) जी हां। डेन्सिटी की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न जांच में अगर वे दोषी पाये गये तो ही उत्पन्न होगा।

(5) इस बांध के टूटने से सरकार को कोई प्रत्यक्ष नुकसान नही हुआ है क्योंकि अनुबन्ध की शर्त नं0 17 के अनुसार यदि विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र के जारी करने के पश्चात तीन माह की अवधि में यदि कार्य में कोई त्रुटि अथवा दोष प्रगट हुआ तो ठेकेदार को अपने स्वयं के खर्चे पर उसे दुरुस्त करवाना होगा। बांध के टूटने से पानी निकल जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित 165 हैक्टेयर में सिचाई नहीं हो सकेगी जिससे सिचाई शुल्क की लगभग 9500 रुपए की हानि होगी।

**जिला बूंदी के चिकित्सालय**

169. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं तथा किस किस श्रेणी में के हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिला बूंदी के कितने चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं है? कृपया नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखें। चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का सृजित करने की कार्यवाही चल रही थी? यदि हाँ तो पद सृजित क्यों नहीं किया गया?

उत्तर

(1) जिला बूंदी में तीन चिकित्सालय, तेरह डिस्पेंसरी, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। श्रेणीवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

# Page No 198

(198)



( चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री )

(2) जजावर डिस्पेंसरी के अतिरिक्त सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक हैं।

(3) जी हां। पद शीघ्र ही स्वीकृत कर दिया जावेगा।

---

भाग-1 की सूची

| क्र. सं. | चिकित्सा संस्था | रोगी शैयाएं | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1- अस्पताल | 1-सामान्य चिकित्सालय बूंदी | 300 | प्रथम |
| | 2- क्षय निवारण केन्द्र बूंदी | 10 | षष्टम |
| | 3- नेनवा | 20 | पंचम |
| 2- डिस्पेन्सरी | 1- बड़ा नया गांव | | |
| | 2- केशवराय पाटन | 4 | |
| | 3- लाखेरी | | |
| | 4- डाबी | | |
| | 5- जवाहर सागर | | |
| | 6- आलोद | | |
| | 7- जजावर | | |
| | 8- करवर | | |
| | 9- खटकड़ | | |
| | 10- गोठड़ा | | |
| | 11- बड़ा खेड़ा | | |
| | 12- बांसी | | |
| | 13- देईखेड़ा | | |
| 3- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 1- तालेड़ा | 6 | |
| | 2- देई | 6 | |
| | 3- हिण्डोली | 6 | |
| | 4- कापरेन | 6 | |

**कान्ट्रेक्ट करीज की बसें–सवाई माधोपुर**

161. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर क्षेत्र में कान्ट्रेक्ट केरीज की बसें चलती हैं? यदि हां, तो क्या गत विधान सभा सत्र में उनमें सुधार करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ?

**उत्तर**

जी हां। विधान सभा सत्र में प्रदत्त किये गये आश्वासन की क्रियान्विति में सवाई माधोपुर शहर में वर्तमान में चल रही कान्ट्रेक्ट करीज की बसों में सुधार करने के तथा नगरवासियों को यातायात की आवश्यकता के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के द्वारा 24 स्टेज केरीज बसो के अनुज्ञा पत्रों का स्कोप निर्धारित किया गया है तथा कान्ट्रेक्ट केरीज के वर्तमान 17 अनुज्ञा पत्रों के स्कोप को कम करके 6 कर दिया है।

**राज्य की शेष नगरपालिकाओं के चुनाव**

162 **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार समस्त अनिर्वाचित नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों के निर्वाचन कराने का विचार रखती हैं? यदि हां तो ये निर्वाचन कब तक करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) किन-किन नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के चुनाव न्यायालयों के आदेश से रुके हुए हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। सन् 1981 की जनगणना के आधार पर चुनाव, फरवरी, 1983 के बाद करवाने का निर्णय लिया गया है।

(2) न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने के कारण चित्तौड़गढ़, आहोर और किशनगढ़ रेनवाल नगरपालिकाओं के चुनाव कराना सम्भव नहीं है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(200)



भाग—2 की सूची

| क्र० सं० | नाम नगरपालिका |
|---|---|
| 1. | चित्तौड़गढ़ |
| 2. | किशनगढ़ रैनवाल |
| 3. | आहोर। |

### केकड़ी-बघेरा सड़क निर्माण

163. **श्री तुलसीराम** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

केकड़ी-बघेरा सड़क निर्माण में कितनी मात्रा में क्या-क्या मैटीरियल लगाया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ?

#### उत्तर

(1) केकड़ी-बघेरा सड़क निर्माण में अब तक लगाए गए मैटीरियल की मात्रा निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1-स्टोन सोलिंग | 8226.38 क्यूबिकमीटर |
| 2-बाइन्डिंग मैटीरियल | 5946.66 ,, |
| 3-63 मिलीमीटर से 40 मि० मी० साइज का बैलास्ट | 11534.53 ,, |
| 4-ग्रिट | 1743.28 ,, |
| 5-बजरी | 390.00 ,, |
| 6-डामर | 199.13 मैट्रिक टन |
| 7-चूना | 159.00 ,, |

### मन्त्रिमण्डल पर व्यय

164. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) व **श्री चन्द्रवीरसिंह** (जैसलमेर) : क्या मुख्य मन्त्री (मन्त्रिमण्डल सचिवालय) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पन्द्रह जुलाई, 1981 से 31 अगस्त, 1982 तक मुख्य मन्त्री सहित राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्यगण के टेलीफोन, गाड़ी व यात्रा भत्ता तथा आतिथ्य सत्कार में कितना व्यय हुआ ? कृपया प्रत्येक मन्त्री के व्यय का विवरण मदवार सदन के पटल पर रखें।

(2) मन्त्रियों द्वारा कार से की गयी यात्राओं में कितनी धनराशि पैट्रोल व कार की मरम्मत के रूप में व्यय हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य की विकट आर्थिक दशा को मद्देनजर रख कर इस खर्चे को कम करने का प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्या व उसके क्या परिणाम निकले ?

#### उत्तर

(1) विवरण संलग्न है।

(2) विवरण संलग्न है।

(3) जी हां, व्यय को यथा सम्भव नियन्त्रित रखा जा रहा है।

201

दिनांक 14-7-81 से 31-8-82 तक मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा कार से की गई यात्राओं में पैट्रोल व कार की मरम्मत के व्यय का विवरण

| क्र. सं. | नाम | पैट्रोल पर वास्तविक व्यय | कार की मरम्मत का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री | 42,471.80 | 35,238.84 | 77,710.64 |
| 2- | ,, परसराम मदेरणा, राजस्व मंत्री | 27,449.39 | 10,509.36 | 37,958.75 |
| 3- | ,, चन्दनमल बैद, वित्त मंत्री | 19,090.02 | 17,708.49 | 36,958.51 |
| 4- | श्रीमती कमला, कृषि मंत्री | 18,595.69 | 14,176.83 | 32,772.52 |
| 5- | श्री छोगालाल कंवरिया, स्वास्थ्य मंत्री | 38,443.23 | 17,416.51 | 55,859.74 |
| 6- | ,, बृज सुन्दर शर्मा, श्रम मंत्री | 27,784.98 | 4,597.78 | 32,382.76 |
| 7- | ,, श्रीराम गोटेवाला, राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन | 32,156.64 | 16,291.05 | 48,447.69 |
| 8- | ,, चेतराम मीणा, राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण | 40,221.88 | 23,598.33 | 63,820.21 |
| 9- | ,, प्रद्युम्नसिंह, राज्य मंत्री, गृह | 22,983.00 | 9,321.77 | 32,304.77 |
| 10- | ,, दिनेशराय डांगी, राज्य मंत्री, पुनर्वास | 27,624.07 | 9,011.57 | 36,635.64 |
| 11- | ,, घासीराम यादव, राज्य मंत्री, खाद्य | 51,149.20 | 16,606.30 | 67,755.50 |
| 12- | ,, जयकृष्ण शर्मा, राज्य मंत्री, यातायात | 34,849.40 | 9,440.24 | 44,289.64 |
| 13- | ,, नरेन्द्रसिंह भाटी, राज्य मंत्री, पर्यटन | 62,230.82 | 37,686.22 | 99,917.04 |
| 14- | ,, गोविन्दसिंह, राज्य मंत्री, वन | 44,470.96 | 22,573.63 | 67,044.59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15- | श्री रामपाल उपाध्याय, राज्य मंत्री, सहकारिता | 30,984.54 | 13,668.89 | 44,653.43 |
| 16- | ,, शीशराम ओला, राज्य मंत्री, पंचायत | 53,151.05 | 16,599.01 | 69,750.05 |
| 17- | ,, बी० डी० कल्ला, उप मंत्री, शिक्षा | 32,170.06 | 15,205.51 | 47,375.57 |
| 18- | श्रीमती कमला भील, उप मंत्री, स्वास्थ्य | 22,750.28 | 14.176.83 | 36,927.11 |
| 19- | श्री गोविन्द आमलिया, उप मंत्री, आबकारी | 54,420.50 | 10,893.33 | 65,313.83 |
| | योग | 6,82,997.50 | 3,14,720.49 | 9,97,717.99 |

दिनांक 15-7-81 से 31-8-82 तक प्रत्येक मन्त्री पर होने वाले टेलीफोन, यात्रा भत्ता तथा आतिथ्य सत्कार में हुए व्यय का विवरण

| क. सं. | नाम मन्त्री | टेलीफोन कार्यालय | टेलीफोन निवास स्थान | यात्राओं पर व्यय दैनिक भत्ता | यात्राओं पर व्यय यात्रा भत्ता | आतिथ्य सत्कार | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | श्री शिवचरण माथुर मुख्य मन्त्री | 42692.20 | '10195.30 | 8745.50 | 12767.64 | 152936.01 | 327337.65 |
| 2. | ,, परसराम मदेरणा, राजस्व मंत्री | 10715.40 | 41301.00 | 2397.00 | 535.20 | 4221.35 | 59259.95 |
| 3. | ,, चन्दनमल बैद, वित्त मन्त्री | 13150.60 | 26658.95 | 7292.75 | 15195.52 | 19651.16 | 81948.98 |
| 4. | ,, बृज सुन्दर शर्मा, विधि मन्त्री | 29534.30 | 36991.20 | 7294.00 | 4869.80 | 21948.85 | 100638.15 |
| 5. | श्रीमती कमला, कृषि मन्त्री | 28623.60 | 55461.60 | 5227.50 | 1790.32 | 9789.75 | 100892.77 |
| 6. | श्री छोगालाल कंवरिया, चिकित्सा मन्त्री | 1[illegible]159.15 | 32288.95 | 5278,50 | 99.24 | 3214.70 | 59040.54 |
| 7. | ,, जय कृष्ण शर्मा, राज्य मंत्री, यातायात | 34138.85 | 52462.20 | 8467.90 | 3713.42 | 6940.55 | 105722.92 |

283

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | श्री प्रद्युम्नसिंह, राज्य मंत्री, गृह | 28567.20 | 45289.80 | 5406.00 | 1059.50 | 12208.60 | 92531.11 |
| 9. | ,, श्रीराम गोटेवाला, राज्य-मंत्री, जन-सम्पर्क | 39365.95 | 34680.65 | 4564.50 | 9280.80 | 13982.40 | 92874.30 |
| 10. | ,, दिनेश डांगी, राज्य मंत्री, पुनर्वास | 36123.50 | 73810.25 | 5303.50 | — | 11614.65 | 126851.90 |
| 11. | ,, घासीराम यादव, राज्य मंत्री, खाद्य | 55149.95 | 56791.90 | 9970.50 | 1562.56 | 8158.65 | 131633.56 |
| 12. | ,, रामपाल उपाध्याय, राज्य मंत्री, सहकारिता | 49135.50 | 38426.10 | 6775.50 | 644.96 | 4703.15 | 99685.21 |
| 13- | ,, चेतराम मीणा, राज्य मंत्री, समाज कल्याण | 27279.00 | 19444.25 | 8210.00 | 590.20 | 11615.60 | 67139.05 |
| 14- | ,, गोविन्दसिंह, राज्य मंत्री, वन | 27148.95 | 35809.60 | 7906.00 | 1438.00 | 6148.45 | 78451.00 |
| 15- | ,, नरेन्द्रसिंह भाटी, राज्य मंत्री, पर्यटन | 43256.35 | 128562.60 | — | — | 10927.10 | 182746.05 |
| 16- | ,, शीशराम ओला, राज्य मंत्री, पंचायत | 19189.45 | 47209.90 | 10608.00 | 1215.60 | 9745.30 | 87968.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17- | श्री बुलाकीदास कल्ला, उप मंत्री, शिक्षा | 20851·70 | 15837.75 | 8326.75 | 6970.13 | 6095.15 | 58081.48 |
| 18- | ,, गोविन्द श्रामलिया, उप मंत्री, श्राबकारी | 45667.85 | 15459.70 | 9030.00 | 10230.90 | 8753.60 | 89241.15 |
| 19- | श्रीमती कमला भील, उप मंत्री, चिकित्सा | 31234,80 | 84220.30 | 7752.80 | 6937.20 | 4759.90 | 134904.20 |
| | योग:— | 590984.30 | 950902.00 | 128556.90 | 79000.09 | 327504.92 | 2076948.21 |

—o—

**टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग की शिक्षा**

165. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करने हेतु राजस्थान के पोलीटैक्निक संस्थानों में यह विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

**उत्तर**

राजकीय खेतान पोलीटैक्निक जयपुर में टैक्सटाइजल इन्जीनियरिंग चल रहा है। अन्य स्थानों पर यह विषय खोलने का इरादा नहीं है।

**ट्राइबल सब-प्लान में प्राप्त अनुदान**

166. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ट्राइबल सब-प्लान में व्यय की जाने वाली राशि में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वाहनों पर कितना रुपया खर्च होता है तथा योजना पर कितनी धन राशि खर्च होती है और इसका रिटर्न क्या है ?

(2) सन् 1980-81 एवं 1982 में इस योजना को चलाने के लिए भारत सरकार से कितना अनुदान प्राप्त हुआ तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई ? कृपया ब्योरा सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) ट्राइबल सब प्लान में व्यय की जाने वाली राशि का कुछ अंश अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वाहनों पर खर्च किया जाता है जो विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं पर होता है। यह निर्धारित राशि नहीं है, बजट प्रावधानों के अनुसार खर्च होता रहा है।

(2) जनजाति उपयोजना के लिए वर्ष 1982-83 की योजना के लिये 54.72 करोड़ रुपयों का प्रावधान है जिसमें से राज्य योजना से 45.25 करोड़ रुपये, विशेष केन्द्रीय सहायता से 4.04 करोड़ रुपये, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 2.95 करोड़ रुपये, संस्थागत वित्त से 2.48 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में प्रशासन के लिये वर्ष 1982-83 में 19.68 लाख रुपयों के प्रावधान में से कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन में 14.86 लाख रुपये, यात्रा भत्ते 0.95 लाख रुपये, मेडिकल भत्ता 0.45 लाख रुपये, वाहन संधारण 0.65 लाख रुपये, 0.97 लाख मुद्रण एवं लेखन सामग्री व कार्यालय व्यय हेतु 1.80 लाख रुपये खर्च किया जाना है। जनजाति उप योजना क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान हेतु निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु राशि खर्च की जाती है।

(3) इस योजना को चलाने के लिये भारत सरकार से वर्ष 1980-81 में 286.49 लाख रुपये एवं 1981-82 के लिये 364.00 लाख रुपये प्राप्त हुये थे तथा क्रमश: 275.70 लाख एवं 314.70 लाख रुपये खर्च हुआ है।

**भरतपुर जिले की बाढ़ का समाधान**

167. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़ आने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार के पास इस समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि नदबई, कुम्हेर, भरतपुर में बाढ़ को नियन्त्रित करने में खुर्रमपुर कैनाल एक अहम् भूमिका निभा सकती है ?

(3) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि खुर्रमपुर कैनाल के विस्तार से हजारों एकड़ भूमि सिंचित होगी तथा साथ ही इस बैल्ट के सभी गांवों में पीने के पानी की समस्या भी हल होगी ?

(4) यदि हां, तो सरकार ऐसी योजना की क्रियान्वित में क्यों देर कर रही है ?

उत्तर :

(1) भरतपुर जिले में जो नदियां बहती हैं वे अपने साथ अपने बहाव में अत्यधिक मात्रा में रेत बहा कर लाती हैं, जिसकी वजह से नदी का तल ऊंचा हो जाता है, और उसमें बहने वाला पानी नदी के तट को लांघ कर बहने लग जाता है तथा कई स्थानों पर अपना मार्ग बदल लेता है, इन्हीं कारणों से भरतपुर जिले में बाढ़ की स्थिति हो जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। पेय जल की समस्या का आंशिक सुधार हो सकेगा।

(4) खुर्रमपुर नहर के विस्तार की योजना का निर्णय प्रस्तावित टोडियाना बांध के निर्माण के बारे में निर्णय लेने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

# परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूचना

भीलवाड़ा जिले में दिनांक 31–8–82 तक दर्ज हुए मुकदमात जो जेर तफतीश हैं, की सूची]

| क्र.सं. | नाम थाना | मुकदमा नम्बर | तारीख मुकदमा | धारा | नाम मुस्तगीस | नाम मुलजिमान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1– | माण्डल | 122/80 | 2–8–80 | 406,420 ताहि0 | श्री अबू पुत्र सोनाथ जाट नि0 डिडवाणियों का खेडा | श्री पृथ्वीराज पुत्र जाणचन्द खत्री नि0 डिडवाणियों का खेडा। |
| 2– | ,, | 75/80 | 14–6–82 | 302 ताहि0 | श्रीमती कमला पत्नी बडीया कंजर एस0 टी0 ओ0 आदूए | अज्ञात। |
| 3– | ,, | 104/82 | 12–8–82 | 380 ताहि0 | हरकलाल पुत्र घीसूलाल नि0 सिगोदिया | अज्ञात। |
| 4– | ,, | 105/82 | 19–8–82 | 16/54 एक्साइज एक्ट | मंगलसिह एच0 सी0 746 | श्री देवीसिंह पुत्र तारासिंह पंजाबी मार्फत अजमेर चौराहा। |
| 5– | ,, | 108/82 | 25–3–82 | 379 ताहि0 | श्री राजेन्द्रपाल पुत्र भंवरलाल सा0 साडल | श्री बद्रीलाल पुत्र हजारी जाट सा0 साडल |
| 6– | ,, | 109/82 | 26–8–82 | 4/9 अफीम एक्ट | श्री अर्णसिह पुत्र गोविन्दसिह दरोगा सा0 नागौर | श्री भूरा पुत्र राजू रावत सा0 निहाला |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- | माण्डल | 110/82 | 26-8-82 | 457, 380 ताहि0 | श्री बहादुर सिंह पुत्र गर्जसिंह राजपूत सा0 केरिया | अज्ञात |
| 8- | ,, | 112/82 | 29-9-82 | 452, 323 ताहि0 | श्री डगमा पुत्र भादू गूजर सा0 नानकपुरा । | काना, डगमा, छोगा देवी गुजराम । |
| 9- | ,, | 114/82 | 29-8-82 | 333, 451 ताहि0 | श्री मिश्रीलाल पुत्र छोगा कुहार सा0 डाडौस | श्री हीरा, जग्रभमव, रामा शीया |
| 10- | ,, | 113/82 | 29-8-82 | 147,323,342 ताहि0 | श्री पद चतक पुत्र नाथू गूजर सा0 नानकपुरा | काना, डगमा, छोगा देवी, गुजराम । |
| 11- | ,, | 118/82 | 30-8-82 | 147,447,427 ताहि0 | श्री हरिवल्लभ भट्टग्राम पंचायत मैना | हीरा, गोपी 16 कुल मुलजिमान । |
| 12- | बनेडा | 82/82 | 19-7-82 | 147,342 ताहि0 | रामलाल का0 983 थाना बनेड़ा | दुर्गासिह, कैलाशचन्द्र पुत्र लालू राम, सोहनलाल पुत्र हीरालाल, कैलाश सुनार, ओमप्रकाश, लक्ष्मीनारायण 12 कुल मुलजिमान । |
| 13- | ,, | 80/82 | 24-7-82 | 147,393 ताहि0 | देवप्रकाश पुत्र ललित शंकर आचार्य नि0 बनेड़ा | अशोक कुमार, राजकुमार, शेखरलाल, गोविन्दलाल, अनिलकुमार सा0 देवपुरा । |

(210)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14– | बनेड़ा | 90/82 | 31–7–82 | 379 ताहि0 | श्री सरदार मोहम्मद पुत्र अजी मोहम्मद सा0 पुड़िया किलां | अज्ञात |
| 15– | ,, | 97/82 | 10–8–82 | 16/54 एक्साइज एक्ट | शम्भुसिंह पुत्र भैरूंसिंह सा0 रायला | चुन्नीलाल, भीमा गूजर, सा0 |
| 16– | ,, | 106/82 | 28–8–82 | 379,332 ताहि0 | मथुरालाल पुत्र रामचन्द्र शर्मा सा0 वन विभाग, भीलवाड़ा | रायला रामसिंह, बहादुरसिंह |
| 17– | ,, | 107/82 | 29–8–82 | 452,323,147 ताहि0 | रामप्रसाद दास पुत्र रामचन्द्र दास सा0 खायड़ा | भोपालसिंह, भंवरसिंह, लादूसिंह, लक्ष्मणसिंह, भैरू । |
| 18– | हमीरगढ़ | 65/82 | 23–7–82 | 457,380 ताहि0 | श्री प्यार पुत्र गोधा खटीक सा0 मंगरिया | अज्ञात |
| 19– | माण्डलगढ़ | 58/82 | 8–5–82 | 302 ताहि0 | श्री जोधा पुत्र देवाभील सा0 नया नगर | अज्ञात |
| 20– | ,, | 73/82 | 1–7–82 | 447,379 ताहि0 | श्री दूलीराम पुत्र रेखराज जैन सा0 बून्दी | गोपालसिंह वगैरह सा0 भीलवाड़ा |
| 21– | ,, | 82/85 | 23–7–82 | 147,323 ताहि0 | रामलाल पुत्र अमृतलाल जैन सा0 मानपुर | बनाम छगनलाल, फूलचन्द, चांदमल, खानचन्द, सुरेश कुमार सा0 मानपुरा |

| 1. | 2. | 4. | 4. | 5. | 6. | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | माण्डलगढ़ | 83/82 | 23-8-82 | 147,148,324 ता.हि. | श्री चांदमल पुत्र छीतरमल महाजन नि० मानपुरा। | घुसीराम, मांगीलाल, रामलाल, भागचन्द सा0 मानपुरा। |
| 23. | ,, | 84/82 | 27-7-82 | 19/54 ई0एक्ट | दौलतराम एस0आई. थाना मांण्डलगढ़। | कन्हैयालाल पुत्र नाथूलाल नि0 भौरों का खेड़ा। |
| 24. | ,, | 85/82 | 28-7-82 | ,, | श्री सीताराम कानि0 नं0 585 थाना माण्डलगढ़। | कल्ला पुत्र कालिया कंजर नि0 कोतवाल का खेड़ा। |
| 25. | ,, | 87/82 | 13-8-82 | 341,323 ता0 हि0 | श्री भागपाल सिंह पुत्र जीवन सिंह चौधरी नि0 जलीन्दी नं। | मांगी पत्नि जीवा, सीता पत्नि सोजी, केसी पत्नि मगना नि0 जलीन्दी नं0। |
| 26. | ,, | 89/82 | 15-8-82 | 147,325 ताहि0 | ,, | जीवा,सोजी, हरको, बिहारी व 18 कस नि0 जलीन्दी। |
| 27. | ,, | 90/82 | 16-8-82 | 4/9 आर्म्स एक्ट | श्री प्रहलाद प्रेमी पुत्र चन्द्रलाल मीणा नि0 सुन्दरख थाना बारां थाना कोटा। | श्री किशनचन्द पुत्र गेवरचन्द नि0रावत्र, बाबूलाल पुत्र मोहनलाल शर्मा नि. लाम्बा बी जोधपुर। |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | मांडलगढ़ | 91/82 | 19-8-82 | 392 ता.हि. | श्री राममल पुत्र धन्ना जाट नि0 मानपुरा । | श्री मोचन्द उर्फ जयचन्द नि0 मानपुरा |
| 29. | ,, | 93/82 | ,, | 457,380 ता.हि. | काना पुत्र नारायण गूजर नि0 ठेहला । | श्री हजारा पुत्र मोती भील नि0 ठेहला |
| 30. | ,, | 94/82 | 20-8-82 | 406,420 ता.हि. | हरजी पुत्र छोगा गूजर नि0 तिरोली । | सीता, बाबू, नन्दा, रतनी सांवलिया, देवी बरदिया, काना, माछू, देवी नि0 तिरोली । |
| 31. | ,, | 95/82 | 26-8-82 | 3 आर.पी.जी.ओ. एक्ट | कजोड़ पुत्र देवी मीना नि0 धाकड़खेड़ी । | मांगू पुत्र जीवन मीणा नि0 धाकड़खेड़ी । |
| 32. | ,, | 96/82 | 28-8-82 | 457,380 ता.हि. | श्री देवीसिह पुत्र बनेसिंह नि0 भारजी का खेड़ा । | श्यामा, सोहनिया, कंजर, सोहनिया कलबेलिया । |
| 33. | ,, | 97/82 | ,, | 457,380 ता.हि. | छोगा पुत्र केला कलाई नि0 गैणोली । | अज्ञात । |
| 34. | ,, | 98/82 | 28-8-82 | 332,353 ता.हि. | भैरूमल कानि0 674 थाना माण्डलगढ़ । | भारमज्ञ मीणा नि0 माकडिया |
| 35. | ,, | 99/82 | 29-8-82 | 439 ता.हि. | देवीलाल पुत्र श्री राम गूजर नि0 अमरतीया । | रामदेव पुत्र नन्द भील नि0 भीकली |
| 36. | ,, | 100/82 | 30-8-82 | ,, | रघुनाथसिह पुत्र मोडसिंह नि० मानपुरा | रामकुमार, मु0 नर्वदा, चांददास |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | माण्डलगढ़ | 101/83 | 31-8-82 | 304-ए ता.हि. | फकरूद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान नि0 लाडपुरा। | श्री छोटूखां मुसलमान नि0 सिगोली |
| 38. | बिजौलिया | 131/82 | 2-12-81 | 395,397 ता.हि. | भगतराम पुत्र रामप्रसाद कोली नि0 शाहपुरा । | अज्ञात |
| 39. | ,, | 55/82 | 26-5-82 | 457 380 ता.हि. | श्री मांगीलाल पुत्र घीसा भील नि0 हेमनियास । | अज्ञात |
| 40. | ,, | 70/82 | 1-7-82 | ,, | लक्ष्मणसिंह पुत्र हरिसिंह नि0 चांदजी की खेडी । | अज्ञात |
| 41. | ,, | 73/82 | 10-7-82 | 394 ता0हि0 | श्री असगर पुत्र मोहम्मद इमाम पठान नि0 वार्ड नं.। टौंक । | अज्ञात |
| 42. | कोटडी | 39/79 | 6-5-79 | 409 ताहि0 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडी । | शंकरलाल सरपंच नि. रीठ |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | कोटड़ी | 69/82 | 25-7-82 | 457,380 ताहि0 | मोती लाल नि0 मनोहर-लाल शर्मा नि0 समन-पुरिया | अज्ञात |
| 44. | ,, | 71/82 | 30-7-82 | ,, | जमना लाल पुत्र किशन-लाल शर्मा नि0 गुन्दली । | अज्ञात |
| 45. | ,, | 74/82 | 25-8-82 | 454,380 ताहि0 | कल्याण पुत्र सूरजमल अहीर नि0 कोटडी | अज्ञात |
| 46. | ,, | 75/82 | 27-8-82 | 147,323 ताहि0 | हजारी नि0 किशना खटीक नि0 परोसी | इस्माइल, तुलसी, गोपाल, कैलाश शंकरनि0 करोली । |
| 47. | ,, | 76/82 | ,, | 452,427 | श्रीमती उदी पत्नि उदा चमार नि0 फखमणीयास | संजय, गोपी, उदयसिह वगैहरा 5 |
| 48. | काछोला | 45/79 | 20-6-79 | 409 ताहि० | चांदमल बापना प. प. अधिकारी, भीलवाड़ा | सोहनलाल पुत्र केसरीमल जैन नि० घामणीयां |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | काछोछा | 21/82 | 13-4-82 | 457, 380 ता०हि० | भोजा पुत्र किशना-गूजर नि० ग्रासींद | अज्ञात |
| 50. | बिगोद | 71/82 | 8-6-82 | 147, 451 ,, | दिनेशकुमार पुत्र केसरसिंह संवेती बिगोद | कन्हैयालाल धाकड़ ए०ई०एन० सिंचाई विभाग बिगोद व 15 कस |
| 51. | ,, | 94/82 | 30-7-82 | 454, 380 ,, | कल्याण पुत्र रामलाल शर्मा नि० जोजवा | अज्ञात |
| 52. | ,, | [illegible]/82 | ,, | 457, 380 ,, | सरदारसिंह पगारिया नि० बिगोद | अज्ञात |
| 53. | ,, | 97/82 | 16-8-82 | 3/7 इ०सी० एक्ट | श्री भैरूलाल पुत्र रूपा सागावत नि० सुठेया | रामकरण, लादूलाल, मांगीलाल सागावत नि. सुठेया |
| 54. | ,, | 100/82 | ,, | 467 ता.हि. | श्री तहसीलदार, मांडलगढ़ | कैलाश पुत्र रामेश्वरलाल हरिजन नि० गंगा का खेड़ा |
| 55. | ,, | 99/82 | ,, | 147, 148, 447 ता०हि० | श्री बदरीलाल पुत्र शंकरलाल नि० सोमपुरा | नानूराम, घनश्याम, सोहनलाल, देवीलाल, मांगीलाल नि० सोमपुरा । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | बीगोद | 1[illegible]/82 | 16-8-82 | 147, 447 | ता०हि० | श्री नाथ पुत्र देवी धाकड़ नि० मानगंज | भंवरसिंह, सांवतसिंह, घनसिंह, शिवराजसिंह, शंकरसिंह, सांवतसिंह |
| 57. | ,, | 110/82 | 27-8-82 | 279, 429 | ,, | श्री वसन्तीलाल पुत्र मिश्रीलाल वर्मा नि० बिगोद | भंवरलाल नट ड्राईवर |
| 58. | ,, | 76/82 | 24-7-82 | 420, 467 | ,, | श्री मोहनसिंह एच० सी० नं० 3396 सिटी कोतवाली, जयपुर | भंवरीलाल पुत्र मंशाराम निवासी भींडों का रास्ता, जयपुर। |
| 59. | ,, | 78/82 | 26-7-82 | 379 | ,, | रामगोपाल पुत्र गोवल जाट नि० पलियासी | रामचन्द्र तेली, मांगीलाल जाट नि० मूसी। |
| 60. | ,, | 80/82 | 4-8-82 | 302 | ,, | मांगू पुत्र मन्ना बन्जारा नि० तसवारिया | अमरा, गोरू, रामा, हजारी, भजा, जगू बंजारा नि० तसवारिया। |
| 61. | बिगोद | 86/82 | 26-8-82 | 406 | ,, | श्री किशनलाल वर्मा, शाहपुरा | विक्रमसिंह राजपूत, नि० भोजपुरा |
| 62. | जहाजपुर | 73/82 | 21-7-82 | 411 | ,, | माना पुत्र काना मीणा नि० छाबड़िया | सूतसिंह राजपूत नि. तरनोपारोड़ा |
| 63. | ,, | 84/82 | 26-7-82 | 457, 380 | ,, | श्री कन्हैयालाल पुत्र छोगालाल खटीक नि० पीमसुन्द | अज्ञात |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | जहाजपुर | 91/82 | 13-8-82 | 366 ता०हि० | भोमा पुत्र कालू मीणा नि० बिलेड़ा | रामदेव, गेंदिया, कल्याण मीणा नि० बिलेड़ा |
| 65. | " | 97/82 | 27-8-82 | 379 " | सत्यनारायण पुत्र निरजी पारीक नि० जहाजपुर | अज्ञात |
| 66. | " | 98/82 | " | 341, 342 " | नाथू पुत्र नन्दा बलाई नि० बिनेड़ा | सोसिंह, रमजान, रामस्वरुप |
| 67. | " | 99/82 | 31-8-82 | 406 " | काशीलाल पुत्र फूलचन्द मुंदड़ा नि. जहाजपुर | अहमद खां नि० जहाजपुर |
| 68. | पन्डेर | 60/82 | 6-7-82 | 147, 452 " | प्रहलादराय पुत्र प्रभूलाल सरपंच नि. रोपा | गोपालसिंह, भगवानसिंह, हिम्मत सिंह, गनेसिंह, गोपाल, फतहखां वगैहरा |
| 69. | " | 66/82 | 22-7-82 | 467, 468, 420 ता. हि. | रामचन्द्र पुत्र बलदेव मीणा नि. ओडियाखेड़ा | डमलाल नि. भरणीकला |
| 70. | " | 67/82 | " | 467, 420 " | श्री रामपाल नि. नन्दा मीणा | अगमलाल पुत्र सूरजा मीणा नि. भगतों की झोपड़ियां। |

217

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. | पन्डेर | 68/82 | 27-7-82 | 408 ता०हि० | बलदेव पुत्र गोद मीणा नि. ओडिया | अगमलाल पुत्र सूरजा मीणा नि. भगतों की झोपड़ियां। |
| 72. | ,, | 79/82 | 24-8-82 | 454, 380 ,, | बाबूलाल पुत्र कल्याण तेली नि. रोपा | गोपाल. नन्दा, भज्जा नि. रोपा। |
| 73. | ,, | 49/82 | 25-7-82 | 366, 380 ,, | भूरू पुत्र छोगा मीणा नि. अखेरामजी का खेड़ा | गोवर्धनलाल, हजारी गणेश, नन्दा, चुन्नी, सुजानपुरा। |
| 74. | शक्करगढ़ | 33/82 | 21-8-82 | 147, 447 ,, | होम्मा पुत्र भज्जा गूजर नि. रघुनाथपुरा | जसवंतसिंह, भूरसिंह, गुमानसिंह, गोपी, सत्यनारायण, नि, जगनाथपुरा। |
| 75. | ,, | 54/82 | 23-8-82 | 457, 380 ,, | रतनलाल पुत्र कल्याणमल सुनार नि. रामगढ़ | अज्ञात |
| 76. | ,, | 56/82 | 30-8-82 | 452, 323 ,, | रामस्वरुप पुत्र कल्याणमल नि. खजुरी | सुरेश, प्रताप, मगोर, दीनबन्धु, बाबूलाल, मांगीलाल, दिनेश, भगवती, नि. खजूरी। |
| 77. | फूलिया | 43/82 | 27-4-82 | 467, 468, 409 ता. हि. | एम. एच. पुनमिया अधीक्षक, डाकघर | रामनिवास पाराहार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | फूलिया | 85/82 | 12-8-82 | 459,307 ताहि० | मेवाराम पुत्र श्रवण बावरी सा० राजीवास | सरपंच ग्रा० पं० कनेछन । |
| 79. | सदर | 89/82 | 24-8-82 | 457,380 ताहि० | सोनाथ पुत्र छोगा जाट नि० सबलपुरा | अज्ञात |
| 80. | ,, | 90/82 | 29-8-82 | 392 ताहि० | लक्ष्मणलाल पुत्र बालूजी कटवा नि० जोवडास | अज्ञात |
| 81. | ,, | 91/82 | 30-8-82 | 341,324 ताहि० | श्री प्रभूनाथ पुत्र फारचन्द खटीक नि० मोऊमोरा | रामप्रसाद, सीताराम, कनीराम, नि० मोऊमोरा । |
| 82. | ,, | 92/82 | | 147,341 ताहि० | सी=राम पुत्र कनीराम खटीक नि० मोऊमोरा | मदन, फाटा, सूरजमल, प्रेम खटीक, नि० मोऊमोरा । |
| 83. | भीलवाड़ा | 57/82 | 20-2-82 | 147,332,353 ताहि० | श्री रतनसिंह ड्राइवर नं० 45, सी० आई० डी० ब्रान्च, उदयपुर । | 20-25 आदमी पुलिस लाइन, भीलवाड़ा । |
| 84. | ,, | 284/82 | 22-6-82 | 406,420 ताहि० | मदनलाल पुत्र रामदयाल मडोवरा नि0 भीलवाड़ा । | बदरीलाल कादर नि० समेलिया । |
| 85. | ,, | 313/82 | 9-7-82 | 147,307 ताहि० | श्री राधेश्याम त्रिपाठी, फैक्ट्री मैनेजर श० स० नि०, भीलवाड़ा | बंशीलाल, नेत्रपाल, बेशीपाल, मिथूसिह मोहनलाल, भैरू लाल, वगैरहा । 18 कस मल0 |
| 86. | ,, | 360/82 | 1-8-82 | 365,366 ताहि० | गोपालसिंह पुत्र किलीराम जाट नि० नवेड़ा | कलिया, सत्यनारायण, संतोष कुमार नि० भीलवाड़ा । |
| 87. | ,, | 364/82 | 3-8-82 | 353,332 ताहि० | श्री एच० एम० शर्मा, ए० ई० एन०, आर० एस० ई० बी०, भीलवाड़ा | महेन्द्रसिंह जी नि० भीलवाड़ा । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. | भीलवाड़ा | 366/82 | 4-8-82 | 392,366 ताहि० | श्री मांगूसिंह पुरी, ए० एस० आई०, भीलवाड़ा कोतवाली । | जगदेव पुत्र दलपतसिंह जाटव नि० हेमापुरा |
| 89. | ,, | 367/82 | ,, | 147,451 ताहि० | श्री रामप्रसाद गगड़ नि० कावरा गली भीलवाड़ा । | अकारम, राधेश्याम, गोपाल, राजेन्द्र, जगदीश, रमेश मदनलाल, सत्यप्रकाश, भंवरसिंह, अशोक । |
| 90, | ,, | 378/82 | 10-8-82 | 448 ताहि० | जगदीश दरक पुत्र गणेश दरक, भीलवाड़ा । | सुखरामदास देवरिया महाराज |
| 91. | ,, | 382/82 | 13-8-82 | 302 ताहि० | श्री कर्नल बहादुरसिंह कपूर एस.एच.ओ. भीलवाड़ा । | श्री देवा, गोपी, मु० मांगी पत्नि नन्दा |
| 92. | ,, | 384/82 | 16-8-82 | 380 ताहि० | श्रीमती भवरी बाई पुत्री मदनसिंह नि० भीलवाड़ा । | मु० गुलाबी पत्नि रामनाथ खाती नि० भीलवाड़ा । |
| 93. | ,, | 389/82 | 17-8-82 | 379 ताहि० | घनश्याम तहसीलदार | अज्ञात |
| 94. | ,, | 390/82 | ,, | 456,334 ताहि० | श्री लादूलाल पुत्र बख्तावर लुहार जवाहरनगर, भीलवाड़ा । | मोहम्मद मुसलमान मजदूर कालोनी, भीलवाड़ा । |
| 95. | ,, | 392/82 | ,, | 453 ताहि० | श्री सत्यदेव शर्मा, भीलवाड़ा । | ललित, अशोक, रमेश, कल्याणमल, लालचन्द । |
| 96. | ,, | 393/82 | 20-8-82 | 447 ताहि० | श्री घनश्याम शर्मा तहसीलदार, भीलवाड़ा । | सुभाष पुत्र नाथूलाल पारासर, हसन खां वगैहरा । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97. | भीलवाड़ा | 397/82 | 22-8-82 | 279 ताहि० | श्री कुशलचन्द कानि नं० 541 थाना भीलवाड़ा। | ट्रक नं० आर० जे० ई० 1337 |
| 98. | ,, | 399/82 | 23-8-82 | 457,380 ताहि० | श्री बृजमोहन पुत्र गणपतराय झंवर नि० सुभाषनगर। | शिवदत्त का भाई |
| 99. | ,, | 400/82 | ,, | 379 ताहि० | श्री घनश्याम पुत्र काशीराम माली | अज्ञात |
| 100. | ,, | 403/82 | 24-8-82 | 457,380 ताहि० | श्री सोहनलाल पुत्र हरिशंकर त्रिवेदी नि० भीलवाड़ा। | अज्ञात |
| 101. | ,, | 405/82 | 25-8-82 | 379 ताहि० | चन्द्रमोहन ए० एस० आई० भीलवाड़ा। | लक्ष्मन खां, अब्दुल खान नि० भीलवाड़ा। |
| 102. | ,, | 406/82 | ,, | 366,380 ताहि० | श्री भेरूदास पुत्र सुभाषदास नि० जवाहरनगर, भीलवाड़ा। | रतन, भंवर, मोहन, जगदीश |
| 103. | ,, | 408/82 | ,, | 380 ताहि० | शिवनारायण पुत्र रामनिवास झंवर भीलवाड़ा। | अज्ञात |
| 104. | ,, | 4 9/82 | ,, | 279 ताहि० | डा० डी० आर० शर्मा, भीलवाड़ा | कार चालक |
| 105. | ,, | 414/82 | 29-8-82 | 147,148,447 ताहि० | ललित प्रसाद शर्मा, नि० पुर | बदरी, जोधा, छोगा, तुलसीराम, नारायण, वगैहरा कस 6. |
| 106. | ,, | 401/82 | 23-8-82 | 13 गे० एक्ट | मनोहरसिंह, ए० एस० आई० | श्री सलीम पुत्री अहमदबख्श, भीलवाड़ा। |
| 107. | ,, | 404/84 | 24-8-82 | ,, | बख्तावरसिंह ए० एस०आई० | गोपाल सोनी |
| 108. | ,, | 315/82 | 10-,-82 | 16/54 एक्साइज एक्ट | कालूसिंह ए० एस० आई०, भीलवाड़ा। | शांतिलाल पुत्र शंकरलाल सांसी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | भीलवाड़ा | 350/82 | 27-7-82 | 447,380 ता.हि० | राधेश्याम पुत्र भंवरलाल राठी भीलवाड़ा | अज्ञात |
| 110. | सदर | 69/82 | 11-7-82 | 406,420 ता.हि० | रामचन्द्र पुत्र मगना जाट नि. सालरिया थाना सदर। | श्री बद्री पुत्र छोगा जाट |
| 111. | " | 72/82 | 19-7-82 | 392 ता.हि० | श्री मांगूपुरी ए.एस.आई. भीलवाड़ा | श्री जगदेवसिंह, भूपेन्द्र, रामदेवसिंह, गणेश, उदा, नारायण, भैरु, गिरधारी, रामेश्वर, माना, नारायण, बदरी, गोपी, लक्ष्मण, हरी, घुना, जमनादास। |
| 112. | " | 74/82 | " " | 147,447 ता.हि० | श्री पोखर पुत्र मुकल घुमडास | |
| 113. | " | 78/82 | 13-8-82 | 16/54 एक्साइज एक्ट | श्री नारायणसिंह एफ. सी, नं० 119 | श्री छितरसिंह, राजपूत नि० हाठीयास |
| 114 | " | 79/82 | 14-8-82 | 147, 447 ता.हि. | श्री भारतभूषण पुत्र जडावचंद सोनी सुपाणा | श्रीमती पीपाबाई, बासू सुनार, मोहन चमार, शंकर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | भील, प्रदानचन्द, श्रीमती, गंगादेवी नि. सुपाणा । |
| 115. | सदर | 80/82 | 14–8–82 | 147, 447 ता.हि. | श्री प्रदानचन्द सोनी नि. सुपाणा | भारतभूषण. नन्द, बदरीलाल, रामेश्वर, गोपाल शर्मा नि० सुपाणा । |
| 116. | ,, | 82/82 | 19–8–82 | 447, 323 ता.हि० | श्री खांजू पुत्र ईमाम बक्ष पीजारा नि० पीडराल | श्री उगमा चमार, संत, मु० रामी, मु० नानी निवासी घुमडास । |
| 117. | ,, | 83/82 | ,, ,, | 279, 304 ता.हि० | श्री बदरी पुत्र हजारी जाट नि० मोथी | अज्ञात । |
| 118. | ,, | 38/82 | 21–8–82 | 147, 447 ता.हि० | श्री उदयलाल पुत्र गणेश जाट खुवाणा | सर्वश्री पारेवर, हीरा, हजारी, लक्ष्मण, मगना, भैरू, मु० केलो, गोपी, राजू, बालू, केपा, नन्दा, माना गूजर नि०. खुवाणा । |
| 119. | ,, | 88/82 | ,, ,, | ,, | श्री बदरी पुत्र गोकल जाट नि० | ,, ,, |

223

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. | गंगापुर | 57/82 | 9-5-82 | 366, 363 ता.हि० | श्री नाथू पुत्र भज्जा जी माली नि. गोपरिया | श्री रोडा पुत्र हजारी माली, रामा पुत्र दुर्गा माली नि. दौलतपुरा। |
| 121. | ,, | 85/82 | 17-5-82 | 457, 380 ता.हि० | श्रीमती लहरी पत्नि मांगीलाल जी जाट नि. सोनियाना | 1. श्री रतनलाल पुत्र रामा जाट<br>2. श्री रतनलाल पुत्र चम्पा जाट<br>3. श्री शंकरलाल पुत्र गोवर्धन जी जाट निवासियान सोनियाना। |
| 122. | ,, | 114/82 | 25-7-82 | 147, 148 ता.हि. | श्री मांगीलाला पुत्र गंगाराम कुम्हार नि. जबरकिया | श्री मांगीलाल, भैरूलाल, गोपी चम्पा, हीरा, बरदा, मोहन, प्यारा, प्रभू। |
| 123. | ,, | 117/82 | 5-8-82 | 147, 148, 325 ता.हि. | श्री लालराम पुत्र भैरा जाट नि. चन्द्रखेड़ा | श्री लहरू, जीतू, गोपी. मांगू, छीतर, लालू, मंगना, साधु, नियाचंद, पन्ना, नि. चन्द्रखेड़ा। |
| 124. | ,, | 118/82 | 6-8-82 | 384 ताहि० | श्री रामपाल पुत्र गोविन्द-राम जी बहोलिया नि. राज बीज खाद भंडार | श्री सदनेश भंडारी, एक ड्राईवर एक और आदमी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. | गंगापुर | 130/82 | 25-8-82 | 420, 467 ता.हि० | श्री रामसिंह पुत्र चमनसिंह राजपूत नि. मायावास | श्री गोपी, कजोड़ी |
| 126. | " | 125/82 | 19-8-82 | 457, 380 ता.हि० | श्री मांगीलाल पुत्र हीरा अहीर नि. लक्ष्मीपुरा | श्री रतनलाल पुत्र पूजी सुनार, नि. चटावड़ी |
| 127. | " | 131/82 | 31-8-82 | 3/25 आर्म्स एक्ट 4/9 अफीम एक्ट | श्री नारायणलाल काकरा नाम योटिक्स विभाग, नि. चित्तौड़गढ़ | 1. श्री भीमाराम नि. निमाराम विश्नोई नि. नि. कापेड़ा<br>2. श्री भगवानराम पुत्र गोरधनराम विश्नोई नि. बनेण की ढाणी, थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर। |
| 128. | रायपुर | 4/82 | 16-1-82 | 420, 467 ता.हि. | श्रीमान् विकास अधिकारी पं. स. रायपुर | श्री लक्ष्मण जाट ठेकेदार ब्लासिंग एण्ड कम्पनी नि. बोरियापुरा। |
| 129. | " | 60/82 | 2-6-82 | 457, 380 ता.हि. | श्री जवाहरमल पुत्र मोतीमल चांवत नि. सखेड़ी। | अज्ञात |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130– | रायपुर | 68/82 | 3–7–82 | 366,380 ताहि0 | श्री केशु पुत्र मोती बलाई नि0 गिभावा | श्री मोहन, भानू, लहेरू, मुल0 जेमी, मोती, लाडू नि0 जोगावरपुरा । |
| 131– | बागौर | 73/82 | 19–7–82 | 457,380 ताहि0 | श्री रतनलाल पुत्र मोहन ब्राह्मण नि0 कारोई | अज्ञात |
| 132– | " | 75/82 | 6–8–82 | " | श्री छीतरलाल पुत्र घीसा दरोगा नि0 पीवाल | अज्ञात |
| 133– | " | 79/82 | 15–8–82 | 147,325 ताहि0 | श्री इश्हाक मोहम्मद पुत्र अब्दुल्ला नि0 बागौर | श्री जगदीश, देवीलाल, लक्ष्मीवास, छीतरमल, मूलचन्द । |
| 134– | " | 80/82 | 16–8–82 | 147,447 ताहि0 | श्री बशीर खां पुत्र अब्दुल खां नि0 | श्री जगदीश, देवीलाल, मूलचन्द, बंशीलाल, छीतर |
| 135– | " | 82/82 | 21–8–82 | 454,380 ताहि0 | श्री प्रभूलाल धाकड ग्राम विस्तार कार्यकर्ता, नि0 कारोई | अज्ञात |
| 136– | " | 83/82 | 26–8–82 | 406,366,420 ताहि0 | श्री जमनालाल पुत्र गोकल जाट नि0 बैरां | श्री विशनदास, भैरू, जगन्नाथ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137– | करेडा | 63/82 | 16–8–82 | 457,380 ताहि0 | श्री खेता पुत्र रामा बलाई नि0 चिताम्बा | अज्ञात |
| 138– | गुलाबपुरा | 94/82 | 17–7–82 | 384,386 ताहि0 | श्री जगदीश प्रसाद पुत्र सुखदेव नि0 खुरडा | श्री आत्माराम पुत्र सुख देव दास |
| 139– | ,, | 101/82 | 3–8–82 | 457,380 ताहि0 | श्री नाथू पुत्र रामकरण नि0 हुरडा | अज्ञात |
| 140– | ,, | 103/82 | 6–8–82 | 447,427 ताहि0 | श्री पारसमल पुत्र तेजमल गुलाबपुरा | श्री रामेश्वर प्रसाद, सत्य प्रकाश, रमेशचन्द, लादू, रामकिशन नि0 गुलाबपुरा |
| 141– | ,, | 110/82 | 18–8–82 | 147,427 ताहि0 | श्री रामकुमार पुत्र जेतु जाट नि0 आनन्दपुरा | श्री हंगामी, उगमा, राम लाल जाट |
| 142– | ,, | 112/82 | 22–8–82 | 457,380 ताहि0 | श्री उगमा पुत्र जैराम चमान नि0 भैरू खेडा | अज्ञात |
| 143– | ,, | 113/82 | 29–8–82 | 279,337 ताहि0 | श्री जगदीश पुत्र रामस्वरूप महाजन नि0 गुलाबपुरा | गुलाब ड्राइवर रोडवेज |
| 144– | ,, | 114/82 | 21–8–82 | 279,337 ताहि0 | श्री जसवन्तसिंह पुत्र मोतीलाल पोश्पटना | श्री सूरजमल |

(227)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145. | आसीन्द | 15/80 | 1-2-80 | 408 ताहि0 | श्री छोटेलाल पुत्र बरदीचंद ब्राह्मण नि0 आसींद | लक्ष्मीलाल, रामनारायण, गोरधनलाल, नि0 आसीन्द |
| 146. | बदनोर | 43/82 | 26-9-82 | 384 ताहि0 | श्री हंगामीलाल नि0 आकडसाडा | अज्ञात |
| 147. | ,, | 47/82 | 13-8-82 | 467,468 ताहि0 | श्री घीसासिंह रावत नि0 खेड़ेला | श्री राजबहादुर ओवरसियर, गिरधारी सिंह सरपंच, बाबूसिंह नि0 बडाच्छ |
| 148. | ,, | 49/82 | 16-8-82 | 368,380 ताहि0 | श्री धन्नानाथ पुत्र कालूलाल जोशी नि0 बलदेव | श्री त्रिलोक रावत, किसना, हरदेवा, शीला, सोहनी नि0 बलदेव । |
| 149. | ,, | 52/82 | 17-8-82 | 326,451 ताहि0 | श्री देवीलाल पुत्र रघुनाथ नि0 जवरकिया | श्री नानूराम, लक्ष्मण, मोती वगैरह |
| 150. | ,, | 53/82 | 24-8-82 | 457,380 ताहि0 | लक्ष्मीलाल पुत्र पुखराज चौधरी नि0 बदनोर | अज्ञात |
| 151. | ,, | 54/82 | ,, | 325 ताहि0 | श्री धर्मचन्द उदयलाल शंका नि0 आकडसाडा | रामा पुत्र देवा गूजर निवासी आकडसाडा |
| 152. | शंभुगढ़ | 51/82 | 2-8-82 | 457,380 ताहि0 | श्री कनक मल पुत्र जीवाराज सिंघवी नि0 शम्भूगढ़ । | अज्ञात |
| 153. | ,, | 53/84 | 12-8-82 | 427,430 ताहि0 | श्री सम्पत सिंह पुत्र बालूराम सरपंच | श्री रामलाल, नाथूराम, हजारी गूजर निवासी नारायणपुरा । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154. | शंभुगढ़ | 55/82 | 21-8-82 | 447,427 ताहि0 | श्री जग्गू पुत्र बाबू गूजर नि0 गोपालपुरा | श्री राम पुत्र भूरा, मदन पुत्र सबाश नि0 गोपालपुरा । |
| 155. | ,, | 56/82 | ,, | 379,427 ताहि0 | श्री मेंगनलाल सरपंच प0 करसनी | श्री भैरू पुत्र छोगा, निम्बा पुत्र भागू गूजर |
| 156. | ,, | 57/82 | ,, | 447,427 ताहि0 | श्री नानूराम पुत्र कजोड | श्री रतना, पन्ना, मगन, चन्दू जोजेरतन जाट |
| 157. | शंभुगढ़ | 61/82 | 29-8-82 | 332,333 ताहि0 | श्री बालूसिंह पुत्र लादूसिंह निवासी बदसमी | श्री किशना, मिश्री भीक । |
| 158. | ,, | 60/82 | 21-8-82 | 147,447,323 ताहि0 | श्री हरदेव पुत्र ग्रानोद जाट नि0 बांगियांस | श्री केसू, मांगू वगैरह |

229

# परिशिष्ट 5

## राजस्थान सरकार

अतारांकित प्रश्न संख्या 129 की सूची

( सहायता विभाग )

दिनांक 1-4-82 से 31-7-82 तक अकाल राहत कार्यों पर अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार व्यय की गई राशि

( राशि लाखों में )

| क्र० सं० | नाम जिला | व्यय की गई राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1- | अजमेर | 261.42 |
| 2- | अलवर | — |
| 3- | बांसवाड़ा | 116.52 |
| 4- | बाड़मेर | 465.12 |
| 5- | भरतपुर | 0.37 |
| 6- | भीलवाड़ा | 744.59 |
| 7- | बीकानेर | 36.77 |
| 8- | बून्दी | 76.86 |
| 9- | चित्तौड़गढ़ | 236.01 |
| 10- | चूरू | 29.78 |
| 11- | डूंगरपुर | 120.54 |
| 12- | गंगानगर | 0.60 |
| 13- | जयपुर | 18.63 |
| 14- | जैसलमेर | 100.56 |
| 15- | जालौर | 96.99 |
| 16- | झालावाड़ | 1.25 |
| 17- | झुन्झुनू | 13.61 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18- | जोधपुर | 521.12 |
| 19- | कोटा | 13.75 |
| 20- | नागौर | 103.75 |
| 21- | पाली | 292.28 |
| 22- | सवाई माधोपुर | 3.41 |
| 23- | सीकर | 40.76 |
| 24- | सिरोही | 74.81 |
| 25- | टोंक | 34.28 |
| 26- | उदयपुर | 477.35 |
| 27- | धौलपुर | 4.72 |
| | योग | 3886.05 |

# परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 135 का विवरण

जनवरी 82 से अगस्त 82 तक पीपल्दा क्षेत्र के खातौली, पीपल्दा गैंता गुढला एवं लुहावद मार्गों पर कोटा–बून्दी बारां एवं झालावाड़ से चलने वाली बसों की समय सारिणी एवं विलम्ब से संचालित तथा निर्धारित समय पर संचालित परिचक्रों का विवरण :—

| क्र०सं० | मार्ग का नाम | संचालन का समय | निर्धारित परिचक्र | वास्तविक संचालित परिचक्र | 30मिनट तक विलम्ब से संचालित परिचक्र | 30 मिनट से अधिक विलम्ब से संचालित परिचक्र | समय पर संचालित परिचक्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1– | कोटा—गुढ़ला | 06.00 | 243 | 238 | 70 | 39 | 129 |
| 2– | कोटा—गुढ़ला | 13.00 | 243 | 240 | 51 | 59 | 130 |
| 3– | कोटा—खातौली | 15.00 | 243 | 230 | 25 | 126 | 79 |
| 4– | कोटा—खातौली | 17.30 | 243 | 222 | 61 | 113 | 48 |
| 5– | कोटा—गैंता | 07.00 | 243 | 163 | 24 | 56 | 83 |
| 6– | कोटा—गैंता | 18.00 | 243 | 165 | 25 | 93 | 47 |
| 7– | कोटा—पीपल्दा—करवाड़ | 06.30 | 243 | 183 | 42 | 52 | 89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8– | कोटा—पीपल्दा—करवाड़ | 16.30 | 243 | 151 | 19 | 109 | 23 |
| 9– | कोटा–लुहांवद (गणेशखेड़ा) | 07.00 | 243 | 34 | 8 | 7 | 19 |
| 10– | कोटा–लुहांवद (गणेशखेड़ा) | 14.30 | 243 | 110 | 3 | 57 | 50 |
| 11– | बारां–गैंता | 08.15 | 243 | 141 | 6 | 6 | 129 |
| 12– | बारां–पीपल्दा–करवाड़ | 17.30 | 243 | 178 | 6 | 5 | 167 |
| 13– | बारां–खातोली | 09.00 | 443 | 196 | 9 | 6 | 181 |
| 14– | बारां–खातोली | 11.30 | 242 | 196 | 12 | 11 | 173 |
| 15– | बारां खातोली | 15.30 | 243 | 191 | 14 | 8 | 169 |
| 16– | बून्दी–पीपल्दा–करवाड़ | 10.00 | 424 | 369 | 67 | 110 | 192 |
| 17– | बून्दी–खातोली | 07.30<br>08.30<br>09.00 | 1239 | 1080 | 76 | 58 | 946 |
| 18– | झालावाड–बारां–गैंता | 12.00 | 222 | 132 | 25 | – | 107 |
| 19– | झालावाड़–खातोली | 06.00 | 200 | 185 | 13 | – | 172 |
| | | | 5730 | 4404 | 556 | 915 | 2933 |

## परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 140 की सूची

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर

अनुदान राशि 1980 से 82 तक की सूची

| क्र. सं. | नाम नगरपालिका | अनुदान राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| जिला अजमेर | | |
| 1– | अजमेर | 29,80,860 |
| 2– | ब्यावर | 6,61,140 |
| 3– | किशनगढ़ | 4,07,060 |
| 4– | केकड़ी | 1,49,970 |
| 5– | पुष्कर | 1,78,410 |
| 6– | सरवाड़ | 77,280 |
| 7– | विजयनगर | 85,020 |
| जिला अलवर | | |
| 8– | अलवर | 10,03,780 |
| 9– | खेड़ली | 47,980 |
| 10– | राजगढ़ | 1,10,180 |
| 11– | खैरथल | 1,06,870 |
| 12– | तिजारा | 1,20,430 |
| जिला बाड़मेर | | |
| 13– | बाड़मेर | 3,86,300 |
| 14– | बालोतरा | 1,75,950 |
| 15– | सिवाना | 1,06,100 |
| जिला बांसवाड़ा | | |
| 16– | बांसवाड़ा | 2,53,630 |

# Page No 235

235



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17- | कुशलगढ़ | 58,410 |
| जिला बीकानेर | | |
| 18- | बीकानेर | 18,85,180 |
| 19- | भीनासर | 1,91,600 |
| 20- | देशनोक | 1,22,310 |
| 21- | गंगाशहर | 1,57,160 |
| 22- | नोखा | 1,82,220 |
| जिला भीलवाड़ा | | |
| 23- | भीलवाड़ा | 8,21,550 |
| 24- | शाहपुरा | 1,98,540 |
| 25- | गंगापुर | 1,55,040 |
| 26- | जहाजपुर | 1,68,130 |
| 27- | मांडल | 1,69,830 |
| 28- | आसीन्द | 1,32,780 |
| जिला भरतपुर | | |
| 29- | भरतपुर | 9,88,610 |
| 30- | बयाना | 2,54,500 |
| 31- | डीग | 2,22,670 |
| 32- | कामां | 1,92,540 |
| 33- | नदवई | 1,07,890 |
| 34- | वैर | 3,58,480 |
| 35- | कुम्हेर | 1,67,830 |
| 36- | भुसावर | 3,36,250 |
| 37- | नगर | 1,23,630 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| जिला धौलपुर | | |
| 38– | धौलपुर | 4,18,650 |
| 39– | बाड़ी | 1,92,490 |
| 40– | राजाखेड़ा | 1,69,760 |
| जिला बून्दी | | |
| 41– | बून्दी | 3,64,920 |
| 42– | लाखेरी | 1,78,180 |
| 43– | केशोरायपाटन | 1,17,860 |
| 44– | नैनवा | 1,13,620 |
| 45– | कापरेन | 1,22,530 |
| जिला चित्तौड़गढ़ | | |
| 46– | चित्तौड़गढ़ | 2,59,170 |
| 47– | प्रतापगढ़ | 1,94,020 |
| 48– | निम्बाहेड़ा | 1,85.420 |
| 49– | छोटी सादड़ी | 1,26,200 |
| 50– | बड़ी सादड़ी | 1,21,380 |
| 51– | कपासन | 1,54,070 |
| जिला–चूरू | | |
| 52– | चूरू | 5,25,020 |
| 53– | रतनगढ़ | 3,65,060 |
| 54– | सुजानगढ़ | 3,90,730 |
| 55– | सरदारशहर | 3,97,030 |
| 56– | डूंगरगढ़ | 2,14,120 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 57. | राजगढ़ | 2,51,790 |
| 58. | छापर | 1,36,810 |
| 59. | बीदासर | 1,65,800 |
| 60. | रतननगर | 1,03,900 |
| 61. | तारानगर | 2,02,160 |
| 62. | राजलदेसर | 1,48,720 |
| **जिला—डूंगरपुर** | | |
| 63. | डूंगरपुर | 1,97,730 |
| 64. | सागवाड़ा | 1,64,840 |
| **जिला—गंगानगर** | | |
| 65. | हनुमानगढ़ | 3,63,380 |
| 66. | रायसिंहनगर | 1,09,770 |
| 67. | गजसिंहपुर | 65,750 |
| 68. | नोहर | 1,67,040 |
| 69. | संगरिया | 1,80,000 |
| 70. | करनपुर | 1,35,380 |
| 71. | अनूपगढ़ | 45,710 |
| 72. | भादरा | 2,05,090 |
| 73. | सादुलशहर | 1,26,480 |
| 74. | सूरतगढ़ | 2,04,910 |
| 75. | पदमपुर | 63,590 |
| 76. | केसरीसिंहपुर | 1,05,510 |
| 77. | बिजयनगर | 1 07,240 |
| 78. | पीलीबंगा | 1,48,370 |
| 79. | रावतसर | 1,68,430 |

# Page No 238

(238)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **जिला–जयपुर** | | |
| 80. | जयपुर | 61,52,580 |
| 81. | चौमूं | 2,01,800 |
| 83. | सांभर | 1,58,110 |
| 84. | दौसा | 2,89,250 |
| 85. | बसवा | 98,930 |
| 86. | आमेर | 1.93,300 |
| 87. | बादीकुई | 2,29,110 |
| 88. | चाकसू | |
| 89. | कोटपूतली | 1,93,430 |
| 90. | फुलेरा | 1,64,130 |
| 91. | जोबनेर | 1,81,250 |
| 92. | सांगानेर | 1,4,1170 |
| 93. | नरायना | 1,85,050 |
| 94. | लालसोट | 1,62,310 |
| 95. | शाहपुरा | 1,80,320 |
| 96. | मनोहरपुर | 1,61,240 |
| 97. | विराटनगर | 1 15,780 |
| 98. | नगरू | 1,87,190 |
| 99. | बस्सी | 1,00,900 |
| **जिला–जैसलमेर** | | |
| 100. | जैसलमेर | 1,65,380 |
| 101. | पोकरण | 2,02,690 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| जिला–जालौर | | |
| 102. | जालौर | 2,14,780 |
| 103. | भीनमाल | 1,40,500 |
| 104. | सांचौर | 80,580 |
| 105. | आहोर | 1,37,330 |
| जिला–झालावाड़ | | |
| 106. | झालावाड़ | 2,00,350 |
| 107. | भवानी मण्डी | 1,30,360 |
| 108. | झालरापाटन | 1,64,680 |
| 109. | सुनेल | 1,19,886 |
| 110. | पिड़ावा | 1,32,770 |
| 111. | अकलेरा | 83,820 |
| जिला–झुंझुनू | | |
| 112. | झुंझुनू | 2,20,240 |
| 113. | नवलगढ़ | 2,90,650 |
| 114. | चिड़ावा | 1,52,410 |
| 112. | बिसाऊ | 1,57,210 |
| 113. | बगड़ | 93,340 |
| 114. | खेतड़ी | 1,61,690 |
| 115. | मण्डावा | 1,53,510 |
| 116. | मुकुन्दगढ़ | 1,31,040 |
| 117. | पिलानी | 1,81,010 |
| 118. | सूरजगढ़ | 1,17,800 |
| 119. | उदयपुर वाटी | 1,12,210 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| जिला–झुंझुनू | | |
| 120- | विद्या विहार | 69580 |
| 121- | मण्ड्रेली | 1,22300 |
| **जिला—जोधपुर** | | |
| 122- | जोधपुर | 31,76120 |
| 123- | फलोदी | 2,28,790 |
| 124- | पीपाड़ | 3,02220 |
| 125- | बिलाड़ा | 3,25000 |
| **जिला—कोटा** | | |
| 126- | कोटा | 21,29910 |
| 127- | बारां | 2,98090 |
| 128- | रामगंज मण्डी | 1,51850 |
| 129- | छबड़ा | 1,57090 |
| 130- | इन्दरगढ़ | 86250 |
| 131- | मांगरोल | 1,67130 |
| 132- | सांगोद | 1,76960 |
| 133- | छीपाबड़ौद | 1,57040 |
| 134- | अन्ता | 1,64300 |
| 135- | कैथून | 1,13030 |
| **जिला— नागौर** | | |
| 136- | नागौर | 4,55410 |
| 137- | लाडनूं | 2,82260 |
| 138- | मेड़ता सिटी | 1,69810 |
| 139- | डीडवाना | 2,02420 |
| 140- | कुचामन सिटी | 2,30200 |
| 141- | मकराना | 2,72430 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **जिला-नागौर** | |
| 142- | परबतसर | 77740 |
| 143- | नावां | 1,18240 |
| 144- | कुचेरा | 1,01780 |
| 145- | मूंडवा | 1,25370 |
| | **जिला--पाली** | |
| 146- | पाली | 4,98340 |
| 147- | सोजत | 1,66280 |
| 148- | सादड़ी | 1,66600 |
| 149- | वाली | 1,78210 |
| 150- | तखतगढ़ | 1,24580 |
| 151- | सुमेरपुर | 1,04380 |
| 152- | नीमाज | 1,50560 |
| 153- | जेतारण | 1,48920 |
| 154- | रायपुर | 1,63130 |
| | **जिला - सवाई माधोपुर** | |
| 155- | सवाई माधोपुर | 2,11050 |
| 156- | हिण्डौन | 2,78950 |
| 157- | करौली | 3,02930 |
| 158- | गंगापुर सिटी | 2,99330 |
| 159- | टोडाभीम | 1,49540 |
| 160- | मानटाउन | 1,55220 |
| | **जिला—सीकर** | |
| 161- | सीकर | 7,09870 |
| 162- | लक्ष्मणगढ़ | 2,91580 |
| 163- | रामगढ़ | 2,25680 |
| 164- | श्री माधोपुर | 1,72970 |
| 165- | नीम का थाना | 1,16120 |

(342)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| ( जिला सीकर ) | | |
| 166- | खण्डेला | 1,65100 |
| 167- | रींगस | 1,63400 |
| 168- | लोसल | 1,11290 |
| 169- | फतेहपुर | 1,74645 |
| **जिला सिरोही** | | |
| 169- | सिरोही | 2,27740 |
| 170- | माउण्ट आबू | 98400 |
| 171- | आबूरोड | 2,53310 |
| 172- | शिवगंज | 1,20290 |
| 173- | पिण्डवाड़ा | 1,374030 |
| **जिला टोंक** | | |
| 174- | टोंक | 6,98660 |
| 175- | निवाई | 1,11980 |
| 176- | मालपुरा | 1,99910 |
| 177- | देवली | 1,22990 |
| 178- | टोडारायसिंह | 1,53330 |
| 179- | उनियारा | 85270 |
| **जिला उदयपुर** | | |
| 180- | उदयपुर | 16,12780 |
| 181- | नाथद्वारा | 2,88930 |
| 182- | राजसमन्द | 2,38660 |
| 183- | आमेट | 98820 |
| 184- | फतेहनगर | 2,16420 |
| 185- | भिण्डर | 1,18600 |
| 186- | देवगढ़ | 1,18190 |
| 187- | कानोड़ | 1,34660 |
| 188- | सलूम्बर | 1,28880 |
| 189- | रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) | |
| 190- | कापरेन (बून्दी) | |
| 191- | गंगानगर (गंगानगर) | 9,00420 |
| | कुल योग | 5,66,94140 |

(343)



## परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 141 की सूची

वर्ष 1981-82 में आवंटित भूखण्डों की सूची

| क्र. सं. | पार्टी का नाम एवं पिता का नाम | भूखण्ड सं. | साइज | आवंटन दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1· | श्री निरंजन कुमार/शांति राम मेहता | 60 आई | 25×49 | 28-11-81 |
| 2- | ,, बद्री लाल/लालूराम शर्मा | 61 आई | 25×49 | ,, |
| 3- | " दीपक राम/सोहन लाल | 63 आई | 25×49 | ,, |
| 4- | " हरदेव/नन्द राम जाट | 64 आई | 25×49 | ,, |
| 5- | " अतुल भटनागर/मोहन नारायण | 66 आई | 25×49 | ,, |
| 6- | श्रीमती कौशल्या देवी/सागर मल | 67 आई | 25×49 | ,, |
| 7- | " फतह लाल/गोकल चन्द | 68 आई | 25×49 | ,, |
| 8- | " चन्द्र प्रकाश/चेतन दास | 71 आई | 25×49 | ,, |
| 9- | " मिट्ठा लाल/नाथु लाल पामेचा | 72 आई | 25×49 | ,, |
| 10- | " जगदीश चन्द/मूलचन्द अग्रवाल | 73 आई | 25×49 | ,, |
| 11- | " सुभाष चन्द/भंवर लाल | 74 आइ | 25×49 | ,, |
| 12- | " योगेश कुमार/नन्दलाल शर्मा | 75 आई | 25×49 | ,, |
| 13- | " अब्दुल शकुर/अलालउद्दीनमुस्लमान | 77 आत्र | 25×49 | ,, |
| 14- | " विनोद कुमार/दरबारी लाल डोगरा | 78 आई | 25×49 | ,, |
| 15- | " गोतमदास देवीलाल सैन | 83 आई | 25×49 | ,, |
| 16- | " प्रकाश चन्द/भेरूलाल | 82 आई | 25×49 | ,, |
| 17- | " नारायण/श्रीकिशन गुजर | 84 आई | 25×49 | ,, |
| 18- | " रामगोपाल/सत्यनारायण शर्मा | 85 आई | 25×49 | ,, |
| 19- | " राधेश्याम/बालकृष्ण जोशी | 87 आई | 25×49 | ,, |
| 20- | " रमेश चन्द/किशन चन्द | 88 आई | 25×49 | ,, |
| 21- | " पारसमल/खुबचन्द | 89 आई | 25×49 | ,, |
| 22- | " भैरू लाल/घीसुमल | 90 आई | 25×49 | ,, |
| 23- | " ज्ञान चन्द्र/माणक चन्द जैन | 94 आई | 25×49 | ,, |

(344)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24- | श्री राजेन्द्र कुमार/शांति कुमार जैन | 94 आई | 25×49 | 28-11-81 |
| 25- | " रतन लाल/चन्द्र भाम्बी | 96 आई | 25×49 | " |
| 26- | " धमेश चन्द्र/सुवा लाल डूगरवाल | 97 आई | 25×49 | " |
| 27- | " परस राम/रामेश्वरलाल सोनी | 97 आई | 25×49 | " |
| 28- | " भैरूसिह/बद्रीसिह टॉक | 100 आई | 25×49 | " |
| 29- | " सोहनलाल/नानु राम | 101 आई | 25×49 | " |
| 30- | " उमाशंकर/रामचन्द्र | 137 आई | 25×49 | " |
| 31- | " गोपाल लाल/नारायणलाल पालीवाल | 138 आई | 25×49 | " |
| 32- | " भारत कुमार/पिता डालचन्द्र | 139 आई | 25×49 | " |
| 33- | " सत्यनारायण/भवरलाल | 140 आई | 25×29 | " |
| 34- | श्रीमती सुशीला/दाना राम | 141 आई | 25×49 | " |
| 35- | श्री हिम्मत सिह/इन्द्र सिह | 142 आई | 25×49 | " |
| 36- | श्रीमती पुष्पा/रमेश चन्द | 143 आई | 25×49 | " |
| 37- | श्री श्याम सुन्दर/बन्शीलाल | 144 आई | 25×49 | " |
| 38- | " प्रेम शंकर/हजारी लाल | 145 आई | 25×49 | " |
| 39- | " घनश्याम पिता मूलचन्द | 146 आई | 25x49 | " |
| 40- | श्रीमती कान्ता पत्नि शैलेन्द्र | 147 आई | 25x49 | " |
| 41- | श्री राधेश्याम पिता मोहनलाल | 148 आई | 25x49 | " |
| 42- | श्रीमती कुसुम पत्नि राघवेन्द्र | 149 आई | 25x49 | " |
| 43- | श्री दिलीप कुमार पिता सेऊमल | 150 आई | 25x49 | " |
| 45- | ,, नरेश कुमार पिता मनोहर | 151 आई | 25x49 | " |
| 45- | ,, घनश्याम पिता गंगाधर | 152 आई | 25x49 | , |
| 46- | ,, रामस्वरूप पिता छीतरमल | 153 आई | 25x49 | " |
| 47- | ,, सुवा लाल पिता बद्रीलाल | 154 आई | 25x49 | " |
| 48- | ,, शंकर लाल पिता डालुराम | 155 आई | 25x49 | " |
| 49- | ,, सत्यनारायन पिता हीरालाल | 156 आई | 25x49 | " |

345



| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 50- | श्री कमल कुमार पिता कन्हैयालाल | 279 आई | 30x64 | 28-11-81 |
| 51- | ,, शम्भूसिंह पिता कजोडीमल | 283 आई | 30x64 | ,, |
| 52- | ,, रूपलाल पिता बद्रीलाल | 285 आई | 30x64 | ,, |
| 53- | श्रीमती कल्पना देवी पत्नि प्रदीपकुमार | 286 आई | 30x64 | ,, |
| 54- | श्री बुद्धि शेख पिता मोहीनुद्दीन | 287 आई | 30x64 | ,, |
| 55- | ,, पुष्पेन्द्र पिता भेरूसिंह | 290 आई | 30x64 | ,, |
| 56- | ,, कन्हैयालाल पिता जीवतराम | 280 आई | 30x64 | ,, |
| 57- | ,, भारतेन्दर वागरानी पिता कुन्दनमल | 291 आई | 30x64 | ,, |
| 58- | ,, सीरमल पिता गोवर्धनदास | 326 आई | 25x49 | ,, |
| 59- | श्रीमती संतोष देवी पत्नि मोहनसिंह | 327 आई | 25x49 | ,, |
| 60- | श्री रामस्वरूप पिता जीवनराम | 329 आई | 25x49 | ,, |
| 61- | ,, रवीन्द्र पिता डालचन्द्र बोरदीया | 330 आई | 25x49 | , |
| 62- | ,, राजकुमार पिता सोवन दास | 331 आई | 25x49 | ,, |
| 63- | श्रीमती सुशीला देवी सोहन लाल | 332 आई | 25x49 | ,, |
| 64- | श्री सूर्यपाल पिता लादुराम | 353 आई | 25x49 | ,, |
| 64- | ,, अरुण पिता चक्रसिंह | 354 आई | 25x49 | ,, |
| 66- | श्रीमती ज्ञाना पत्नि घनश्याम | 355 आई | 25x49 | ,, |
| 67- | ,, मती मधु पुत्री किशन कांटियां | 356 आई | 25x49 | ,, |
| 68- | ,, सुरेश पिता खूबचन्द्र | 357 आई | 25x49 | ,, |
| 69- | , भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह | 350 आई | 25x49 | ,, |
| 70- | ,, ऊकारलाल पिता जीवनराज | 360 आई | 25x49 | ,, |
| 71- | ,, कन्हैयालाल पिता केशरीमल | 362 आई | 25x49 | ,, |
| 72- | ,, कुशलचन्द्र पिता तनसुख जैन | 363 आई | 25x49 | ,, |
| 73- | ;, मती ऊषा रानी पत्नि रामभरोसे | 364 आई | 25x49 | ,, |
| 74- | ,, शंकरलाल पिता फतेहलाल सिंघवी | 365 आई | 25x49 | ,, |
| 75- | ,, ऐलियास पिता एम0 सी0 पाल | 366 आई | 25x49 | ,, |

# Page No 246

(346)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 76- | श्री प्रहलाद राय पिता मदनलाल | 367 आई | 25x49 | 28-11-81 |
| 77- | " राजेशकुमार पिता भूपेन्द्र | 372 आई | 25x49 | " |
| 78- | सुश्री संगीता पुत्री पराक्रमसिंह चौधरी | 374 आई | 25x49 | " |
| 79- | श्री शलेन्द्रकुमार पिता मनमोहन सक्सेना | 375 आई | 25x49 | " |
| 80- | " सतीशकुमार पिता लादूराम | 376 आई | 25x49 | " |
| 81- | " बालकृष्ण पिता नन्दलाल शर्मा | 377 आई | 25x49 | " |
| 82- | " मती विजयलक्ष्मी पत्नि सतीशचन्द्र | 379 आई | 25x49 | " |
| 83- | " जगदीश पिता भगवान दास | 378 आई | 25x49 | " |
| 84- | " प्रेम चौरसिया पत्नि सत्यनारायण | 380 आई | 25x49 | " |
| 85- | " भैरुलाल पिता किशन | 381 आई | 25x49 | " |
| 86- | " दुर्गेशकुमार पिता सोहनलाल | 382 आई | 25x49 | " |
| 87- | " अमरजीत सिंह पिता लक्ष्मण | 383 आई | 25x49 | " |
| 88- | " सतीशचन्द्र पिता नन्दराम जैन | 384 आई | 25x49 | " |
| 89- | " राधेश्याम पिता रामनिवास | 385 आई | 25x49 | " |
| 90- | " बलदेवसिंह पिता सुन्दरलाल | 386 आई | 25x49 | " |
| 91- | " रामेश्वरलाल पिता गोवर्धनलाल | 387 आई | 30x64 | " |
| 92- | " शान्तिलाल पिता चांदमल | 93 आई | 25x49 | " |
| 93- | " विनोद कुमार पिता पुरुषोत्तम | 289 आई | 30x64 | " |
| 94- | " मती आशा देवी पत्नि चेतनदास | 358 आई | 25x49 | " |
| 95- | " भेरुलाल पिता नारायण लाल | 288 आई | 30x64 | " |
| 96- | " मती जमना देवी पत्नि कंवरलाल | 329 आई | 25x49 | " |
| 97- | " महेन्द्र कुमार पिता नाथूलाल | 79 आई | 25x49 | " |
| 98- | " मती सीतादेवी पत्नि चेतनदास | 156 आई | 30x64 | " |
| 99- | ,, सज्जनसिंह पिता नन्दकिशोर | 278 आई | 30x64 | " |
| 100- | ,, मती निशाभानू पत्नि बदरुद्दीन | 354 आई | 25x49 | " |
| 101- | ,, मती पुष्पा पत्नि नन्दलाल | 65 आई | 25x49 | " |

# Page No 247

(34)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 102- | श्री नारायण पिता मेहरी शंकर | 361 आई | 25x49 | 28-11-81 |
| 103- | " गुरुदीपसिंह पिता गुरुदास सिंह | 368 आई | 25x49 | " |
| 104- | " नारायण प्रसाद पिता मांगीलाल | 369 आई | 25x49 | " |
| 105- | " योगेशकुमार पिता धन्नालाल मनीहाल | 282 आई | 30x64 | " |
| 106- | " जगदीशचन्द्र मांगीलाल | 62 आई | 25x49 | " |
| 107- | " फ्रेंकलिन मसीह पिता फीटर मसीह | 373 आई | 25x49 | " |
| 108- | " किशनलाल पिता मुन्नालाल | 76 आई | 25x49 | " |
| 109- | ,, पवनकुमार पिता नोरतमलाल | 387 आई | 25x49 | ,, |
| 110- | ,, नवरतन कुमार पिता घीसालाल जैन | 86 आई | 25x49 | ,, |
| 111- | ,, भेरुलाल पिता देवीलाल | 284 आई | 30x64 | ,, |
| 112- | ,, विजयकुमार पिता अमरसिंह | | 25x49 | ,, |

(340)



**वर्ष 1081–82 में आवंटित भूखण्डों का विवरण**

डा० राधाकृष्णन यो०

| क्र०स० | पार्टी का नाम एवं पिता का नाम | भूखण्ड संख्या | साइज | आवंटन दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1- | श्रीमती गीतादेवी पत्नि बृजमोहन पारीक | 97 बी | 20 व 49 | 23-1-82 |
| 2- | श्री हजारीलाल पिता मोडा भाम्वी | 98 ,, | ,, | ,, |
| 3- | ,, पारसमल पिता छगनलाल अग्रवाल | 99 ,, | ,, | ,, |
| 4- | ,, दुर्जनलाल सिंह पिता नवलसिंह | 100 ,, | ,, | ,, |
| 5- | ,, भीमराज पिता धनराज चेचानी | 101 ,, | ,, | ,, |
| 6- | ,, अली मोहम्मद पिता सहाबुदीन | 102 ,, | ,, | ,, |
| 7- | ,, गोपालसिंह पिता सोवदानसिंह | 105 ,, | ,, | ,, |
| 8- | ,, चन्द्रप्रकाश पिता दासमल सिंधी | 106 ,, | ,, | ,, |
| 9- | ,, शंकरलाल पिता लादूलाल खटीक | 107 ,, | ,, | ,, |
| 10- | ,, पीताम्बर दास राजानी | 108 ,, | ,, | ,, |
| 11- | ,, जगदीशचन्द्र पिता फतहलाल बंसल | 109 ,, | ,, | ,, |
| 12- | ,, विजयसिंह पिता लक्ष्मणसिंह लाला | 115 ,, | ,, | ,, |
| 13- | श्रीमती मोहनदेवी पत्नि नेक,प्रशनसिंह चौधरी | 116 ,, | ,, | ,, |
| 14- | श्री तुलछराम पिता किशनचन्द्र | 117 ,, | ,, | ,, |
| 15- | ,, मदनलाल पिता कुलचन्द्र तडवा | 118 ,, | ,, | ,, |
| 16- | ,, अमरसिंह पिता रामसिंह डूगरवाल | 121 ,, | ,, | ,, |
| 17- | ,, सुभाषचन्द्र पिता दुर्गा शंकर | 122 ,, | ,, | ,, |
| 18- | ,, सोहनलाल पुत्र नाथूलाल पामेचा | 123 ,, | ,, | ,, |
| 19- | ,, मधुबाला शर्मा पुत्री मिश्रीलाल शर्मा | 124 ,, | ,, | ,, |
| 20- | ,, गोपाललाल पिता उदयलाल कोली | 125 ,, | ,, | ,, |
| 21- | ,, हरी किशन पिता ठारूमल सिन्धी | 126 ,, | ,, | ,, |
| 22- | ,, गोवर्धनदास पिता चन्दोमल सिन्धी | 435 ,, | ,, | ,, |
| 23 | ,, कन्हैयालाल पिता गहरीलाल | 36 ,, | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | श्री देवकरण पिता लादुलाल खटीक | 37 बी | 20×49 | 23-1-82 |
| 25- | ,, मुकटबिहारी पिता मोतीलाल ओझा | 38 ,, | ,, | ,, |
| 26- | श्रीमती गायत्रीदेवी पत्नि रघुनन्दन प्रकाश | 39 ,, | ,, | ,, |
| 27- | श्री कांता अग्रवाल पत्नि जगदीश चन्द | 40 ,, | ,, | ,, |
| 28- | श्रीमती पुष्पा जैन पत्नि मानमल जैन | 41 ,, | ,, | ,, |
| 29- | श्री बन्शीलाल पिता शंकरलाल टेलर | 42 ,, | ,, | ,, |
| 30- | ,, बालचन्द पिता रतन लाल | 43 ,, | ,, | ,, |
| 31- | ,, सुभाषचन्द्र पिता नाथूलाल पारासर | 19 ,, | ,, | ,, |
| 32- | ,, भैरूलाल पिता नन्ददास वैष्णव | 20 ,, | ,, | ,, |
| 33- | ,, बृजमोहन पिता मदनलाल पटोदिया | 21 " | " | " |
| 34- | " भंवरलाल पिता गोकुल चन्द्र सोडाणी | 22 " | " | " |
| 35- | " रामचन्द्र पिता रूपलाल शर्मा | 24 " | " | " |
| 36- | " घनश्याम पिता जमनालाल माली | 25 " | " | " |
| 37- | " रामेश्वर लाल पिता रामकृष्ण चेचानी | 26 " | " | " |
| 38- | " देवेन्द्र कुमार पिता सावरमल | 27 " | " | " |
| 39- | " दिनेशकुमार पिता अभयकुमार वैली | 28 " | " | " |
| 40- | " सुखदेव पिता गंगाराम जैलियां | 29 " | " | " |
| 41- | श्रीमती पुष्पा पत्नि कमलाशंकर | 30 ,, | ,, | ,, |
| 42- | ,, निर्मला देवी पत्नि जवाहर | 31 ,, | ,, | ,, |
| 43- | श्री सत्यनारायण पिता भंवरलाल काबरा | 31 ,, | ,, | ,, |
| 44- | ,, श्रवण कुमार पिता सेवन दास | 40 ,, | ,, | ,, |

# Page No 250

(380)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 45- | ,, आनन्दीलाल पिता चोथराम | 47 ,, | ,, | ,, |
| 46- | ,, कमलेश पत्नि मदनलाल बाहेती | 48 ,, | ,, | ,, |
| 47- | ,, ओम प्रकाश पिता भंवरलाल कावरा | 49 ,, | ,, | ,, |
| 48- | ,, कैलाशचन्द्र पिता रामस्वरुप कोठारी | 50 ,, | ,, | ,, |
| 49- | श्रीमती पुष्पा व्यास पत्नि सरद चन्द्र | 51 ,, | ,, | ,, |
| 50- | ,, प्रेमलता पत्नि अभिमन्यु पारीक | 52 ,, | ,, | ,, |
| 51- | श्री खूबचन्द्र पिता मूलचन्द्र | 13 बी | 20×49 | 23-1-82 |
| 52- | ,, राधेश्याम पिता किशनलाल मोची | 15 ,, | ,, | ,, |
| 53- | ,, गिरिराज प्रसाद पिता ऊंकारलाल जोशी | 16 ,, | ,, | , |
| 54- | ,, अशोककुमार पिता बन्शीलाल धोबी | 17 ,, | ,, | ,, |
| 55- | ,, गोविन्दराम पिता हरिबल्लभ आचार्य | 18 डी | ,, | ,, |
| 56- | श्रीमती सरोजन अग्रवाल पत्नि प्रदीप अग्रवाल | 89 बी | ,, | ,, |
| 57- | श्री कन्हैयालाल पिता नजीरमल | 90 ,, | ,, | ,, |
| 58- | ,, अविनाशकुमार पिता बलदेवसिंह (सैनिक) | 91 ,, | ,, | ,, |
| 59- | ,, रामप्रसाद पिता रामसुख पाटोदिया | 92 ,, | ,, | ,, |
| 60- | ,, बन्शीलाल पिता धतुरा सांसी | 93 ,, | ,, | . |
| 61- | ,, सिराजुदीन पिता उस्तान मोहम्मद बदध | 94 डी | ,, | ,, |
| 62- | श्रीमती लीला न्याति पत्नि पुष्पेन्द्र न्याति | 91 " | ,, | ,, |
| 63- | " मुन्नी देवी पत्नि किशनलाल | 92 " | " | " |
| 64- | बन्शीलाल पिता बदरीलाल शर्मा | 93 " | " | " |

(351)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 65- | श्री राजेन्द्रकुमार पिता मोतीलाल कोली | 94 " | " | " |
| 66- | " राजकुमार पिता श्यामलाल नागौरी | 95 " | " | " |
| 67- | " राजेन्द्रसिंह पिता नाथूसिंह | 305 बी | 30×64 | " |
| 68- | " कैलाशचन्द्र पिता नन्दलाल पाटोदिया | 306 बी | " | " |
| 69- | " चन्द्रशेखर पिता गोवर्धनलाल | 307 बी | " | " |
| 70- | " मनमोहन पिता जगदीशप्रसाद | 308 " | " | " |
| 71- | " ढालुचन्द्र पिता मोहनलाल कालिया | 309 बी | " | " |
| 72- | " रूपनारायण पिता भूरालाल जोशी | 310 बी | " | " |
| 73- | " डालचन्द्र पिता कन्हैयालाल | 311 बी | " | " |
| 74- | " महेशचन्द्र पिता बनवारीलाल शर्मा | 312 बी | " | " |
| 75- | " अम्बाराम पिता मगनीराम खेड़ | 313 बी | " | " |
| 76- | " पूर्णतन पिता केशवराम | 314 बी | " | " |
| 77- | " अरविन्दकुमार पिता रघुवीरसिंह | 315 बी | " | " |
| 78- | श्री राधेश्याम पिता नन्दराम देवड़ा | 316 बी | 30 व 64 | 23/1/82 |
| 79- | श्रीमती यशोदा देवी पत्नि लालचन्द्र दरगड़ | 317 बी | " | " |
| 80- | श्री संतोषसिंह पिता तेजसिंह नैनावटी | 318 बी | " | " |
| 81- | ,, कन्हैयालाल पिता जीवतराम तोतला | 319 बी | " | " |
| 82- | ,, शांतिलाल पिता शोभालाल गोरू | 320 बी | " | " |
| 83- | ,, माधोसिंह पिता सुवलशेर | 321 बी | " | " |
| 84- | ,, भैरूलाल पिता दोला खटीक | 322 बी | " | " |
| 85- | ,, सरदार खां पिता भूरे खां | 323 बी | ,, | " |

# Page No 252

(252)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 86- ,, | शोभागसिंह पिता कांगीलाला | 324 बी | ,, | , |
| 87- ,, | भैरूलाल पिता हीरालाल खटीक | 325 बी | ,, | ,, |
| 88 ,, | रघुवीर सिंह पिता गोविन्द सिंह | 198 बी | ,, | ,, |
| 89- ,, | बदरुद्दीन पिता कमरुद्दीन शेख | 199 बी | ,, | ,, |
| 90- ,, | बसन्त कुमार पिता हरनाथ नाथावत | 200 बी | ,, | ,, |
| 91- ,, | नाथुलाल पिता गिरधारीलाल खटीक | 201 बी | ,, | ,, |
| 92- ,, | सोहनलाल पिता सीताराम कसारा | 202 बी | ,, | ,, |
| 93 ,, | पूर्णमल पिता कन्हैयालाल | 203 बी | ,, | ,, |
| 94- ,, | रामावतार पिता श्री निवास | 204 बी | ,, | ,, |
| 95- ,, | शान्ता पुत्री सज्जनलाल | 205 बी | ,, | ,, |
| 96 ,, | विष्णु पिता मदनलाल पुरोहित | 206 बी | ,, | ,, |
| 97- ,, | महादेव पिता लक्ष्मीनारायण | 207 बी | ,, | ,, |
| 98- ,, | प्रताप सिंह पिता मदन मोहन सिंह | 208 बी | ,, | ,, |
| 99- ,, | हरीबालानी पिता परसराम | 209 बी | ,, | ,, |
| 100- ,, | कल्याण नारायण पिता आनन्दीनारायण | 210 बी | ,, | , |
| 101- ,, | ओम प्रकाश पिता कनकमल अग्रवाल | 211 बी | ,, | ,, |
| 102- ,, | बसन्ती लाल पिता कन्हैयालाल | 112 बी | ,, | ,, |
| 103- ,, | नरेन्द्र कुमार पिता मोतीसिंह | 213 बी | ,, | ,, |
| 104- ,, | पुरुषोतम लाल पिता बालूराम मेघवंश | 214 बी | ,, | ,, |
| 105- ,, | पराक्रम पिता डुगरा सिंह कोठारी | 215 बी | ,, | ,, |
| 106- ,, | अमरचन्द्र पिता नाथूलाल राठोड़ | 216 बी | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 107- ,, | राम प्रसाद पिता बरदी चन्द्र टेलर | 129 बी | " | " |
| 108- ,, | कृष्ण स्वरुप पिता बादुरमल | 130 बी | " | " |
| 109- ,, | सम्पतलाल पिता सुवालाल | 131 बी | " | " |
| 110- श्री | भंवर खां पिता नूर मोहम्मद | 132 बी | 30 व 64 | 23/1/82 |
| 111- ,, | भंवर लाल पिता रतनलाल अजमेरा | 133 बी | " | " |
| 112- ,, | मानसिंह पिता हुक्म सिंह | 134 बी | " | " |
| 113- ,, | भगतराम पिता चतरुराम कसेरा | 135 बी | " | " |
| 114- ,, | मनोहर लाल पिता छोगालाल | 136 बी | " | " |
| 115- ,, | जगदीश चन्द्र पिता. रामचन्द्र टेलर | 137 बी | " | " |
| 116- ,, | भगवती लाल पिता चतर सिंह मारु | 138 बी | " | " |
| 117- ,, | महेन्द्र सिंह पिता कालूसिंह गोखरु | 139 बी | " | " |
| 118- ,, | राजेन्द्र पिता पंचदेव पांडिया | 140 बी | " | " |
| 119- " | जगदीश चन्द्र पिता माधव लाल | 141 बी | " | " |
| 120- " | प्रहलादराय पिता छगन लाल | 142 बी | " | " |
| 121- " | उदयराम पिता रामचन्द्र जाट | 5 बी | " | " |
| 122- " | कानसिंह पिता छज्जनसिंह | 6 बी | " | " |
| 123- " | नाथूलाल पिता नन्दलाल देवड़ा | 182 बी | " | " |
| 124- " | विमल कुमार पिता महादेव जोशी | 183 बी | " | " |
| 125- ,, | जगदीश पिता हरी बल्लभ भट्ट | 184 बी | ,, | ,, |
| 126- ,, | कोम सिंह पिता रणजीत सिंह चो. | 185 बी | ,, | ,, |
| 117- श्री | मना लाला पिता मोतीलाल बाहेली | 186 बी | ,, | ,, |
| 128 श्री | भगवान पिता बच्चनदास मित्तला | 187 बी | ,, | ,, |

# Page No 254

(358)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 129- | श्री रतनलाल पिता रामबक्ष राठी | 188 बी | ,, | ,, |
| 130- | श्री अनिल कुमार पिता जी. एस. चपलोत | 189 बी | ,, | ,, |
| 131- | श्री राजेन्द्र कुमार पिता गुजरमल जैन | 190 बी | ,, | ,, |
| 132- | श्री विनोद कुमार पिता पुरुषोतम | 191 बी | ,, | ,, |
| 133- | श्री ओमप्रकाश पिता काशी नाथ भट्ट | 192 बी | ,, | ,, |
| 134- | श्री अशोक कुमार पिता जगदीश नारायण | 193 बी | ,, | ,, |
| 135- | श्री जगदीश पिता दज्जन प्रसाद | 194 बी | ,, | ,, |
| 136- | श्री कृष्ण कुमार पिता छोगालाल अग्रवाल | 57 बी | ,, | ,, |
| 137- | श्री मिट्ठा लाल पिता नाथुलाल मान्डोता | 58 बी | ,, | ,, |
| 138- | श्रीनन्दलाल पिता भगवान लाल भंवर | 59 बी | ,, | ,, |
| 139- | श्री लादुलाल पिता नाथुलाल जागेटिया | 60 बी | ,, | ,, |
| 140- | श्री कन्हैयालाल पिता मांगीलाल व्यास | 61 बी | ,, | ,, |
| 141- | श्री तीरथदास पिता शोभराज सिन्धी | 110 बी | 20 व 49 | ,, |

नीलामी वर्ष 1981-82 में विक्रय प्लाटों का विवरण

| क्र०सं० | पार्टी का नाम | योजना का नाम | भू-खण्ड सख्या | साइज | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री एस० आर० जैन | बापूनगर | 1 ए | 45×85 | 28-8-81 |
| 2. | श्री सज्जन देवी | " | 12 ए | " | 22-12-81 |
| 3. | श्री कन्हैयालाल | " | 2 ए | 40×85 | " |
| 4. | श्री डी० के० जैन | " | 3 ए | " | " |
| 5. | श्री एस० एस० खेमेसरा | " | 4 ए | " | " |
| 6. | श्री अमरसिंह | " | 5 ए | " | 21-2-82 |
| 7. | श्री शंकरलाल मांगीलाल | नागौरी गार्डन | 64 | 15×30 | 27-5-81 |
| 8. | श्री गोविन्दलाल | " | 77 | " | 17-12-81 |
| 9. | श्री महेन्द्रकुमार पापड़ीवाल | श्या.नं. प्रसार योजना | 112 बी | 39×69 | 24-8-81 |
| 10. | श्री लीलादेवी | " | 3 सी | 39×89 | " |
| 11. | श्री लीलादेवी | " | 2 सी | " | " |
| 12. | श्री लीलादेवी | " | 4 सी | " | " |
| 13. | श्री जय कुमार | शास्त्री नगर प्रसार योजना | 5 सी | 39×69 | " |
| 14. | श्री रतनसिंह सादुसिंह | " | 67 सी | 30×64 | 25-8-81 |
| 15. | श्री स्वरूप गोयल | " | 65 सी | " | " |
| 16. | श्री लीलादेवी | " | 144 बी | 39×69 | " |
| 17. | श्री मोतीलाल | " | 64 सी | 30×64 | " |
| 18. | श्री ओम प्रकाश | " | 113 सी | 39×69 | " |
| 19. | श्री अम्बा लाल | " | 106 बी | 30×64 | 14-12-81 |
| 20. | श्री चन्दा देवी | " | 198 बी | " | " |
| 21. | श्री सुवालाल | " | 161 बी | " | " |
| 22. | श्री रामगोपाल मुंदड़ा | " | 380 बी | 39×89 | " |
| 23. | श्री के० के० गुप्ता | " | 379 बी | 39×89 | " |
| 24. | श्री एम० एस० लोढ़ा | " | 87 बी | " | " |
| 25. | श्री सज्जन सिंह | " | 173 बी | 39×69 | 15-12-81 |
| 26. | श्री प्रेमसिंह | " | 174 बी | " | " |
| 27. | श्री भगवानलाल | " | 11 सी | 39×89 | " |
| 28. | श्री बी० एल० दुग्गड़ | " | 10 सी | " | " |
| 29. | श्री कैलाशचन्द पाटनी | " | 162 बी | 30×64 | " |

(358)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | श्री देवेन्द्र कुमार गोयल | शास्त्री नगर प्रसार | 66 सी | 30×56 | 18-2-82 |
| 31. | श्री ए० जाल अली | योजना | 6 सी | 39×89 | " |
| 32. | श्री महावीर सोनी | " | 364 बी | 39×69 | " |
| 33. | श्री मन्जुदेवी | " | 363 बी | " | " |
| 34. | श्री मोतीसिंह | " | 362 बी | " | 10-2-82 |
| 35. | श्री ओम प्रकाश | " | 361 बी | " | " |
| 36. | श्री कमला देवी | " | 7 सी | 39×89 | " |
| 37. | श्री विजय कुमार | " | 382 बी | " | " |
| 38. | श्री एल० एस० रानावत | " | 7 सी | " | " |
| 39. | भंवरमल सेठी | " | 59 सी | 30×64 | " |
| 40. | महावीर कुमार | " | 365 बी | 39×69 | " |

वर्ष 19 1–82 में निम्न व्यक्तियों के भू-खण्डों विनिमय किये गये हैं—

1. श्री कृष्ण मुरारी ओझा–शास्त्री नगर योजना प्लाट नं. 195 के एवज् 180 नं० का प्लाट उसी योजना एवं उसी साइज का दिया गया।
2. श्री नेमीचन्द पिता पन्नालाल गुगलियां–डा० राधाकृष्णनन नगर योजना में प्लाट नं० 26 सी के एवज में 263 सी उसी योजना में एवं उसी साइज का दिया गया।

## परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

| क्र. सं. उद्योग का नाम | एन. ओ. सी जारी करने का दिनांक |
|---|---|
| 1– श्री अजय पिता नाथुलाल जैन बाबल साइनिंग एवं प्रोसेसिंग को फैक्ट्री हेतु। | 19-11-81 |
| 2– ,, शकुर मोहम्मद इकोमो दीन पिता दीन मोहम्मद पिनारा स्थाई सिनेमा हेतु। | 26-11-81 |
| 3– ,, लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी भीलवाड़ा ग्राम पुर आ. नं. 7207 में | 9-11-81 |
| 4– ,, डांगी इण्टर प्राइजेज भीलवाड़ा | 15-2-81 |
| 5– ,, नन्दन आरा इन्डस्ट्रीज | 4-1-81 |
| 6– ,, रवि इन्टर प्राइजेज | 23-12-81 |
| 7– ,, मधु सूदन पिता जानकी लाल | 15-2-82 |
| 8– ,, युगल किशोर शर्मा | 9-12-81 |
| 9– ,, वामदेव माइका माइन्स ओनर, सिनेमा हेतु | 7-12-81 |
| 10– ,, जय लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज भीलवाड़ा | 21-1-81 |
| 11– ,, बी. एल. टेवरिंग भीलवाड़ा | 16-12-81 |
| 12– ,, शिवदत्त पिता छीतरमल चिपगो | 30-12-81 |
| 13– ,, लक्ष्मीलाल पिता मूलचन्द दुवा | 16-1-82 |
| 14– श्रीमती यशोदा पत्नी ऊंकार लाल ब्राह्मण | 4-2-82 |

—ः—

नगर परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा सन् 1981–82 में निम्नांकित व्यक्तियों को अपने-अपने उद्योग लगाने हेतु निरापत्ति प्रमाण-पत्र दिये गये :—

| क्र०सं० | प्रोपराइटर/फर्म का नाम | किस उद्योग हेतु | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | श्रीमती सर्दल, जन्नत आईस केन्डी फैक्ट्री | आईस केन्डी फैक्ट्री हेतु। | सांगानेर (भीलवाड़ा) |
| 2- | सुनिल कुमार परसराम युरिया रित्री होजरी | ऋषि होजरी मिल्स | आमर्श मोह० भीलवाड़ा |
| 3- | " गफुर मोहम्मद, गाजी गारनेट वर्क्स | गारनेट उद्योग | भोनियों का टीरवला |
| 4- | श्री अनिल तलेसरा, रेफ्रीजेशन एण्ड कुलिंग वर्क्स | मेनिफेक्चरिंग डेजर्ट कुलर एण्ड रेफ्रिजेशन सर्विसेज | काशीपुरी भीलवाड़ा |
| 5- | " गोविन्द भंवर डायमण्ड कटिंग पोलिशिंग | डायमण्ड कटिंग पोलिशिंग | काशीपुरी भीलवाड़ |
| 6- | " ताहीरली, बुरहानी गारनेट इण्डस्ट्रीज | गारनेट इण्डस्ट्रीज | वार्ड नं. 5 भीलवाड़ा |
| 7- | " अब्दुल हक अन्सारी, अन्सारी मिनरल इण्डस्ट्रीज | गारनेट इण्डस्ट्रीज | वार्ड नं. 5 भीलवाड़ा |
| 8- | श्रीमती सायरा बेगम, गाजी गारनेट | गारनेट | भोमियों का रावलला भीलवाड़ा |
| 9- | श्री प्रहलादलाल, प्रभात प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज | प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज | सांगानेर कालोनी भीलवाड़ा |
| 10- | " भैरूलाल खटीक, शंकर मोमबत्ती गृह उद्योग | मोमबत्ती उद्योग | वार्ड नं. 5 भीलवाड़ा लेबर कालोनी भील- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11- | " नारायण प्रसाद, नेशनल होजरी भीलवाड़ा | होजरी उद्योग | वाड़ा |
| 12- | " रामप्रसाद खटीक | गलीचा उद्योग | वार्ड नं. 3 |
| 13- | श्री सुभाषचन्द्र शुक्ला, | गलीचा उद्योग | सांगानेर भीलवाड़ा |
| 14- | " अखेराम तोगनीवाल | होजरी कार्ड टोक्स | तोजनीवालों का नोहरा भीलवाड़ा |
| 15- | " मेवालालजी, राज. हेण्डलूम | हेण्डलूम उद्योग | वार्ड नं. 2 भीलवाड़ा |
| 16- | " छोटेलाल नाई, कृष्ण गारनेट इण्डस्ट्रीज | गारनेट उद्योग | जूनावास भीलवाड़ा |
| 17- | " प्रीतमदास भटनागर | इन्जीनियरिंग उद्योग | बाजार नं. 3 भोपाल गंज भीलवाड़ा |
| 18- | " सुलेमान सौरगर | गारनेट उद्योग | वार्ड नं. 5 भीलवाड़ा |
| 19- | " मुख्तार अहमद | मुख्तार गारनेट इण्डस्ट्रीज | मंगला चौक भीलवाड़ा |
| 20- | " इमामुद्दीन सोलंकी | गारनेट उद्योग | बोहरों की मस्जिद के पास भीलवाड़ा |
| 21- | " सुवालाल ओड, | दुल्हा गारनेट इण्डस्ट्रीज | वार्ड नं. 17 ओड़ा का खेड़ा |
| 22- | " हरिशंकर व्यास | अनुपम प्रिन्टर्स प्रेस | भोपालगंज भीलवाड़ा |
| 23- | " मुबारी पिता श्री गनीखां | गारनेट उद्योग | तेजाजी का चौक भीलवाड़ा |
| 24- | " मोहम्मद उमर | उमर फर्नीचर आर्ट | पुरानी धानमण्डी |

360



| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25- | ,, लक्ष्मीनारायण डाड | शक्ति सिलीकेट | पुरणदास की बगीची |
| 26- | ,, अर्जुनलाल बलाई | हेण्डलूम फैक्ट्री | मलाण भीलवाड़ा |
| 27- | ,, मोहम्द एण्ड संस | गैस वैल्डिग वर्क्स | पुराना बस स्टेशन |
| 28- | ,, हबीब मीर खाँ | इकबाल गारनेट इण्डस्ट्रीज | रेल्वे स्टेशन के सामने भीलवाड़ा |
| 29- | श्री नारायण प्रसाद वर्मा | नेशनल होजरी उद्योग | सिन्धु नगर भीलवाड़ा |
| 30- | ,, ताराचन्द | वाघवाणी ग्रेड इण्डस्ट्रीज | पेच एरिया |
| 31- | ,, प्रेमकुमार | सिलाई मशील की ऐसम्बलिग | आजाद चौक के पास |
| 32- | ,, ऊंवरलाल जैन | श्री नाथ आईस फैक्ट्री | फैक्ट्री एरिया भीलवाड़ा |
| 33- | ,, राजेश | राज मेटल्स उद्योग | सांगानेरी गेट के पास |
| 34- | ,, गुइनुदीन लुहार | भीलवाड़ा इन्जीनियरिंग वर्क्स | जल मन्दिर के पास भीलवाड़ा |
| 35- | श्रीमती सुशील डाड, आनन्द केमिकल | केमीकल इण्डस्ट्रीज | पूरणदास जी की बगीची भीलवाड़ा |
| 36- | श्री सरदार तरुनजीतसिंह, तरुण इण्डस्ट्रीज | इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उद्योग | गुजरों का मोह० |
| 37- | श्रीमती हमीदा बानों अंसारी अलबनी मिनरल इण्डस्ट्रीज | गारनेट उद्योग | पुरानी धानमण्डी |
| 38- | श्री मंघाराम सिन्धी, नारायण प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज | प्लास्ट्रिक बूट, चप्पल का उद्योग | सिन्धुनगर भीलवाड़ा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 39- | ,, मोहम्द हनीफ छीपा | गारनेट लघु उद्योग | भोमियों का रावला भीलवाड़ा |
| 40- | ,, बालूराम जोशी | आइस कैण्डी | भीमगंज चौकी भीलवाड़ा |
| 41- | श्री बंशीलाल तिवाडी | गारनेट उद्योग | सुभाष नगर भीलवाड़ा |
| 41- | ,, बशीलाल तिवाडी | गारनेट उद्योग | सुभाष नगर भीलवाड़ा |
| 42- | श्री बख्तावर मल खटीक सरस्वती हैन्डलूम इन्डस्ट्रीज | हैन्डलूम इन्डस्ट्रीज | तेली मोहल्ला वार्ड नं. 3 भी. |
| 43- | ,, अहमद नूर खां | गारनेट उद्योग | तेजाजी का चौक भीलवाड़ा |
| 44- | श्री सुमन कुमार महात्मा इण्डस्ट्रीज इन्जीनियरिंग प्रोडक्ट्स | इन्जीनियरिंग कार्य | सांगानेर कालोनी, भीलवाड़ा |
| 45- | ,, सत्यनारायण जेथलिया जेथलिया इण्डस्ट्रीज प्राइजेज | मेटल कास्टिंग | आर्य समाज मंदिर रोड, भी. |
| 46- | श्रीमती सीतादेवी बाहेती श्री श्री निटिंग फैब्रिक्स ,, | निटिंग मशीन | सांगानेर रोड, भीलवाड़ा |
| 47- | ,, रामगोपाल अग्रवाल | फोटो स्टेट मशीन | भदादा बाग में, भी. |
| 48- | श्रीमती रमा देवी भटनागर 'सीमा डोरी कुटीर उद्योग' | डोरी उद्योग | सी–193 सुभाष नगर, भी. |
| 49- | श्री शरफूदीन | प्लास्टिक लघु उद्योग | 129-सांगानेर कालोनी, भी. |
| 50- | ,, अनिलकुमार जोशी | फोटोस्टेट मशान | पेच एरिया, भील. |
| 51- | श्री सतीशचन्द्र डा0 'मयूर प्लास्ट' | प्लास्टिक लघु उद्योग | 127-सांगानेर कालोनी, भी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 52- | ,, राजेन्द्रकुमार तोषनीवाल | प्लास्टिक टेप | सोलंकी निवास के अन्दर सांगानेर कालोनी |
| 53- | ,, मोहम्मद हुसैन ठेकेदार | शेख गार. बान्स | सांगानेर भील. |
| 54- | ,, दिलीप कुमार मेहता 'मेहता टेक्सटाइल्स' | हैण्डलूम उद्योग | सांगानेर भीलवाड़ा |
| 55- | ,, मांगीलाल बेरागी | साबुन उद्योग | दादा बाड़ी भीलवाड़ा |
| 56- | ,, मोहम्मद शरीफ | तेल घाणी | सांगानेर भीलवाड़ा |
| 57- | श्रीमती कंचन देवी 'निर्मला जिरेक्स' | जिरेक्स मशीन | पेच एरिया भील. |
| 58- | श्री अब्दुल शकूर 'मेरे गरीब नवाज फेक्ट्री | रेडीमेड वस्त्र उद्योग | हॉस्पीटल उद्योग, भील. |
| 59- | श्री ओमप्रकाश डाड | मिनर्वा वाइण्डर्स | आजाद चौक रोड, भील. |
| 60- | ,, मोइनुद्दीन | जाली फाटक उद्योग | गुलमण्डी, भीलवाड़ा |
| 61- | ,, अब्दुल गनी | गारनेट वर्क्स | सांगानेर भीलवाड़ा |
| 62- | ,, बाबू खां | गारनेट इण्डस्ट्रीज | वार्ड नं. 5 भील. |
| 63- | ,, मोहम्मद हफीज | गारनेट उद्योग | मोमिन मोहल्ला भील. |
| 64- | श्री पुष्पा रानी अजमेरा | राजीव कारपेट्स | गांधी नगर भील. |
| 65- | " अब्दुल शकूर | नेशनल गारनेट्स | सांगानेर गेट भीलवाड़ा |
| 66 | " मती गीता देवी | गारनेट घिसाई | कलकी पाड़ा सांगानेर |

(363)



| 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| 67- | श्रीमती मेहरुन अंसारी पत्नि अब्दुल शकुर | गारनेट घिसाई | मोमिन मोहल्ला भीलवाड़ा |
| 68- | " मोहम्मद अली | गारनेट घिसाई | बोहरों की मस्जिद के पास |
| 69- | " शैलेन्द्र कुमार | स्टेशनरी उद्योग | 256, बी–शास्त्री नगर भी. |
| 70- | " मैसर्स माहेश्वरी प्रिन्टर्स | प्रिन्टिंग प्रेस | आ0 नं0 1969 |
| 71- | ,, मेवाड़ इन्सूलेशन | इन्सूलेशन बोक्स बनाने हेतु | आ0 नं0 7616 |
| 72- | ,, मोतीलाल पिता बिहारी लाल पाठक | सिनेमा लगाने हेतु | आ0 नं0 1989 |

304



वर्ष 1981–82 के विचाराधीन मामले

| क्र.सं. | प्रार्थी का नाम | दिनांक प्रा0 पत्र | कारण |
|---|---|---|---|
| 1–नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा। | | | |
| | श्री मांगीलाल पिता श्री हजारीलाल | 28–2–82 | एन० टी० पी० की राय के अभाव में विचाराधीन है। |
| 2–नगर परिषद्, भीलवाड़ा। | | | |
| | (1) श्री राधेश्याम कोठारी | 17–2–82 | जांच में। |
| | (2) श्री आसावरमल डीडवानिया | 20–1–82 | जांच में। |

–०–

## परिशिष्ट 10

### अतारांकित प्रश्न संख्या 147 की सूची

| क्र. सं. | स्थान | योजना | स्वीकृत छात्र संख्या | वर्ष 1980-81 | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मनोहरपुर (जयपुर) | अनुसूचित जाति (बालक) | 25 | 1 | |
| 2. | राड़ावास (जयपुर) | ,, | 25 | 1 | |
| 3. | मकराना (नागौर) | ,, | 25 | 1 | |
| 4. | रेवदर (सिरोही) | ,, | 25 | 1 | |
| 5. | वैर (भरतपुर) | ,, | 25 | 1 | |
| 6. | रुपवास (भरतपुर) | ,, | 25 | 1 | |
| 7. | गंगरार (चित्तौड़गढ़) | ,, | 25 | 1 | |
| 8. | समेजा कोठी (श्रीगंगानगर) | ,, | 25 | 1 | |
| 9. | समदडी (बाड़मेर) | ,, | 25 | 1 | |
| 10. | रावतसर (श्रीगंगानगर) | ,, | 25 | 1 | |
| 11. | सिकराय (जयपुर) | अनु० जन जाति (कन्या) | 25 | 1 | 81-82 में सिकराय से सवाई माधोपुर स्थानान्तरण किया गया। |
| 12. | साबला (डूंगरपुर) | ,, | 25 | 1 | |
| 13. | कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) | ,, | 25 | 1 | |
| 14. | कोटडा (उदयपुर) | ,, | 25 | 1 | |
| 15. | सालमगढ़ (चित्तौड़गढ़) | ,, | 25 | 1 | |
| 16. | श्री विजयनगर (श्रीगंगा-नगर) | अनु० जाति (कन्या) | 25 | वर्ष 1981-82 1 | |

(३६६)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. नागौर | | अनुसूचित जाति (कन्या) | 25 | 1 | |
| 18. कोलायत (बीकानेर) | | अनु० जाति (बालक) | 25 | 1 | |
| 19. माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) | | ,, | 25 | 1 | |
| 20. पावण्ड (उदयपुर) | | अनु० जनजाति (कन्या) | 25 | 1 | |
| 21. नादोती (सवाईमाधोपुर) | | अनु० जन जाति (बालक) | 25 | 1 | |

# Page No 267



367

## परिशिष्ट 11

**अतारांकित प्रश्न संख्या की 149 सूची**

| क्र. सं० | नाम पंचायत समिति | कुल पंचायत भवन जो बन चुके उनकी संख्या | पंचायत भवनों की संख्या जिनका निर्माण कार्य चालू हैं। |
|---|---|---|---|
| | **जिला बाड़मेर** | | |
| 1. | बाड़मेर | 31 | — |
| 2. | बलायतू | 21 | 2 |
| 3. | शिव | 20 | 2 |
| 4. | सिणधरी | 31 | — |
| 5. | धोरीमना | 18 | 4 |
| 6. | बालोतरा | 29 | 2 |
| 7. | चौहटन | 27 | 5 |
| 8. | सिवाना | 21 | 7 |
| | योग :- | 198 | 22 |
| | **जिला जैसलमेर** | | |
| 1. | जैसलमेर | 14 | — |
| 2. | सम | 9 | — |
| 3. | सांकड़ा | 16 | — |
| | योग :- | 39 | |